निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम DEPOSIT INSURANCE AND CREDIT GUARANTEE CORPORATION वार्षिक रिपोर्ट ANNUAL REPORT 2013-14

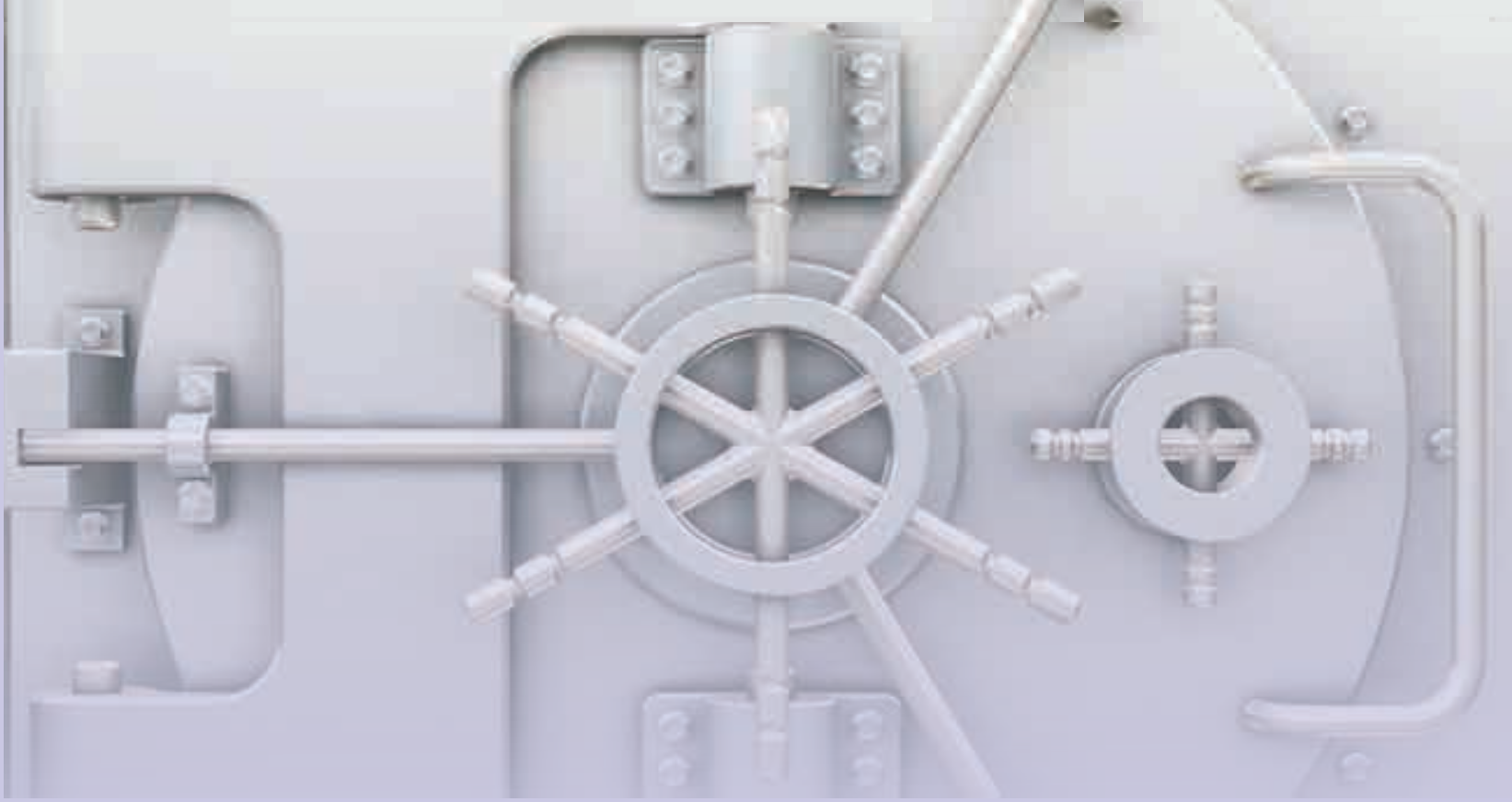

निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम
DEPOSIT INSURANCE AND CREDIT GUARANTEE CORPORATION

वा र्षि क रि पो र्ट

DICGC

ANNUAL REPORT

2013-14

शुभेच्छा

With Best Compliments from

जसबीर सिंह

कार्यपालक निदेशक

Jasbir Singh

Executive Director

निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम

मुंबई

Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation

Mumbai

निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम

(भारतीय रिज़र्व बैंक के संपूर्ण स्वामित्व वाली सहयोगी)

निदेशक बोर्ड की 52वीं वार्षिक रिपोर्ट
31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष के लिए
तुलन पत्र और लेखे

मिशन

लघु जमाकर्ताओं का विशेष रूप से
ध्यान रखते हुए निक्षेप बीमा के माध्यम से
बैंकिंग प्रणाली में जनता का विश्वास अर्जित करके
वित्तीय स्थिरता में सहयोग देना।

विज़न

एक सक्षम और प्रभावी निक्षेप बीमा प्रदाता के
रूप में पहचान बनाना जो पणधारकों की
आवश्यकताओं के प्रति
संवेदनशील हो।

विषय सूची

पृष्ठ संख्या

1.	प्रेषण पत्र	iv-v
2.	निदेशक बोर्ड	vi
3.	संगठन तालिका	vii
4.	निगम में संपर्क सूत्र	viii
5.	निगम के प्रमुख अधिकारी	ix
6.	संक्षेपाक्षर	x-xi
7.	विशेषताएं	xii-xiv
8.	निबीप्रगानि का विहंगावलोकन	1-5
9.	प्रबंध चर्चा और विश्लेषण	6-12
10.	निदेशकों की रिपोर्ट	13-23
11.	निदेशकों की रिपोर्ट के संबंध में संलग्नक	24-51
12.	लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट	53
13.	तुलन-पत्र और लेखे	54-67

निदेशक
Director

निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम
(भारतीय रिज़र्व बैंक की संपूर्ण स्वामित्ववाली सहयोगी)
DEPOSIT INSURANCE AND CREDIT GUARANTEE CORPORATION
(Wholly owned subsidiary of the Reserve Bank of India)

निबीप्रगानि/सवि/ 1526 /01.01.016/2014-15 26 जून, 2014

प्रेषण पत्र
(भारतीय रिज़र्व बैंक को)

मुख्य महाप्रबंधक एवं सचिव
सचिव विभाग
भारतीय रिज़र्व बैंक
केंद्रीय कार्यालय
केंद्रीय कार्यालय भवन
शहीद भगत सिंह मार्ग
मुंबई - 400 001

महोदय,

31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष के लिए निगम के तुलन-पत्र, लेखे तथा निगम की कार्यपद्धति संबंधी रिपोर्ट

निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम अधिनियम, 1961 की धारा 32(1) के उपबंधों के अनुसरण में निदेशक बोर्ड ने मुझे इस पत्र के साथ निम्नलिखित दस्तावेजों की एक-एक हस्ताक्षरित प्रतिलिपि भेजने का निदेश दिया है :

(i) 31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष के लिए निगम की लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट सहित निगम के तुलन-पत्र तथा लेखे, और

(ii) 31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष के लिए निगम की कार्यपद्धति के संबंध में निदेशक बोर्ड की रिपोर्ट।

2. निगम की वार्षिक रिपोर्ट की मुद्रित प्रतियाँ आपको शीघ्र प्रेषित की जाएंगी।

भवदीया,

कुमुदिनी हाजरा
(कुमुदिनी हाजरा)
सचिव

अनुलग्नक : यथोक्त

निदेशक
Director

निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम
(भारतीय रिज़र्व बैंक की संपूर्ण स्वामित्ववाली सहयोगी)
DEPOSIT INSURANCE AND CREDIT GUARANTEE CORPORATION
(Wholly owned subsidiary of the Reserve Bank of India)

निबीप्रगानि/सवि/ 1525 /01.01.016/2014-15 26 जून, 2014

प्रेषण पत्र
(भारत सरकार को)

सचिव,
भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
आर्थिक कार्य विभाग
(बैंकिंग प्रभाग)
जीवन दीप भवन
संसद मार्ग
नई दिल्ली - 110 001

महोदय,

31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष के लिए निगम के तुलन-पत्र, लेखे तथा निगम की कार्यपद्धति संबंधी रिपोर्ट

निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम अधिनियम, 1961 की धारा 32(1) के उपबंधों के अनुसरण में निदेशक बोर्ड ने मुझे इस पत्र के साथ निम्नलिखित दस्तावेजों की एक-एक हस्ताक्षरित प्रतिलिपि भेजने का निदेश दिया है :

(i) 31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष के लिए लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट सहित निगम के तुलन-पत्र तथा लेखे, और
(ii) 31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष के लिए निगम की कार्यपद्धति के संबंध में निदेशक बोर्ड की रिपोर्ट।

2. उल्लिखित सामग्री (अर्थात् तुलन-पत्र, लेखे और निगम की कार्यपद्धति संबंधी रिपोर्ट) की प्रतियाँ भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रस्तुत की गई हैं। उनकी तीन अतिरिक्त प्रतियाँ भी इस पत्र के साथ भेजी जा रही हैं।
3. कृपया उक्त अधिनियम की धारा 32(2) के अंतर्गत संसद के प्रत्येक सदन (अर्थात् लोकसभा और राज्यसभा) में दस्तावेज प्रस्तुत किए जाने की तारीख / तारीखें सूचित करें। निगम की वार्षिक रिपोर्ट की मुद्रित प्रतियाँ आपको यथा शीघ्र प्रेषित की जाएंगी।

भवदीया,
कुमुदिनी हाजरा
(कुमुदिनी हाजरा)
सचिव

अनुलग्नक : यथोक्त

निदेशक मंडल

अध्यक्ष

डॉ. ऊर्जित आर. पटेल उप गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक	निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम अधिनियम, 1961 की धारा 6 (1) (ए) के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा नामित (18.01.2013 से)

निदेशक

श्री जसबीर सिंह कार्यपालक निदेशक, भारतीय रिज़र्व बैंक	निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम अधिनियम, 1961 की धारा 6 (1) (बी) के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा नामित (21.09.2012 से)
डॉ. शशांक सक्सेना निदेशक, वित्त मंत्रालय वित्तीय सेवाएं विभाग भारत सरकार	निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम अधिनियम, 1961 की धारा 6 (1) (सी) के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा नामित (12.06.2008 से)
श्री बी.एल.पटवर्धन परामर्शदाता, सारस्वत को-आपरेटिव बैंक लि.	निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम अधिनियम, 1961 की धारा 6 (1) (डी) के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा नामित (12.10.2011 से)
श्री हर्ष कुमार भानवाला अध्यक्ष, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक	निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम अधिनियम, 1961 की धारा 6 (1) (डी) के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा नामित (12.06.2014 से)
श्री कमलेश विकमसे सनदी लेखाकार	निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम अधिनियम, 1961 की धारा 6 (1) (ई) के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा नामित (05.09.2011 से)
श्री जी.शिवकुमार प्रोफेसर, आईआईटी, बंबई	निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम अधिनियम, 1961 की धारा 6 (1) (ई) के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा नामित (20.09.2011 से)

संगठन तालिका

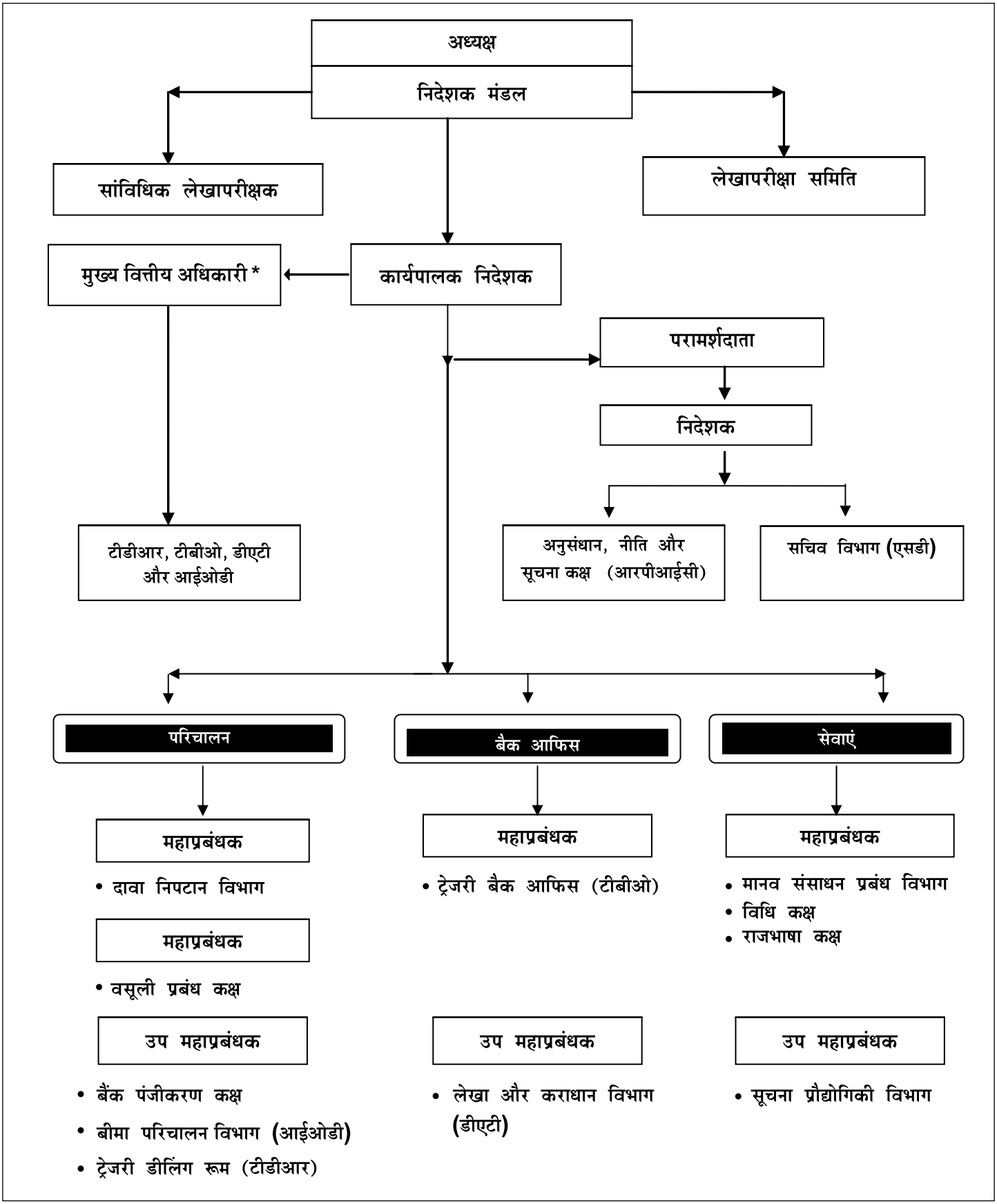

* 30 मई 2014 से

निगम में संपर्क सूत्र

फैक्स सं. **022 - 2301 5662**
022 - 2301 8165

टेलीफोन संख्या

022-2308 4121	सामान्य
022-2306 2161	प्रीमियम
022-2306 2162	दावे
022-2301 9792	आरटीआई
022-2301 9570	ग्राहक सेवा कक्ष

प्रधान कार्यालय

निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम

भारतीय रिज़र्व बैंक,
दूसरी मंज़िल, मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन के सामने,
भायखला, मुंबई - 400 008.
भारत

(i)	कार्यपालक निदेशक	022-2301 9460
(ii)	परामर्शदाता	022-2302 1624
(iii)	मुख्य वित्तीय अधिकारी	022-2301 9603
(iv)	महाप्रबंधक	022-2301 9645
(v)	निदेशक	022-2301 9792
(vi)	महाप्रबंधक	022-2301 9570
(vii)	महाप्रबंधक	022-2302 1150
(viii)	उप महाप्रबंधक	022-2302 1149
(ix)	उप महाप्रबंधक	022-2302 1146
(x)	उप महाप्रबंधक	022-2301 8840

ईमेल : dicgc@rbi.org.in
वेबसाईट : www.dicgc.org.in

निगम के प्रमुख अधिकारी

कार्यपालक निदेशक
श्री जसबीर सिंह

परामर्शदाता
श्रीमती जया मोहंती

मुख्य वित्तीय अधिकारी
श्री संजोय सेठी*

महाप्रबंधक
श्री एम.के. सामंतरे
श्रीमती मोलिना चौधरी
श्री द्विजराज सेठी

सचिव और निदेशक
श्रीमती कुमुदिनी हाजरा (30 जून 2014 तक)
श्री एम. रामय्या (1 जुलाई 2014 से)

उप महाप्रबंधक
श्री एम. कृपानन्दम
श्री वी.के. मौर्य
श्री डी. पानमेई

मुख्य जन सूचना अधिकारी
श्रीमती कुमुदिनी हाजरा (30 जून 2014 तक)
श्री एम. रामय्या (1 जुलाई 2014 से)

बैंकर
भारतीय रिज़र्व बैंक, मुंबई

कर परामर्शदाता
मेसर्स सारडा एंड पारीक$
सनदी लेखाकार
महावीर अपार्टमेंट, तीसरी मंजिल,
598, एम.जी.रोड, सनसिटी सिनेमा के पास,
विले पार्ले (पूर्व)
मुंबई - 400 057

लेखा परीक्षक
मेसर्स सारडा एंड पारीक
सनदी लेखाकार
महावीर अपार्टमेंट, तीसरी मंजिल,
598, एम.जी.रोड, सनसिटी सिनेमा के पास,
विले पार्ले (पूर्व)
मुंबई - 400 057

बीमांकक
मेसर्स के.ए. पंडित
परामर्शदाता और बीमांकक
दूसरी मंज़िल, चर्चगेट हाउस,
वीर नरीमन रोड, फोर्ट,
मुंबई - 400 001

* 30 मई, 2014 से
$ 1 अप्रैल, 2014 से

संक्षेपाक्षर

एपीआरसी	:	एशिया पैसिफिक रीजनल कमेटी
एएस	:	लेखांकन मानक
बीसीबीएस	:	बैंकिंग पर्यवेक्षण पर बासेल समिति
बीओई	:	बैंक ऑफ इंग्लैंड
बीआईपी	:	बैंक दिवाला पद्धति
बी.आर.एक्ट	:	बैंककारी विनियमन अधिनियम
बीआरडीडी	:	बैंक सुधार और समाधान निर्देश
सीए	:	सनदी लेखाकर
सीएमजी	:	संकट प्रबंधन दल
सीईएसटीएटी	:	सीमाशुल्क उत्पाद और सेवाकर अपीलीय न्यायाधिकरण
सीजीसीआई	:	क्रेडिट गारंटी कारपोरेशन ऑफ इंडिया लि.
सीजीएफ	:	ऋण गारंटी निधि
सीजीओ	:	ऋण गारंटी संगठन
सीएसएए	:	नियंत्रण स्वमूल्यांकन लेखापरीक्षा
डीसीसीबी	:	जिला केंद्रीय सहकारी बैंक
डीईएएफ	:	जमाकर्ता शिक्षा और जागरूकता निधि
डीआईसी	:	निक्षेप बीमा निगम
डीआईसीजीसी	:	निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम
डीआईएफ	:	निक्षेप बीमा निधि
डी-एसआईबी	:	घरेलू प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण बैंक
ईएफडीआई	:	जमा बीमाकर्ताओं का यूरोपीय मंच
ईओआई	:	अभिरूचि की अभिव्यक्ति
ईयू	:	यूरोपीय संघ
एफडीआईसी	:	फेडरल निक्षेप बीमा निगम
एफआईएमएमडीए	:	भारतीय निर्धारित आय मुद्रा बाजार तथा व्युत्पन्न (डेरीवेटिव्स) संघ
एफएमआई	:	वित्तीय बाजार संबंधी बुनियादी ढ़ाँचा
एफआरए	:	वित्तीय समाधान प्राधिकरण
एफएसबी	:	वित्तीय स्थिरता बोर्ड
एफएसडीसी	:	वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद
एफएसएलआरसी	:	वित्तीय क्षेत्र विधैयी सुधार आयोग
जीएएपी	:	सामान्य तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांत
जीएफ	:	सामान्य निधि
जीएलएसी	:	विफल संस्था की हानि अवशोषक क्षमता
जीओआई	:	भारत सरकार
जी - एसआईबीएस	:	वैश्विक - प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण बैंक

जी-एसआईआई	:	वैश्विक - प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण बीमाकर्ता
आईएडीआई	:	जमा बीमाकर्ताओं का अंतरराष्ट्रीय संघ
आईसीएआई	:	भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान
आईडीएल	:	आंतर-दिवसीय चलनिधि
आईएफआर	:	निवेश उतार-चढ़ाव आरक्षित निधि
आईआर	:	निवेश आरक्षित निधि
आईटी	:	सूचना प्रौद्योगिकी
एलएबी	:	स्थानीय क्षेत्र बैंक
एलटीयू	:	बड़े आयकरदाता इकाई
एनईएफटी	:	राष्ट्रीय इलेक्ट्रानिक निधि अंतरण
पीसीए	:	त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई
आरबीआई	:	भारतीय रिज़र्व बैंक
आरबीआईए	:	जोखिम आधारित आंतरिक लेखापरीक्षा
आरसीएस	:	सहकारी समितियों के पंजीयक
आरएफपी	:	प्रस्ताव का अनुरोध
आरआर	:	आरक्षित अनुपात
आरआरबी	:	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
आरआरपी	:	वसूली और समाधान योजना
आरटीजीएस	:	तत्काल सकल निपटान
एससी	:	अनुसूचित जाति
एसआईएफआई	:	प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण वित्तीय संस्थाएं
एसएलजीएस	:	लघु ऋण गारंटी योजना
एसएल (एसएसआई) जीएस	:	लघु ऋण (लघु उद्योग) गारंटी योजना
एसपीओई	:	एकल प्रवेश मार्ग
एसआरएम	:	एकल समाधान व्यवस्था
एसआरआर	:	विशेष समाधान व्यवस्था
एसटी	:	अनुसूचित जनजाति
एसटीसीबी	:	राज्य सहकारी बैंक
टीएएफसीयूबी	:	शहरी सहकारी बैंकों के लिए कार्यबल
टीबीटीएफ	:	इतनी बड़ी की विफल नहीं हो सकती
यूसीबी	:	शहरी सहकारी बैंक
यूके	:	यूनाइटेड किंगडम
यूएसए	:	संयुक्त राज्य अमेरिका
यूटी	:	केंद्रशासित प्रदेश

विशेषताएं - I : निक्षेप बीमा एक नज़र में

(₹ बिलियन में)

वर्ष के अंत में$	1962	1972	1982	1992-93	1996-97	1997-98	1998-99	1999-00	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
1 पूँजी*	0.01	0.02	0.15	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50
2 निक्षेप बीमा																						
(i) निक्षेप बीमा निधि**	0.01	0.25	1.54	3.12	2.99	20.22	31.07	33.10	37.06	42.50	55.14	59.08	78.18	91.03	109.79	133.62	161.55	201.52	247.04	300.93	361.20	406.18
(ii) बीमाकृत बैंक (संख्या में)	276	476	1683	1931	2296	2438	2583	2676	2728	2715	2629	2595	2547	2531	2392	2356	2307	2249	2217	2199	2167	2145
(iii) निर्धारणीय जमाराशियाँ @	18.95	74.58	423.60	2443.75	4506.74	4923.80	6099.62	7040.68	8062.60	9687.52	12131.63	13182.68	16198.15	17909.19	23443.51	29847.99	33985.65	45879.67	49524.27	57674.00	66210.60	76166.40
(iv) बीमाकृत जमाराशियाँ @	4.48	46.56	317.74	1645.27	3376.71	3705.31	4396.09	4985.58	5724.34	6740.51	8288.85	8709.40	9913.65	10529.88	13725.97	18050.81	19089.51	16823.97	17358.00	19043.00	21583.65	23791.52
(v) कुल खातों की संख्या (मिलियन में)	7.7	34.1	159.8	354.3	435.1	410.9	464.2	441.7	446.2	481.7	600.2	544.0	649.5	537.3	716.9	1038.9	1348.9	1423.9	1051.6	1073.0	1481.75	1370.13
(vi) पूर्णत: संरक्षित खाते (मिलियन में)	6.0	32.8	158.1	339.5	427.3	371.3	454.4	430.2	432.5	464.5	578.2	518.9	619.5	505.5	682.9	961.7	1204.0	1266.9	976.9	996.0	1393.08	1267.17
(vii) योजना के प्रारंभ से प्रदत्त दावे	–	0.01	0.03	1.78	1.94	1.96	2.09	2.25	2.62	6.77	8.63	10.44	14.85	20.50	25.94	27.55	29.84	36.38	40.17	43.05	45.05	46.08

* निगम की सामान्य निधि के तहत है।

** बीमांकिक और अधिशेष दोनों राशियाँ शामिल हैं।

@ 2009-10 से नए रिपोर्टिंग फार्मेट के अनुसार आँकड़े दिए गए हैं।

$ 1992-93 से मार्च अंत तक

विशेषताएं - II : ऋण गारंटी एक नजर में

(₹ बिलियन में)

वर्ष के अंत में$	1962	1972	1982	1992-93	1995-96	1996-97	1997-98	1998-99	1999-00	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
ऋण गारंटी																							
(i) ऋण गारंटी निधि*	–	–	0.89	9.07	17.75	29.26	6.79	7.58	11.88	11.33	12.62	13.93	15.11	2.50	3.45	3.49	3.67	3.85	2.98	3.10	3.00	3.25	3.53
(ii) गारंटीकृत अग्रिम																							
क) छोटे उधारकर्ता	–	2.08	48.40	263.48	172.61	39.39	32.41	2.78	ला.न.	ला.न.	ला.न.	ला.न.	ला.न.	ला.न.	ला.न.	ला.न.	ला.न.	ला.न.	ला.न.	ला.न.	ला.न.	ला.न.	ला.न.
ख) लघु उद्योग	–	–	38.22	155.03	112.71	33.76	28.13	0.39	0.05	0.01	0.01	ला.न.	ला.न.	ला.न.	ला.न.	ला.न.	ला.न.	ला.न.	ला.न.	ला.न.	ला.न.	ला.न.	ला.न.
(iii) प्राप्त दावे (वर्ष के लिए)																							
क) छोटे उधारकर्ता	–	–	0.25	8.83	18.41	18.42	1.84	2.18	2.19	0.22	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
ख) लघु उद्योग	–	–	0.30	2.60	5.24	2.70	1.20	0.34	0.26	0.14	0.01	0.00	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(iv) निपटाए गए दावे (वर्ष के दौरान)																							
क) छोटे उधारकर्ता	–	–	0.15	5.66	10.31	4.03	4.01	11.88	11.95	1.71	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
ख) लघु उद्योग	–	–	0.27	2.43	3.08	2.91	2.21	2.25	1.39	0.54	0.05	0.01	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

* बीमांकिक और अधिशेष दोनों शामिल हैं।

$ 1992-93 से मार्च अंत तक

ला.न. : योजनाओं के अंतर्गत एक भी ऋण संस्था सहभागी न होने के कारण लागू नहीं।

परिचालनगत विशेषताएं - III : निक्षेप बीमा

(₹ बिलियन में)

विवरण		2013-14	2012-13	2011-12	2010-11	2009-10	2008-09
राजस्व विवरण							
प्रीमियम आय		73.12	57.18	56.40	48.44	41.55	34.53
निवेश आय		33.90	27.68	23.53	18.01	15.13	12.89
निवल दावे		(0.93)	4.20	3.57	1.71	4.07	9.09
कर पूर्व राजस्व अधिशेष		91.52	86.27	60.01	61.45	37.53	39.73
करोत्तर राजस्व अधिशेष		60.72	58.27	40.54	41.32	28.93	26.89
तुलन पत्र							
निधि शेष (बीमांकिक)		50.68	52.65	47.68	37.74	32.75	18.17
निधि अधिशेष		355.49	308.55	253.25	209.30	168.77	143.39
दावे संबंधी बकाया देयताएं		3.92	9.05	6.89	6.03	7.64	10.75
निष्पादन मैट्रिक्स							
1.	दावों की प्राप्ति और दावों के निपटान के बीच औसत दिन @	15	27	52	49	54	43
2.	बैंक का पंजीकरण रद्द करने और दावों (प्रथम दावा) के निपटान के बीच औसत दिनों की संख्या @	678	410	533	388	361	825
3.	कुल कारोबार (प्रीमियम आय) के प्रतिशत के रूप में परिचालनगत लागत	0.22	0.25	0.27	0.35	0.26	0.30
	(इसमें से: कुल प्रीमियम आय की तुलना में कर्मचारी लागत का प्रतिशत)	(0.12)	(0.13)	(0.14)	(0.15)	(0.14)	(0.16)

@ मामले से संबंधित राशि की स्वीकृति की तुलना में दिनों की संख्या के आधार पर औसत दिनों की वास्तविक संख्या निकाली गई है।

निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम का विहंगावलोकन

(1) परिचय

निबीप्रगानि के कार्य 'निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम अधिनियम, 1961' (निबीप्रगानि अधिनियम) और उक्त अधिनियम की धारा 50 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए रिज़र्व बैंक द्वारा तैयार किए गए 'निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम सामान्य विनियमावली, 1961' के प्रावधानों के जरिए नियंत्रित है। चूँकि कोई भी ऋण संस्था निगम द्वारा संचालित किसी भी ऋण गारंटी योजना में भाग नहीं ले रही है, अत: निगम ऐसी किसी योजना का संचालन नहीं कर रहा है और निक्षेप बीमा ही इसका प्रधान कार्य है।

(2) इतिहास

बंगाल में बैंकिंग संकट उत्पन्न होने के उपरांत वर्ष 1948 में पहली बार जमा राशियों का बीमा करने का विचार बैंक के सामने आया। इसके एक वर्ष बाद 1949 में यह मामला पुन: विचार हेतु प्रस्तुत हुआ। परंतु रिज़र्व बैंक द्वारा बैंकों के निरीक्षण की पर्याप्त व्यवस्था किए जाने तक इस मामले को रोके रखा गया। तदुपरांत वर्ष 1950 में ग्रामीण बैंकिंग जाँच समिति ने इस धारणा का समर्थन किया। वर्ष 1960 में पलाइ सेंट्रल बैंक लि. तथा लक्ष्मी बैंक लि. के विफल होने के उपरांत रिज़र्व बैंक तथा केंद्र सरकार द्वारा जमाराशियों की बीमा के संबंध में गंभीर विचार प्रस्तुत किए। 21 अगस्त, 1961 को संसद में निक्षेप बीमा निगम (डीआईसी) बिल लाया गया। संसद द्वारा इसके पारित होने के उपरांत 7 दिसंबर, 1961 को इस बिल को राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त हुई और निक्षेप बीमा अधिनियम 1961 दिनांक 1 जनवरी, 1962 से प्रभावी हुआ।

प्रारंभ में, निक्षेप बीमा योजना कार्यरत सभी वाणिज्यिक बैंकों पर लागू की गयी। इसके अंतर्गत भारतीय स्टेट बैंक तथा इसकी सहायक संस्थाएं तथा वाणिज्यिक बैंक तथा भारत में परिचालित विदेशी बैंकों की शाखाएं शामिल थीं।

निक्षेप बीमा निगम (संशोधन) अधिनियम, 1968 अधिनियमित किए जाने के बाद निक्षेप बीमा का विस्तार सहकारी बैंकों तक भी किया गया और निगम से यह अपेक्षा की गई कि वह निबीप्रगानि अधिनियम की धारा 13ए के प्रावधानों के अंतर्गत ''पात्र सहकारी बैंकों'' का बीमाकृत बैंकों के रूप में पंजीकरण करे।

रिज़र्व बैंक से परामर्श करके भारत सरकार ने जुलाई 1960 में ऋण गारंटी योजना प्रारंभ की। भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 17 (11ए)(ए) के अंतर्गत केंद्र सरकार के एजेंट के रूप में रिज़र्व बैंक को इस योजना के प्रशासन का कार्य सौंपा गया और इसे ऋण गारंटी संस्थान (सीजीओ) का नाम दिया गया जिसे बैंकों और अन्य ऋण संस्थाओं द्वारा लघु उद्योगों को स्वीकृत किए गए अग्रिमों के लिए गारंटी प्रदान करना था। रिज़र्व बैंक ने इस योजना को 31 मार्च 1981 तक परिचालित किया।

रिज़र्व बैंक ने 14 जनवरी 1971 को एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी को प्रोन्नत किया जिसका नाम क्रेडिट गारंटी कार्पोरेशन आफ इंडिया लि. (सीजीसीआई) था। क्रेडिट गारंटी कार्पोरेशन आफ इंडिया लि. द्वारा प्रारंभ की गई ऋण गारंटी योजना का उद्देश्य अबतक उपेक्षित विशेष रूप से गैर-औद्योगिक गतिविधियों में लगे समाज के कमजोर वर्ग की ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ऋण संस्थाओं द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा परिभाषित प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों के अंतर्गत सम्मिलित छोटे और जरूरतमंद उधारकर्ताओं को स्वीकृत किए गए ऋणों और अग्रिमों के लिए गारंटी कवर उपलब्ध कराने के माध्यम से वाणिज्यिक बैंकों को प्रोत्साहित करना था।

निक्षेप बीमा और ऋण गारंटी के कार्यों को एकीकृत करने के उद्देश्य से दोनों संस्थाओं जैसे : निक्षेप बीमा निगम और क्रेडिट गारंटी कार्पोरेशन आफ इंडिया (सीजीसीआई) को मिला दिया गया और इस प्रकार 15 जुलाई 1978 को निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम अस्तित्व में आया। निक्षेप बीमा अधिनियम, 1961 को पूर्ण रूप से संशोधित किया गया और पुन: इसे 'निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम अधिनियम, 1961' का नाम दिया गया।

भारत सरकार की ऋण गारंटी योजना के निरस्त हो जाने के बाद 1 अप्रैल 1981 से निगम ने छोटे लघु उद्योगों को स्वीकृत

ऋण के लिए भी गारंटी सहायता प्रदान करना प्रारंभ किया। 1 अप्रैल 1989 से पूरे प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रों के अग्रिमों तक गारंटी कवर का विस्तार किया गया।

(3) संस्थागत कवरेज

(i) भारत में कार्यरत विदेशी बैंकों की शाखाओं सहित सभी **वाणिज्य बैंक**, स्थानीय क्षेत्र बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक निक्षेप बीमा योजना के अंतर्गत शामिल हैं।

(ii) निबीप्रगानि अधिनियम की धारा 2(जीजी) में यथापरिभाषित सभी पात्र **सहकारी बैंकों** को निक्षेप बीमा योजना के द्वारा सुरक्षा प्रदान की जाती है। राज्यों / संघ शासित क्षेत्रों में कार्य कर रहे सभी राज्य, केंद्रीय और प्राथमिक सहकारी बैंक, जिन्होंने निबीप्रगानि अधिनियम, 1961 की अपेक्षानुसार रिज़र्व बैंक को यह अधिकार देने के लिए अपने सहकारी समिति अधिनियम को संशोधित किया है कि वह राज्यों / संघ शासित क्षेत्रों की समितियों के रजिस्ट्रार को आदेश दे सके कि किसी सहकारी बैंक का समापन कर दे अथवा इसके प्रबंध समिति को अधिक्रमित करे और रजिस्ट्रार से अपेक्षित कर सके कि वह रिज़र्व बैंक से लिखित पूर्व स्वीकृति के बिना किसी सहकारी बैंक के समापन, समामेलन या पुन:निर्माण के लिए कोई कार्रवाई न करें, पात्र सहकारी बैंक समझे जाते हैं। वर्तमान में सभी सहकारी बैंक इस योजना में शामिल हैं। संघशासित क्षेत्र लक्षद्वीप तथा दादरा एवं नगर हवेली में कोई भी सहकारी बैंक नहीं है।

(4) बैंकों का पंजीकरण

(i) निबीप्रगानि अधिनियम की धारा 11 के अंतर्गत सभी नए वाणिज्य बैंकों से अपेक्षित है कि वे बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 22 के अंतर्गत रिज़र्व बैंक द्वारा लाइसेंस जारी करने के तुरंत बाद निगम में पंजीकरण कराएं। निबीप्रगानि अधिनियम की धारा 11ए के अंतर्गत सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों से अपेक्षित है कि वे अपनी स्थापना की तारीख से 30 दिनों के अंदर निगम में पंजीकरण कराएं।

(ii) एक नए पात्र सहकारी बैंक से अपेक्षित है कि वह रिज़र्व बैंक द्वारा लाइसेंस जारी करने के तुरंत बाद निगम में पंजीकरण कराए।

(iii) जब किसी प्राथमिक सहकारी समिति की स्वाधिकृत निधियाँ ₹1 लाख हो जाएं तो बैंकिंग कारोबार करने हेतु उसे प्राथमिक सहकारी बैंक के रूप में लाइसेंस के लिए रिज़र्व बैंक में आवेदन करना होगा और लाइसेंस के लिए आवेदन की गई तारीख से 3 महीनों के अंदर निगम में पंजीकरण कराना होगा।

(iv) निक्षेप बीमा निगम (संशोधन) अधिनियम, 1968 के लागू होने के बाद सहकारी बैंक के रूप में कारोबार कर रहे किसी अन्य सहकारी समिति के विभाजन अथवा बैंकिंग विधि (सहकारी समितियों पर प्रयोज्य) अधिनियम, 1965 के प्रारंभ के समय से या इसके बाद से बैंकिंग कारोबार करनेवाले दो या अधिक सहकारी समितियों के समामेलन से अस्तित्व में आए सहकारी बैंक को लाइसेंस के लिए आवेदन की गई तारीख से तीन महीनों के अंदर पंजीकरण कराना है। तथापि, ऐसे किसी सहकारी बैंक का पंजीकरण नहीं किया जाएगा जिसके संबंध में रिज़र्व बैंक द्वारा लिखित रूप में यह सूचित किया गया हो कि उसे लाइसेंस नहीं दिया जा सकता है।

निबीप्रगानि अधिनियम की धारा 14 के अनुसार निगम द्वारा किसी बैंक का बीमाकृत बैंक के रूप में पंजीकरण करने के बाद उससे अपेक्षित है कि वह 30 दिनों के अंदर लिखित रूप में बैंक को सूचित करे कि उसे बीमाकृत बैंक के रूप में पंजीकृत किया गया है। सूचना पत्र में पंजीकरण सूचना और पंजीकरण संख्या के अलावा बैंक द्वारा अनुपालन की जाने वाली अपेक्षाओं के ब्यौरे अर्थात्, निगम को देय प्रीमियम दर, प्रीमियम अदा करने की पद्धति और निगम को प्रस्तुत की जाने वाली विवरणियों के ब्यौरे आदि शामिल होने चाहिए।

(5) बीमा कवरेज

निबीप्रगानि अधिनियम की धारा 16(1) के मूल प्रावधानों के अंतर्गत बीमा सुरक्षा प्रति जमाकर्ता उसके द्वारा बैंक की सभी शाखाओं में रखी गई जमाराशि को मिलाकर 'समान क्षमता और समान अधिकार' में मूलत: ₹1500/- तक सीमित रखी गई थी। तथापि, अधिनियम निगम को यह भी अधिकार देता है कि वह केंद्र

सरकार के पूर्वानुमोदन से इस सीमा को बढ़ा सकता है। तदनुसार, बीमा सीमा को समय-समय पर निम्नानुसार बढ़ाया गया है :

प्रभावी तिथि	बीमा सीमा ₹
1 मई 1993	1,00,000/-
1 जुलाई 1980	30,000/-
1 जनवरी 1976	20,000/-
1 अप्रैल 1970	10,000/-
1 जनवरी 1968	5,000/-

(6) सुरक्षा प्रदत्त जमाराशियों के प्रकार

निबीप्रगानि (i) विदेशी सरकारों की जमाराशियाँ; (ii) केंद्र / राज्य सरकारों की जमाराशियाँ; (iii) राज्य सहकारी बैंकों में रखी गई राज्य भूमि विकास बैंकों की जमाराशियाँ; (iv) अंतर बैंक जमाराशियाँ; (v) भारत के बाहर प्राप्त जमाराशि तथा (vi) रिज़र्व बैंक के पूर्वानुमोदन से निगम द्वारा विशेष रूप से छूट प्राप्त किसी राशि को छोड़कर बचत, मीयादी, चालू, आवर्ती आदि जैसी सभी बैंक जमाराशियों का बीमा करता है।

(7) बीमा प्रीमियम

निक्षेप बीमा प्रणाली के संचालन हेतु निगम बीमाकृत बैंकों से बीमा प्रीमियम एकत्रित करता है। बीमाकृत बैंकों द्वारा अदा किए जाने वाले बीमा प्रीमियम का परिकलन निर्धारणीय जमाराशियों के आधार पर किया जाता है। बीमाकृत बैंक निगम को अग्रिम प्रीमियम अर्ध-वार्षिक(छमाही) आधार पर पिछले अर्ध-वर्ष(छमाही) के अंत की जमाराशियों की स्थिति के अनुसार प्रत्येक वित्तीय छमाही के प्रारंभ से दो महीनों के भीतर भुगतान करते हैं। बीमित बैंकों द्वारा निगम को प्रदत्त प्रीमियम के संबंध में बैंकों से अपेक्षित है कि इसे वे स्वयं वहन करें न कि जमाकर्ताओं पर डालें। प्रीमियम भुगतान में विलंब के लिए बीमाकृत बैंक संबंधित छमाही से भुगतान की तारीख तक चूक की राशि पर बैंक दर से 8 प्रतिशत अधिक की दर पर ब्याज का भुगतान करने के लिए बाध्य है।

₹ 100 की प्रत्येक जमाराशि पर प्रीमियम की दर

तारीख से	प्रीमियम (₹ में)
1-04-2005	0.10
1-04-2004	0.08
1-07-1993	0.05
1-10-1971	0.04
1-01-1962	0.05

(8) पंजीकरण रद्द करना

निबीप्रगानि अधिनियम की धारा 15ए के अंतर्गत निगम को लगातार तीन छमाहियों के लिए प्रीमियम अदा न करने वाले बीमाकृत बैंकों का पंजीकरण रद्द करने का अधिकार है। तथापि, यदि विपंजीकृत बैंक द्वारा इस हेतु अनुरोध किया जाता है और वह चूक की तारीख से प्रीमियम के रूप में देय संपूर्ण राशि ब्याज सहित अदा कर देता है तो निगम द्वारा उसका पंजीकरण फिर से चालू किया जा सकता है परंतु शर्त यह है कि वह बैंक अन्यथा रूप से बीमाकृत बैंक के रूप में पंजीकरण हेतु पात्र हो।

किसी बीमाकृत बैंक का पंजीकरण निम्न परिस्थितियों में रद्द किया जा सकता है:- नई जमाराशियाँ स्वीकार करने से उसे प्रतिबंधित किया गया हो; अथवा रिज़र्व बैंक द्वारा इसका लाइसेंस रद्द अथवा लाइसेंस देने के लिए मना कर दिया गया हो; अथवा स्वैच्छिक रूप से अथवा अनिवार्यत: उसका समापन कर दिया गया हो अथवा बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 36ए(2) के अर्थों में अब वह बैंकिंग कंपनी या सहकारी बैंक नहीं रह गया हो; अथवा इसने अपनी सारी जमा देयताओं को किसी अन्य संस्था को अंतरित कर दिया हो; अथवा इसे किसी अन्य बैंक के साथ समामेलित कर दिया गया हो अथवा किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा कोई समझौता, व्यवस्था या पुनर्निर्माण योजना स्वीकृत की गई हो और यह योजना नई जमाराशियाँ स्वीकार करने की अनुमति न देती हो। किसी सहकारी बैंक के संबंध में यदि उसने पात्र सहकारी बैंक के रूप में कार्य करना बंद कर दिया हो तो इसका पंजीकरण रद्द भी हो सकता है।

प्रीमियम भुगतान करने में हुई चूक को छोड़कर अन्य कारण से किसी बैंक का पंजीकरण रद्द किए जाने की स्थिति में रद्द करने की तारीख तक बैंक की जमाराशियों को बीमा सुरक्षा प्रदान की जाएगी।

(9) बीमाकृत बैंकों का पर्यवेक्षण और निरीक्षण

निगम को किसी बीमाकृत बैंक के अभिलेखों को आसानी से प्राप्त करने और इनकी प्रतिलिपियाँ माँगने का अधिकार है। निगम के अनुरोध पर रिज़र्व बैंक से अपेक्षित है कि वह किसी बीमाकृत बैंक का निरीक्षण/जाँच पड़ताल करे/करवाए।

(10) दावों का निपटान

(i) किसी बीमाकृत बैंक के समापन या परिसमापन की स्थिति में पंजीकरण रद्द करने की तारीख (अर्थात् लाइसेंस रद्द

करने अथवा समापन या परिसमापन की तारीख) तक बैंक के प्रत्येक जमाकर्ता द्वारा उसकी सभी शाखाओं में रखी गई जमाराशियों को मिलाकर उसकी समान क्षमता और समान अधिकार में रखी राशि में से उसके द्वारा देय राशि, यदि कोई हो, के समंजन के अधीन [निबीप्रगानि अधिनियम की धारा 16(1) के साथ पठित 16(3)] भुगतान हेतु पात्र होंगे। तथापि, प्रत्येक जमाकर्ता को भुगतान समय-समय पर निर्धारित बीमा-कवर की सीमा के अधीन किया जाएगा।

(ii) जब किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा किसी बैंक के लिए समझौता या व्यवस्था या पुनर्निमाण या समामेलन की योजना स्वीकृत की जाती है और इस योजना में इसके लागू होने की तारीख तक पूरी जमाराशि के क्रेडिट के लिए जमाकर्ता पात्र नहीं होते हैं तो निगम पूरी जमाराशि अथवा उस समय लागू बीमा कवर की सीमा में, इसमें से जो भी कम हो और योजना के अंतर्गत वास्तव में उसे प्राप्त होने वाली राशि के बीच के अंतर की राशि अदा करता है। इन मामलों में भी, उस बैंक की सभी शाखाओं में समान क्षमता और समान अधिकार में जमाकर्ताओं की सभी जमाराशियों के संबंध में जमाकर्ताओं को देय राशि का निर्धारण बैंक को उनके द्वारा देय राशि, यदि कोई हो, के समंजन के अधीन [निबीप्रगानि अधिनियम की धारा 16 (2) और (3)] निर्धारित किया जाता है।

(iii) निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम अधिनियम की धारा 17(1) के प्रावधानों के अंतर्गत किसी बीमाकृत बैंक जिसका समापन हो चुका हो या वह परिसमापनाधीन है, तो उसके परिसमापक द्वारा निबीप्रगानि द्वारा यथानिर्दिष्ट पद्धति में प्रत्येक जमाकर्ता की जमाराशि और समंजन-राशि को अलग-अलग दर्शाने वाली सूची इसकी यथार्थता प्रमाणित करते हुए परिसमापक के रूप में कार्यभार ग्रहण करने के तीन महीनों के भीतर निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम को प्रस्तुत की जानी है। (विशिष्ट दावा निपटान प्रक्रिया चार्ट 1 में दी गई है)

(iv) ऐसे बैंक के संबंध में जिसके लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा समामेलन/पुनर्निर्माण आदि जैसी कोई योजना स्वीकृत की गई है, इसी प्रकार की सूची संबंधित अंतरिती बैंक या बीमाकृत बैंक, जैसी भी स्थिति हो, के मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा समामेलन/पुनर्निर्माण आदि जैसी योजना के लागू होने की तारीख डनिबीप्रगानि अधिनियम की धारा 18(1).से तीन महीनों के अंदर प्रस्तुत की जानी है।

(v) निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम से अपेक्षित है कि वह अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत प्रत्येक जमाकर्ता के संबंध में देय राशि का भुगतान, ऐसी सूची जो निगम द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुरूप हो और सभी प्रकार से पूर्ण / सही हो, के प्राप्त करने के दो महीनों के अंदर करे। निगम ऐसी सूची का प्रमाणीकरण ऑन-साइट सत्यापन करने वाले सनदी लेखाकारों के फर्म से करवाता है।

(vi) सामान्यत: निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम जमाकर्ताओं के मध्य संवितरित करने के लिए पात्र राशि का भुगतान अंतरिती / बीमाकृत बैंक के मुख्य कार्यपालक अधिकारी / परिसमापक को करता है। तथापि, अनट्रेसबल जमाकर्ताओं को देय राशि, इसके संबंध में परिसमापक / मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा सभी अपेक्षित ब्यौरे निगम को प्रस्तुत करने तक, रोक कर रखी जाएगी।

(11) निपटाए गए दावों की वसूली

निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम सामान्य विनियमावली के विनियम 22 के साथ पठित निबीप्रगानि अधिनियम की धारा 21(2) के अनुसार, परिसमापक या बीमाकृत बैंक या अंतरिती बैंक, जैसा भी मामला हो, से अपेक्षित है कि वे विफल बैंकों की आस्तियों से वसूली गई राशि में से व्ययों के लिए प्रावधान करने के उपरांत हाथ में उपलब्ध अन्य राशि में से निबीप्रगानि को चुकौती करें।

(12) निधि, लेखे और कराधान

निगम तीन विभिन्न निधियाँ रखता है : अर्थात् (i) जमा बीमा निधि (डीआईएफ); (ii) ऋण गारंटी निधि (सीजीएफ); (iii) सामान्य निधि (जीएफ)। पहले दो निधियों का निर्माण क्रमश: बीमा प्रीमियम और गारंटी शुल्क के संचयन से किया जाता है और संबंधित दावों के निपटान हेतु इसका उपयोग किया जाता है। निगम की प्राधिकृत पूँजी ₹500 मिलियन है, जो पूर्णत: रिज़र्व बैंक द्वारा अभिदत्त है। सामान्य निधि का उपयोग निगम के स्थापना और प्रशासनिक व्यय को पूरा करने के लिए किया जाता है। सभी तीनों निधियों की

चार्ट 1 : भारत में सहकारी बैंकों के संबंध में दावों के निपटान की विशिष्ट प्रक्रिया

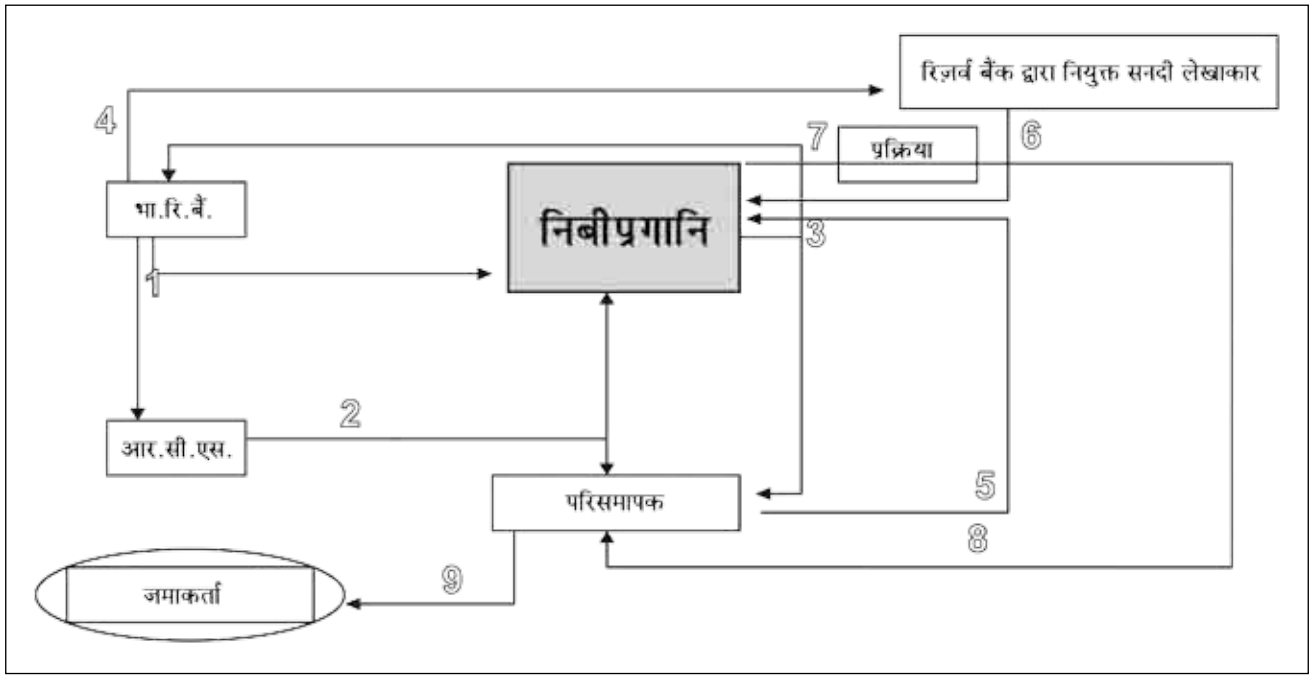

1. रिज़र्व बैंक किसी बैंक लाइसेंस रद्द करता है / लाइसेंस अस्वीकार कर देता हे और संबंधित सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार (आरसीएस) को परिसमापन की सिफारिश करता है और निबीप्रगानि को इसकी सूचना देता है।
2. आरसीएस परिसमापित बैंक के लिए एक परिसमापक नियुक्त करता है तथा निबीप्रगानि को सूचित करता है।
3. निबीप्रगानि बीमाकृत बैंक का पंजीकरण रद्द करता है और तीन महीनों के अंदर दावा सूची प्रस्तुत करने हेतु परिसमापक को दिशानिर्देश जारी करता है और रि. जर्व बैंक से दावा सूची का आनसाइट सत्यापन करने के लिए बाह्य लेखापरीक्षक (सनदी लेखाकार) नियुक्त करने का अनुरोध करता है।
4. रिज़र्व बैंक सनदी लेखाकार की नियुक्ति करता है और निबीप्रगानि दावा सूची की जाँच करने के लिए सनदी लेखाकार हेतु संक्षिप्त विवरण और ओरिएंटेशन सत्र आयोजित करता है।
5. परिसमापक जमाकर्ताओं को भुगतान करने हेतु दावा सूची प्रस्तुत करता है (साफ्ट और हार्ड कापी दोनों रूप में)।
6. आनसाइट लेखापरीक्षक (सनदी लेखाकार) दावा सूची संबंधी रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं।
7. कंप्यूटर के माध्यम से दावा सूची का संसाधन किया जाता है और भुगतान सूची तैयार की जाती है।
8. समेकित भुगतान परिसमापक को जारी किया जाता है और अपूर्ण / संदिग्ध दावों के संबंध में जानकारी मांगी जाती है। निगम की वेबसाइट के जरिए दावा राशि जारी करने की घोषणा की जाती है।
9. परिसमापक जमाकर्ताओं को भुगतान राशि जारी करता है।

अधिशेष राशि को केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों में निवेश किया जाता है। अधिनियम के अंतर्गत अंतर-निधि अंतरण हेतु अनुमति प्राप्त है।

प्रतिवर्ष 31 मार्च को निगम के बही-खाते बंद किए जाते हैं। निगम के कार्यों की लेखापरीक्षा रिज़र्व बैंक के पूर्वानुमोदन से निदेशक मंडल द्वारा नियुक्त लेखापरीक्षकों द्वारा की जाती है। लेखापरीक्षित लेखों के साथ लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट और निगम की कार्य पद्धति संबंधी रिपोर्ट लेखाबंदी के 3 महीनों के अंदर रिज़र्व बैंक को प्रस्तुत की जाती है। इन प्रलेखों की प्रतिलिपियाँ केंद्र सरकार को भेजी जाती हैं, जिन्हें संसद के प्रत्येक सदन में रखा जाता है। सामान्यत: निगम व्यापारिक (मर्केण्टाइल) लेखांकन प्रणाली का उपयोग करता है और 1987 से देयताओं के लिए बीमांकिक मूल्यांकन प्रणाली को अपनाया गया है।

निगम वित्तीय वर्ष 1987-88 से आयकर का भुगतान कर रहा है। आयकर अधिनियम, 1961 मे यथापरिभाषित किए गए अनुसार आयकर के संबंध में निगम का मूल्यांकन 'कंपनी' के अंतर्गत किया जाता है। इसके साथ ही निगम ने सेवाकर संबंधी पंजीकरण करा लिया है और 1 अक्तूबर 2011 से प्रीमयम आय पर उपचित सेवाकर अदा कर रहा है।

प्रबंधकीय चर्चा और विश्लेषण

वित्तीय संस्थाओं के समाधान हेतु ढाँचा तैयार करने का प्रयास

वर्ष 2007 में शुरू हुई वैश्विक वित्तीय संकट ने वित्तीय समाधान प्रक्रिया में कमियों को उजागर किया। इन समस्याओं को सुलझाने के लिए उपलब्ध उपाय (टूल्स) अपर्याप्त पाए गए। तुलनात्मक रूप से विकसित वित्तीय प्रणालियों वाले विनियामक प्राधिकरणों ने भी खासकर, सीमा-पार उपस्थिति वाले बड़े और व्यापक बैंकों और गैर-बैंक वित्तीय संस्थाओं के समाधान के लिए अधिकारों और उपायों का अभाव पाया। जैसे-जैसे संकट सामने आता गया, उसके संक्रमणकारी प्रभाव को रोकने के लिए प्राधिकरणों ने हस्तक्षेप किया और कई अपूर्व उपायों के माध्यम से सहायता उपलब्ध करायी। इनमें अधिग्रहण (टेकओवर), निर्बंध गारंटी, चलनिधि डालना और निक्षेप बीमा का विस्तार जैसे उपाय शामिल किए गए। यह व्यापक रूप से माना गया कि वर्तमान कंपनी दिवाला की पद्धतियाँ अत्यधिक प्रणालीगत प्रभावों के साथ वित्तीय संस्था के अव्यवस्थित ढंग से विफल होने का कारण बन सकती है।

वित्तीय संकट से मिली सिख के आधार पर कई क्षेत्राधिकारों ने अपने विनियामक और पर्यवेक्षी ढाँचे में सुधार लाने के लिए अत्यधिक प्रयास किए। इस ओर, प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण वित्तीय संस्थाओं की विफलता को हल करने के लिए प्राधिकरणों की सक्षमता बढ़ाने हेतु राष्ट्रीय और अंतरर्राष्ट्रीय दोनों स्तर पर दूरगामी विधैयी परिवर्तनों सहित विभिन्न सुधारात्मक उपाय किए गए, ताकि वास्तविक अर्थव्यवस्था पर उसके चक्रीय प्रभाव को कम किया जा सके। अंतरर्राष्ट्रीय मानक तैयार करने वाली निकाईयाँ, अर्थात् बैंक पर्यवेक्षण पर बासेल समिति (बीसीबीएस) और वित्तीय स्थिरता बोर्ड (एफएसबी) मार्गदर्शन और मानकों को विकसित करने के द्वारा ऐसे सुधार लाने में अग्रसर रहे हैं। इन जोखिमों की व्यापकता को देखते हुए प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण संस्थाओं, खासकर जिनके सीमा-पार परिचालन हैं; उनके लिए ढ़ाँचा तैयार करने पर स्पष्ट रूप से ध्यान केंद्रीत किया गया है।

अक्तूबर 2011 में वित्तीय स्थिरता बोर्ड द्वारा जारी ''वित्तीय संस्थाओं के लिए प्रभावी समाधान व्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं'' ने राष्ट्रीय समाधान व्यवस्था में सुधार लाने की आवश्यकता को उजागर किया। प्रमुख विशेषताओं ने सभी क्षेत्राधिकारों में एक ऐसी प्रभावी ''समाधान व्यवस्था'' विकसित करने पर जोर दिया है, जो समाधान प्राधिकरण को ऐसे विभिन्न फर्मों का समाधान करने जो अब व्यवहार्य नहीं है, के लिए व्यापक स्तर पर अधिकार, उपाय (टूल्स) और विकल्प उपलब्ध कराते हैं। उन्होंने राष्ट्रीय समाधान व्यवस्था के लिए आवश्यक मूल तत्वों को दर्शाया ताकि प्राधिकरण करदाताओं को हानि के जोखिम से बचाते हुए एक सुव्यवस्थित तरीके से विफल हो रही वित्तीय फर्मों का समाधान करने हेतु उन्हें समर्थ बनाया जा सके। इसी प्रकार, ऐसी व्यवस्थाओं के द्वारा महत्वपूर्ण आर्थिक कार्यों की रक्षा करना, जो दावों के अनुक्रम को ध्यान में रखते हुए शेयर धारकों और बेजमानती और गैर-बीमाकृत ऋणदाताओं को हानि झेलने के लिए समर्थ बना दें, को भी उतना ही महत्वपूर्ण माना गया। बीमा कंपनियों और वित्तीय बाजार संबंधी बुनियादी ढाँचा (एफएमआई) सहित गैर-बैंक वित्तीय संस्थाओं के समाधान के लिए अतिरिक्त सहायक मार्गदर्शन तैयार करने के द्वारा प्रमुख विशेषताओं को और मजबूत बनाया जा रहा है।

जी-20 देशों और वित्तीय स्थिरता बोर्ड के क्षेत्राधिकारों से अपेक्षा है कि वे प्रमुख विशेषताओं को वास्तविक रूप में और विस्तार से तथा वित्तीय क्षेत्र के सभी खण्ड़ों में, जो प्रणालीगत समस्यांए खड़ी कर सकते है, 2015 के अंत तक लागू कर दें। क्षेत्राधिकारों से यह भी अपेक्षा है कि वे वित्तीय बाजार संबंधी बुनियादी ढ़ाँचा (एफएमआई) जो एक से अधिक क्षेत्राधिकारों में प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण है, के लिए वित्तीय स्थिरता बोर्ड अनुबंधों की प्रमुख विशेषताओं के अनुरूप समाधान व्यवस्था, संकट प्रबंध समूह (सीएमजी) और समाधान योजना 2015 के अंत तक अपना लें।

वित्तीय स्थिरता बोर्ड विफल हुई वित्तीय संस्था के शेयरधारकों और ऋणदाताओं को उबारने के लिए विधिक ढ़ाँचा विकसित करने की ओर कार्य कर रहा है। उबारने का उद्देश्य विनियामक प्राधिकरणों को सरकारी निधियों के प्रयोग के बिना विफल हुई वित्तीय संस्था का समाधान करने (अथवा, कुछ मामलो में वसूली में सहायता करने) के लिए समर्थ बनाना है।

उबारने की मूल पूर्व-आवश्यकता है, पर्याप्त मात्रा में हानि आमेलन ऋण का होना जिसे 'विफल संस्था की हानि अवशोषक

क्षमता' (''जीएलएसी'') कहा गया है। इसे संस्था को पुन: पूँजीकृत करने के लिए विश्वसनीय रूप से घटाकर दिखाया जा सकता है अथवा साधारण ईक्विटी में परिवर्तित किया जा सकता है। जीएलएसी को पर्याप्त मात्रा में धारित करने पर और वित्तीय समूह के भीतर सही ढंग से रखे जाने पर संबंधित समाधान प्राधिकरण को सार्वजनिक निधियों पर निर्भर रहे बगैर संस्था को प्रभावी रूप से पुन: पूँजीकृत करने दिए जाने से एक सुव्यवस्थित समाधान की सुविधा प्राप्त हो सकती है। जीएलएसी को कम दिखाकर अथवा परिवर्तित करने से महत्वपूर्ण परिचालनों को जारी रखने के लिए पर्याप्त पूँजी भी सुनिश्चित की जा सकती है। जी-20 ने वित्तीय स्थिरता बोर्ड और बैंकिंग पर्यवेक्षण पर बासेल समिति को नवम्बर 2014 में होनेवाले ब्रिस्बेन शिखर सम्मेलन तक एक वैश्विक जीएलएसी का अंतर्राष्ट्रीय संधि का मूल पत्र तैयार करने का कठिन काम सौंपा है।

समाधान व्यवस्था की अंतर्राष्ट्रीय गतिविधियाँ[1]

अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, विश्वसनीय समाधान व्यवस्था विकसित करने के कार्य ने न केवल एक प्रभावी राष्ट्रीय समाधान ढाँचा तैयार करने के विषय पर ध्यान केंद्रीत किया है बल्कि व्यापक समूह संरचना और सीमा-पार संकट समाधान व्यवस्था की समस्याओं को सुलझाने पर भी ध्यान दिया है। वित्तीय स्थिरता बोर्ड कई विषयों पर मार्गदर्शन विकसित करने के विभिन्न चरणों में है और क्षेत्राधिकारों में सुधार कार्य चल रहा है। वित्तीय स्थिरता बोर्ड ने प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण वित्तीय संस्थाओं (एसआईएफआई)[1] की विफलता की संभावन को कम करते हुए ''इतनी बड़ी की विफल नहीं हो सकती'' (टीबीटीएफ) संस्थाओं को सुलझाने में उल्लेखनीय प्रगति की है। इसमें संस्थाओं का प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण होने का निर्धारण करने के लिए: अतिरिक्त हानि की अवशोषक क्षमता; बढ़ी हुई पर्यवेक्षी तीव्रता; अधिक प्रभावी समाधान व्यवस्था और मज़बूत वित्तीय बाज़ार संबंधी बुनियादी ढाँचा की आवश्यकता शामिल है। वैश्विक-प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण बैंकों (जी-एसआईबी) और बीमाकर्ताओं (जी-एसआईआई) के निर्धारण के लिए कार्य-पद्धतियाँ जारी की गयी है और 29 जी-एसआईबी और 9 जी-एसआईआई को पदनामित किया गया है। उच्चतर हानि - अवशोषक क्षमता, अधिक गहन पर्यवेक्षण और समाधान योजना की आवश्यकताएं इन सभी संस्थाओं पर लागू होंगे। वैश्विक-प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण बैंकों के लिए विफल संस्थाओं की अतिरिक्त हानि अवशोषक क्षमता वाली एक नई मजबूत पूँजी व्यवस्था को अंतिम रूप दिया गया है और कई मामलों में वैश्विक - प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण बैंक समय से पहले अतिरिक्त पूँजी निर्माण कर रहे हैं। जोखिम प्रबंधन, जोखिम समूहन और जोखिम रिपोर्टिंग के लिए अधिक पर्यवेक्षण करने और पर्यवेक्षी अपेक्षाओं को बढ़ाने के सुझाव दिए गए हैं और उसे लागू किया जा रहा है। वैश्विक-प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण बैंकों के लिए समाधान रणनीतियों पर मार्गदर्शन जारी किया गया है। वित्तीय बाजार संबंधी बुनियादी ढाँचा (एफएमआई) और बीमाकर्ताओं के समाधान पर कार्य करने तथा समाधान में ग्राहकों की आस्तियों की सुरक्षा करने पर दृष्टिकोण को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

वित्तीय संस्थाओं के प्रभावी समाधान के लिए मानकों को कई देशों द्वारा लागू किया जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, जापान, मेक्सिको, निदरलैंड्स, स्पैन, स्विटज़रलैंड, यूनाइटेड किंगडम और अमरीका जैसे कुछ क्षेत्राधिकारों में हाल में हुए सुधार यह दर्शाते हैं कि प्रमुख विशेषताओं को लागू करने में उल्लेखनीय प्रगति हुई है।

अमरीका ने प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण वित्तीय संस्थाओं के समाधान के लिए 21 जुलाई 2010 को डाड-फ्रान्क अधिनियम बनाया। अमरीका में अपने संबंधित विनियामकों के अंतर्गत बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थाओं के समाधान के लिए ढाँचा पहले से ही मौजूद था। जबकि उनका मौजूदा ढाँचा लघु और मध्यम संस्थाओं के लिए सही ढ़ग से काम में आया, उनके व्यापक और वैश्विक स्वरूप की संस्थाओं के समाधान में समस्या आयी। डाड-फ्रान्क ढाँचा के अंतर्गत उल्लिखित समाधान ढाँचा प्रणालीगत और गैर-प्रणालीगत संस्थाओं में अन्तर दर्शाता है। वित्तीय फर्म जो गैर-प्रणालीगत स्वरूप के हैं, उनका समाधान उनके संबंधित कानून के अंतर्गत किया जाता है जबकि डाड-फ्रान्क अधिनियम के प्रावधान प्रणालीगत रूप से निर्धारित फर्मों पर लागू होते हैं। डाड-फ्रान्क अधिनियम कई प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण वित्तीय संस्थाओं के व्यापक और वैश्विक स्वरूप को ध्यान में रखते हुए घरेलू और अंतरराष्ट्रीय तौर से प्राधिकरणों के बीच बेहतर समन्वय के लिए ढाँचा भी उपलब्ध कराता है। फेडरल निक्षेप बीमा निगम

[1] प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण संस्थाओं (एसआईएफआई) की व्यापकता, बाजार महत्व और परस्पर संबद्धता इतनी बड़ी है कि उनकी विपदा अथवा विफलता से वित्तीय प्रणाली अत्यधिक विस्थापित हो सकती है और आर्थिक परिणामों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। ''इतनी बड़ी की विफल नहीं हो सकती'' (टीबीटीएफ) की स्थिति तब उभरती है जब प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण संस्था की विफलता से सार्वजनिक प्राधिकरणों के पास वित्तीय अस्थिरता और आर्थिक नुकसान से बचने के लिए कोई विकल्प नहीं रहता है और सार्वजनिक निधियों का प्रयोग करना पड़ता है।

(एफडीआईसी) को डाड-फ्रान्क अधिनियम के भाग II के अंतर्गत नई स्थापित पूरक वित्तीय कंपनी में दावों को कम दिखाकर और दावों को ईक्विटी में परिवर्तित कर विफल वित्तीय कंपनी (जिसके लिए एफडीआईसी को प्राप्तकर्ता के रूप में नियुक्त किया गया है) के शेयरधारकों और ऋणदाताओं की प्रभावी रूप से सुरक्षा करने का अधिकार है। अमरीका के विनियामकों ने डाड-फ्रान्क अधिनियम के कतिपय प्रावधानों को लागू करने के लिए नियम बनाए हैं और अन्य प्रावधानों को लागू करने के लिए नियम बनाना जारी रखा है।

फेडरल निक्षेप बीमा निगम ने डाड-फ्रान्क अधिनियम के भाग II द्वारा दिए गए सुव्यवस्थित परिसमापन प्राधिकार के अंतर्गत चूक अथवा चूक की आशंका वाले प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण वित्तीय संस्थाओं के समाधान के लिए ''एकल प्रवेश मार्ग'' (एसपीओई) रणनीति का प्रस्ताव किया है। ''एकल प्रवेश मार्ग'' की रणनीति विफल हुई धारित कंपनी की परिचालनरत सहायक कंपनी को बिना रुकावट अपने परिचालन जारी रखने की अनुमति देते हुए केवल प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण वित्तीय संस्थाओं के उच्च स्तरीय अमरीकी धारित कंपनी के लिए फेडरल निक्षेप बीमा निगम को एक प्राप्तकर्ता के रूप में नियुक्ति करती है।

यूनाइटेड किंगडम (यूके) में भी विभिन्न एजेंसियों की स्पष्ट भूमिका के साथ उल्लेखनीय सुधार शुरू किया गया। यू.के के बैंकों का समाधान संकट-पूर्व अवधि में सामान्य कंपनी दिवाला कानून पर निर्भर था। बैंक ऑफ इंग्लैंड (बीओई) विफल हो रही यू.के बैंकों के लिए अग्रणी समाधान प्राधिकरण और बैंककारी अधिनियम 2009 के अंतर्गत लागू विशेष समाधान व्यवस्था (एसआरआर) के अधीन समितियां बनाने का कार्य करती है। बैंककारी अधिनियम बैंकों के समाधान के लिए एसआरआर के अनुरूप तैयार किए गए स्थायी समाधान ढाँचे को स्थापित करती है। इस ढाँचे में बीमाकृत जमाकर्ताओं की सुरक्षा करते हुए दिवालिया बैंकों के समापन के लिए कई निर्देशित अंतरण अधिकार (बैंककारी अधिनियम में इसे ''स्थायीकरण अधिकार'' कहा गया है) और बैंक दिवाला पद्धति (बीआईपी) शामिल है। बैंककारी अधिनियम, 2009, अन्य बातों के साथ-साथ एसआरआर शुरू करने, एसआरआर के लक्ष्यों को निर्धारित करने, एसआरआर के अंतर्गत विभिन्न स्थायीकरण (अथात् अंतरण) के विकल्प देने और अपेक्षित परिणाम प्राप्त करने के उपाय सुझाने के लिए सतर्कता बिन्दु दर्शाते हैं। बैंककारी अधिनियम अपने अधिकारों के प्रत्यायोजन में बैंक ऑफ इंग्लैड और शाही खजाने को विभिन्न परिदृश्यों में विशिष्ट स्थिरीकरण विकल्प लागू करने और अन्य प्राधिकरणों के साथ परामर्श करने की बाध्यता प्रदान करता है।

बैंकों के सीमा-पार परिचालनों की व्यापकता के कारण उभरती चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए यूरोपीय संसद ने ऋण संस्थाओं और निवेश फर्मों के सुधार और समाधान (सामान्यत: इसे बैंक सुधार और समाधान निर्देश अथवा ''बीआरआरडी'' कहा गया है) के लिए ढाँचा स्थापित करने हेतु यूरोपीय कमीशन के प्रस्ताव को अनुमोदित किया। बीआरआरडी के अतिरिक्त यूरोपीय संसद ने हाल ही में एकल समाधान व्यवस्था (''एसआरएम'') को भी अनुमोदित किया जो सभी यूरो क्षेत्र के सदस्य राज्यों के साथ-साथ इसका विकल्प देनेवाले उन गैर-यूरो क्षेत्र के सदस्य राज्यों पर भी लागू होते है। यूरो क्षेत्र के भीतर बैंकिंग संस्थाओं के समाधान के लिए एक एकीकृत प्रणाली उपलब्ध कराने के लिए एसआरएम बीआरआरडी के सहयोग में कार्य करेगा।

बीआरआरडी को आर्थिक रूप से निर्बल और विफल हो रही ऋण संस्थाओं पर प्रभावी रूप से कार्य करने के लिए यूरोपीय संघ स्तर पर पर्याप्त उपाय उपलब्ध कराने के लिए तैयार किया गया है। उसका उद्देश्य किसी बैंक अथवा किसी संस्था की वित्तीय स्थिरता कम से कम जोखिम के साथ त्वरित समाधान कराना है। उक्त निर्देश जब कोई बैंक विफल होती है तो उसके प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण कार्यों को सुरक्षित रखता है और करदाताओं के बदले शेयर धारक और ऋणदाता हानि उठाते हैं। एक-समान व्यवस्था के अभाव में यूरोपीय संघ के भीतर अलग-अलग सदस्य राज्यों के बैंकों की दिवाला पद्धतियाँ भिन्न - भिन्न होंगी। इसके कारण विफल हो रही सीमा-पार बैंकिंग समूह पर कार्य करते समय राष्ट्रीय पर्यवेक्षी प्राधिकरणों के बीच परस्पर सहयोग का अभाव होगा। अत: उक्त निर्देश यूरोपीय संघ में बैंकों के समाधान के लिए न्यूनतम एक-समान व्यवस्था रखने का प्रस्ताव करते हैं। यह नियम पूँजी आवश्यकता के अधीन ऋण संस्थाओं (अर्थात् बैंकों) और बड़े निवेश फर्मों दोनों पर लागू होंगे। उक्त निर्देश विफल हो रही संस्थाओं का सुधार कार्य, समाधान और सुव्यवस्थित विघटन का समर्थन करता है। प्रस्तावित निर्देश यूरोपीय संघ के सदस्य राज्यों से एक या अधिक सार्वजनिक प्रशासनिक प्राधिकरणों को समाधान प्राधिकरणों के रूप में नियुक्त करने की अपेक्षा रखता है। इनमें केंद्रीय बैंक, वित्तीय पर्यवेक्षक, निक्षेप बीमा एजेन्सी अथवा विशेष प्राधिकरण हो सकते हैं। तथापि,

यदि पर्यवेक्षी संस्था के भीतर एक समाधान प्राधिकरण की स्थापना की जाती है तो पर्यवेक्षी सहिष्णुता के जोखिम को कम करने के लिए दोनों कार्यकलापों के कार्यों को अलग-अलग रखने का सुझाव दिया गया है। बचाव उपाय (बेल-ईन टूल्स) को छोड़कर निर्देश के प्रारूप को लागू करने की प्रस्तावित तारीख 1 जनवरी 2015 है। किसी भी समाधान प्राधिकरण द्वारा बचाव उपाय 1 जनवरी 2018 तक लागू नहीं किया जाएगा।

भारत में समाधान ढ़ाँचे की गतिविधियाँ[2]

वर्तमान में, भारत में अब तक संपूर्ण रूप से केवल वित्तीय संस्थाओं के लिए कोई विशेष समाधान व्यवस्था अथवा व्यापक नीति अथवा दिवाला पर कोई कानून उपलब्ध नहीं है। तथापि, विभिन्न अधिनियमों में कुछ प्रावधान निहित हैं जो भारत में विभिन्न प्रकार की समस्यावाले वित्तीय संस्थाओं के समाधान के लिए संबंधित विनियामकों/पर्यवेक्षकों/और अथवा केंद्र सरकार को अधिकार प्रदान करते हैं। उक्त प्रवधान निम्नलिखित में निहित हैं -

- बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 और बैंकिंग कंपनियों के लिए कंपनी कानून (निजी क्षेत्र की बैंकों, विदेशी बैंकों और स्थानीय क्षेत्र की बैंकों);
- भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955, बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम 1970/1980, भारतीय स्टेट बैंक (समनुषंगी बैंक) अधिनियम, 1959 और भारतीय स्टेट बैंक और उसकी सहायक बैंकों सहित सार्वजनिक क्षेत्र की बैंकों के लिए बैंककारी विनियमन (बीआर) अधिनियम, 1949;
- बैंककारी विनियमन अधिनियम (सहकारी समितियों पर यथा लागू), 1966, बहुराज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2002 और सहकारी बैंकों (राज्य सहकारी बैंकों, जिला केन्द्रीय सहकारी बैंकों और प्राथमिक सहकारी बैंकों) के लिए संबंधित सहकारी सोसाइटी अधिनियम;
- क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के लिए बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949;
- बीमा अधिनियम, 1938, बीमा नियम, 1939, बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 और उसके अंतर्गत बीमा कंपनियों के लिए तैयार किए गए विनियम;
- प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 और प्रतिभूति कंपनियों/ब्रोकरों और शेयर बाज़ारों के लिए शेयर बाज़ार और समाशोधन निगम अधिनियम, 2012;
- भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए कंपनी कानून; और
- पेंशन कंपनियों के लिए पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण, 2013

हालांकि विभिन्न अधिनियमों (ऊपर उल्लिखित) में कुछ प्रावधान निहित है जो संबंधित विनियामकों/पर्यवेक्षकों और/अथवा केन्द्र सरकार को वित्तीय संस्थाओं के विभिन्न प्रकार की समस्याओं का समाधान करने के लिए अधिकार देते हैं, फिर भी, भारत में संपूर्ण रूप से केवल वित्तीय संस्थाओं के लिए कोई विशेष समाधान व्यवस्था अथवा व्यापक नीति अथवा दिवाला पर कानून नहीं है। यह अधिकार वित्तीय बाजार संबंधी बुनियादी ढाँचा (एफएमआई) जैसी संस्थाओं की कतिपय श्रेणियों के लिए अपर्याप्त है। साथ ही, प्रमुख विशेषताओं में उल्लेख किए गए अनुसार संपूर्ण रूप से वित्तीय संस्थाओं के लिए समाधान पर निगरानी रखने और उसे लागू करने के लिए कोई समर्पित समाधान प्राधिकरण नहीं है।

संपूर्ण वित्तीय क्षेत्र के लिए भारतीय समाधान व्यवस्था/ ढाँचें में मौजूदा कमियों अर्थात वित्तीय स्थिरता बोर्ड की ''प्रमुख विशेषताओं'' की जांच करने और उसका आकलन करने के लिए और ऐसी कमियों को दूर करने के लिए आवश्यक विधैयी परिवर्तनों के स्वरूप और उसके विस्तार पर सुझाव देने तथा इसे आगे ले जाने हेतु अनुमानित समय सीमा के भीतर आवश्यक कदम उठाने के लिए वित्तीय स्थिरता विकास परिषद (एफएसडीसी) की उप समिति ने एक कार्यकारी दल गठित करने का निर्णय लिया। तदनुसार, भारतीय रिज़र्व बैंक ने जनवरी 2013 में एक उच्च स्तरीय कार्यकारी दल (श्री आनंद सिन्हा: अध्यक्ष और डॉ. अरविंद मायाराम: सह अध्यक्ष) का गठन किया। इस कार्यकारी दल ने जनवरी 2014 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और इस रिपोर्ट को मई 2014 में सार्वजनिक परामर्श के लिए जारी किया गया।

[2] इस खण्ड की अधिकतर सामग्री ''वित्तीय संस्थाओं के लिए समाधान व्यवस्था पर कार्यकारी दल की रिपोर्ट'' भारतीय रिज़र्व बैंक, जनवरी 2014 से प्राप्त की गयी है।

इस दल ने इस तथ्य को ध्यान में रखा कि संबंधित वित्तीय संस्थाओं को नियंत्रित करने वाले अधिनियमों में कुछ ऐसे प्रावधान है जो संबंधित विनियामक/पर्यवेक्षक और/अथवा केंद्र सरकार को अर्थक्षम नहीं रहने की समस्यावाले विभिन्न प्रकार के वित्तीय संस्थाओं का समाधान करने के लिए समर्थ बनाते हैं। तथापि, उनके पास कोई व्यापक समाधान ढ़ाँचा उपलब्ध नहीं है और प्रमुख विशेषताओं के अनुरूप सभी वित्तीय संस्थाओं के लिए एक प्रभावी समाधान व्यवस्था तैयार करने में कई कमियाँ हैं। इस दल ने वित्तीय क्षेत्र विधैयी सुधार आयोग (एफएसएलआरसी) के सुझावों के अलावा अंतर्राष्ट्रीय उत्कृष्ट कार्य-प्रणाली और विकसित क्षेत्राधिकारों में किए गए कार्यों को ध्यान में रखते हुए व्यापक सुझाव दिए हैं।

दल द्वारा दिए गए प्रमुख सुझाव निम्नानुसार प्रस्तुत हैं:

व्यापक विधिक ढ़ाँचा

मौजूदा वित्तीय सुरक्षा ढ़ाँचे को और अधिक मजबूत बनाने और समाधान ढ़ाँचा अर्थात प्रमुख विशेषताओं में कमियों को दूर करने के लिए ऐसी वित्तीय संस्थाओं और वित्तीय बाजार संबंधी बुनियादी ढ़ाँचे (एफएमआई) (जो अर्थक्षम नहीं रहने की कगार पर है) की विफलता पर इस प्रकार कार्य करने के लिए कानून द्वारा समर्थित नीति संरचना होनी चाहिए जिससे महत्वपूर्ण वित्तीय सेवाओं की आपूर्ति भंग न हो। वित्तीय संस्थाओं और वित्तीय बाजार संबंधी बुनियादी ढ़ाँचे (एफएमआई) का समाधान एक अलग व्यापक विधिक ढ़ाँचे से समर्थित होना चाहिए।

समाधान ढ़ाँचा का उद्देश्य

भारत के समाधान ढ़ाँचे को समाधान के मूल्य में कमी से बचने और लागत को कम करने के लिए समय पर और त्वरित समाधान कार्रवाई शुरू करना; वित्तीय प्रणाली की स्थिरता को सुरक्षित रखना और उसे बनाए रखना तथा भारतीय वित्तीय प्रणाली में जनता का विश्वास प्राप्त करना; व्यवहार्य सीमाओं के भीतर सुरक्षा योजनाओं और अन्य व्यवस्थाओं के माध्यम से जमाकर्ताओं, बीमा पॉलिसी धारकों और ग्राहकों की निधियों / आस्तियों की सुरक्षा करना; करदाताओं के पैसों का प्रयोग न करना और दावों के अनुक्रम को सुनिश्चित करते हुए शेयरधारकों और बेजमानती ऋणदाताओं पर हानि लगाना आदि जैसे कतिपय उद्देश्यों से मार्गदर्शित होना चाहिए।

समाधान ढ़ाँचे का दायरा

भारत के वित्तीय समाधान ढ़ाँचे के दायरे में वाणिज्यिक बैंक (सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, निजी क्षेत्र के बैंकों और भारत में शाखाओं / सहायक बैंकों वाले विदेशी बैंक), सहकारी बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों; गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों, बीमा, पेंशन, प्रतिभूति और पण्य बाजारों के फर्मों/ कंपनियों और वित्तीय बाजार संबंधी बुनियादी ढ़ाँचे (एफएमआई) सहित सभी वित्तीय संस्थाएं शामिल की जानी चाहिए। साथ ही, इनमें भारतीय रिज़र्व बैंक की स्वामित्ववाली और उसके द्वारा परिचालित अर्थात् तत्काल निपटान प्रणाली और प्रतिभूति निपटान प्रणाली को छोड़कर भुगतान प्रणालियां, प्रतिभूति निपटान प्रणालियां, केंद्रीय प्रतिपक्षों, प्रतिभूति निक्षेपागारों इत्यादि शामिल होने चाहिए। प्रस्तावित वित्तीय समाधान ढ़ाँचे के दायरे में वित्तीय दल के वित्तीय क्षेत्र विनियामक द्वारा निगमित मूल उपक्रम अथवा धारित कंपनी को भी शामिल किया जाना चाहिए।

समाधान प्राधिकरण की भूमिका और उसका गठन

सभी वित्तीय संस्थाओं और वित्तीय बाजार संबंधी बुनियादी ढ़ाँचे (एफएमआई) के समाधान के लिए एक एकल वित्तीय समाधान प्राधिकरण (एफआरए) का गठन किया जाना चाहिए, जिसे विनियामकों / पर्यवेक्षकों और सरकार से संस्थागत रूप से स्वतंत्र होना चाहिए। वित्तीय समाधान प्राधिकरण (एफआरए) को वित्तीय समाधान ढ़ाँचे के परिचालन और कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार एक मात्र प्राधिकरण होना चाहिए। वित्तीय समाधान प्राधिकरण (एफआरए) का आदेश, सीमा के भीतर बीमा पॉलिसीधारकों और निवेशकों / ग्राहकों को जमा बीमा उपलब्ध कराने और सुरक्षा प्रदान करने के साथ-साथ विफल हुई वित्तीय संस्थाओं का समाधान करना है। वित्तीय समाधान प्राधिकरण (एफआरए) का गठन मौजूदा डीआईसीजीसी को एफआरए में परिवर्तित करके अथवा एफआरए नामक एक नया प्राधिकरण का गठन डीआईसीजीसी को शामिल करते हुए किया जा सकता है।

शुरुआत में ही हस्तक्षेप करने की उत्प्रेरणा और त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई ढ़ाँचा

यह सुनिश्चित करने के लिए कि किसी संस्था को अर्थक्षम नहीं रहने की स्थिति से बचाने के लिए विनियामक / पर्यवेक्षक स्पष्ट उत्प्रेरक स्तर पर पर्याप्त समय रहते शुरुआती चरण में ही हस्तक्षेप कर सके, प्रत्येक वित्तीय क्षेत्र विनियामक / पर्यवेक्षक को अपने विनियामक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आनेवाली संस्थाओं के लिए त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई (पीसीए) ढ़ाँचा तैयार करना चाहिए।

जब कोई संस्था अंतिम चरण में पहुँच जाती है और समय सीमा के भीतर कोई सुधारात्मक कार्रवाई नहीं कर सकती है तब यह कार्य एफआरए को सौंप देना चाहिए।

समाधान के उपाय

करदाताओं की सहायता के बगैर विफल हो रही वित्तीय संस्थाओं और वित्तीय बाजार संबंधी बुनियादी ढ़ाँचे (एफएमआई) के सुचारु समाधान के लिए एफआरए को वित्तीय संस्था का समाधान करने और उसके महत्वपूर्ण कार्यों को सुरक्षित रखने के लिए प्रस्तावित संविधि में उल्लिखित विभिन्न समाधान उपाय होने चाहिए, जिनका प्रयोग लचीलेपन से एकल अथवा अन्य के साथ संयुक्त रूप से किया जा सके। उबारने की व्यवस्था वैश्विक-प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण बैंकों (जी-एसआईबी) / घरेलू - प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण बैंकों (डी-एसआईबी) के मामलों में भी एक समाधान उपाय के रूप में अपनायी जानी चाहिए। एफएसडीसी की सिफारिश पर भारत सरकार (वित्त मंत्रालय) को किसी वित्तीय संस्था को अस्थायी सार्वजनिक स्वामित्व (टीपीओ) और वित्तीय स्थिरता की समस्या पर नियंत्रण का अधिकार केवल जनहित में ऐसी कार्रवाई आवश्यक होने पर दिया जाना चाहिए।

समाधान निधि

एक समाधान निधि की स्थापना की जानी चाहिए जो निक्षेप बीमा निधि और अन्य सुरक्षा निधि से अलग हो। इस निधि का निर्माण जोखिम आधारित आकलनों पर निर्धारित प्रत्याशित प्रीमियम के माध्यम से एक समयावधि में किया जाएगा। तनावपूर्ण स्थितियों में पर्याप्त चलनिधि सुनिश्चित करने के लिए सरकार से अस्थायी निधियन सहायता उपलब्ध करायी जा सकती है और एफआरए बांड जारी करने के माध्यम से बाजार से निधि की उगाही कर सकती है।

निक्षेप बीमा ढ़ाँचे में सुधार

संस्थाओं के समाधान और निक्षेप बीमा के बीच सहबद्धता को ध्यान में रखते हुए समाधान प्राधिकरण का गठन करने के साथ - साथ प्रणाली को निक्षेप बीमा प्रणालियों के लिए मूल सिद्धांत जैसे अंतर्राष्ट्रीय बेंचमार्क के अनुरूप लाने के लिए निक्षेम बीमा में सुधार लाए जाने चाहिए। उदाहरणार्थ, जिन क्षेत्र में भारत में निक्षेप बीमा सुधारों की अपनी प्रभावकारिता बढ़ाना आवश्यक है वे हैं- जमाकर्ताओं को प्रतिपूर्ति की समय सीमा घटाना, जमाकर्ता संबंधी जानकारी एक ''एकल ग्राहक अभिमत'' फार्मेट में प्राप्त करना, वसूलियों की हिस्सेदारी का प्रकार, प्रीमियम के कराधान से छूट, निवेश के लिए अनुमत प्रलेखों की समीक्षा, निक्षेप बीमा निधि में कमी को पूरा करने के लिए आरक्षित निधियन, प्रौद्योगिकी रूप से विकसित डाटा प्रणाली और भुगतान पद्धतियां शामिल हैं।

सुधार और समाधान योजना (आरआरपी)

शुरुआत के तौर पर, सुधार और समाधान योजना (आरआरपी) प्रारंभ में उन वित्तीय संस्थाओं पर लागू होगी, जो यदि विफल होती है, तो प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण है और सभी वित्तीय समूहों / संगुटिकाओं चाहे वे प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण हो या नहीं, उन पर लागू होगी। सुधार और समाधान योजना एक चरणबद्ध रूप से अन्य वित्तीय संस्थाओं पर भी लागू की जाएगी। यह सुधार योजना एक पूर्व अनुमोदित फार्मेट के अनुसार संस्थाओं द्वारा नियमित आधार पर तैयार की जाएगी और उसे संबंधित विनियामकों द्वारा अनुमोदित किया जाएगा। संस्थाओं के समाधान के लिए अपनाई जाने वाली समाधान रणनीति वाली समाधान योजना संबंधित विनियामकों के परामर्श से संस्था द्वारा तैयार की जाएगी और एफआरए द्वारा अनुमोदित की जाएगी।

समाधान क्षमता सुधारना

व्यापक वित्तीय संस्थाओं के समाधान में आ रही बाधाओं को कम करने के लिए वित्तीय समूहों और विनियामक प्राधिकरणों को समूह संस्थाओं की जटिलता को कम करने के लिए साथ मिलकर काम करना चाहिए और विवेकपूर्ण आंतर-समूह लेनदेन और निवेश (एक्पोजर) सुनिश्चित करना चाहिए। विनियामक / पर्यवेक्षी प्राधिकरणों को एसआईएफआई की समाधान क्षमता को सुधारने के लिए वित्तीय संस्थाओं की कारोबार पद्धतियों और ढ़ाँचे को पुन: संरचित करने जैसे उपाय करने के लिए अधिकार प्रदान करना चाहिए। वित्तीय संगुटिका की समाधान क्षमता को सुधारने के लिए भारतीय वित्तीय प्रणाली में वित्तीय धारित कंपनी ढ़ाँचा लागू करना चाहिए।

डाटाबेस का विकास और उसका प्रबंधन

एक एकीकृत वित्तीय डाटाबेस प्रबंधन केंद्र का गठन किया जाना चाहिए जो एक केंद्रीकृत डाटाबेस के रूप में कार्य करेगा जहाँ सभी वित्तीय संस्थाएं और वित्तीय बाजार संबंधी बुनियादी ढ़ाँचा नियमित रूप से वित्तीय जानकारी इलेक्ट्रानिक रूप में प्रस्तुत करेगी। पर्यवेक्षी एजेन्सीयों और एफआरए के पास निगमित वित्तीय संस्थाओं से एकत्रित करने के लिए प्राधिकृत डाटा के संबंध में एकीकृत वित्तीय डाटाबेस का एक्सेस होना चाहिए।

संविदाओं / दावों के समंजन और कुल निवल तथा अस्थायी स्थगन के नियम

प्रस्तावित वित्तीय समाधान ढ़ाँचा अथवा वित्तीय संस्थाओं और वित्तीय बाजार संबंधी बुनियादी ढ़ाँचा को नियंत्रित कर रही मौजूदा संविधि को संविदात्मक समंजन, अंतिम निवल निर्धारण और संपार्श्विक व्यवस्थाओं को लागू करने तथा ग्राहक आस्तियों के पृथक्करण को नियंत्रित करने के लिए स्पष्ट नियम, कानून और पद्धतियां होनी चाहिए। एफआरए को समाधान कार्रवाई का निर्णय लेने में समय देने हेतु केवल किसी फर्म की समाधान की स्थिति में जाने से अल्पावधि स्थगन लागू करने के लिए स्पष्ट परिभाषित विधिक अधिकार होने चाहिए। ऐसे स्थगन से बाजार पर होनेवाले प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए सामान्यत: स्थगन को दो दिन (48 घंटे) के लिए सीमित रखा जाना चाहिए, तथापि उसे एफआरए द्वारा लिखित में कारण दिए जाने के बाद अधिकतम अतिरिक्त तीन दिनों से बढ़ाया जा सकता हैं। एफआरए को उन आस्तियों का अंतरण करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए जिनपर जमानती ऋणदाताओं का दावा है। इसका अर्थ है कि जमानती ऋणदाताओं के दावे आंशिक संपत्ति अंतरण में आस्तियों से सुरक्षित देयताओं को जमानती देयताओं से अलग नहीं किया जा सकता है।

ऋणदाताओं और जमाकर्ताओं की हिस्सेदारी का अनुक्रम

विफल हुई संस्थाओं की आस्तिओं से प्राप्त वसूलियों के उचित वितरण को ध्यान में रखते हुए स्थापित दावों के अनुक्रम का अनुपालन किया जाना चाहिए। एफआरए को केवल असाधारण परिस्थितियों में पर्याप्त कारण देते हुए एक ही संवर्ग के ऋणदाताओं को समान मानने के सामान्य सिद्धान्त से हटने का लचीलापन दिया जाना चाहिए।

चूंकि भारत में विनियमन और पर्यवेक्षण का अंतिम उद्देश्य जमाकर्ताओं, बीमा पॉलीसी धारकों और निवेशकों की हित की सुरक्षा करना है, वित्तीय समाधान ढ़ाँचे के लिए प्रस्तावित संविधि में विफल हुई वित्तीय संस्थाओं के समाधान में अन्य बेजमानती ऋणदाताओं से पहले जमाकर्ताओं, बीमा पॉलीसी धारकों और निवेशकों को स्पष्ट प्राथमिकता दी जानी चाहिए। बीमाकृत जमाकर्ताओं को किए गए भुगतान पर बैंकों को बेजमानती जमाकर्ताओं और डीआईसीजीसी के दावों को समान अधिकार दिया जाना चाहिए। इससे यह अपेक्षा है कि डीआईसीजीसी के दावे विफल हुई बैंक के परिसमापनवाली आस्तियों से प्राप्त आय के वितरण की हिस्सेदारी में अन्य गैरबीमाकृत जमाकर्ताओं के समरूप ही होगा।

सीमा- पार सहयोग और सूचना सहभागिता

भारतीय बैंकों के बढ़ते वैश्विक परिचालनों को ध्यान में रखते हुए वित्तीय संस्थाओं के लिए समाधान व्यवस्था हेतु प्रस्तावित कानून को विदेशी समाधान प्राधिकारियों के साथ मिलकर हल निकालने के लिए एफआरए को समर्थ बनाना चाहिए। भारत के समाधान ढ़ाँचे को एफआरए को विदेशी घरेलू/आयोजक समाधान प्राधिकारियों के साथ विश्वसनीयता और सुरक्षा के अधीन भारतीय वित्तीय संस्थाओं की गैर-सार्वजनिक जानकारी आपस में बाँटनी चाहिए। पर्यवेक्षी कॉलेज का प्रयोग संकट के समाधान हेतु सूचना सहभागिता मंच के लिए भी किया जाना चाहिए। तथापि, इसे संबंधित प्राधिकारियों तथा पर्यवेक्षी कॉलेजों के पक्षों के साथ उठाना चाहिए।

सारांश

कार्यकारी दल की सिफारिशों के कार्यान्वय में सभी प्रकार की वित्तीय संस्थाओं के समाधान को नियंत्रित करनेवाले विधिक ढ़ाँचे में व्यापक सुधार करना शामिल होगा। एफएसएलआरसी ने एक समाधान निगम के गठन की भी सिफारिश की है और इस प्रयोजन के लिए विधिक प्रारूप भी तैयार किया है। कार्यकारी दल और एफएसएलआरसी की रिपोर्ट और अंतर्राष्ट्रीय मानक तैयार करनेवाली निकाईयों द्वारा विकसित दिशा-निर्देश के चलते भारत में समाधान ढ़ाँचे के सुधार के मार्गदर्शन के लिए पर्याप्त कार्य है। जबकि समाधान व्यवस्था पर मार्गदर्शन सामान्यत: बैंकों के लिए अधिक विकसित होता है, यह बीमाकर्ताओं, प्रतिभूतियों अथवा निवेश फर्मों और वित्तीय बाजार संबंधी बुनियादी ढ़ाँचे के लिए प्रगतिशील रूप से कम होता है। इसके अतिरिक्त, सीमा-पार विषय अभी विकसित हो रहे हैं और उन पर कार्रवाई की जा रही है। अत: विधिक ढ़ाँचा जो विकसित होगा उसे प्रगतिशील रूप से इन संस्थाओं के विनियामक परिदृश्य की गतिविधियों पर ध्यान रखना होगा।

31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष हेतु निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम की कार्यपद्धति के संबंध में निदेशक मंडल की रिपोर्ट

(निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम अधिनियम, 1961 की धारा 32(1) के अधीन प्रस्तुत)

भाग I : परिचालन और कार्य पद्धति

1.1 बीमाकृत बैंकों का पंजीकरण / विपंजीकरण

31 मार्च, 2014 की स्थिति के अनुसार, पंजीकृत बीमाकृत बैंकों की संख्या 2,145 है, जिसमें 89 वाणिज्यिक बैंक, 58 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी), 4 स्थानीय क्षेत्र बैंक (एलएबी) और 1,994 सहकारी बैंक शामिल हैं। 1962 में निक्षेप बीमा योजना के प्रारंभ होने से लेकर अब तक पंजीकृत बैंकों की वर्षवार संख्या ***संलग्नक I*** में तथा सहकारी बैंकों की श्रेणीवार और राज्यवार संख्या दर्शानेवाले विवरण ***संलग्नक II*** में दिए गए हैं। वर्ष 2013-14 के दौरान 6 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और 1 वाणिज्यिक बैंक को बीमाकृत बैंक के रूप में पंजीकृत किया गया और 13 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको और 16 सहकारी बैंकों को विपंजीकृत किया गया, जिसके विवरण ***संलग्नक III*** में दिए गए हैं।

1.2 निक्षेप बीमा योजना का विस्तार

इस समय निगम द्वारा उपलब्ध निक्षेप बीमा के अंतर्गत स्थानीय क्षेत्र बैंकों तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित सभी वाणिज्यिक बैंकों और सभी राज्यों और संघशासित क्षेत्रों में स्थित सहकारी बैंकों को शामिल किया गया है। तथापि संघशासित क्षेत्र लक्षद्वीप तथा दादरा और नगर हवेली में कोई सहकारी बैंक नहीं है।

1.3 बीमाकृत जमाराशियाँ

वर्ष 2012-13 और 2013-14 के अंत तक निगम द्वारा बीमाकृत खातों की संख्या और जमाराशि की रकम तथा जमाकर्ताओं को दी जाने वाली सुरक्षा की सीमा संबंधी ब्यौरा सारणी 1 में दिया गया है।

निक्षेप बीमा के प्रारंभ से जमाकर्ताओं को प्रदान की गई सुरक्षा की सीमा और पिछले तीन वर्षों के लिए बैंक समूह-वार अलग-अलग आँकड़े क्रमश: ***संलग्नक IV*** और ***V*** में प्रस्तुत किए गए हैं। विभिन्न वर्षों में जमाकर्ताओं को दी गई सुरक्षा की सीमा संबंधी ब्यौरा चार्ट 1 में दिया गया है। वर्ष 2013-14 के दौरान ₹1,00,000 का वर्तमान बीमा कवर का स्तर प्रति व्यक्ति आय का 1.3 गुना है।

1.4 निक्षेप बीमा प्रीमियम

1.4.1 वर्ष 2012-13 और 2013-14 के दौरान बीमाकृत

सारिणी 1: बीमाकृत जमाराशियाँ*

विवरण		वर्ष के अंत में	
		2013-14	**2012-13**
1	खातों की कुल सं. (मिलियन में)	1,370.13	1,481.75
2	पूर्णतया संरक्षित खाते (मिलियन में)	1,267.17	1,393.08
3	1 की तुलना में 2 का प्रतिशत	92.4	94.0
4	निर्धारणीय जमाराशियाँ (₹ बिलियन में)	76,166.40	66,210.60
5	बीमाकृत जमाराशियाँ (₹ बिलियन में)	23,791.52	21,583.65
6	4 की तुलना में 5 का प्रतिशत	31.2	32.6

* पिछले वर्ष के सितंबर के अंतिम कार्यदिवस के रिटर्नों पर आधारित

चार्ट 1 : जमाकर्ताओं को दिए गए सुरक्षा का विस्तार

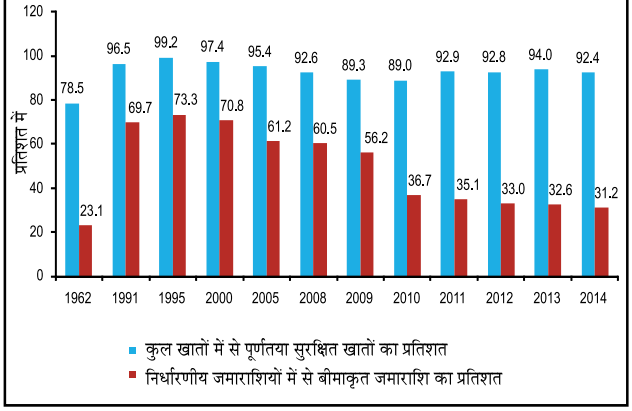

बैंकों से प्राप्त प्रीमियम (अतिदेय प्रीमियम पर ब्याज सहित) का बैंक श्रेणीवार विवरण सारणी 2 में प्रस्तुत किया गया है। वर्ष के दौरान बैंकों से प्राप्त प्रीमियम (सेवाकर को छोड़कर) में 27.9 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

सारिणी 2 : प्राप्त प्रीमियम

(₹ मिलियन में)

वर्ष	स्थानीय क्षेत्र बैंकों तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित वाणिज्यिक बैंक	सहकारी बैंक	कुल
2013-14	68,025	5,103	73,128
2012-13	53,019	4,163	57,182

1.4.2 विलंब से प्राप्त प्रीमियम पर दण्डात्मक ब्याज

निबीप्रगानि अधिनियम, 1961 की धारा 15 (3) के अनुसार, यदि कोई बीमाकृत बैंक प्रीमियम की किसी भी राशि का भुगतान करने में चूक करता है, तो उसे चूक की उस अवधि के लिए उस राशि पर बैंक दर के अतिरिक्त 8 प्रतिशत से अनधिक की दर, जैसा कि निर्धारित किया जाए, से निगम को ब्याज देना होगा। साथ ही, निबीप्रगानि सामान्य विनियमावली, 1961 की धारा 20 के अनुसार विलंबित प्रिमीयम की किसी राशि पर ब्याज की दर बैंक दर के अतिरिक्त 8 प्रतिशत पर तय की गई है। वर्ष 2013-14 के दौरान बैंक दर 6 बार संशोधित की गई। तदनुसार, समीक्षाधीन अवधि के दौरान दंड स्वरूप ब्याज भी 6 बार संशोधित की गई। बैंक दर और दंड स्वरूप ब्याज दर की गति संबंधी ब्यौरा सारणी 3 में प्रस्तुत किया गया है।

सारणी 3: बैंक दर और दंड स्वरूप ब्याज दर की गति

से	तक	बैंक दर (%)	दंड स्वरूप ब्याज दर (%)
01.04.2013	02.05.2013	8.50	16.50
03.05.2013	14.07.2013	8.25	16.25
15.07.2013	19.09.2013	10.25	18.25
20.09.2013	06.10.2013	9.50	17.50
07.10.2013	28.10.2013	9.00	17.00
29.10.2013	27.01.2014	8.75	16.75
28.01.2014	31.03.2014	9.00	17.00

1.5 निक्षेप बीमा निधि

निक्षेप बीमा निधि (डीआईएफ) का प्रमुख स्रोत बीमाकृत बैंकों द्वारा अदा किया गया प्रीमियम और केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों से प्राप्त निवेश आय (और इसके पुनर्निवेश से) है। इसके साथ ही इसमें परिसमापकों / प्रशासकों / अंतरिती बैंकों से वसूल की गई छोटी-छोटी राशि का अंतर्प्रवाह (इनफ्लो) भी होता है। इस प्रकार निगम आयकर भुगतान के बाद प्रतिवर्ष व्यय से ज्यादा आय को अंतरित करके अपनी निक्षेप बीमा निधि (डीआईएफ) का निर्माण करता है। इस निधि का उपयोग परिसमापन / पुनर्निमाण / समामेलन आदि के अधीन बैंकों के जमाकर्ताओं के दावों के निपटान करने के लिए किया जाता है। 31 मार्च, 2014 की स्थिति के अनुसार निक्षेप बीमा निधि का आकार ₹50,683 मिलियन के अधिशेष के सहित (31 मार्च, 2013 के ₹361,203 मिलियन की तुलना में बढ़कर) ₹406,179 मिलियन हो गया है, जिसका आरक्षित अनुपात (बीमित जमाराशि की तुलना में निक्षेप बीमा निधि का अनुपात) 1.7 प्रतिशत है। 2000-01 से आरक्षित अनुपात की प्रवृत्ति दर्शाने वाला चार्ट 2 नीचे प्रस्तुत है।

चार्ट 2 : निक्षेप बीमा निधि (डीआईएफ) और आरक्षित अनुपात (आरआर)

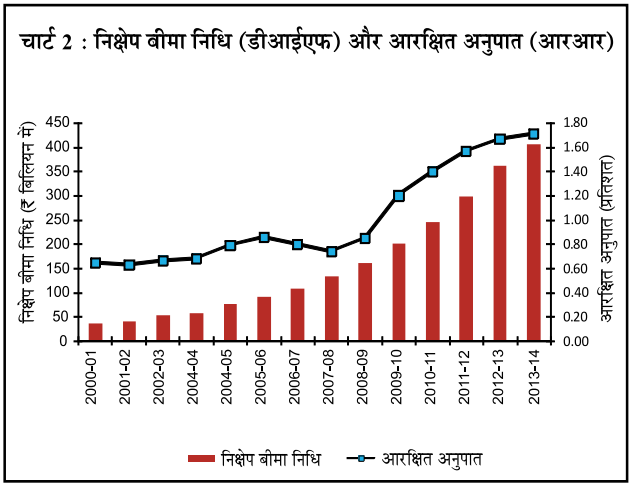

1.6 निक्षेप बीमा दावों का निपटान

वर्ष 2013-14 के दौरान, निगम ने 51 सहकारी बैंकों (7 मूल दावे और 98 अनुपूरक दावे) से संबंधित ₹1,031 मिलियन के कुल दावों का निपटान किया जैसा कि ***संलग्नक VI*** में दर्शाया गया है। वाणिज्यिक बैंकों की ओर से कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया गया।

2013-14 के दौरान राज्य-वार निपटाए गए दावों की राशि के साथ-साथ विफल बैंकों की संख्या का विवरण चार्ट 3 में दर्शाया गया है। इसमें गुजरात और महाराष्ट्र के बैंकों के दावों की संख्या अधिक है।

चार्ट 3 : 2013-14 के दौरान राज्य-वार निपटाए गए दावे और विफल बैंकों की संख्या

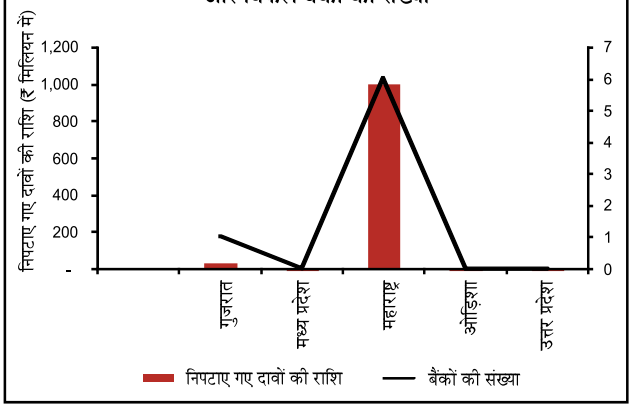

ऐसे 202 बैंकों के जमाकर्ताओं के संभाव्य दावों की देयताओं के लिए ₹8,076 मिलियन का प्रावधान किया गया है, जो समामेलन / समापनाधीन हैं तथा बैंकिंग कारोबार जारी रखने के लिए जिनका लाइसेंस / लाइसेंस के लिए आवेदनपत्र भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा रद्द / अस्वीकृत कर दिया गया है।

वर्ष 2013-14 के दौरान निगम ने लंबे समय से विचाराधीन दावों के निपटान हेतु, दावों का निपटान करने का प्रयास जारी रखा, हालांकि विधिक मामलों के कारण इसकी प्रक्रिया धीमी रही। 31 मार्च, 2014 को कुल 25 विचाराधीन दावे थे (जहाँ बैंकों को विपंजीकृत किया गया है किंतु निगम में दावा सूची प्रस्तुत नहीं की गई) यद्यपि इसमें 31 मार्च 2013 से अवधिवार संघटन में परिवर्तन हुआ है। (सारणी 4)। वर्ष के दौरान निगम ने हैदराबाद को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लि., (मार्च 2006 में विपंजीकृत) जिसे क्रेडिट सोसायटी में परिवर्तित कर दिया गया है, के प्रावधान को रिवर्स कर दिया है। परिसमापनाधीन बैंकों का अवधि-वार विवरण, जहाँ परिसमापक द्वारा निगम को दावा सूची अभी प्रस्तुत करना शेष है, का विवरण सारणी 4 में दिया गया है।

दावा निपटान की औसत अवधि में निर्णायक कमी हुई और यह वर्ष 2012-13 में 27 दिनों से घटकर 2013-14 में 15 दिन हो गई (सारणी 5)।

सारणी 5 : दावों के निपटान में लगने वाली औसत अवधि

वित्तीय वर्ष	दावों के निपटान में लगने वाले औसत दिन
2013-14	15
2012-13	27
2011-12	52
2010-11	49
2009-10	54

1.7 निपटाए गए दावे / प्राप्त चुकौतियाँ (संचयी स्थिति)

31 मार्च, 2014 की स्थिति के अनुसार, निक्षेप बीमा के आरंभ से 27 वाणिज्यिक बैंकों के संबंध में प्रदत्त और प्रावधानीकृत दावों की संचयी राशि ₹2,959 मिलियन थी (चार्ट 4)। वाणिज्यिक बैंकों के मामले में, परिसमापकों / अंतरिती बैंकों से कुल ₹1,485 मिलियन (वर्ष 2013-14 के दौरान प्राप्त ₹9 मिलियन सहित) की संचयी चुकौतियाँ प्राप्त हुईं।

सारिणी 4 : अवधि-वार अनिर्णीत दावों का विवरण

विचाराधीन दावे	अवधि-वार विवरण				
	10 वर्ष से अधिक पुराने	5-10 वर्ष पुराने	1-5 वर्ष पुराने	1 वर्ष से कम पुराने	दावों की कुल संख्या
मार्च 2014 की स्थिति	8	3	7	7	25
मार्च 2013 की स्थिति	7	5	9	4	25

चार्ट 4 : निपटाए गए दावों तथा वसूली की संचयी राशि
(31 मार्च, 2014 की स्थिति)

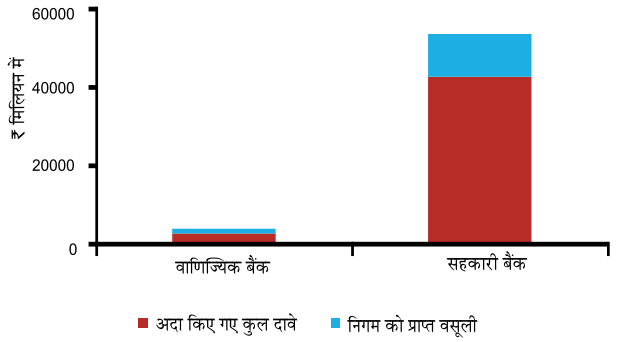

योजना के प्रारंभ होने से 323 सहकारी बैंकों से ₹43,117 मिलियन की संचयी राशि (वर्ष 2013-14 के दौरान ₹ 1,031 मिलियन की प्रदत्त राशि सहित) के दावे की राशि का भुगतान/ प्रावधान किया गया। सहकारी बैंकों के मामले में परिसमापकों/ अंतरिती बैंकों से कुल ₹10,633 मिलियन (वर्ष 2013-14 के दौरान प्राप्त ₹2,230 मिलियन सहित) की चुकौतियाँ प्राप्त हुईं। 31 मार्च, 2014 तक बैंकों के दावों के भुगतान / प्रावधान की गई राशि तथा बट्टे खाते में डाली गई राशि और प्राप्त चुकौतियाँ आदि के संबंध में स्थिति का ब्यौरा ***संलग्नक VII*** में दिया गया है।

31 मार्च, 2014 की स्थिति के अनुसार बैंकों के निपटाए गए दावों के लिए किए गए प्रावधानों को ***संलग्नक VIII*** में दर्शाया गया है। 1999 से निपटाए गए दावों की राशि के साथ-साथ परिसमापित बैंकों की संख्या चार्ट 5 में दर्शाई गई है।

चार्ट 5 : पे-आउट और परिसमापित बैंकों की संख्या

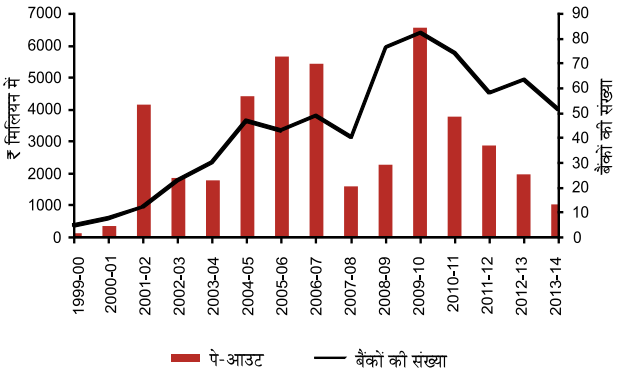

1.8 कोर्ट - मामले

31 मार्च, 2014 की स्थिति के अनुसार, निगम की निक्षेप बीमा गतिविधियों के संबंध में विभिन्न कोर्टों में विचाराधीन कोर्ट-मामलों की संख्या 196 है, जो 31 मार्च, 2013 को 193 थी। 196 मामलों में से 32 मामले निगम की ओर से दायर किए गए हैं और 164 निगम के विरुद्ध दायर किए गए हैं। न्यायालय-वार अलग-अलग आँकड़े सारणी 6 में दिए गए हैं और चार्ट 6 में दर्शाए गए हैं।

चार्ट 6 : न्यायालय वार अलग-अलग मामले
(31 मार्च, 2014 की स्थिति)

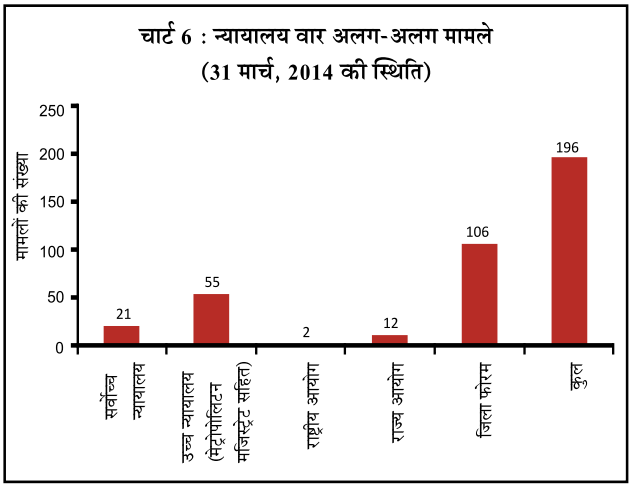

वर्ष 2002-03 से कोर्ट-मामलों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। इस तरह के मामलों की संख्या 31 मार्च, 2003 के 66 मामले से बढ़कर 31 मार्च, 2014 को 196 हो गई है (सारणी 6)। ऐसा भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35ए के अंतर्गत बड़ी संख्या में बैंकों को निदेशों के अंतर्गत रखने अथवा परिसमापन करने के परिणामस्वरूप जमाराशियों को निकालने पर प्रतिबंध लगाए जाने के कारण हुआ है। जमा राशि का भुगतान न मिलने पर असंतुष्ट जमाकर्ता उपभोक्ता न्यायालय में चले जाते हैं और मुकदमा चलाकर निगम को प्रतिवादियों में से एक प्रतिवादी बना देते हैं। कभी-कभी ऐसे मामले बैंकों का परिसमापन होने के पहले अथवा परिसमापक द्वारा दावा सूची प्रस्तुत करने के पहले, जहाँ जमाकर्ताओं को कोई भी राशि देने के लिए निगम उत्तरदायी नहीं है; दाखिल किए जाते हैं। मुख्यत: ये मामले निबीप्रगानि अधिनियम, 1961 के अंतर्गत अधिकतम स्वीकार्य राशि से अधिक राशि अथवा निबीप्रगानि अधिनियम, 1961 की धारा 21 के साथ पठित निबीप्रगानि सामान्य विनियमावली, 1961 के विनियम 22 के अंतर्गत निगम के अधिमान्य चुकौती अधिकार के विरुद्ध विवाद और बैंकों को निदेश आदि के अंतर्गत रखे जाने की स्थिति में दावों के संबंध में दायर किए जाते हैं।

सारणी 6: कोर्ट मामलों की संख्या

मार्च के अंत में	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006	2005	2004	2003
मामलों की सं.	196	193	188	201	174	122	124	128	126	126	89	66

1.9 ऋण गारंटी योजनाएं

31 मार्च, 2014 को कोई भी ऋण (क्रेडिट) संस्था निगम की ऋण गारंटी योजना में सहभागी नहीं थी, और वर्ष 2013-14 के दौरान कोई भी दावा प्राप्त नहीं हुआ। 2003-04 के बाद किसी गारंटी दावे पर गारंटी शुल्क प्राप्त नहीं हुआ तथा किसी दावे का भुगतान नहीं किया गया (***संलग्नक IX***)।

वर्ष 2013-14 के दौरान लघु ऋण गारंटी योजना, 1971 (एसएलजीएस 1971) के अंतर्गत निगम के प्रत्यासन अधिकार के आधार पर पिछले वर्ष के ₹0.9 मिलियन की तुलना में ₹0.6 मिलियन की कुल वसूली की गई। लघु ऋण (एसएसआई) गारंटी योजना, 1981 (एसएल-(एसएसआई)-जीएस 1981) के अंतर्गत पिछले वर्ष के ₹0.8 मिलियन की तुलना में इस वर्ष ₹1.5 मिलियन की कुल वसूली की गई।

भाग II : हाल में किए गए प्रयास/ गतिविधियाँ

2.1 राज्य सरकार के सहकारी समितियों के पंजीयकों के साथ बैठकें और परिसमापकों के लिए कार्यशाला

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान निगम के कार्यपालक निदेशक की सहकारी समितियों के पंजीयक, महाराष्ट्र सरकार, जिनके अंतर्गत 92 परिसमापित शहरी सहकारी बैंक आते हैं और जिनमें निगम ने जमाकर्ताओं के दावों का निपटान किया है, के साथ एक उच्चस्तरीय बैठक आयोजित की गईं। इस बैठक के दौरान कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे जैसे : अवितरित राशि की वापसी न करना, स्टेटमेंट / रिटर्न निगम को प्रस्तुत न करना / विलंब से प्रस्तुत करना, परिसमापन की धीमी प्रक्रिया और परिसमापित शहरी सहकारी बैंकों द्वारा वसूली की गयी राशि में से निगम के हिस्से की राशि की चुकौती न करने संबंधी विषयों पर चर्चा की गई।

तीन केंद्रों अर्थात पुणे, नागपुर और भोपाल में विफल हुई बैंकों के परिसमापकों के लिए कार्यशालाएं आयोजित की गईं। कार्यशाला में उन्हें रिटर्न / स्टेटमेंट समय से प्रस्तुत करने के महत्व से अवगत कराया गया ताकि निगम परिसमापन की प्रक्रिया की निगरानी कर सके। परिसमापकों पर यह भी जोर दिया कि वे निर्धारित समय सीमा के भीतर अवितरित राशि वापस कर दें तथा परिसमापन की प्रक्रिया के दौरान उनके द्वारा वसूल की गई राशि में से निगम की बकाया राशि की चुकौती करें। इन प्रयासों के फलस्वरूप निगम ने वर्ष 2013-14 के दौरान ₹1,402 मिलियन की राशि की वसूली की। इस वसूली के प्रयास को बनाए रखने के लिए निगम अन्य केंद्रों अर्थात अहमदाबाद, हैदराबाद और बंगलूरू में इस प्रकार की बैठकें और कार्यशालाएं आयोजित करने की योजना बना रहा है।

2.2 एकीकृत लेखांकन सॉफ्टवेयर समाधान परियोजना के लिए सूचना प्रौद्यौगिकी के प्रयास

निगम में वर्तमान में प्रयोग किए जा रहे सूचना प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग पूर्ण रूप से एकीकृत नहीं हैं। इसके सॉफटवेयर और हार्डवेयर आधारित मूलभूत सुविधाओं के उन्नयन के लिए निगम के बोर्ड ने एकीकृत अनुप्रयोग सॉफटवेयर प्रणाली को आउट सोर्स करने के निदेश दिए थे। तदनुसार वर्ष के दौरान आवश्यक प्रयास किए गए। प्रौद्योगिकी समिति ने बीपीआर का अध्ययन करने, निगम के लिए उत्कृष्ट प्रणाली का सुझाव देने, प्रणाली का इन्टीग्रेटर का चयन करने और शुरू से अंत तक प्रणाली का संपूर्ण रॉल-आउट का पर्यवेक्षण करने के लिए एक सलाहकार नियुक्त करने का निर्णय लिया। सलाहकार के चयन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद निगम ने आईएएसएस के लिए अभिरूचि की अभिव्यक्ति (ईओआई) और प्रस्ताव का अनुरोध (आरएफपी) में दिए गए मानदण्डों / शर्तों के अधीन अर्नस्ट एण्ड यंग एलएलपी के साथ करार पर हस्ताक्षर किए। सलाहकार ने काम करना शुरू कर दिया है और विभागाध्यक्षों से अन्य बातों के साथ-साथ तुरंत और मध्यम अवधि में किए जानेवाले कार्यों की रणनिति के बारे में भी चर्चा की है। बोर्ड स्तरीय सूचना प्रौद्योगिकी समिति के निदेशों के अनुसार एक समन्वय समिति का गठन किया गया और आईएएसएस के सभी पहलुओं पर संपर्क

करने और उसकी अनुवर्ती कार्रवाई के प्रयोजन के लिए एक नोडल अधिकारी को पदनामित किया गया। उन्हें दी गयी समय अवधि के अनुसार यह अपेक्षा है कि मई 2014 से 15 से 18 महीनों की अवधि में यह काम पूरा कर लिया जाएगा।

2.3 जमाकर्ता शिक्षा और जागरूकता निधि में अंतरित की गयी जमाराशियों को जमाराशि से छूट

बैंकिंग विधि (संशोधित) अधिनियम, 2012 लागू किए जाने के फलस्वरूप बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 में धारा 26ए जोडा गया है जो अन्य बातों के साथ-साथ भारतीय रिज़र्व बैंक को जमाकर्ता शिक्षा और जागरूकता निधि (डीईएएफ) स्थापित करने का अधिकार देता है। भारतीय रिज़र्व बैंक ने तदनुसार ''जमाकर्ता शिक्षा और जागरूकता निधि योजना 2014'' तैयार की है जिसे 24 मई 2014 को भारत सरकार के वित्त मंत्रलाय के आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचित किया गया है। डीआईसीजीसी अधिनियम 1961 की धारा 2(जी) के अनुसार ''जमाराशि'' का अर्थ, छूट दी गयी श्रेणियों को छोड़कर जमाकर्ता को देय अदत्त शेष की कुल राशि है। भारतीय रिज़र्व बैंक चाहता है कि डीईएएफ में अंतरित जमाराशियों को निक्षेप बीमा की अपेक्षाओं से छूट दी जाए। निगम के बोर्ड और भारतीय रिज़र्व बैंक के अनुमोदन से इन जमाराशियों को डीआईसीजीसी अधिनियम 1961 में उल्लिखित ''जमाराशियाँ'' शब्द की परिभाषा से छूट देने का निर्णय लिया गया था। बीमाकृत बैंक ऐसी छूट प्राप्त जमाराशियों पर निगम को प्रीमियम अदा करने के लिए बाध्य नहीं होंगे। यह छूट लागू होने से डीईएएफ को अंतरित जमाराशियों को ''गैर बीमाकृत'' माना जाएगा और इसीलिए ऐसी जमाराशियों पर डीआईसीजीसी की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

2.4 वित्तीय संस्थाओं के लिए समाधान व्यवस्था

भारत में विपदाग्रस्त वित्तीय संस्थाओं के लिए एक प्रभावी और विश्वसनीय समाधान संरचना की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, भारतीय रिज़र्व बैंक ने वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद (एफएसडीसी) की उप-समिति के संरक्षण में एक कार्यकारी दल (श्री आनंद सिन्हा : अध्यक्ष और डॉ. अरविंद मायाराम: सह अध्यक्ष) का गठन किया है । इस दल का कार्य भारतीय वित्तीय संस्थाओं के ढाँचे को ध्यान में रखते हुए, समाधान व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए उपाय सुझाना था। इस कार्यकारी दल ने अपनी रिपोर्ट जनवरी 2014 में प्रस्तुत की है। कार्यकारी दल के कुछ प्रमुख सुझाव निम्नानुसार है: (i) वित्तीस समाधान प्राधिकरण द्वारा आवश्यक माने गए अनुसार संबंधित वित्तीय क्षेत्र नियंत्रकों के समन्वय / सहयोग से सभी वित्तीय संस्थाओं और एफएमआई के समाधान के लिए विधि के अंर्तगत अधिदेशित एक अलग वित्तीय समाधान प्राधिकरण (एफआरए) की जरूरत है; (ii) एक अलग संस्था के रूप में वित्तीय समाधान प्राधिकरण का गठन वर्तमान निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम (डीआईसीजीसी) को वित्तीय समाधान प्राधिकरण में बदलकर अथवा एक नई संस्था अर्थात वित्तीय समाधान प्राधिकरण का गठन डीआईसीजीसी को शामिल करते हुए किया जा सकता है; और (iii) वित्तीय समाधान प्राधिकरण के पास परिसमापन; क्रय और धारण; संपर्क संस्था; सुदृढ़ बैंक और दोषपूर्ण बैंक; जमानती और अस्थायी जन स्वामित्व जैसी प्रस्तावित संविधान द्वारा अधिदेशित विभिन्न समाधान के उपाय होने चाहिए जिसे वित्तीय संस्था का समाधान करने और उसके महत्वपूर्ण कार्यो को संरक्षित करने के लिए एकल अथवा सामूहिक रूप से उसका प्रयोग लचीलेपन से किया जा सके।

भाग III : लेखा विवरण[1]

3.1 बीमा देयताएं

(क) वर्ष 2013-14 के दौरान, बीमा दावों के रूप में ₹1,030.92 मिलियन (पिछले वर्ष ₹1,997.67 मिलियन) का भुगतान किया गया, जो 48.4 प्रतिशत की कमी दर्शाता है। 31 मार्च, 2014 के अनुसार बकाया निक्षेप बीमा दावों के रूप में सुनिश्चित देयताएं ₹3,921.26 मिलियन (₹9,053.29 मिलियन) अनुमानित की गई थी, जो पिछले वर्ष की तुलना में 56.69 प्रतिशत की कमी दर्शाती हैं।

(ख) समीक्षाधीन वर्ष के अंत में **निधिशेष (अर्थात् बीमांकिक देयता)** अनुमोदित बीमांकक मेसर्स के. ए. पंडित एंड कं. के निर्धारण के अनुसार ₹50,683.40 मिलियन (₹52,649.60 मिलियन) रहा।

(ग) ऋण गारंटी निधि (सीजीएफ) के संबंध में कोई संभाव्य दावा देयता नहीं है।

[1] कोष्टक में दिए गए आँकडे पिछले वर्ष के हैं।

3.2 वर्ष के दौरान राजस्व

(क) वर्ष 2013-14 के दौरान, **निक्षेप बीमा निधि में कर-पूर्व राजस्व अधिशेष** पिछले वर्ष ₹86,265.24 मिलियन था, इसमें ₹5,258.13 मिलियन की वृद्धि हुई और अब यह ₹91,523.37 मिलियन हो गया अर्थात् लगभग 6.10 प्रतिशत की वृद्धि हुई। इसका प्रमुख कारण प्रीमियम आय में ₹15,945.59 मिलियन की वृद्धि, निवेशों से होने वाली आय में ₹6,222.44 मिलियन की वृद्धि, वसूली में हुई ₹108.05 मिलियन की वृद्धि, आयकर वापसी संबंधि ब्याज में ₹862.50 मिलियन की वृद्धि, राजस्व के रूप में प्रभारित (चार्ज्ड) निवल बीमांकिक देयता में ₹6,938.20 मिलियन की कमी और निवल दावों में ₹5,137.28 मिलियन की कमी जिसे वर्ष के दौरान ₹21,520.29 मिलियन के निवेश के मूल्य में मूल्यह्रास से समंजन (आफसेट) किया गया (पिछले वर्ष के ₹8,435.69 मिलियन के निवेश के मूल्य में मूल्यह्रास का प्रतिलेखन है)।

(ख) वर्ष 2013-14 के दौरान **ऋण गारंटी निधि (सीजीएफ) में कर-पूर्व राजस्व अधिशेष** में पिछले वर्ष की तुलना में ₹248.70 मिलियन अर्थात् 67.11 प्रतिशत की कमी हुई तथा यह पिछले वर्ष के ₹370.61 मिलियन की तुलना में ₹121.91 मिलियन हो गया। यह कमी प्रमुख रूप से वर्ष के दौरान निवेशों के मूल्य में ₹178.80 मिलियन का मूल्यह्रास (पिछले वर्ष के ₹88.64 मिलियन के मूल्यह्रास के प्रतिलेखन) के कारण हुई है।

(ग) समीक्षाधीन वर्ष के दौरान **सामान्य निधि में कर - पूर्व राजस्व अधिशेष** पिछले वर्ष के ₹397.89 मिलियन की तुलना में काफी कमी अर्थात् ₹218.38 मिलियन रहा। इस कमी का प्रमुख कारण पिछले वर्ष की तुलना में निवेशों से होने वाली आय में ₹88.21 मिलियन की कमी, स्टाफ पर खर्च में ₹10.94 मिलियन की वृद्धि और निवेशों के मूल्यह्रास के रूप में ₹79.42 मिलियन का प्रतिलेखन रहा है।

3.3 संचित अधिशेष

31 मार्च, 2014 की स्थिति के अनुसार निक्षेप बीमा निधि (डीआईएफ), ऋण गारंटी निधि (सीजीएफ) तथा सामान्य निधि (जीएफ) में संचित अधिशेष / आरक्षित निधि (कर के बाद) क्रमश: ₹355,495.85 मिलियन (₹308,553.81 मिलियन), ₹3,539.93 मिलियन (₹3,250.95 मिलियन) तथा ₹4,657.39 मिलियन (₹4,573.30 मिलियन) था।

3.4 निवेश

वर्ष के अंत में तीनों निधियों अर्थात् निक्षेप बीमा निधि (डीआईएफ), ऋण गारंटी निधि (सीजीएफ) तथा सामान्य निधि (जीएफ) में निवेशों का बही मूल्य (लागत पर) क्रमश: ₹444,775.61 मिलियन (₹374,992.06 मिलियन), ₹4,200.63 मिलियन (₹3,941.86 मिलियन) और ₹5,559.99 मिलियन (₹5,455.01 मिलियन) रहा है। 31 मार्च, 2014 को उक्त तीनों निधियों अर्थात् निक्षेप बीमा निधि (डीआईएफ), ऋण गारंटी निधि (सीजीएफ) तथा सामान्य निधि (जीएफ) की दिनांकित प्रतिभूतियों के मूल्य में संचित मूल्यह्रास क्रमश: ₹26,747.25 मिलियन (₹5,226.96 मिलियन); ₹585.36 मिलियन (₹406.56 मिलियन) तथा ₹381.48 मिलियन (₹466.78 मिलियन) था। निक्षेप बीमा निधि (डीआईएफ) और ऋण गारंटी निधि (सीजीएफ) के निवेशों के मूल्यह्रास में वृद्धि के कारण निवेश रिज़र्व में वृद्धि हुई है।

3.5 कराधान

3.5.1 आयकर

31 मार्च, 2014 की स्थिति के अनुसार निक्षेप बीमा निधि (डीआईएफ), ऋण गारंटी निधि (सीजीएफ) तथा सामान्य निधि (जीएफ) के अग्रिम आयकर खाते में संचित शेष क्रमश: ₹108,880.77 मिलियन (₹90,152.58 मिलियन), ₹375.38 मिलियन (₹447.0 मिलियन) और ₹365.90 मिलियन (₹364.19 मिलियन) है। इसी तारीख को निक्षेप बीमा निधि (डीआईएफ), ऋण गारंटी निधि (सीजीएफ) तथा सामान्य निधि (जीएफ) के कराधान खाते में प्रावधान के लिए संचित शेष क्रमश: ₹98,987.92 मिलियन (₹80,640.13 मिलियन); ₹279.92 मिलियन (₹551.68 मिलियन) तथा ₹258.46 मिलियन (₹184.57 मिलियन) था।

3.5.2 सेवाकर

भारत सरकार ने निगम द्वारा एकत्रित प्रीमियम पर सितंबर, 2011 से सेवाकर लगाया है। निगम ने सेवाकर संबंधी पंजीकरण कराया है तथा निगम ने 1 अक्तूबर, 2011 से देय प्रीमियम पर सेवाकर अदा करना प्रारंभ कर दिया है। सरकार को अदा किए गए अधिक सेवाकर की राशि को सेवाकर वापसी योग्य (रिफंडेबल) खाते में प्रदर्शित किया गया है। वर्ष 2013-14 में वापसी योग्य कुल राशि ₹982.43 मिलियन रही, जो वर्ष 2013-14 में ₹625.02 मिलियन, वर्ष 2012-13 में ₹139.03 मिलियन तथा वर्ष 2011-12 में ₹218.38 मिलियन थी।

भाग IV : खजाना परिचालन

4.1 डीआईसीजीसी अधिनियम, 1961 की धारा 25 के अनुसार निगम अपनी अधिशेष (सरप्लस) राशि को केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों में निवेश करता है। 31 मार्च, 2014 को निगम के निवेश पोर्टफोलियो का कुल आकार ₹454,54 बिलियन रहा। इस प्रकार इसमें पिछले वर्ष की तुलना में ₹70.15 बिलियन (18.25 प्रतिशत) की कुल वृद्धि प्रदर्शित हुई। वर्ष के दौरान प्राप्तियों के आधार पर पोर्टफोलियो से उत्पन्न कूपन प्रतिलाभ 7.92 प्रतिशत रहा। निवेश में मूल्यह्रास को समायोजित करने के उपरांत वर्ष 2013-14 का पोर्टफोलियो का सावधि भारित औसत रिटर्न 2.13 प्रतिशत रहा।

4.2 केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों का मूल्यांकन भारतीय व्युत्पन्नी संघ नियत आय मुद्रा बाज़ार (फिम्डा) द्वारा प्रकाशित मॉडल मूल्य के आधार पर किया जाता है। यद्यपि मूल्यवृद्धि (ऐप्रीसिएशन) को नजरंदाज कर दिया गया है तथापि मूल्यह्रास के लिए पूरी तरह प्रावधान किया गया है तथा इसे निवेश आरक्षित निधि (आईआर) के अंतर्गत बुक किया गया है। 31 मार्च, 2014 को निवेश आरक्षित निधि (आईआर) का शेष (बैलेंस) ₹27.71 बिलियन था। साथ ही, निगम बाजार जोखिम से बचाव के लिए निवेश उतार-चढ़ाव आरक्षित निधि (आईएफआर) अनुरक्षित करता है। 31 मार्च, 2014 की स्थिति के अनुसार निवेश उतार-चढ़ाव आरक्षित निधि (आईएफआर) के जोखिम मूल्य (वीएआर) और मानकीकृत अवधि पद्धति (₹16.52 बिलियन) दोनों से परिकलित बाजार जोखिम की मात्रा उच्चतर होने के कारण ₹28.95 बिलियन की राशि अनुरक्षित थी।

भाग V : संगठनात्मक मामले

5.1 निदेशक मंडल

निगम की सामान्य निगरानी, निदेश तथा कार्यों और कारोबार का प्रबंधन निदेशक बोर्ड में निहित है, जो सभी शक्तियों का प्रयोग करता है और ऐसे सभी कार्य व कारोबार करता है, जो निगम कर सकता है।

5.1.1 डीआईसीजीसी सामान्य विनियमावली, 1961 के विनियम 6 के अनुसार निगम के निदेशक बोर्ड से अपेक्षित है कि वह समान्यत: प्रत्येक वर्ष में प्रति तिमाही एक बैठक आयोजित करें। 31 मार्च 2014 को समाप्त वर्ष के दौरान बोर्ड की चार बैठकें आयोजित की गईं।

5.1.2 निदेशकों का नामांकन/सेवानिवृत्ति

डॉ. प्रकाश बक्शी बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में अपने कार्यकाल की अवधि की समाप्ति पर 30 सितंबर 2013 को बोर्ड के निदेशक के पद से सेवानिवृत्त हुए।

5.2 बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति

बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति का निम्नानुसार पुनर्गठन किया गया:

1.	श्री कमलेश एस.विकमसे	अध्यक्ष
2.	डॉ. शशांक सक्सेना	भारत सरकार द्वारा नामिती निदेशक
3.	श्री बी.एल.पटवर्धन	निदेशक
4.	श्री जसबीर सिंह	निदेशक

31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष के दौरान बोर्ड की लेखा-परीक्षा समिति की चार बैठकें आयोजित की गईं।

5.2.1 सूचना प्रौद्योगिकी समिति

सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) संबंधी मामलों में दिशानिर्देश के लिए दिसंबर 2011 में बोर्ड-स्तरीय उप-समिति का गठन किया गया। 31 मार्च 2014 को इसकी संरचना निम्नानुसार है :

1.	प्रो. जी.शिवकुमार	अध्यक्ष
2.	श्री कमलेश एस. विकमसे	सदस्य
3.	श्री जी.गोपालकृष्ण	सदस्य
4.	श्री जसबीर सिंह	सदस्य
5.	डॉ. ए.एस.रामशास्त्री	आमंत्रित

31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष के दौरान आईटी समिति की चार बैठकें आयोजित की गईं।

5.3 आंतरिक नियंत्रण

5.3.1 बजट नियंत्रण

निगम ने अपने राजस्व और व्यय पर नियंत्रण के लिए अपनी तीन निधियों, अर्थात् निक्षेप बीमा निधि (डीआईएफ), ऋण गारंटी निधि (सीजीएफ) और सामान्य निधि (जीएफ) के अंतर्गत नियंत्रण प्रणाली स्थापित की है। निगम द्वारा निक्षेप बीमा निधि और सामान्य निधि के अंतर्गत व्यय का वार्षिक बज़ट तैयार किया जाता है, जो विविध मानदंडों परआधारित है जैसे कि बीमाकृत बैंकों का लाईसेंस रद्द करना/परिसमापन करना, स्टाफ और स्थापना से संबंधित भुगतान आदि। प्रत्येक लेखा वर्ष के पूर्व बजट को बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया

जाता है। तीनों निधियों के अंतर्गत होने वाली प्राप्तियाँ अर्थात् प्रीमियम प्राप्तियाँ, वसूलियाँ और निवेश आय से संबंधी अनुमानों को भी बजट में सम्मिलित किया जाता है। बज़ट किए गए व्यय और प्राप्तियों की तुलना में वास्तविक व्यय/प्राप्ति की हर तिमाही में समीक्षा की जाती है।

5.3.2 भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जोखिम आधारित आंतरिक लेखापरीक्षा (आरबीआईए)

भारतीय रिज़र्व बैंक के निरीक्षण विभाग ने 17 जून 2013 से 03 जुलाई 2013 तक निगम का जोखिम आधारित आंतरिक लेखापरीक्षा (आरबीआईए) का आयोजन किया। लेखा परीक्षा रिपोर्ट में निगम द्वारा किए जा रहे कार्य के साथ-साथ सूचना प्रणाली के संबंध में टिप्पणी थी। लेखापरीक्षा रिपोर्ट में केवल उच्च (एच), मध्यम (एम), निम्न (एल) और सकारात्मक स्थिति (एपी) को शामिल किया गया था। जोखिम आधारित लेखापरीक्षा के 54 पैराग्राफों को कार्यात्मक श्रेणी में और 11 पैराग्राफों को सूचना प्रणाली से संबंधित श्रेणी में रखा गया। कार्यात्मक क्षेत्र और सूचना प्रणाली से संबंधित लेखापरीक्षा के सभी पैराग्राफों का अनुपालन किया गया।

5.3.3 समवर्ती लेखापरीक्षा

निगम ने अपने सभी परिचालनों के लिए वर्ष 2004 - 05 से सनदी लेखाकार की एक फर्म द्वारा समवर्ती लेखापरीक्षा (ऑनसाइट की प्रणाली प्रारंभ की है। लेखा परीक्षा के मासिक अनुपालन निष्कर्षों को लेखापरीक्षा समिति के समक्ष प्रस्तुत किए जाते हैं। निगम ने वर्ष 2014-15 के लिए मेसर्स बोरकर एंड मज़ुमदार को समवर्ती लेखापरीक्षा के लिए नियुक्त किया है।

5.3.4 नियंत्रण स्वमूल्यांकन लेखापरीक्षा (सीएसएए)

निगम ने एक अतिरिक्त नियंत्रण स्वमूल्यांकन लेखापरीक्षा (सीएसएए) प्रणाली (समकक्ष समीक्षा) प्रारंभ की है, जिसके द्वारा निगम के अधिकारियों से अपेक्षित है कि वे ऐसे क्षेत्रों में, जिनसे वे कार्यकारी तौर पर संबद्ध नहीं हैं, की लेखापरीक्षा जाँच करें और महाप्रबंधक को इसकी रिपोर्ट प्रस्तुत करें। दिसंबर 2013 को समाप्त छमाही के लिए सीएसएए अभी जारी हैं।

5.4 प्रशिक्षण और कौशल विकास

अपने मानव संसाधन कौशल को अद्यतन रखने हेतु निगम अपने स्टाफ को विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों, सेमिनारों, सम्मेलनों और कार्यशालाओं के लिए प्रतिनियुक्त करता है। इन कार्यक्रमों को अधिकतर भारतीय रिज़र्व बैंक के विभिन्न प्रशिक्षण प्रतिष्ठानों, भारत और विदेश के विख्यात संस्थानों, जमा बीमाकर्ताओं का अंतरराष्ट्रीय संघ (आईएडीआई) और अन्य विदेशी निक्षेप बीमा संस्थाओं द्वारा आयोजित किए जाते हैं। वर्ष 2013-14 के दौरान 39 अधिकारियों, 9 श्रेणी III के स्टाफ और 5 श्रेणी IV के स्टाफ सहित कुल 53 कर्मचारियों को भारतीय रिज़र्व बैंक के विभिन्न प्रशिक्षण प्रतिष्ठानों और भारत में बाह्य प्रशिक्षण संस्थाओं में प्रतिनियुक्त किया गया। इसके आलावा जमा बीमाकर्ताओं का अंतर्राष्ट्रीय संघ (आईएडीआई) तथा अन्य विदेशी निक्षेप बीमा संस्थाओं द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम / सम्मेलन में भाग लेने के लिए 10 अधिकारियों को प्रतिनियुक्त किया गया।

5.5 स्टाफ संख्या

निगम में संपूर्ण स्टाफ भारतीय रिज़र्व बैंक से प्रतिनियुक्ति पर है। निगम की कुल स्टाफ संख्या 31 मार्च, 2013 को 84 की तुलना में 31 मार्च, 2014 को घटकर 79 हो गई। उनका श्रेणीवार विवरण निम्नलिखित है :

कुल स्टाफ में, श्रेणी I में 52 प्रतिशत, श्रेणी III में 28 प्रतिशत और शेष 20 प्रतिशत श्रेणी IV में है। 31 मार्च, 2014 की स्थिति के अनुसार कुल स्टाफ में 16.5 प्रतिशत अनुसूचित जाति और 5.1 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति का है (सारिणी 7)।

सारिणी 7: स्टाफ की श्रेणी-वार स्थिति

श्रेणी	संख्या	जिसमें		प्रतिशत (%)	
		अजा	अजजा	अजा	अजजा
1	2	3	4	5	6
श्रेणी I	41	7	3	17.0	7.3
श्रेणी III	22	2	-	9.0	-
श्रेणी IV	16	4	1	25.0	6.3
कुल	79	13	4	16.5	5.1

अजा -अनसुचित जाति अजजा - अनुसूचित जनजाति

5.6 सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

भारत सरकार ने जून 2005 को सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 अधिनियमित किया । यह अधिनियम

12 अक्तूबर, 2005 से लागू हुआ। अधिनियम में परिभाषित सार्वजनिक प्राधिकरण होने के नाते निगम जनता को जानकारी प्रदान करने के लिए बाध्य है। वर्ष 2013-14 के दौरान कुल 20 अनुरोधों का निपटान किया गया जिसमें से 1 मामले को अपीलीय प्राधिकारी के अंतर्गत निपटाया गया।

5.7 हिंदी का प्रगामी प्रयोग

वर्ष 2013-14 के दौरान, निगम ने हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने का अपना प्रयास जारी रखा। निगम द्वारा राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) का अनुपालन सुनिश्चित किया जाता है। निगम के प्रधान कार्यालय को राजभाषा नियमावली 1976 के नियम 10(4) के अंतर्गत अधिसूचित किया गया है। निगम हिंदी के प्रयोग संबंधी तिमाही प्रगति रिपोर्ट तैयार करता है। निगम प्रतिवर्ष ''हिंदी पखवाड़ा'' भी आयोजित करता है। सितम्बर 2013 के पहले और दूसरे सप्ताह में आयोजित ''हिंदी पखवाड़ा'' में प्रतियोगिताओं सहित विविध कार्यक्रम आयोजित किए गए और हिंदी दिवस का समापन समारोह कार्यपालक निदेशक की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। निगम के दैनिक कार्यकलाप में हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने और उसकी निगरानी के लिए राजभाषा कार्यान्वयन समिति की नियमित तिमाही बैठकें होती हैं।

5.8 निगम में ग्राहक सेवा कक्ष

निगम एक सार्वजनिक संस्था है और इसका मुख्य कार्य विफल बीमाकृत बैंकों के जमाकर्ताओं के दावों का निपटान करना है। निगम के विरुद्ध जनता से प्राप्त शिकायतों का शीघ्र निवारण के लिए निगम में एक ग्राहक सेवा कक्ष स्थापित किया गया है।

5.9 आईएडीआई में भूमिका

5.9.1 श्री जसबीर सिंह, कार्यपालक निदेशक, ने मई 2013 में सेओल, कोरिया में संपन्न 11वीं एशिया पॅसिफिक क्षेत्रीय समिति (एपीआरसी), की वार्षिक बैठक और आईएडीआई के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, नवंबर 2013 में बुनोस आयर्स, आर्जेंटिना में आयोजित आईएडीआई की 12वीं वार्षिक सामान्य बैठक तथा वार्षिक सामान्य सम्मेलन और फरवरी 2014 में आईएडीआई की बासेल, स्वित्झलैंड में आयोजित कार्यपालक परिषद में भाग लिया।

5.9.2 डीआईसीजीसी आईएडीआई द्वारा आयोजित प्रशिक्षणों / कार्यशालाओं में भाग लेकर सहयोग प्रदान करता रहा है। वर्ष 2013-14 के दौरान आईएडीआई द्वारा आयोजित सेओल, कोरिया; मकाई सीटी, फिलिपिन्स; वार्सा, पोलंड और बुनोस आयर्स, आर्जेंटिना में आयोजित कार्यक्रमों को सहयोग प्रदान किया।

5.10 मूल सिध्दांतों में संशोधन हेतु आईएडीआई की संचालन समिति की बैठक

निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम (डीआईसीजीसी) ने मूल सिध्दांतों के संशोधन पर जमा बीमाकर्ताओं का अंतर्राष्ट्रीय संघ (आईएडीआई) की संचालन समिति की छठवीं बैठक आयोजित की। उक्त बैठक 10 से 12 दिसंबर 2013 तक मुंबई, भारत में आयोजित की गई। बैठक में 18 देशों के 25 प्रमुख कार्यपालक अधिकारियों और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। इस अवसर पर डीआईसीजीसी के अध्यक्ष डॉ ऊर्जित पटेल ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। डीआईसीजीसी के कार्यपालक निदेशक श्री जसबीर सिंह ने 'टूवर्डस कन्सोलिडेटिंग रेजोल्यूशन इन्फ्रास्ट्रचर' विषय पर प्रस्तुतीकरण किया। डीआईसीजीसी की निदेशक श्रीमती कुमुदिनी हाजरा संचालन समिति की सदस्या है।

प्रभावी निक्षेप बीमा प्रणालीयों के लिए मूल सिध्दांत जून 2009 में आईएडीआई और बैंकिंग पर्यवेक्षण पर बासेल समिति द्वारा जारी किया गया था। उसके लागू किए जाने के बाद से मूल सिध्दांतों के प्रयोग से प्राप्त अनुभव और अंतर्राष्ट्रीय विनियामक गतिविधियों ने मूल सिध्दातों को अद्यतन बनाने और संशोधित करने के आवश्यक क्षेत्रों को दर्शाया। फरवरी 2013 में आईएडीआई ने मूल सिध्दातों की समीक्षा करने और उसे अद्यतन बनाने तथा प्रस्तावित संशोधनों को विकसित करने के लिए एक आंतरिक संचालन समिति का गठन किया। मुंबई में आयोजित बैठक में संचालन समिति ने संशोधनों को अंतिम रूप दिया जिसे बीसीबीएस-आईएडीआई के कार्यकारी समूह में प्रस्तुत किया जाएगा। इस समूह में जमा बीमाकर्ताओं का युरोपीय मंच (ईएफडीआई), युरोपीय कमीशन (ईसी), एफएसबी, आईएमएफ और विश्व बैंक इसके प्रतिनिधि हैं। मूल सिध्दातों का पूर्ण संशोधन 2014 के अंत तक जारी होने की संभावना है।

5.11 लेखापरीक्षक

निबीप्रगानि अधिनियम, 1961 की धारा 29(1) के अनुसार भारतीय रिज़र्व बैंक के अनुमोदन से मेसर्स सारडा एंड पारीक, सनदी लेखाकार, मुंबई को वित्तीय वर्ष 2013-14 के लिए निगम के लेखापरीक्षक के रूप में पुर्ननियुक्त किया गया।

परिचालनात्मक दक्षता बनाए रखने के लिए बोर्ड निगम के स्टाफ द्वारा किए गए प्रयासों की सराहना करता है।

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से
निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम
मुंबई

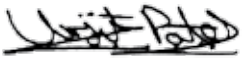

(ऊर्जित आर. पटेल)
अध्यक्ष

दिनांक: 17 जून, 2014

संलग्नक।

निक्षेप बीमा योजना के अंतर्गत सम्मिलित बैंकों की संख्या

वर्ष/अवधि	वर्ष/अवधि के प्रारंभ में	वर्ष/अवधि के दौरान पंजीकृत	वर्ष/अवधि के दौरान ऐसे विपंजीकृत बैंक, जहाँ निगम की देयता			वर्ष/अवधि के अंत में पंजीकृत (2+3-6)
			विद्यमान थी	विद्यमान नहीं थी	कुल (4+5)	
1	2	3	4	5	6	7
2013-14	2,167	7	16	13	29	2,145
2012-13	2,199	12	12	32	44	2,167
2011-12	2,217	7	11	14	25	2,199
2010-11	2,249	3	22	13	35	2,217
2009-10	2,307	10	26	42	68	2,249
2008-09	2,356	13	33	29	62	2,307
2007-08	2,392	10	18	28	46	2,356
2006-07	2,531	46	24	161	185	2,392
2005-06	2,547	3	17	2	19	2,531
2004-05	2,595	3	47	4	51	2,547
2003-04	2,629	9	39	4	43	2,595
2002-03	2,715	10	29	7	36	2,629*
2001-02	2,728	15	18	10	28	2,715
2000-01	2,676	62	9	1	10	2,728
1999-2000	2,583	103	8	2	10	2,676
1998-99	2,438	149	4	0	4	2,583
1997-98	2,296	145	1	2	3	2,438
1996-97	2,122	176	1	1	2	2,296
1995-96	2,025	99	1	1	2	2,122
1994-95	1,990	36	0	1	1	2,025
1993-94	1,931	63	1	3	4	1,990
1992-93	1,931	3	2	1	3	1,931
1991-92	1,922	14	2	3	5	1,931
1990-91	1,921	8	5	2	7	1,922
1986 से 1990 तक	1,837	102	8	10	18	1,921
1981 से 1985 तक	1,582	280	8	17	25	1,837
1976 से 1980 तक	611	995	9	15	24	1,582
1971 से 1975 तक	83	544	0	16	16	611
1966 से 1970 तक	109	1	5	22	27	83
1963 से 1965 तक	276	1	7	161	168	109
1962	287	0	2	9	11	276

*पिछले वर्षों में 60 बैंक विपंजीकृत किए गए परंतु उन्हें संबंधित वर्षों में नहीं गिना गया।

संलग्नक II

ए. बीमाकृत बैंक - श्रेणीवार

वर्ष (माह मार्च की समाप्ति पर)	बीमाकृत बैंकों की संख्या				
	वाणिज्यिक बैंक	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	स्थानीय क्षेत्र बैंक	सहकारी बैंक	कुल
2013-14	89	58	4	1,994	2,145
2012-13	89	67	4	2,007	2,167
2011-12	87	82	4	2,026	2,199

बी. बीमाकृत सहकारी बैंक - राज्यवार

(मार्च 2014 के अंत की स्थिति के अनुसार)

क्रम सं.	राज्य / संघशासित क्षेत्र	अपेक्स	केंद्रीय	प्राथमिक	कुल
1	आंध्र प्रदेश	1	22	102	125
2	असम	1	0	8	9
3	अरुणांचल प्रदेश	1	0	0	1
4	बिहार	1	22	4	27
5	छत्तीसगढ़	1	6	12	19
6	गोवा	1	0	6	7
7	गुजरात	1	18	229	248
8	हरियाणा	1	19	7	27
9	हिमांचल प्रदेश	1	2	5	8
10	जम्मू और कश्मीर	1	3	4	8
11	झारखंड	0	8	2	10
12	कर्नाटक	1	21	266	288
13	केरल	1	14	60	75
14	मध्य प्रदेश	1	38	51	90
15	महाराष्ट्र	1	31	512	544
16	मणिपुर	1	0	3	4
17	मेघालय	1	0	3	4
18	मिजोरम	1	0	1	2
19	नागालैंड	1	0	0	1
20	ओड़ीसा	1	17	10	28
21	पंजाब	1	20	4	25
22	राजस्थान	1	29	38	68
23	सिक्किम	1	0	1	2
24	तमिलनाडु	1	24	129	154
25	त्रिपुरा	1	0	1	2
26	उत्तर प्रदेश	1	50	69	120
27	उत्तराखंड	1	10	5	16
28	पश्चिम बंगाल	1	17	44	62
संघशासित क्षेत्र					
1	एनसीटी दिल्ली	1	0	15	16
2	अंदमान और नीकोबार द्वीपसमूह	1	0	0	1
3	दमन और दीव	0	0	0	0
4	पुडुचेरी	1	0	1	2
5	चंडीगढ़	1	0	0	1
कुल		**31**	**371**	**1,590**	**1,994**

संलग्नक - III

वर्ष 2013-14 के दौरान पंजीकृत / विपंजीकृत बैंक

बैंक का प्रकार/राज्य	क्रम सं.	बैंक का नाम
ए. **पंजीकृत (07)**		
वाणिज्यिक बैंक (01)	1	भारतीय महिला बैंक, नई दिल्ली
सहकारी बैंक (0)	कुछ नहीं	
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (06)	1	पूर्वांचल बैंक, उत्तर प्रदेश
	2	ग्रामीण बैंक ऑफ आर्यव्रत, उत्तर प्रदेश
	3	केरल ग्रामीण बैंक, मल्लापूरम, केरल
	4	प्रगति कृष्ण ग्रामीण बैंक, कर्नाटक
	5	छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक, रायपुर, छत्तीसगढ़
	6	सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक, हरियाणा
बी. **विपंजीकृत (29)**		
वाणिज्यिक बैंक (0)	कुछ नहीं	
सहकारी बैंक (16)		
आंध्र प्रदेश (01)	1	दि श्रीकाकुलम को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लि., श्रीकाकुलम
गुजरात (05)	1	बयाद नागरिक सहकारी बैंक लि., गुजरात
	2	पार्श्वनाथ को-ऑपरेटिव बैंक लि., अहमदाबाद, गुजरात
	3	सिटी को-ऑपरेटिव बैंक लि., सूरत, गुजरात
	4	उधना सिटीजन को-ऑपरेटिव बैंक लि., सूरत, गुजरात
	5	म्युनिसिपल को-ऑपरेटिव बैंक लि., अहमदाबाद, गुजरात
कर्नाटक (01)	1	कर्नाटक राज्य कैगारीका सहकारी बैंक नियमिता, कर्नाटक
महाराष्ट्र (05)	1	अर्जुन अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि., सोलापूर, महाराष्ट्र
	2	महात्मा फुले अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि., बीड, महाराष्ट्र
	3	श्री सिध्दीविनायक नागरी सहकारी बैंक लि., रायगढ़, महाराष्ट्र
	4	कोंकण प्रांत सहकारी बैंक लि, गिरगांव, मुंबई
	5	विश्वकर्मा नागरी सहकारी बैंक मर्यादित, औरंगाबाद, महाराष्ट्र

संलग्नक - III *(समाप्त)*

बैंक का प्रकार/राज्य	क्रम सं.	बैंक का नाम
ओड़ीसा (01)	1	अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि., भुवनेश्वर, ओड़ीसा
राजस्थान (01)	1	वैशाली अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि., जयपुर, राजस्थान
पश्चिम बंगाल (02)	1	कसूंडिया को-ऑपरेटिव बैंक लि., हावड़ा, पश्चिम बंगाल
	2	एवीबी एम्पालाईज को-ऑपरेटिव क्रेडिट सोसायटी ऑण्ड बैंक लि., दुर्गापूर, पश्चिम बंगाल
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (13)	1	श्रेयस ग्रामीण बैंक, अलीगढ़, उत्तर प्रदेश
	2	पूर्वांचल ग्रामीण बैंक, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश
	3	आर्यव्रत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, लखनऊ, उत्तर प्रदेश
	4	बालिया- इटावा ग्रामीण बैंक, उत्तर प्रदेश
	5	सुरगुजा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, छत्तिसगढ़
	6	दुर्ग राजनंदगांव ग्रामीण बैंक, मध्य प्रदेश
	7	छत्तीसगढ़ ग्रामीण बैंक, छत्तिसगढ़
	8	नॉर्थ मलाबार ग्रामीण बैंक, केरल
	9	साउथ मलाबार ग्रामीण बैंक, केरल
	10	प्रगति ग्रामीण बैंक, बेल्लारी, कर्नाटक
	11	कृष्णा ग्रामीण बैंक, गुलबर्ग, कर्नाटक
	12	गुड़गांव ग्रामीण बैंक, हरियाणा
	13	हरियाणा ग्रामीण बैंक, हरियाणा

संलग्नक - IV

जमाराशि की सुरक्षा की सीमा

वर्ष	पूर्णतः संरक्षित खातों की संख्या (मिलियन में) *	खातों की कुल संख्या (मिलियन में)	कुल खातों की तुलना में पूर्णतः संरक्षित खातों का प्रतिशत	बीमित जमाराशि * (बिलियन ₹ में)	कुल निर्धारणीय जमाराशि (बिलियन ₹ में)	कुल जमाराशि की तुलना में बीमाकृत जमाराशि का प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7
2013-14	1,267	1,370	92.4	23,792	76,166	31.2
2012-13	1,393	1,482	94.0	21,584	66,211	32.6
2011-12	996	1,073	92.8	19,043	57,674	33.0
2010-11	977	1,052	92.9	17,358	49,524	35.1
2009-10	1,267	1,424	89.0	16,824	45,880	36.7
2008-09	1,204	1,349	89.3	19,090	33,986	56.2
2007-08	962	1,039	92.6	18,051	29,848	60.5
2006-07	683	717	95.3	13,726	23,444	58.5
2005-06	506	537	94.1	10,530	17,909	58.8
2004-05	620	650	95.4	9,914	16,198	61.2
2003-04	519	544	95.4	8,709	13,183	66.1
2002-03	578	600	96.3	8,289	12,132	68.3
2001-02	464	482	96.4	6,741	9,688	69.6
2000-01	432	446	96.9	5,724	8,063	71.0
1999-00	430	442	97.4	4,986	7,041	70.8
1998-99	454	464	97.9	4,396	6,100	72.1
1997-98	371	411	90.4	3,705	4,923	75.3
1996-97	427	435	98.2	3,377	4,507	74.9
1995-96	482	487	99.0	2,956	3,921	75.4
1994-95	496	499	99.2	2,667	3,641	73.3
1993-94	350	353	99.1	1,684	2,490	67.6
1992-93	340	354	95.8	1,645	2,444	67.3
1991-92	317	329	96.4	1,279	1,863	68.7
1990-91	298	309	96.5	1,093	1,569	69.7
1962	6	7	78.5	4	17	23.1

* खातों की संख्या, जिनमें शेषराशियाँ 1 जनवरी 1962 के बाद से ₹1,500; 1 जनवरी 1968 के बाद से ₹5,000; 1 अप्रैल 1970 के बाद से ₹10,000; 1 जनवरी 1976 के बाद से ₹20,000; 1 जुलाई 1980 के बाद से ₹30,000 तथा 1 मई 1993 के बाद से ₹1,00,000 से अधिक नहीं थीं।

नोट : 2009-10 से प्रदर्शित आँकड़े नए फार्मेट के अनुसार हैं।

संलग्नक - V

जमाराशि की सुरक्षा की सीमा : बैंक श्रेणीवार जमाराशियाँ

वर्ष	बैंकों की श्रेणी	बीमाकृत बैंक (संख्या)	बीमाकृत जमाराशियाँ (बिलियन ₹ में)	निर्धारणीय जमाराशियाँ (बिलियन ₹ में)	कुल निर्धारणीय जमाराशियों की तुलना में बीमाकृत जमाराशियों का प्रतिशत
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
2013-14	I. वाणिज्यिक बैंक (i से v)	93	18,783	67,810	27.7
	i) भारतीय स्टेट बैंक समूह	6	5,352	15,436	34.5
	ii) सरकारी क्षेत्र	20	10,183	35,855	28.4
	iii) विदेशी बैंक	43	217	3,179	6.8
	iv) निजी बैंक	20	3,052	13,326	22.9
	v) स्थानीय क्षेत्र बैंक	4	6	14	42.9
	II. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	58	1,888	2,998	63.0
	III. सहकारी बैंक	1,994	3,120	5,358	58.2
	कुल (I+II+III)	**2,145**	**23,791**	**76,166**	**31.2**
2012-13	I. वाणिज्यिक बैंक (i से v)	89	17,635	59,707	29.5
	i) भारतीय स्टेट बैंक समूह	6	5,365	13,513	40.0
	ii) सरकारी क्षेत्र	20	9,286	31,521	29.5
	iii) विदेशी बैंक	43	235	2,851	8.0
	iv) निजी बैंक	20	2,749	11,822	23.0
	v) स्थानीय क्षेत्र बैंक	4	5	12	41.0
	II. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	67	1,324	1,889	70.0
	III. सहकारी बैंक	2,007	2,619	4,602	57.0
	कुल (I+II+III)	**2,167**	**21,584**	**66,211**	**33.0**
2011-12	I. वाणिज्यिक बैंक (i से v)	87	15,405	52,119	29.6
	i) भारतीय स्टेट बैंक समूह	6	4,046	11,546	35.0
	ii) सरकारी क्षेत्र	20	8,797	27,956	31.5
	iii) विदेशी बैंक	41	221	2,650	8.4
	iv) निजी बैंक	20	2,336	9,958	23.5
	v) स्थानीय क्षेत्र बैंक	4	5	10	51.9
	II. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	82	1,120	1,522	73.6
	III. सहकारी बैंक	2,026	2,518	4,033	62.4
	कुल (I+II+III)	**2,199**	**19,043**	**57,674**	**33.0**

संलग्नक - VI

2013-14 के दौरान निपटाए गए निक्षेप बीमा दावे

क्रम सं.	बैंक का नाम	मुख्य दावे/ अनुपूरक दावे	जमाकर्ताओं की संख्या	दावे की राशि (₹ हजार में)
1	2	3	4	5
	सहकारी बैंक			
	गुजरात (26)			
1	जनता कमर्शियल को-ऑपरेटिव बैंक लि.	अनुपूरक (2)	4	155.64
2	दी माधोपुरा मर्कण्टाइल को-ऑपरेटिव बैंक लि.	मुख्य	3,160	5,785.54
3	दी नडीयाद मर्कण्टाइल को-ऑपरेटिव बैंक लि.	अनुपूरक (2)	28	568.86
4	दी नटपुर को-ऑपरेटिव बैंक लि.	अनुपूरक (6)	168	1,922.58
5	दी नवसारी को-ऑपरेटिव बैंक लि.	अनुपूरक (1)	1	4.40
6	नूतन सहकारी बैंक लि.	अनुपूरक (1)	1	13.57
7	दी पेटलाद नागरिक सहकारी बैंक लि.	अनुपूरक (2)	15	258.55
8	दी पेटलाद कमर्शियल को-ऑपरेटिव बैंक लि.	अनुपूरक (1)	6	294.61
9	दी रिलीफ मर्कण्टाइल को-ऑपरेटिव बैंक लि.	अनुपूरक (1)	10	217.05
10	श्री लक्ष्मी को-ऑपरेटिव बैंक लि.	अनुपूरक (1)	5	89.01
11	दी सिधपुर नागरिक सहकारी बैंक लि.	अनुपूरक (1)	6	51.75
12	दी अहमदाबाद पिपल्स को-ऑपरेटिव बैंक लि.	अनुपूरक (1)	1	13.75
13	दी विसानगर नागरिक सहकारी बैंक लि.	अनुपूरक (7)	264	4,644.28
14	दी भरुच नागरिक सहकारी बैंक लि.	अनुपूरक (1)	1	4.95
15	श्री विठ्ठल को-ऑपरेटिव बैंक लि.	अनुपूरक (1)	32	464.61
16	दी सेंचुरी को-ऑपरेटिव बैंक लि.	अनुपूरक (2)	19	456.32
17	दी सहयोग को-ऑपरेटिव बैंक लि.	अनुपूरक (1)	2	60.88
18	अन्नय को-ऑपरेटिव बैंक लि.	अनुपूरक (7)	405	12,060.16
19	मेट्रो को-ऑपरेटिव बैंक लि.	अनुपूरक (1)	3	8.26
20	दी बरोड़ा पीपल्स' को-ऑपरेटिव बैंक लि.	अनुपूरक (1)	1	31.55
21	श्री भाद्रंन मर्कण्टाइल को-ऑपरेटिव बैंक लि.	अनुपूरक (1)	17	943.17
22	भावनगर मर्कण्टाइल को-ऑपरेटिव बैंक लि.	अनुपूरक (3)	57	294.21
23	दी बोरियावी पीपल्स' को-ऑपरेटिव बैंक लि.	अनुपूरक (3)	12	72.02
24	चारोत्तर नागरिक सहकारी बैंक लि.	अनुपूरक (3)	37	1,281.69
25	दी जनरल को-ऑपरेटिव बैंक लि.	अनुपूरक (3)	92	1,981.14
26	जनता को-ऑपरेटिव बैंक लि.	अनुपूरक (2)	3	52.81
	कुल (गुजरात)	**मुख्य-1, अनुपूरक-55**	**4,350**	**31,731.34**
	महाराष्ट्र (21)			
27	दी मिरज अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि.	अनुपूरक (2)	7	127.66
28	दी राजवाडे मंडल पीपल्स को-ऑपरेटिव बैंक लि.	अनुपूरक (1)	8	241.66
29	सोलापुर नागरिक औद्योगिक सहकारी बैंक लि.	अनुपूरक (2)	45	1,893.21
30	दी रविकिरण अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि.	अनुपूरक (1)	3	136.53

संलग्नक - VI *(समाप्त)*

क्रम सं.	बैंक का नाम	मुख्य दावे/ अनुपूरक दावे	जमाकर्ताओं की संख्या	दावे की राशि (₹ हजार में)
1	**2**	**3**	**4**	**5**
31	दी वीरशैव को-ऑपरेटिव बैंक लि.	मुख्य	40,373	727,615.26
32	परमात्मा एक सेवक नागरिक सहकारी बैंक लि.	अनुपूरक (2)	7	327.41
33	दी भुसावल पीपल्स' को-ऑपरेटिव बैंक लि.	अनुपूरक (5)	48	1,131.30
34	इंदिरा श्रमिक महिला नागरिक सहकारी बैंक लि.	अनुपूरक (5)	61	625.06
35	दी समता सहकारी बैंक लि.	अनुपूरक (2)	26	694.86
36	स्वामी समर्थ सहकारी बैंक लि.	मुख्य	11,295	86,423.37
37	कुपवाड़ अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि.	अनुपूरक (1)	2	106.36
38	अर्जुन अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि.	मुख्य	3,529	61,558.99
39	सिद्धार्थ सहकारी बैंक लि.	अनुपूरक (3)	44	2,045.21
40	अग्रसेन को-ऑपरेटिव बैंक लि.	मुख्य	19,631	52,967.42
41	श्री लक्ष्मी सहकारी बैंक लि.	अनुपूरक (3)	27	503.16
42	चम्पावती अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि.	अनुपूरक (1)	2	62.16
43	दी विदर्भ अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि.	अनुपूरक (1)	18	486.66
44	विश्वकर्मा सहकारी बैंक मर्यादित	मुख्य	6,118	40,460.94
45	अभिनव सहकारी बैंक लि.	मुख्य	10,805	17,951.86
46	दी इचलकरंजी अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि.	अनुपूरक (7)	28	1,165.06
47	श्री पी. के. अण्णा पाटिल जनता सहकारी बैंक लि.	अनुपूरक (2)	38	850.97
	कुल (महाराष्ट्र)	**मुख्य 6, अनुपूरक -38**	**92,115**	**997,375.10**
	मध्य प्रदेश (2)			
48	महाराष्ट्र ब्राह्मण सहकारी बैंक लि.	अनुपूरक (1)	3	1,007.62
49	सिटिझन को-ऑपरेटिव बैंक लि. बुरहानपुर	अनुपूरक (2)	4	186.27
	कुल (मध्य प्रदेश)	**मुख्य-0, अनुपूरक -3**	**7**	**1,193.89**
	ओडिशा (1)			
50	धेंनकानल अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि.	अनुपूरक (1)	26	46.56
	कुल (ओडिशा)	**मुख्य-0, अनुपूरक -1**	**26**	**46.56**
	उत्तर प्रदेश (1)			
51	दी औंध सहकारी बैंक लि.	अनुपूरक(1)	91	579.91
	कुल (उत्तर प्रदेश)	**मुख्य-0, अनुपूरक -1**	**91**	**579.91**
	कुल (सभी राज्य)	**मुख्य-7, अनुपूरक -98**	**96,590**	**1,030,926.80**

नोट : कोष्ठक में दिए गए आँकड़े दावों की संख्या प्रदर्शित करते हैं।

संलग्नक - VII

निपटाए गए बीमा दावे तथा वसूल की गई चुकौतियाँ

सभी बैंक 31 मार्च 2014 तक परिसमापित / समामेलित / पुनर्निर्मित

(राशि हजार ₹ में)

क्रम सं.	बैंक का नाम	जमाकर्ताओं की संख्या	निपटाए गए दावे	प्राप्त चुकौतियाँ (बट्टे खाते डाली गई)	शेष (4 - 5)
1	2	3	4	5	6
I	वाणिज्यिक बैंक				
	i) पूरी चुकौती प्राप्त हुई है (क)				
	1) बैंक आफ चाइना, कोलकाता (1963)		925.00	925.00	-
	2) श्री जादेय शंकरलिंग बैंक लि., बीजापुर (1965)*		11.51	11.51	-
	3) बैंक आफ बिहार लि., पटना (1970)*		4,631.66	4,631.66	-
	4) कोचीन नायर बैंक लि., त्रिचुर (1964)*		704.06	704.06	-
	5) लैटिन क्रिश्चियन बैंक लि. एर्नाकुलम (1964)*		208.50	208.50	-
	6) बैंक आफ कराड लि., मुंबई (1992)		370,000.00	370,000.00	-
	7) मिरज स्टेट बैंक लि., मिरज (1987)*		14,659.08	14,659.08	-
	जोड़ 'क'		**391,139.79**	**391,139.79**	-
	ii) आंशिक चुकौती प्राप्त हुई और बकाया शेष राशि बट्टेखाते डाल दी गई(ख)				
	8) यूनिटी बैंक लि. चेन्नई (1963)*		253.35	137.77	-
				(115.58)	-
	9) उन्नाव कमर्शियल बैंक लि. उन्नाव (1964)*		108.08	31.32	-
				(76.76)	-
	10) चावला बैंक लि., देहरादून (1969)*		18.28	14.55	-
				(3.74)	-
	11) मेट्रोपोलिटन को-ऑपरेटिव बैंक लि., कोलकाता (1964)*		880.08	441.55	-
				(438.53)	-
	12) सदर्न बैंक लि., कोलकाता (1964)*		734.28	372.93	-
				(361.35)	-
	13) बैंक आफ अलगापुरी लि., अलगापुरी (1963)*		27.60	18.07	-
				(9.53)	-
	14) हबीब बैंक लि., मुंबई (1966)*		1,725.41	1,678.00	-
				(47.40)	-
	15) नेशनल बैंक आफ पाकिस्तान, कोलकाता (1966)*		99.26	88.12	-
				(11.13)	-
	16) परूर सेंट्रल बैंक लि., नार्थ परूर, महाराष्ट्र (1990)*		26,021.36	23,191.65	-
				(2,829.71)	-
	17) यूनाइटेड इंडस्ट्रियल बैंक लि., कोलकाता (1990)*		350,150.63	32,631.51	-
				(317,519.13)	-
	कुल 'ख'		**380,018.32**	**58,605.47**	**-**
				(321,412.86)	-

संलग्नक - VII *(जारी)*

क्रम सं.	बैंक का नाम	जमाकर्ताओं की संख्या	निपटाए गए दावे	प्राप्त चुकौतियाँ (बट्टे खाते डाली गई)	शेष (4 - 5)
1	2	3	4	5	6
	iii) आंशिक चुकौती प्राप्त हुई (ग)				-
	18) नेशनल बैंक आफ लाहौर लि., दिल्ली (1970)*		968.92	968.92	-
	19) बैंक आफ कोचीन लि., कोचीन (1986)*		116,278.09	116,278.46	(0.38)
	20) लक्ष्मी कमर्शियल बैंक लि., बेंगलूर, कर्नाटक *		334,062.25	91,358.30	242,703.95
	21) हिंदूस्तान कमर्शियल बैंक लि., दिल्ली (1988)*		219,167.10	105,374.96	113,792.14
	22) ट्रेडर्स बैंक लि., दिल्ली (1990)*		30,633.77	13,482.20	17,151.57
	23) बैंक आफ तंजावुर लि., तंजावुर, तमिलनाडु (1990)*		107,836.01	103,755.98	4,080.03
	24) बैंक आफ तमिलनाडु लि., तिरुनेलवेली, तमिलनाडु (1990)*		76,449.75	75,897.32	552.43
	25) पूर्वांचल बैंक लि., गुवाहाटी (1990)*		72,577.39	9,760.37	62,817.02
	26) सिक्किम बैंक लि., गंगटोक (2000)*		172,956.25	-	172,956.25
	27) बनारस स्टेट बैंक लि., उ.प्र. (2002)*		1,056,442.08	518,649.11	537,792.97
	कुल (ग)		**2,187,371.62**	**1,035,525.63**	**1,151,845.99**
	कुल (क+ख+ग)		**2,958,529.74**	**1,485,270.89**	**1,151,845.99**
				(321,412.86)	
II	**सहकारी बैंक**				
	i) पूर्ण चुकौती प्राप्त हुई (घ)				
	1) मालवण को-ऑपरेटिव बैंक लि., मालवण (1977)		184.00	184.00	-
	2) बाम्बे पिपल्स को-ऑपरेटिव बैंक लि., मुंबई (1978)		1,072.00	1,072.00	-
	3) दधीच सहकारी बैंक लि., मुंबई (1984)		1,837.46	1,837.46	-
	4) रामदुर्ग अर्बन को-ऑपरेटिव क्रेडिट बैंक लि., रामदुर्ग (1981)		218.99	218.99	-
	5) बाम्बे कमर्शियल को-ऑपरेटिव बैंक लि., मुंबई (1976)		573.33	573.33	-
	6) मेट्रोपोलिटन को-ऑपरेटिव बैंक लि., मुंबई (1992)		12,500.00	12,500.00	-
	7) हिंदूपुर को-ऑपरेटिव टाउन बैंक लि., आंध्र प्रदेश (1996)		121.97	121.97	-
	8) वसुंधरा को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लि., आंध्र प्रदेश (2005)		629.80	629.80	-
	कुल 'घ'	**17,137.55**	**17,137.55**	**-**	

संलग्नक - VII *(जारी)*

क्रम सं.	बैंक का नाम	जमाकर्ताओं की संख्या	निपटाए गए दावे	प्राप्त चुकौतियाँ (बट्टे खाते डाली गई)	शेष (4 - 5)
1	2	3	4	5	6
	ii) आंशिक चुकौती प्राप्त हुई और बकाया शेष राशि बट्टेखाते डाल दी गई (ङ)				
	9) घाटकोपर जनता को-ऑपरेटिव बैंक लि., मुंबई (1977)		276.50	-	-
			-	(276.50)	-
				(276.50)	
	10) भद्रावती टाउन को-ऑपरेटिव बैंक लि., भद्रावती (1994)		26.10	-	-
			-	(26.10)	-
				(26.10)	
	11) आरे मिल्क कालोनी को-ऑपरेटिव बैंक लि., मुंबई (1978)		60.31	-	-
			-	(60.31)	-
				(60.31)	
	12) आरमूर को-ऑपरेटिव बैंक लि., आंध्र प्रदेश (2003)		708.44	527.64	-
			-	(180.80)	
	13) रत्नागिरी अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि., रत्नागिरी, महाराष्ट्र (1978)*		4,642.36	1,256.95	-
			-	(3,385.41)	
	14) दि नीलगिरी को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लि., आंध्र प्रदेश (2005)		2,114.71	549.18	-
			-	(1,565.53)	
	कुल 'ङ'		**7,828.42**	**2,333.77**	**-**
				(5,494.65)	
	iii) आंशिक चुकौती प्राप्त हुई (च)				
	15) विश्वकर्मा को-ऑपरेटिव बैंक लि., मुंबई, महाराष्ट्र (1979)*		1,156.70	604.14	552.56
	16) प्रभादेवी जनता सहकारी बैंक लि., मुंबई, महाराष्ट्र (1979)*		701.51	412.14	289.37
	17) कलाविहार को-ऑपरेटिव बैंक लि., मुंबई, महाराष्ट्र (1979)*		1,317.25	335.53	981.72
	18) वैश्य को-ऑपरेटिव बैंक लि., बेंगलूर, कर्नाटक (1982)*		9,130.83	1,294.66	7,836.17
	19) कोल्लूर पार्वती को-ऑपरेटिव बैंक लि., कोल्लूर, आंध्र प्रदेश (1985)		1,395.93	707.86	688.08
	20) आदर्श को-ऑपरेटिव बैंक लि., मैसूर, कर्नाटक (1985)		274.30	65.50	208.80
	21) कुर्डुवाड़ी मर्चेण्ट्स अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि., महाराष्ट्र (1986)*		484.89	400.91	83.99
	22) गदग अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि., कर्नाटक (1986)		2,285.04	1,316.05	968.99
	23) मणिहाल अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि., कर्नाटक (1987)		961.85	227.60	734.25
	24) हिंद अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि., लखनऊ, उत्तर प्रदेश (1988)		1,095.23	-	1,095.23

संलग्नक - VII *(जारी)*

क्रम सं.	बैंक का नाम	जमाकर्ताओं की संख्या	निपटाए गए दावे	प्राप्त चुकौतियाँ (बट्टे खाते डाली गई)	शेष (4 - 5)
1	2	3	4	5	6
	25) येल्लामंचिली को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लि., आंध्र प्रदेश (1990)		436.10	51.62	384.48
	26) वसावी को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लि., गुर्जाला, आंध्र प्रदेश (1991)		388.82	48.56	340.26
	27) कुण्डारा को-ऑपरेटिव बैंक लि., केरल (1991)		1,736.62	963.02	773.60
	28) मनौली श्री पंचलिगेश्वर को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लि., कर्नाटक (1991)		1,744.13	1,139.44	604.69
	29) सरदार नागरिक सहकारी बैंक लि., बड़ौदा, गुजरात (1991)		7,485.62	1,944.01	5,541.60
	30) बेलगाम मुस्लिम को-ऑपरेटिव बैंक लि., कर्नाटक (1992)*		3,710.54	273.78	3,436.76
	31) भिलोड़ा नागरिक सहकारी बैंक लि., गुजरात (1994)		1,983.68	102.37	1,881.31
	32) सिटीजन्स अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि., इंदौर, मध्य प्रदेश (1994)		22,020.57	1,727.77	20,292.80
	33) चेतना को-ऑपरेटिव बैंक लि., मुंबई, महाराष्ट्र (1995)		87,548.52	758.00	86,790.52
	34) बीजापुर डिस्ट्रिक्ट इण्डस्ट्रियल को-ऑपरेटिव बैंक लि., हुबली, कर्नाटक (1996)		2,413.42	1,474.44	938.99
	35) पिपल्स को-ऑपरेटिव बैंक लि., इचलकरंजी, महाराष्ट्र (1996)		36,545.52	-	36,545.52
	36) स्वस्तिक जनता को-ऑपरेटिव बैंक लि., मुंबई, महाराष्ट्र (1998)		22,662.97	-	22,662.97
	37) कोल्हापुर जिला जनता सहकारी बैंक लि., मुंबई, महाराष्ट्र (1998)		80,117.45	-	80,117.45
	38) धारवाड़ इण्डस्ट्रियल को-ऑपरेटिव बैंक लि., हुबली, कर्नाटक (1998)		915.79	915.79	0.00
	39) दादर जनता सहकारी बैंक लि., मुंबई, महाराष्ट्र (1999)		51,803.37	49,313.08	2,490.29
	40) विनकर सहकारी बैंक लि., मुंबई, महाराष्ट्र (1999)		18,067.90	-	18,067.90
	41) त्रिमूर्ति सहकारी बैंक लि., पुणे, महाराष्ट्र (1999)		28,556.47	23,970.53	4,585.94
	42) अवामी मर्कण्टाइल को-ऑपरेटिव बैंक लि., मुंबई, महाराष्ट्र (2000)		46,239.88	5,500.00	40,739.88
	43) रविकिरण अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि., मुंबई, महाराष्ट्र (2000)		62,293.89	260.58	62,033.31
	44) गुडूर को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लि., आंध्र प्रदेश (2000)		6,736.99	964.46	5,772.53
	45) अनकापल्ले को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लि., आंध्र प्रदेश (2000)		2,447.07	137.15	2,309.92
	46) इंदिरा सहकारी बैंक लि., मुंबई, महाराष्ट्र (2000)		157,012.94	8,783.98	148,228.95

संलग्नक - VII *(जारी)*

क्रम सं.	बैंक का नाम	जमाकर्ताओं की संख्या	निपटाए गए दावे	प्राप्त चुकौतियाँ (बट्टे खाते डाली गई)	शेष (4 - 5)
1	2	3	4	5	6
	47) नंदगांव मर्चेण्ट्स को-ऑपरेटिव बैंक लि., महाराष्ट्र (2000)		2,242.01	-	2,242.01
	48) सिद्धार्थ सहकारी बैंक लि., जलगांव, महाराष्ट्र (2000)		5,398.65	1,100.00	4,298.65
	49) सोलापुर जिला महिला सहकारी बैंक लि., महाराष्ट्र (2000)		27,494.76	10,100.00	17,394.76
	50) दि सामी तालुका नागरिक सहकारी बैंक लि., गुजरात (2000)		2,017.30	-	2,017.30
	51) अहिल्यादेवी महिला नागरिक सहकारी कलमनुरी, महाराष्ट्र (2001)		1,696.09	-	1,696.09
	52) नागरिक सहकारी बैंक लि., सागर, मध्य प्रदेश (2001)		7,013.59	1,000.00	6,013.59
	53) इंदिरा सहकारी बैंक लि., औरंगाबाद, महाराष्ट्र (2001)		21,862.77	465.72	21,397.05
	54) नागरिक को-ऑपरेटिव कमर्शियल बैंक मर्यादित, बिलासपुर, मध्य प्रदेश (2001)		26,135.83	15,000.00	11,135.83
	55) इचलकरंजी कामगार नागरिक सहकारी बैंक लि., महाराष्ट्र (2001)		5,068.09	3,358.92	1,709.18
	56) परिषद को-ऑपरेटिव बैंक लि., नई दिल्ली (2001)		3,946.61	3,781.44	165.18
	57) सहयोग को-ऑपरेटिव बैंक लि., अहमदाबाद, गुजरात (2002)		30,168.26	1,765.43	28,402.83
	58) माधवपुरा मर्कण्टाइल को-ऑपरेटिव बैंक लि., अहमदाबाद, गुजरात (2001, 2013 @)#)*	3,160	4,015,185.54	5,785.54	4,009,400.00
	59) कृषि को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लि., सिकंदराबाद, आंध्र प्रदेश (2001)		232,429.22	40,858.33	191,570.89
	60) जबलपुर नागरिक सहकारी बैंक लि., (विपंजीकृत), मध्य प्रदेश (2002)		19,486.49	15,071.90	4,414.59
	61) श्री लक्ष्मी को-ऑपरेटिव बैंक लि., अहमदाबाद, गुजरात (2002)		140,667.57	24,339.29	116,328.28
	62) मराठा मार्केट पिपल्स को-ऑपरेटिव बैंक लि., मुंबई, महाराष्ट्र (2002)		37,959.73	-	37,959.73
	63) लातूर पिपल्स को-ऑपरेटिव बैंक लि., (विपंजीकृत), महाराष्ट्र (2002)		3,048.95	-	3,048.95
	64) श्री लक्ष्मी महिला को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक, (विपंजीकृत), आंध्र प्रदेश (2002)		7,821.24	-	7,821.24
	65) फ्रेंड्स को-ऑपरेटिव बैंक लि., मुंबई, महाराष्ट्र (2002)		48,456.66	120.02	48,336.64
	66) भाग्यनगर को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लि., (विपंजीकृत), आंध्र प्रदेश (2002)		9,697.12	9,363.62	333.50
	67) अस्का को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लि., (विपंजीकृत), ओड़ीसा (2002)		7,032.61	-	7,032.61

संलग्नक - VII *(जारी)*

क्रम सं.	बैंक का नाम	जमाकर्ताओं की संख्या	निपटाए गए दावे	प्राप्त चुकौतियाँ (बट्टे खाते डाली गई)	शेष (4 - 5)
1	2	3	4	5	6
	68) दि वेरावल रत्नाकर को-ऑपरेटिव बैंक लि., (विपंजीकृत), गुजरात (2002)		26,553.64	32.91	26,520.73
	69) श्री वेरावल विभागीय नागरिक सहकारी बैंक, (विपंजीकृत), गुजरात (2002)		25,866.18	-	25,866.18
	70) श्रव्य को-ऑपरेटिव बैंक लि., आंध्र प्रदेश (2002)		74,376.82	2,421.29	71,955.53
	71) मजूर सहकारी बैंक लि., अहमदाबाद, गुजरात (2002)		14,779.44	427.30	14,352.14
	72) मीरा भायंदर को-ऑपरेटिव बैंक लि., (विपंजीकृत), महाराष्ट्र (2003)		22,448.41	-	22,448.41
	73) श्री लाभ को-ऑपरेटिव बैंक लि., मुंबई, महाराष्ट्र (2003)		47,507.25	341.41	47,165.84
	74) खेड़ अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि., महाराष्ट्र (2003)		46,368.34	1,000.00	45,368.34
	75) जनता सहकारी बैंक मर्यादित, देवास, मध्य प्रदेश (2003)		71,741.71	66,141.14	5,600.57
	76) निजामाबाद को-ऑपरेटिव टाउन बैंक लि., आंध्र प्रदेश (2003)		11,289.66	10,038.32	1,251.34
	77) दि मेगासिटी को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लि., आंध्र प्रदेश (2003)		16,197.58	14,678.15	1,519.43
	78) कर्नूल अर्बन को-ऑपरेटिव क्रेडिट बैंक लि., आंध्र प्रदेश (2003)		47,432.57	46,556.10	876.46
	79) यमुना नगर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि., हरियाणा (2003)		30,046.64	2,800.00	27,246.64
	80) प्रजा को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लि., आंध्र प्रदेश (2003)		9,254.48	8,614.31	640.17
	81) चारमीनार को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लि., आंध्र प्रदेश (2003)#		1,432,344.30	852,344.30	580,000.00
	82) राजमपेट को-ऑपरेटिव टाउन बैंक लि., आंध्र प्रदेश (2003)		16,345.12	7,325.00	9,020.12
	83) श्री भाग्यलक्ष्मी को-ऑपरेटिव बैंक लि., गुजरात (2003)		34,033.48	3,600.00	30,433.48
	84) आर्यन को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लि., आंध्र प्रदेश (2003)		46,781.03	43,631.77	3,149.27
	85) दि फर्स्ट सिटी को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लि., आंध्र प्रदेश (2003)		12,873.23	11,243.66	1,629.57
	86) कलवा बेलापुर सहकारी बैंक लि., महाराष्ट्र (2003)		48,880.14	25.00	48,855.14
	87) अहमदाबाद महिला नागरिक सहकारी बैंक लि., गुजरात (2003)		33,329.35	955.83	32,373.53
	88) थेनी को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लि., तमिलनाडु (2003)		33,177.94	6.98	33,170.96

संलग्नक - VII *(जारी)*

क्रम सं.	बैंक का नाम	जमाकर्ताओं की संख्या	निपटाए गए दावे	प्राप्त चुकौतियाँ (बट्टे खाते डाली गई)	शेष (4 - 5)
1	2	3	4	5	6
	89) दि मंदसौर कमर्शियल को-ऑपरेटिव बैंक लि., मध्य प्रदेश (2003)		141,139.81	140,798.15	341.66
	90) मदर टेरेसा हैदराबाद को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक., आंध्र प्रदेश (2003)		57,245.59	1,400.00	55,845.59
	91) धाना को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लि., आंध्र प्रदेश (2003)		23,855.34	-	23,855.34
	92) अहमदाबाद अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि., गुजरात (2003)		37,343.88	2,203.57	35,140.31
	93) दि स्टार को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लि., आंध्र प्रदेश (2003)		2,626.79	-	2,626.79
	94) दि जनता कमर्शियल को-ऑपरेटिव बैंक लि., अहमदाबाद, गुजरात (2003)		41,281.62	6,922.64	34,358.98
	95) मणिकांता को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लि., आंध्र प्रदेश (2003)		21,677.67	17,300.00	4,377.67
	96) भावनगर वेलफेयर को-ऑपरेटिव बैंक लि., गुजरात (2003)		35,508.21	-	35,508.21
	97) नवोदय सहकारी बैंक लि., कर्नाटक (2003)		3,038.47	2,521.79	516.67
	98) पिठापुरम् को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लि., आंध्र प्रदेश (2003)		7,697.97	7,691.33	6.64
	99) श्री आदिनाथ सहकारी बैंक लि., महाराष्ट्र (2003)		42,971.17	30,815.27	12,155.90
	100) संतराम को-ऑपरेटिव बैंक लि., गुजरात (2003)		115,872.42	2,818.21	113,054.22
	101) पालना सहकारी बैंक लि., गुजरात (2003)		22,952.19	21,790.57	1,161.61
	102) नायका मर्कण्टाइल को-ऑपरेटिव बैंक लि., गुजरात (2004)		25,531.20	-	25,531.20
	103) जनरल को-ऑपरेटिव बैंक लि., गुजरात (2004)		715,200.69	23,359.41	691,841.28
	104) वेस्टर्न को-ऑपरेटिव बैंक लि., मुंबई, महाराष्ट्र (2004)		44,086.21	57.31	44,028.90
	105) चारोतर नागरिक सहकारी बैंक लि., गुजरात (2004)		2,064,831.53	215,563.73	1,849,267.80
	106) प्रतिभा महिला सहकारी बैंक लि., जलगांव, महाराष्ट्र (2004)		34,192.33	13,729.00	20,463.33
	107) विसनगर नागरिक सहकारी बैंक लि., गुजरात (2004)		3,846,162.46	38,704.21	3,807,458.25
	108) नरसारावपेट को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लि., आंध्र प्रदेश (2004)		1,794.45	130.00	1,664.45
	109) भंजनगर को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लि., ओड़ीसा (2004)		9,799.51	-	9,799.51
	110) दि साईं को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लि., आंध्र प्रदेश (2004)		10,170.18	6,170.18	4,000.00
	111) दि कल्याण को-ऑपरेटिव बैंक लि., आंध्र प्रदेश (2005)		13,509.83	900.00	12,609.83
	112) ट्रिनिटी को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लि., आंध्र प्रदेश (2005)		19,306.12	6,198.81	13,107.31

संलग्नक - VII *(जारी)*

क्रम सं.	बैंक का नाम	जमाकर्ताओं की संख्या	निपटाए गए दावे	प्राप्त चुकौतियाँ (बट्टे खाते डाली गई)	शेष (4 - 5)
1	2	3	4	5	6
	113) गुलबर्गा अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि., कर्नाटक (2005)		25,441.21	793.11	24,648.10
	114) विजया को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लि., आंध्र प्रदेश (2005)		12,224.74	9,500.00	2,724.74
	115) श्री सत्य साईं को-ऑपरेटिव बैंक लि., आंध्र प्रदेश (2005)		7,387.17	2,000.00	5,387.17
	116) श्री गंगानगर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि., राजस्थान (2005)		4,787.55	4,787.55	(0.00)
	117) सितारा को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लि., हैदराबाद, आंध्र प्रदेश (2005)		3,741.01	-	3,741.01
	118) महालक्ष्मी को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लि., हैदराबाद, आंध्र प्रदेश (2005)		41,999.65	394.50	41,605.15
	119) मा शारदा महिला नागरी सहकारी बैंक लि., अकोला, महाराष्ट्र (2005)		13,351.57	450.00	12,901.57
	120) परतुर पिपल्स को-ऑपरेटिव बैंक लि., महाराष्ट्र (2005)		15,836.61	-	15,836.61
	121) सोलापुर डिस्ट्रिक्ट इण्डस्ट्रियल को-ऑपरेटिव बैंक, महाराष्ट्र (2005)		107,561.91	4,447.83	103,114.08
	122) बड़ौदा पिपल्स को-ऑपरेटिव बैंक लि., गुजरात (2005)		584,048.60	22,063.73	561,984.87
	123) दि को-ऑपरेटिव बैंक आफ उमरेथ लि., गुजरात (2005)		49,437.88	2,924.37	46,513.51
	124) श्री पाटनी को-ऑपरेटिव बैंक लि., गुजरात (2005)		86,530.52	2,604.19	83,926.34
	125) क्लासिक को-ऑपरेटिव बैंक लि., गुजरात (2005)		5,725.86	500.00	5,225.86
	126) साबरमती को-ऑपरेटिव बैंक लि., गुजरात (2005)		318,925.24	32,730.58	286,194.65
	127) मातर नागरिक सहकारी बैंक लि., गुजरात (2005)		30,892.41	4,388.28	26,504.13
	128) डायमंड जुबिली को-ऑपरेटिव बैंक लि., सूरत, गुजरात (2005)		606,403.31	606,403.31	-
	129) पेटलाद कमर्शियल को-ऑपरेटिव बैंक लि., गुजरात (2005)		74,035.72	8,296.04	65,739.68
	130) नड़ियाद मर्कण्टाइल को-ऑपरेटिव बैंक लि., गुजरात (2005)		299,340.86	12,578.31	286,762.55
	131) श्री विकास को-ऑपरेटिव बैंक लि., गुजरात (2005)		223,150.28	10,256.27	212,894.01
	132) टेक्सटाइल प्रोसेसर्स को-ऑपरेटिव बैंक लि., गुजरात (2005)		53,755.25	2,554.76	51,200.49
	133) प्रगति को-ऑपरेटिव बैंक लि., गुजरात (2005)		130,437.03	16,314.57	114,122.46
	134) उजावर को-ऑपरेटिव बैंक लि., गुजरात (2005)		15,706.37	-	15,706.37

संलग्नक - VII *(जारी)*

क्रम सं.	बैंक का नाम	जमाकर्ताओं की संख्या	निपटाए गए दावे	प्राप्त चुकौतियाँ (बट्टे खाते डाली गई)	शेष (4 - 5)
1	2	3	4	5	6
	135) सुनव नागरिक सहकारी बैंक लि., गुजरात (2005)		17,573.42	719.22	16,854.20
	136) संस्कारधनी महिला नागरिक सहकारी बैंक लि., जबलपुर, मध्य प्रदेश (2005)		3,031.51	-	3,031.51
	137) सिटीजन को-ऑपरेटिव बैंक लि., दमोह, मध्य प्रदेश (2005)		8,501.09	-	8,501.09
	138) दरभंगा सेन्ट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लि., बिहार (2005)		18,999.84	-	18,999.84
	139) बेलमपल्ली को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लि., आंध्र प्रदेश (2005)		7,503.14	-	7,503.14
	140) श्री विट्ठल को-ऑपरेटिव बैंक लि., गुजरात (2005)		80,194.70	5,739.61	74,455.09
	141) सूर्यापुर को-ऑपरेटिव बैंक लि., गुजरात (2005)		579,896.95	32,783.03	547,113.93
	142) श्री सर्वोदय को-ऑपरेटिव बैंक लि., गुजरात (2005)		10,898.73	162.00	10,736.73
	143) पेटलाद नागरिक सहकारी बैंक लि., गुजरात (2005)		24,741.48	4,088.97	20,652.51
	144) रघुवंशी को-ऑपरेटिव बैंक लि.,मुंबई, महाराष्ट्र (2005)		120,659.85	100.00	120,559.85
	145) सोलापुर मर्चेण्ट्स को-ऑपरेटिव बैंक लि., महाराष्ट्र (2005)		30,697.47	-	30,697.47
	146) औरंगाबाद पिपल्स को-ऑपरेटिव बैंक लि., महाराष्ट्र (2005)		29,932.80	10,432.80	19,500.00
	147) अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि., टिहरी, उत्तरांचल (2005)		16,479.04	1,913.89	14,565.15
	148) श्रीनाथजी को-ऑपरेटिव बैंक लि., गुजरात (2005)		40,828.18	727.69	40,100.49
	149) दि सेंचुरी को-ऑपरेटिव बैंक लि., सूरत (2006)		67,739.63	7,399.13	60,340.50
	150) जिला सहकारी केंद्रीय बैंक लि., रायगढ़, छत्तीसगढ़ (2006)		181,637.44	-	181,637.44
	151) मधेपुरा सुपौल सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लि., बिहार (2006)		65,053.51	-	65,053.51
	152) नवसारी पिपल्स को-ऑपरेटिव बैंक लि., गुजरात (2006)		301,592.15	28,220.69	273,371.46
	153) सेठ भगवानदास बी. श्राफ बुल्सर पिपल्स को-ऑपरेटिव बैंक लि., वलसाड़, गुजरात (2006)		266,452.45	52,636.90	213,815.55
	154) महाराष्ट्र ब्राह्मण सहकारी बैंक लि., मध्य प्रदेश (2006)		304,703.46	20,527.51	284,175.95
	155) मित्र मंडल सहकारी बैंक लि., इंदौर, मध्य प्रदेश (2006)		145,661.51	37,931.51	107,730.00
	156) छपरा डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लि., बिहार (2006)		82,529.98	-	82,529.98

संलग्नक - VII *(जारी)*

क्रम सं.	बैंक का नाम	जमाकर्ताओं की संख्या	निपटाए गए दावे	प्राप्त चुकौतियाँ (बट्टे खाते डाली गई)	शेष (4 - 5)
1	2	3	4	5	6
	157) श्री वीतराग को-ऑपरेटिव बैंक लि., सूरत, गुजरात (2006)		92,989.37	1,746.86	91,242.50
	158) श्री स्वामीनारायण को-ऑपरेटिव बैंक लि., वड़ोदरा, गुजरात (2006)		434,217.98	21,637.39	412,580.59
	159) जनता को-ऑपरेटिव बैंक लि., नड़ियाद, गुजरात (2006)		323,292.67	37,629.70	285,662.97
	160) नटपुर को-ऑपरेटिव बैंक लि., नड़ियाद, गुजरात (2006)		552,716.70	23,166.76	529,549.94
	161) मेट्रो को-ऑपरेटिव बैंक लि., सूरत, गुजरात (2006)		120,686.51	212.98	120,473.53
	162) दि रॉयल को-ऑपरेटिव बैंक लि., सूरत, गुजरात (2006)		91,577.38	1,100.44	90,476.94
	163) जयहिंद को-ऑपरेटिव बैंक लि., मुंबई, महाराष्ट्र (2006)		118,895.88	95,619.17	23,276.71
	164) मदुरै अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि., तमिलनाडु (2006)		257,956.99	34,962.29	222,994.70
	165) कर्नाटक कांट्रैक्टर्स सहकारी बैंक नियामित, बेंगलूर, कर्नाटक (2006)		29,757.64	614.27	29,143.37
	166) आणंद पिपल्स को-ऑपरेटिव बैंक लि., गुजरात (2006)		371,586.77	37,835.43	333,751.34
	167) कोटागिरी को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लि., तमिलनाडु (2006)		25,021.00	3,480.19	21,540.82
	168) दि रिलीफ मर्कण्टाइल को-ऑपरेटिव बैंक लि., अहमदाबाद, गुजरात (2006)		11,614.90	217.05	11,397.85
	169) कावेरी अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक, बेंगलूर, कर्नाटक (2006)		4,846.70	-	4,846.70
	170) बड़ौदा मर्कण्टाइल को-ऑपरेटिव बैंक लि., गुजरात (2006)		12,825.48	612.28	12,213.20
	171) दाभोई नागरिक सहकारी बैंक लि., गुजरात (2006)		165,896.38	4,603.90	161,292.48
	172) धनसुरा पिपल्स को-ऑपरेटिव बैंक लि., गुजरात (2006)		58,798.44	4,498.44	54,300.00
	173) समस्त नगर को-ऑपरेटिव बैंक लि., महाराष्ट्र (2006)		116,051.52	15,236.66	100,814.86
	174) प्रुडेंसियल को-ऑपरेटिव बैंक लि., सिकंदराबाद, आंध्र प्रदेश (2007)		755,959.06	490,959.06	265,000.00
	175) लोक विकास अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि., जयपुर, राजस्थान (2007)		6,606.11	-	6,606.11
	176) नागरिक सहकारी बैंक मर्यादित, रतलाम, मध्य प्रदेश (2007)		20,393.50	-	20,393.50
	177) सिंध मर्कण्टाइल को-ऑपरेटिव बैंक लि., अहमदाबाद, गुजरात (2007)		103,903.73	18,700.00	85,203.73

संलग्नक - VII *(जारी)*

क्रम सं.	बैंक का नाम	जमाकर्ताओं की संख्या	निपटाए गए दावे	प्राप्त चुकौतियाँ (बट्टे खाते डाली गई)	शेष (4 - 5)
1	2	3	4	5	6
	178) श्रीराम सहकारी बैंक लि., नासिक, महाराष्ट्र (2007)		323,215.02	295,856.18	27,358.84
	179) परभणी पिपल्स को-ऑपरेटिव बैंक लि., महाराष्ट्र (2007)		367,807.52	12,520.48	355,287.04
	180) पूर्णा नागरी सहकारी बैंक मर्यादित, महाराष्ट्र (2007)		47,576.03	17,825.70	29,750.33
	181) यशवंत सहकारी बैंक लि., मुंबई, महाराष्ट्र (2007)		5,938.96	5,587.81	351.15
	182) दि कन्यका परमेश्वरी म्युचुअली एडेड को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लि., कुकटपल्ली, आंध्र प्रदेश (2007)		29,749.48	765.66	28,983.82
	183) महिला नागरिक सहकारी बैंक लि., खरगौन, मध्य प्रदेश (2007)		4,305.77	442.19	3,863.58
	184) करमसद अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि., आणंद, गुजरात (2007)		124,758.68	1,875.54	122,883.14
	185) भारत मर्कण्टाइल को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लि., हैदराबाद, आंध्र प्रदेश (2007)		31,232.28	276.97	30,955.32
	186) लार्ड बालाजी को-ऑपरेटिव बैंक लि., सांगली, महाराष्ट्र (2007)		27,287.76	305.00	26,982.76
	187) वसुंधरम महिला को-ऑपरेटिव बैंक लि., वारंगल, आंध्र प्रदेश (2007)		2,304.21	-	2,304.21
	188) बेगूसराय अर्बन डेवलपमेंट को-ऑपरेटिव बैंक लि., बिहार (2007)		5,937.89	-	5,937.89
	189) दतिया नागरिक सहकारी बैंक., मध्य प्रदेश (2007)		1,486.00	-	1,486.00
	190) आदर्श महिला को-ऑपरेटिव बैंक लि., मेहसाणा, गुजरात (2007)		12,974.81	76.52	12,898.29
	191) उमरेथ पिपल्स को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लि., गुजरात (2007)		22,078.93	141.64	21,937.28
	192) सर्वोदय नागरिक सहकारी बैंक लि., विसनगर, गुजरात (2007)		160,286.13	697.69	159,588.44
	193) श्री को-ऑपरेटिव बैंक लि., इंदौर, मध्य प्रदेश (2007)		2,476.52	-	2,476.52
	194) ओनाके ओबावा महिला को-ऑपरेटिव बैंक लि., चित्रदुर्ग, कर्नाटक (2007)		54,847.11	58.36	54,788.76
	195) दि विकास को-ऑपरेटिव बैंक लि., अहमदाबाद, गुजरात (2007)		10,262.36	344.00	9,918.36
	196) श्री जामनगर नागरिक सहकारी बैंक लि., गुजरात (2007)		11,238.00	5,465.00	5,773.00
	197) आणंद अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि., गुजरात (2008)	3,793	184,558.65	203.86	184,354.80
	198) राजकोट महिला नागरिक सहकारी बैंक लि., गुजरात (2008)	12,600	68,218.16	4,009.30	64,208.85
	199) सेवालाल अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि.,मंद्रुप, महाराष्ट्र (2008)	678	666.32	-	666.32

संलग्नक - VII *(जारी)*

क्रम सं.	बैंक का नाम	जमाकर्ताओं की संख्या	निपटाए गए दावे	प्राप्त चुकौतियाँ (बट्टे खाते डाली गई)	शेष (4 - 5)
1	2	3	4	5	6
	200) नागांव अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि., असम (2008)	12,804	6,130.96	-	6,130.96
	201) सर्वोदय महिला को-ऑपरेटिव बैंक लि., बुरहानपुर, मध्य प्रदेश (2008)	4,117	8,391.32	-	8,391.32
	202) चेतक अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि., परभणी, महाराष्ट्र (2008)	7,240	7,442.90	7,388.00	54.90
	203) बसवकल्याण पट्टाना सहकारी बैंक लि., बासगंज, कर्नाटक (2008)	1,787	2,673.13	177.00	2,496.13
	204) इंडियन को-ऑपरेटिव डेवलपमेंट बैंक लि., मेरठ, उत्तर प्रदेश (2008)	10,418	38,553.70	330.02	38,223.67
	205) तलोद जनता सहकारी बैंक लि., गुजरात (2008)	5,718	24,522.91	1,037.00	23,485.91
	206) चल्लकेरे अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि., कर्नाटक (2008)	5,718	32,641.34	123.44	32,517.90
	207) डाकोर महिला नागरिक सहकारी बैंक लि., गुजरात (2008)	1,865	6,375.13	1,587.85	4,787.28
	208) जिला सहकारी बैंक लि., गोंडा, उत्तर प्रदेश (2008)	67,098	454,367.84	255.92	454,111.91
	209) मराठा को-ऑपरेटिव बैंक लि., हुबली, कर्नाटक (2008)	30,483	185,521.69	66,713.74	118,807.95
	210) श्री जनता सहकारी बैंक लि., राधनपुर, गुजरात (2008)	8,841	47,517.84	1,094.67	46,423.18
	211) परिवर्तन को-ऑपरेटिव बैंक लि., मुंबई, महाराष्ट्र (2008)	11,350	184,735.21	25,152.98	159,582.23
	212) इंदिरा प्रियदर्शिनी महिला नागरिक बैंक लि., रायपुर, छत्तीसगढ़ (2008)	20,793	164,573.59	32,868.99	131,704.61
	213) इचलकरंजी जिव्हेश्वर सहकारी बैंक लि., महाराष्ट्र (2008)	2,602	24,167.12	23,449.87	717.25
	214) कित्तूर रानी चान्नम्मा महिला पट्टाना सहकारी बैंक लि., हुबली, कर्नाटक (2008)	6,499	22,849.90	721.82	22,128.08
	215) भरुच नागरिक सहकारी बैंक लि., गुजरात (2008)	12,779	99,668.73	28,151.46	71,517.27
	216) हरूगेरी अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि., कर्नाटक (2009)	5,605	36,446.49	4,436.43	32,010.07
	217) वरदा को-ऑपरेटिव बैंक लि., हावेरी, करजगी, कर्नाटक (2009)	2,613	25,242.02	1,277.72	23,964.30
	218) रवि को-ऑपरेटिव बैंक लि., कोल्हापुर, महाराष्ट्र (2008)	25,627	169,225.78	1,726.52	167,499.26
	219) श्री बालासाहेब सातभाई मर्चेण्ट्स को-ऑपरेटिव बैंक लि., कोप्परगांव, महाराष्ट्र (2008)	16,723	268,254.02	149,090.00	119,164.02
	220) जय लक्ष्मी को-ऑपरेटिव बैंक लि., दिल्ली (2008)	16,467	1,242.00	1,242.00	-

संलग्नक - VII *(जारी)*

क्रम सं.	बैंक का नाम	जमाकर्ताओं की संख्या	निपटाए गए दावे	प्राप्त चुकौतियाँ (बट्टे खाते डाली गई)	शेष (4 - 5)
1	2	3	4	5	6
	221) अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि., सिद्दापुर, कर्नाटक (2009)	19,141	112,933.28	40,213.28	72,720.00
	222) श्री बी.जे. खताल जनता सहकारी बैंक लि., महाराष्ट्र (2009)	11,542	79,008.26	56,758.22	22,250.04
	223) श्री कलमेश्वर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि., होले- अलुर, कर्नाटक (2009)	3,256	25,288.48	-	25,288.48
	224) दि लक्ष्मेश्वर अर्बन को-ऑपरेटिव क्रेडिट बैंक लि., कर्नाटक (2009)	8,512	67,660.45	-	67,660.45
	225) प्रियदर्शिनी महिला नागरिक सहकारी बैंक लि., लातूर, महाराष्ट्र (2009)	11,129	65,792.83	24,201.77	41,591.06
	226) श्री स्वामी ज्ञानानंद योगेश्वरा महिला को-ऑपरेटिव बैंक लि., पुत्तुर, आंध्र प्रदेश (2009)	679	3,625.81	-	3,625.81
	227) अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि., इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश (2009)	3,225	10,030.16	2,700.73	7,329.43
	228) फिरोजाबाद अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि., उत्तर प्रदेश (2009)	514	4,015.07	-	4,015.07
	229) सिद्दापुर कमर्शियल को-ऑपरेटिव बैंक लि., गुजरात (2009)	8,512	37,184.46	2,591.76	34,592.69
	230) नूतन सहकारी बैंक लि., बड़ौदा, गुजरात (2009)	21,603	128,916.02	29,462.21	99,453.81
	231) भावनगर मर्कण्टाइल को-ऑपरेटिव बैंक लि., गुजरात (2009)	35,466	374,582.84	169,295.62	205,287.22
	232) संत जनाबाई नागरी सहकारी बैंक लि., गंगाखेड़, महाराष्ट्र (2009)	16,092	101,964.31	22,963.81	79,000.50
	233) श्री एस.के.पाटिल को-ऑपरेटिव बैंक लि., कुरुंदवाड़, महाराष्ट्र (2009)	9,658	133,059.30	6,896.56	126,162.75
	234) श्री वर्धमान को-ऑपरेटिव बैंक लि., भावनगर, गुजरात (2009)	13,521	51,821.99	29,985.78	21,836.21
	235) ज्ञानोपासक अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि., परभणी, महाराष्ट्र (2009)	4,746	16,670.80	751.16	15,919.64
	236) अचलपुर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि., महाराष्ट्र (2009)	4,641	53,127.98	20,127.76	33,000.22
	237) रोहे अष्टमी सहकारी अर्बन बैंक लि., रोहे, महाराष्ट्र (2009)	38,913	370,674.45	32,619.05	338,055.40
	238) साउथ इंडियन को-ऑपरेटिव बैंक लि., मुंबई, महाराष्ट्र (2009)*	56,816	359,773.78	23,312.43	336,461.35
	239) अंकलेश्वर नागरिक सहकारी बैंक लि., गुजरात (2009)	26,364	238,314.86	164,908.02	73,406.85
	240) अजित को-ऑपरेटिव बैंक लि., पुणे, महाराष्ट्र (2009)	26,286	292,978.03	97,748.12	195,229.91

संलग्नक - VII *(जारी)*

क्रम सं.	बैंक का नाम	जमाकर्ताओं की संख्या	निपटाए गए दावे	प्राप्त चुकौतियाँ (बट्टे खाते डाली गई)	शेष (4 - 5)
1	2	3	4	5	6
	241) श्री सिद्धि वेंकेटेश सहकारी बैंक लि., महाराष्ट्र (2009)	1,892	20,818.79	20,818.79	-
	242) हिरेकेरूर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि., कर्नाटक (2009)	16,539	137,345.44	-	137,345.44
	243) श्री पी.के.अन्ना पाटिल जनता सहकारी बैंक लि., नांदुरबार, महाराष्ट्र (2009)	67,776	565,667.10	10,021.55	555,645.55
	244) चालीसगांव पिपल को-ऑपरेटिव बैंक लि., जलगांव, महाराष्ट्र (2009)	21,503	300,915.66	221,118.10	79,797.56
	245) दीनदयाल नागरिक सहकारी बैंक लि., खंडवा, मध्य प्रदेश (2009)	15,453	97,541.55	32,096.16	65,445.39
	246) सुवर्णा नागरिक सहकारी बैंक लि., परभणी, महाराष्ट्र (2009)	3,923	19,584.61	12,095.04	7,489.57
	247) वसंतदादा शेतकरी सहकारी बैंक लि., सांगली, महाराष्ट्र (2009)	141,317	1,672,059.89	912,059.89	760,000.00
	248) दि हलियाल अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि., कर्नाटक (2009)	8,684	43,375.25	25,897.17	17,478.08
	249) मिरज अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि., महाराष्ट्र (2009)	32,763	420,266.21	149,657.60	270,608.61
	250) फैजपुर जनता सहकारी बैंक लि., महाराष्ट्र (2009)	2,803	33,463.64	23,561.40	9,902.24
	251) डाल्टेनगंज सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लि., झारखंड (2010)	23,933	93,927.24	53.33	93,873.91
	252) इंदिरा सहकारी बैंक लि., धुले, महाराष्ट्र (2010)	14,598	125,438.26	10,885.55	114,552.71
	253) दि अकोट अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि., महाराष्ट्र (2010)	18,349	143,907.42	18,385.28	125,522.14
	254) गोरेगांव को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लि., मुंबई, महाराष्ट्र (2010)	43,933	436,091.27	69,063.15	367,028.12
	255) अनुभव को-ऑपरेटिव बैंक लि., बसवकल्याण, कर्नाटक (2010)	10,590	8,748.57	-	8,748.57
	256) यशवंत अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि., परभणी, महाराष्ट्र (2010)	9,082	116,808.19	35,543.83	81,264.36
	257) प्रांतिज नागरिक सहकारी बैंक लि., गुजरात (2010)	11,446	70,159.19	32,798.40	37,360.79
	258) सुरेंद्रनगर पिपल्स को-ऑपरेटिव बैंक लि., गुजरात (2010)	56,767	487,007.46	179,654.08	307,353.38
	259) बेल्लटी अर्बन को-ऑपरेटिव क्रेडिट बैंक लि., कर्नाटक (2010)	56	58.72	-	58.72

संलग्नक - VII *(जारी)*

क्रम सं.	बैंक का नाम	जमाकर्ताओं की संख्या	निपटाए गए दावे	प्राप्त चुकौतियाँ (बट्टे खाते डाली गई)	शेष (4 - 5)
1	2	3	4	5	6
	260) श्री परोला अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि., महाराष्ट्र (2010)	5,289	51,243.07	7,686.88	43,556.19
	261) साधना को-ऑपरेटिव बैंक लि., महाराष्ट्र (2010)	3,386	15,629.02	3,578.19	12,050.83
	262) प्राइमरी टीचर्स को-ऑपरेटिव क्रेडिट बैंक लि., कर्नाटक (2010)	3,710	64,921.83	7,338.10	57,583.73
	263) श्री कामदार सहकारी बैंक लि., भावनगर, गुजरात (2010)	14,263	54,165.54	-	54,165.54
	264) सिटीजन को-ऑपरेटिव बैंक लि., बुरहानपुर, मध्य प्रदेश (2010)	27,123	232,261.93	232,261.93	-
	265) यशवंत सहकारी बैंक लि., मिरज, महाराष्ट्र (2010)	21,235	115,186.90	101,530.06	13,656.84
	266) अर्बन इण्डस्ट्रियल को-ऑपरेटिव बैंक लि., असम (2010)	2,400	4,314.54	-	4,314.54
	267) अहमदाबाद पिपल्स को-ऑपरेटिव बैंक लि., गुजरात (2010)	36,652	448,060.21	202,736.63	245,323.58
	268) सूरत महिला नागरिक सहकारी बैंक लि., गुजरात (2010)	44,393	260,370.86	102,014.25	158,356.61
	269) कातकोल को-ऑपरेटिव बैंक लि., कर्नाटक (2010)	39,912	146,202.60	34,905.85	111,296.76
	270) श्री सिन्नर व्यापारी सहकारी बैंक लि., महाराष्ट्र (2010)	35,219	403,741.10	138,741.10	265,000.00
	271) नागपुर महिला नागरी सहकारी बैंक लि., महाराष्ट्र (2010)	54,031	476,560.44	283,536.26	193,024.18
	272) राजलक्ष्मी नागरी सहकारी बैंक लि., महाराष्ट्र (2010)	3,415	25,671.83	3,985.31	21,686.52
	273) भादरपुर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि., गुजरात (2010)	4,866	49,312.44	6,951.39	42,361.05
	274) श्री सम्मिगे सिद्देश्वरा अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक, कर्नाटक (2010)	3,479	49,352.46	655.71	48,696.75
	275) विजयनगरम् को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लि., आंध्र प्रदेश (2010)	6,948	71,141.10	26,062.14	45,078.96
	276) अवध सहकारी बैंक लि., उत्तर प्रदेश (2010)	5,289	23,839.86	1,376.98	22,462.88
	277) अन्नासाहेब पाटिल अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि., महाराष्ट्र (2010)	6,296	27,996.78	5,175.28	22,821.50
	278) कुपवाड़ अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि., महाराष्ट्र (2010)	12,948	114,105.44	48,729.74	65,375.70
	279) राहुरी पिपल्स को-ऑपरेटिव बैंक लि., महाराष्ट्र (2010)	13,833	167,648.97	128,290.66	39,358.31

संलग्नक - VII *(जारी)*

क्रम सं.	बैंक का नाम	जमाकर्ताओं की संख्या	निपटाए गए दावे	प्राप्त चुकौतियाँ (बट्टे खाते डाली गई)	शेष (4 - 5)
1	2	3	4	5	6
	280) रायबाग अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि., कर्नाटक (2010)	4,501	14,769.68	-	14,769.68
	281) चंपावती अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि., महाराष्ट्र (2011)	14,811	145,596.66	133,805.66	11,791.00
	282) श्री महेश सहकारी बैंक मर्यादित, महाराष्ट्र (2011)	9,208	84,041.98	53,062.91	30,979.07
	283) राजवाड़े मंडल पिपल्स को-ऑपरेटिव बैंक लि., महाराष्ट्र (2011)	26,422	133,960.02	4,241.66	129,718.36
	284) श्री चामराजा को-ऑपरेटिव बैंक लि., कर्नाटक (2011)	174	179.27	-	179.27
	285) अन्योन्या को-ऑपरेटिव बैंक लि., गुजरात (2011)	71,255	591,381.71	261,333.15	330,048.56
	286) कैम्बे हिंदू मर्केण्टाइल को-ऑपरेटिव बैंक लि., गुजरात (2011)	9,336	86,764.47	5,593.14	81,171.34
	287) रबकवि अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि., कर्नाटक (2011)	10,462	67,393.38	33,135.21	34,258.17
	288) श्री मौनेश्वर को-ऑपरेटिव बैंक लि., कर्नाटक (2011)	1,640	2,569.75	-	2,569.75
	289) दि चडचन श्री संगमेश्वर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि., कर्नाटक (2011)	6,075	38,149.77	12,751.77	25,398.00
	290) दि परमात्मा एक सेवक नागरिक सहकारी बैंक लि., महाराष्ट्र (2011)	54,925	403,178.78	129,344.32	273,834.46
	291) समता सहकारी बैंक लि., महाराष्ट्र (2011)	33,500	422,834.49	39,144.98	383,689.51
	292) हिना शाहीन नागरिक सहकारी बैंक लि., महाराष्ट्र (2011)	9,798	112,964.84	181.29	112,783.55
	293) श्री लक्ष्मी सहकारी बैंक लि., महाराष्ट्र (2011)	2,319	35,474.07	1,426.58	34,047.49
	294) दादासाहेब डॉ. एन एम काबरे नागरिक सहकारी बैंक लि., महाराष्ट्र (2011)	16,324	199,311.58	41,090.58	158,221.00
	295) विदर्भ अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि., महाराष्ट्र (2011)	11,322	160,023.77	18,818.84	141,204.93
	296) इचलकरंजी अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि., महाराष्ट्र (2011)	43,813	557,331.50	219,925.81	337,405.69
	297) सुविधा महिला नागरिक सहकारी बैंक लि., मध्य प्रदेश (2011)	2,729	12,248.09	11,735.35	512.74
	298) आसनसोल पिपल्स को-ऑपरेटिव बैंक लि., पश्चिम बंगाल (2011)	1,012	4,158.75	1,136.33	3,022.41
	299) श्री ज्योतिबा सहकारी बैंक लि., महाराष्ट्र (2012)	7,596	22,002.44	-	22,002.44

संलग्नक - VII *(जारी)*

क्रम सं.	बैंक का नाम	जमाकर्ताओं की संख्या	निपटाए गए दावे	प्राप्त चुकौतियाँ (बट्टे खाते डाली गई)	शेष (4 - 5)
1	2	3	4	5	6
	300) रायचुर जिला महिला पट्टाना सहकारी बैंक लि., कर्नाटक (2012)	6,021	11,159.42	6,572.92	4,586.50
	301) चोपड़ा अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि., महाराष्ट्र (2012)	10,264	71,269.83	64,212.12	7,057.71
	302) दि सिधपुर नागरिक सहकारी बैंक लि., गुजरात (2012)	6,712	33,560.01	5,431.20	28,128.81
	303) श्री बालाजी को-ऑपरेटिव बैंक लि., महाराष्ट्र (2012)	927	9,476.72	9,476.72	-
	304) सिद्धार्थ सहकारी बैंक लि., महाराष्ट्र (2012)	18,509	242,002.87	2,045.21	239,957.66
	305) बोरियाबी पिपल्स को-ऑपरेटिव बैंक लि., गुजरात ((2012)	5,408	45,494.11	30,077.57	15,416.54
	306) मेमन को-ऑपरेटिव बैंक लि., महाराष्ट्र (2012)*	85,990	237,520.12	64,323.00	173,197.12
	307) नेशनल को-ऑपरेटिव बैंक लि., आंध्र प्रदेश (2012)	3,042	4,317.79	-	4,317.79
	308) भंडारी को-ऑपरेटिव बैंक लि., महाराष्ट्र (2012)	42,553	548,927.62	286,187.54	262,740.08
	309) भारत अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि., महाराष्ट्र (2012)	5,696	20,904.79	6,879.40	14,025.39
	310) इंदिरा श्रमिक महिला सहकारी बैंक लि., महाराष्ट्र (2012)	6,950	32,011.61	16,302.46	15,709.15
	311) श्री भद्रण मर्कण्टाइल बैंक लि., गुजरात (2012)	6,596	45,655.95	25,133.92	20,522.03
	312) धेनकनाल अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि.,ओड़ीसा (2012)	14,925	77,806.72	23,359.16	54,447.56
	313) भीमाशंकर नागरी सहकारी बैंक लि., महाराष्ट्र (2012)	3,437	4,102.06	-	4,102.06
	314) भुसावल पिपल्स को-ऑपरेटिव बैंक लि., महाराष्ट्र (2012)	12,200	101,644.77	50,622.33	51,022.44
	315) सोलापुर नागरी औद्योगिक सहकारी बैंक लि., महाराष्ट्र (2012)	64,674	459,541.77	134,752.21	324,789.56
	316) वासो को-ऑपरेटिव बैंक लि., गुजरात (2012)*	34,672	72,219.38	10,468.00	61,751.38
	317) कृष्णा वैली को-ऑपरेटिव बैंक लि., महाराष्ट्र (2013)	809	13,527.80	13,527.80	-
	318) अभिनव सहकारी बैंक लि., महाराष्ट्र (2013)	10,805	17,951.86	-	17,951.86

संलग्नक - VII *(समाप्त)*

क्रम सं.	बैंक का नाम	जमाकर्ताओं की संख्या	निपटाए गए दावे	प्राप्त चुकौतियाँ (बट्टे खाते डाली गई)	शेष (4 - 5)
1	2	3	4	5	6
	319) अग्रसेन को-ऑपरेटिव बैंक लि., महाराष्ट्र (2013)*	19,631	52,967.42	-	52,967.42
	320) स्वामी समर्थ सहकारी बैंक लि., महाराष्ट्र (2014)	11,295	86,423.37	60,782.93	25,640.44
	321) अर्जुन अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि., महाराष्ट्र (2014)	3,529	61,558.99	8,601.30	52,957.69
	322) विश्वकर्मा नागरी सहकारी बैंक लि., महाराष्ट्र (2014)	6,118	40,460.94	5,820.89	34,640.05
	323) वीरशैव को-ऑपरेटिव बैंक लि., महाराष्ट्र (2014)	40,373	727,615.26	727,615.26	-
	कुल 'च'	**2,219,286**	**43,092,088.63**	**10,613,262.92**	**32,478,825.72**
	कुल (घ+ङ+च)	**43,117,054.59**	**10,632,734.23**	**32,484,320.36**	
			(5,494.65)		
	कुल (क+ख+ग+घ+ङ+च)	**4,60,75,584.33**	**1,21,18,005.12**	**3,36,30,671.70**	
				(3,26,907.51)	

* समामेलन - पुनर्गठन की योजना

\# पुनर्निर्माण की योजना

@ परिसमापित बैंक के निपटाए गए दावे

नोट:

1. मूल दावों के निपटान करने से संबंधित वर्षों को कोष्ठक में दिया गया है।
2. चुकौती के स्तंभ के अंतर्गत कोष्ठक में दिए गए आँकड़े 31 मार्च 2014 तक बट्टेखाते डाले गई राशि है।
3. प्राप्त चुकौतियों में दावों के अनुमोदन और स्वीकृत करते समय की तरल निधियों के समायोजन की राशि सम्मिलित है।
4. जमाकर्ताओं के दावों की संख्या 2008 से दी गई है
5. जमाकर्ताओं की संख्या की शुद्धता सौवें स्थान तक सुनिश्चित की गई है।

संलग्नक - VIII

निक्षेप बीमा दावों के लिए प्रावधान - अवधि-वार विश्लेषण (31 मार्च 2014 की स्थिति के अनुसार)

क्रम सं.	बैंक के विपंजीकरण / परिसमापन की तारीख	बैंक का नाम	राशि (₹ मिलियन में)	ऐसे बैंक जो अधिक समय वाले भाग (बकेट) में चले गए हैं (31 मार्च 2013 के संदर्भ में)
क	**10 वर्ष से अधिक पुराने**			
1	3 अगस्त 1999	झारग्राम पिपल्स को-ऑपरेटिव सोसाइटी लि.	29.23	
2	27 मई 2002	मधेपुरा अर्बन डेवलपमेंट को-ऑपरेटिव बैंक लि.	0.54	
3	22 जुलाई 2002	नालंदा अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि.	6.86	
4	6 अगस्त 2002	प्रणबानन्दा को-ऑपरेटिव बैंक लि.	225.71	
5	23 सितम्बर 2002	मणिपुर इण्डस्ट्रियल को-ऑपरेटिव बैंक लि.	18.13	
6	28 सितम्बर 2002	फेडरल को-ऑपरेटिव बैंक लि.	13.69	
7	3 जून 2003	लम्का अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि.	0.27	√
8	19 जून 2003	सिबसागर डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक	188.67	√
	कुल (क)	**(8 बैंक)**	**483.10**	**2**
ख	**5 से 10 वर्ष पुराने**			
1	29 दिसम्बर 2006	गुवाहाटी को-ऑपरेटिव टाउन बैंक लि.	82.43	
2	10 अप्रैल 2007	रोहुता अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि.	145.68	
3	25 सितंबर 2008	भद्रक अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि.	27.24	√
	कुल (ख)	**(3 बैंक)**	**255.35**	**1**
ग	**1 से 5 वर्ष पुराने**			
1	31 मार्च 2010	धनश्री महिला सहकारी बैंक लि.	26.60	
2	9 अप्रैल 2010	राजेश्वर युवक विकास सहकारी बैंक लि.	26.29	
3	17 जून 2010	रामकृष्णपुर को-ऑपरेटिव बैंक लि.	750.24	
4	16 दिसम्बर 20102	गोलघाट अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि.	5.22	
5	4 जनवरी 2011	दादासाहब रावल को-ऑपरेटिव बैंक लि.	436.61	√
6	23 जुलाई 2012	प्रीमियर आटोमोबाइल्स इम्पलाइज को-ऑपरेटिव बैंक	39.25	√
7	30 अगस्त 2012	राजीव गांधी सहकारी बैंक लि.	16.96	
	कुल (ग)	**(7 बैंक)**	**1,301.17**	**2**
घ	**1 वर्ष से कम पुराने**			
1	07 जून 2013	वैशाली अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि.	164.13	
2	24 अगस्त 2013	महात्मा फुले अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि.	127.68	
3	27 अगस्त 2013	दी श्रीकाकुलम को-ऑपरेटिव बैंक लि.	15.61	
4	06 सितंबर 2013	कसूंडिया को-ऑपरेटिव बैंक लि.	432.76	
5	25 सितंबर 2013	श्री सिध्दीविनायक नागरी सहकारी बैंक लि.	301.63	
6	01 अक्तूबर 2013	कोंकण प्रांत सहकारी बैंक लि.	559.64	
7	03 फरवरी 2014	म्युनिसिपल को-ऑपरेटिव बैंक लि.	280.18	
	कुल (घ)	**(7 बैंक)**	**1,881.63**	**0**
	कुल योग (क+ख+ग+घ)	**(25 बैंक)**	**3,921.26**	**5**

संलग्नक - IX

ऋण गारंटी शुल्क/अदा किए गए दावे

(₹ मिलियन में)

वर्ष	ऋण गारंटी शुल्क	ऋण गारंटी दावे	अदा किए गए ऋण गारंटी दावे	अंतर (2)-(3)	अंतर (2)-(4)
1	2	3	4	5	6
1991-92	5,659	6,272	4,623	(-) 614	(-) 1,036
1992-93	7,028	11,433	6,436	(-) 4,405	(-) 692
1993-94	8,461	14,908	8,900	(-) 6,447	(-) 439
1994-95	8,291	17,268	11,790	(-) 8,977	(-) 3,499
1995-96	7,046	23,652	10,423	(-) 16,606	(-) 3,376
1996-97	5,640	21,124	3,786	(-) 15,484	(-) 1,854
1997-98	1,649	4,973	3,714	(-) 3,324	(-) 2,065
1998-99	1,232	2,522	6,019	(-) 1,290	(-) 4,787
1999-00	220	2,455	4,031	(-) 2,235	(-) 3,811
2000-01	0.7	361	473	(-) 360	(-) 473
2001-02	0.2	12.4	13.3	(-) 12.2	(-) 13.1
2002-03	2.1	2.6	1.4	(-) 0. 5	(-) 0.7
2003-04	0.2*	-	-	-	-
2004-05 से 2013-14 तक	-	-	-	-	-

* **नोट :** वर्तमान में निगम द्वारा परिचालित और संचालित विभिन्न ऋण योजनाओं में कोई संस्था भाग नहीं ले रही है। अत: वर्ष 2003-04 के बाद से गारंटी दावों से संबंधित कोई गारंटी शुल्क प्राप्त नहीं हुआ है और ऐसे किसी दावे का भुगतान नहीं किया गया है। निर्धारित अवधि के बाद प्राप्त गारंटी शुल्क को वर्ष 2003-04 के दौरान बैकों को वापस कर दिया गया था।

Mahavir Apartments, Third Floor, 598, M.G. Road,
Near Suncity Cinema, Vile Parle (East), Mumbai 400 057.
91 22 2610 1124-26
91-22-26134015 spca@sardapareek.com
Branches at Madgaon, Indore, Bharuch

SARDA & PAREEK
CHARTERED ACCOUNTANTS

स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट

सेवा में,
निदेशक बोर्ड,
निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम, मुंबई

वित्तीय विवरणों संबंधी रिपोर्ट

हमने 31 मार्च 2014 को निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम (जिसे इसके आगे ''निगम'' कहा गया है।) की निक्षेप बीमा निधि, ऋण गारंटी निधि और सामान्य निधि के संलग्न तुलन-पत्रों तथा उक्त तीन निधियों की उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए संलग्न राजस्व लेखों और नकदी प्रवाह विवरणियों (जिसे इसके आगे ''वित्तीय विवरणियाँ'' कहा गया है) की लेखापरीक्षा की है।

वित्तीय विवरणियों संबंधी प्रबंधन की जिम्मेदारी

इन वित्तीय विवरणियों को तैयार करने के लिए निगम का प्रबंध तंत्र जिम्मेदार है, जो निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम अधिनियम, 1961 की अपेक्षाओं और भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लागू लेखांकन मानकों के अनुसार वित्तीय स्थिति और वित्तीय कार्यनिष्पादनों का सत्य और न्यायसंगत स्वरूप प्रस्तुत करते हैं। इन जिम्मेदारियों में ऐसी वित्तीय विवरणियों को तैयार करना जोकि किसी धोखाधडी अथवा त्रुटिवश होने वाली गलत बयानी से मुक्त है, के आंतरिक नियंत्रण संबंधी डिजाइन, कार्यान्वयन और अनुरक्षण करना शामिल है।

लेखापरीक्षक की जिम्मेदारी

हमारी जिम्मेदारी अपनी लेखापरीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विवरणियों के संबंध में अपना अभिमत देना है। हमने अपनी लेखापरीक्षा भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार की है। उन मानकों की अपेक्षा है कि हम नैतिक अपेक्षाओं का अनुपालन करें और लेखापरीक्षा की योजना बनाएं और औचित्यपूर्ण आश्वासन प्राप्त करने के लिए लेखापरीक्षा करें कि क्या वित्तीय विवरणियाँ महत्वपूर्ण दोष से मुक्त हैं।

किसी लेखापरीक्षा में, वित्तीय विवरणियों में दी गयी राशियाँ और किए गए प्रकटीकरण के बारे में लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने की प्रक्रियाओं का कार्यनिष्पादन करना शामिल है। तत्संबंधी प्रक्रिया का चयन लेखापरीक्षक के विवेक पर निर्भर करता है, जिसमें वित्तीय विवरणियों में किसी धोखाधडी अथवा त्रुटिवश होने वाली महत्वपूर्ण गलत बयानी संबंधी जोखिमों का आकलन करना शामिल है। इन जोखिमों का आकलन करने के क्रम में परिस्थिति के अनुसार उपयुक्त ढंग से लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं का अनुपालन करने हेतु लेखापरीक्षक द्वारा वित्तीय विवरणियों को तैयार करने तथा उनके प्रस्तुतीकरण से संबंधित निगम के आंतरिक नियंत्रण को ध्यान में रखा जाता है। इस लेखापरीक्षा में परीक्षण में प्रयुक्त लेखांकन सिद्धांतों और प्रबंध तंत्र द्वारा तैयार किए गए लेखांकन अनुमानों की उपयुक्तता के साथ-साथ वित्तीय विवरणियों के समग्र प्रस्तुतीकरण का मूल्यांकन भी शामिल है।

हमारा विश्वास है कि हमने प्राप्त किए लेखा परीक्षा के साक्ष्य हमारे लेखापरीक्षा अभिमत के लिए पर्याप्त और यथोचित आधार उपलब्ध कराते हैं।

अभिमत

हमारे विचार से और हमारी अधिकतम जानकारी से तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार उक्त लेखे जो संबंधित उल्लेखनीय लेखांकन नितियाँ और उससे संबंधित अन्य टिप्पणियों के साथ पठित है, में सभी आवश्यक ब्यौरे हैं और उचित रूप से तैयार किए गए हैं ताकि यह भारत में सामान्यत: स्वीकार किए गए लेखांकन सिद्धातों के अनुरूप सत्य और सही स्वरूप दर्शाते हैं:

क) 31 मार्च 2014 को कारोबार की स्थिति के अनुसार तुलन पत्रों, जोकि पूर्ण और सही हैं, के संबंध में ;
ख) उक्त दिनांक को समाप्त वर्ष के लिए निक्षेप बीमा निधि, ऋण गारंटी निधि और सामान्य निधि के मामले में निगम की बेशी के लिए राजस्व लेखा के संबंध में; और
ग) उक्त दिनांक को समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाहों के नकदी प्रवाह विवरणों के संबंध में।

हम रिपोर्ट करते हैं कि :

(क) हमें सारी जानकारी और स्पष्टीकरण प्राप्त हुए हैं, जो हमारी अधिकतम जानकारी और विश्वास के अनुसार लेखापरीक्षा के प्रयोजन से आवश्यक हैं और हमने उन्हें संतोषजनक पाया है।
(ख) हमारे विचार से और हमारी अधिकतम जानकारी से तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार निगम की लेखा बहियों का हमारे द्वारा परीक्षण किए जाने से यह प्रकट होता है कि निगम द्वारा लेखा बहियाँ उपयुक्त रूप से अनुरक्षित की गई हैं।
(ग) रिपोर्ट में उल्लिखित निगम की तीन निधियों के तुलन पत्र, राजस्व लेखे तथा नकदी प्रवाह सभी खाता बहियों और विवरणियों के अनुरूप हैं।
(घ) वित्तीय विवरणियों को तत्समय लागू अधिनियम की अपेक्षाओं के अनुसार तथा अपेक्षित तरीके से तैयार किया गया है।
(ङ) निगम द्वारा अपनाई गई लेखा नीतियाँ उपयुक्त हैं और भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी और लागू लेखांकन मानकों तथा तत्समय लागू अधिनियमों का अनुपालन करती हैं।

कृते सारडा एंड पारीक
सनदी लेखाकार
एफ.आर.सं.109262डब्ल्यू

SARDA & PAREEK MUMBAI CHARTERED ACCOUNTANTS

गिरिराज सोनी
भागीदार
सदस्यता सं.109738

17 जून 2014
मुंबई

निक्षेप बीमा और
(निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी
(विनियम 18 -
31 मार्च, 2014 को कारोबार की समाप्ति
I. निक्षेप बीमा निधि (डीआईएफ) और

पिछला वर्ष		देयताएं	निक्षेप बीमा निधि		ऋण गारंटी निधि	
निक्षेप बीमा निधि	ऋण गारंटी निधि					
राशि	राशि		राशि	राशि	राशि	राशि
52,649.60	-	**1. निधि :** (बीमांकिक मूल्यांकन के अनुसार वर्ष के अंत में शेष)		50,683.40		
		2. राजस्व खाते के अनुसार अधिशेष :				
253,252.71	3,000.61	वर्ष के प्रारंभ में शेष	308,553.81		3,250.95	
0.00	0.00	जोड़ें : अन्य निधि / यों को / से अंतरित			0.00	
55,301.10	250.34	जोड़ें : राजस्व खाते से अंतरित	46,942.04		288.97	
308,553.81	3,250.95	वर्ष के अंत में शेष		355,495.85		3,539.92
		3. (क) निवेश रिज़र्व				
13,662.60	495.20	वर्ष के प्रारंभ में शेष	5,226.96		406.56	
(8,435.64)	(88.64)	जोड़ें : राजस्व खाता से अंतरित	21,520.29		178.80	
5,226.96	406.56	वर्ष के अंत में शेष		26,747.25		585.36
		(ख) निवेश उच्चावचन रिज़र्व				
11,572.32	278.99	वर्ष के प्रारंभ में शेष	14,543.39		278.99	
2,971.07	0.00	राजस्व खाता से अंतरित	13,778.61		0.00	
14,543.39	278.99	वर्ष के अंत में शेष		28,322.00		278.99
987.35		**4. सूचित और प्राप्त परंतु अदा न किए गए दावे**		4,154.50		
7,912.22		**5. सूचित परंतु स्वीकार न किए गए दावों से संबंधित अनुमानित देयताएं**		2,780.19		
1,141.07		**6. विपंजीकृत बैंकों से संबंधित बीमाकृत जमाराशियाँ**		1,141.07		
1,440.59		**7. दावा न की गई बीमित जमाराशियाँ**		1,670.28		
		8. अन्य देयताएं				
541.51	0.00	(i) फुटकर लेनदार	375.76			
80,640.13	551.68	(ii) आयकर के लिए प्रावधान	98,987.92		279.92	
81.92	0.00	(iii) फुटकर जमाराशियाँ	124.97			
9.99	0.00	(iv) वितरण योग्य प्रतिभूतियाँ	49.99			
81,273.55	551.68			99,538.64		279.92
473,728.54	**4,488.18**	**कुल**		**570,533.18**		**4,684.19**

इसी तारीख की हमारी रिपोर्ट के अनुसार

कृते मेसर्स सारडा एंड पारीक
सनदी लेखाकार
पंजीकरण सं. एफआरएन 109262डब्ल्यू

गिरिराज सोनी
भागीदार (सदस्य सं.109738)

मुंबई
17 जून, 2014

डॉ. ऊर्जित आर.पटेल
अध्यक्ष

जी. शिवकुमार
निदेशक

जसबीर सिंह
कार्यपालक निदेशक

बी.एल. पटवर्धन
निदेशक

प्रत्यय गारंटी निगम
निगम अधिनियम, 1961 के अधीन स्थापित)
फार्म 'क')
की स्थिति के अनुसार तुलन - पत्र
ऋण गारंटी निधि (सीजीएफ)

(₹ मिलियन में)

पिछला वर्ष		आस्तियाँ	निक्षेप बीमा निधि		ऋण गारंटी निधि	
निक्षेप बीमा निधि	ऋण गारंटी निधि					
राशि	राशि		राशि	राशि	राशि	राशि
285.41	0.48	**1. भारतीय रिज़र्व बैंक में शेष राशि**		281.79		0.07
		2. मार्गस्थ नकदी				
		3. केंद्र सरकार की प्रतिभूतियां में निवेश (लागत पर)				
3,373.71	0.00	खजाना बिल	607.46		0.00	
371,618.35	3,941.86	दिनांकित प्रतिभूतियाँ	444,168.15		4,200.63	
374,992.06	3,941.86			444,775.61		4,200.63
375,076.49	3,761.55	अंकित मूल्य	442,491.55		3,995.34	
373,959.21	3,535.29	बाजार मूल्य	418,269.67		3,615.26	
7,675.14	98.64	**4. निवेशों पर उपचित ब्याज**		8,987.83		103.87
		5. अन्य आस्तियाँ				
245.96	0.20	(i) फुटकर देनदार	1,285.32		4.24	
90,152.58	447.00	(ii) अग्रिम आयकर / टीडीएस	108,880.77		375.38	
9.99		(iii) प्राप्त होने वाले रिवर्स रेपो / रिवर्स रेपो ब्याज	50.04			
9.99		(iv) रिवर्स रेपो के अंतर्गत क्रय की गई प्रतिभूतियाँ	49.99			
357.41		(v) वापसी योग्य सेवाकर खाता	982.43			
		(vi) सेवा कर से प्राप्य राशियां	5,239.40			
90,775.93	447.20			116,487.95		379.62
473,728.54	**4,488.18**	**कुल**		**570,533.18**		**4,684.19**

शशांक सक्सेना
निदेशक

कमलेश एस. विकमसे
निदेशक

संजोय सेठी
मुख्य वित्तीय अधिकारी

वी. के. मौर्य
उप महाप्रबंधक

निक्षेप बीमा और
(फार्म
31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष
I. निक्षेप बीमा निधि (डीआईएफ) और

पिछला वर्ष		व्यय	निक्षेप बीमा निधि		ऋण गारंटी निधि
निक्षेप बीमा निधि	ऋण गारंटी निधि				
राशि	राशि		राशि	राशि	राशि
		1. दावे :		1,030.92	
1,997.67	-	(क) वर्ष के दौरान प्रदत्त		3,167.16	
37.83	-	(ख) स्वीकृत परंतु अदा न किए गए			
		(ग) सूचित परंतु स्वीकृत न किए गए दावों के संबंध में अनुमानित देयता			
7,912.22		वर्ष के अंत में	2,780.19		
(5,744.39)		घटाएं : पिछले वर्ष के अंत में	(7,912.22)		
2,167.83				(5,132.03)	
		(घ) विपंजीकृत बैंकों से संबंधित बीमाकृत जमाराशियाँ			
1,141.07	-	वर्ष के अंत में	1,141.07		
(1,141.07)	-	घटाएं : पिछले वर्ष के अंत में	(1,141.07)		
0.00				0.00	
4,203.33		**निवल दावे**		(933.95)	
52,649.60		**2. वर्ष के अंत में निधि शेष (बीमांकिक मूल्यांकन के अनुसार)**		50,683.40	
		3. निवेश रिज़र्व में जमा निवेशों के मूल्यह्रास के लिए प्रावधान		21,520.29	178.80
		4. सेवाकर			
86,265.24	370.61	**आगे ले जाया गया निवल अधिशेष**		91,523.37	121.91
143,118.17	**370.61**	**कुल**		**162,793.11**	**300.71**
		कराधान के लिए प्रावधान			
27,993.07	120.27	वर्तमान वर्ष		31,108.79	41.44
	0.00	पिछले वर्ष - कम (अधिक)			0.00
2,971.07	0.00	उच्चावचन रिज़र्व निवेश (आईएफआर)		13,778.61	0.00
55,301.10	250.34	तुलन पत्र में ले जाया गया अधिशेष		46,942.04	288.97
86,265.24	**370.61**			**91,829.44**	**330.41**

इसी तारीख की हमारी रिपोर्ट के अनुसार

कृते मेसर्स सारडा एंड पारीक
सनदी लेखाकार
पंजीकरण सं. एफआरएन 109262डब्ल्यू

गिरिराज सोनी
भागीदार (सदस्य सं.109738)

मुंबई
17 जून, 2014

डॉ. ऊर्जित आर.पटेल
अध्यक्ष

जी. शिवकुमार
निदेशक

जसबीर सिंह
कार्यपालक निदेशक

बी.एल. पटवर्धन
निदेशक

प्रत्यय गारंटी निगम
'बी')
के लिए राजस्व लेखा
ऋण गारंटी निधि (सीजीएफ)

(₹ मिलियन में)

पिछला वर्ष		आय	निक्षेप बीमा निधि	ऋण गारंटी निधि
निक्षेप बीमा निधि	ऋण गारंटी निधि			
राशि	राशि		राशि	राशि
47,677.60	-	**1. वर्ष के प्रारंभ में निधि शेष के द्वारा**	52,649.60	
57,182.42	-	**2. निक्षेप बीमा प्रीमियम के द्वारा (अतिदेय प्रीमियम पर ब्याज सहित)**	73,128.01	
-	-	**3. गारंटी शुल्क के द्वारा (अतिदेय गारंटी शुल्क पर ब्याज सहित)**	-	-
2,131.24	1.72	**4. प्रदत्त / निपटाए गए दावों संबंधी वसूलियों के द्वारा (अतिदेय चुकौती पर ब्याज सहित)**	2,239.29	2.21
		5. निवेशों पर आय के द्वारा		
28,095.59	279.40	(क) निवेशों पर ब्याज	33,497.77	294.65
(479.15)	0.65	(ख) प्रतिभूतियों की बिक्री / मोचन पर लाभ (हानि)	295.58	(0.39)
63.56		(ग) रिवर्स रेपो ब्याज आय खाता	109.09	0.00
27,680.00	280.05		33,902.44	294.26
		6. अन्य आय		
11.27	0.20	आयकर वापसी ब्याज	873.77	4.24
8,435.64	88.64	प्रतिलेखित निवेशों से संबंधित मूल्यह्रास		
143,118.17	**370.61**	**कुल**	**162,793.11**	**300.71**
86,265.24	370.61	आगे से लाया गया निवल अधिशेष द्वारा	91,523.37	121.91
		पिछले वर्षों के आयकर वापसी के द्वारा	306.07	208.50
	0.00	अधिशेष खाते से अंतरित शेष के द्वारा	0.00	0.00
86,265.24	**370.61**		**91,829.44**	**330.41**

शशांक सक्सेना
निदेशक

कमलेश एस. विकमसे
निदेशक

संजोय सेठी
मुख्य वित्तीय अधिकारी

वी. के. मौर्य
उप महाप्रबंधक

पिछला वर्ष राशि	देयताएं	राशि	राशि
500.00	**1. पूँजी : निबीप्रगानि अधिनियम, 1961 की धारा 4 के अनुसार भारतीय रिज़र्व बैंक (भारिबैं) द्वारा प्रावधानीकृत (भारिबैं की संपूर्ण स्वामित्ववाली सहयोगी)**		500.00
	2. रिज़र्व		
	क) सामान्य रिज़र्व		
4,303.15	वर्ष के प्रारंभ में शेष	4,573.30	
0.00	ऋण गारंटी निधि से अंतरित	0.00	
270.15	राजस्व खाते से अंतरित अधिशेष / (घाटा)	84.09	
4,573.30			4,657.39
	ख) निवेश रिज़र्व		
631.50	वर्ष के प्रारंभ में शेष	466.78	
(164.72)	राजस्व खाते से अंतरित	(85.30)	
466.78			381.48
	ग) निवेश उच्चावचन रिज़र्व		
304.90	वर्ष के प्रारंभ में शेष	304.90	
0.00	राजस्व अधिशेष से अंतरित	51.12	
304.90			356.02
	3. वर्तमान देयताएं और प्रावधान		
0.00	बकाया कर्मचारी लागत		
8.69	बकाया व्यय	11.88	
0.55	फुटकर लेनदार	0.44	
184.57	आयकर के लिए प्रावधान	258.46	
193.81			**270.78**
6,038.79	**कुल**		**6,165.67**

इसी तारीख की हमारी रिपोर्ट के अनुसार

कृते मेसर्स सारडा एंड पारीक
सनदी लेखाकार
पंजीकरण सं. एफआरएन 109262डब्ल्यू

गिरिराज सोनी
भागीदार (सदस्य सं.109738)

मुंबई
17 जून, 2014

डॉ. ऊर्जित आर.पटेल
अध्यक्ष

जी. शिवकुमार
निदेशक

जसबीर सिंह
कार्यपालक निदेशक

बी.एल. पटवर्धन
निदेशक

प्रत्यय गारंटी निगम
निगम अधिनियम, 1961 के अधीन स्थापित)
फार्म 'क')
की स्थिति के अनुसार तुलन - पत्र
निधि (जीएफ)

(₹ मिलियन में)

पिछला वर्ष राशि	आस्तियाँ	राशि	राशि
	1. नकद		
0.01	(i) हाथ में	0.01	
3.05	(ii) भारतीय रिज़र्व बैंक के पास	3.59	
3.06			3.60
	2. केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों में निवेश (लागत पर)		
0.00	खजाना बिल		
5,007.01	दिनांकित प्रतिभूतियाँ	5,105.71	
448.00	सीसीआईएल में जमा दिनांकित प्रतिभूतियाँ (अंकित मूल्य 4500.00)	454.28	
5,455.01			5,559.99
4,979.16	*अंकित मूल्य :*	5,385.84	
5,032.35	*बाजार मूल्य :*	5,178.51	
141.63	**3. निवेशों पर उपचित ब्याज**		157.77
	4. अन्य आस्तियाँ		
5.70	फर्नीचर, जुड़नार और उपस्कर (मूल्यह्रास काटकर)	4.17	
0.78	लेखनसामग्री का स्टाक / लाउंज कूपन	0.95	
14.22	स्टाफ अग्रिम	14.06	
3.33	स्टाफ अग्रिम पर उपचित ब्याज	3.01	
0.87	फुटकर देनदार	5.45	
50.00	सीसीआईएल में जमा मार्जिन जमाराशि	50.00	
364.19	अग्रिम आयकर / टीडीएस	365.90	
	प्राप्य सेवा कर	0.77	
439.09			**444.31**
6,038.79	**कुल**		**6,165.67**

शशांक सक्सेना
निदेशक

कमलेश एस. विकमसे
निदेशक

संजोय सेठी
मुख्य वित्तीय अधिकारी

वी. के. मौर्य
उप महाप्रबंधक

निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम

(फार्म 'ख')

31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष के लिए राजस्व खाता

II. सामान्य निधि (जीएफ)

(₹ मिलियन में)

पिछला वर्ष राशि	व्यय		राशि	पिछला वर्ष राशि	आय	राशि	राशि
76.00	**स्टाफ लागत का भुगतान / प्रतिपूर्ति**		86.94		**निवेशों से आय**		
0.06	**निदेशकों और समिति के सदस्यों का शुल्क**		0.15	429.74	(क) निवेशों पर ब्याज	448.95	
0.11	**निदेशकों / समिति के सदस्यों के यात्रा और अन्य भत्ते / व्यय**		0.11	**(50.71)**	(ख) निवेशों की बिक्री / मोचन से लाभ (हानि)	(158.13)	
9.80	**किराया, कर, बीमा, बिजली आदि**		9.82	379.03			290.82
37.70	**स्थापना, यात्रा और विराम भत्ते**		37.01	164.72	प्रतिलेखित निवेश के मूल्य में मूल्यह्रास		85.30
0.63	**मुद्रण, लेखनसामग्री और कंप्यूटर उपभोग्य सामग्री**		1.76				
2.07	**डाक, तार और टेलीफोन**		2.27		विविध प्राप्तियाँ		
0.31	**लेखापरीक्षकों का शुल्क**		0.31	0.73	स्टाफ को अग्रिम पर ब्याज	0.69	
0.66	**विधि प्रभार**		4.95	0.15	जड़ वस्तु की बिक्री पर लाभ (हानि) (निवल)	0.03	
0.56	**विज्ञापन**		0.87	0.22	आयकर की वापसी पर ब्याज	4.59	
	निवेश रिज़र्व में जमा निवेशों के मूल्य पर मूल्यह्रास के लिए प्रावधान		0.00	0.20	अन्य विविध प्राप्तियाँ	0.00	
	विविध व्यय			1.30			5.31
2.41	व्यावसायिक प्रभार	0.62					
3.96	सेवा करार / अनुरक्षण	3.73					
0.34	पुस्तकें, समाचारपत्र, आवधिक पत्रिकाएं	0.37					
0.27	पुस्तक अनुदान	0.31					
0.05	कार्यालय परिसंपत्ति - जड़वस्तु की मरम्मत	0.26					
2.77	लेनदेन प्रभार - सीसीआईएल	2.85					
7.49	अन्य	7.72					
17.29			**15.86**				
1.97	मूल्यह्रास		3.00				
397.89	वर्ष के लिए व्यय की तुलना से अधिक आय के शेष को आगे ले जाया गया		218.38	0.00	वर्ष के लिए आय की तुलना से अधिक व्यय के शेष को नीचे लाया गया		0.00
545.05	**कुल**		**381.43**	**545.05**	**कुल**		**381.43**
0.00	आय की तुलना से अधिक व्यय को - आगे ले जाया गया		0.00	397.89	वर्ष के लिए व्यय की तुलना में अधिक आय के शेष को आगे ले जाया गया		218.38
	आयकर के लिए प्रावधान						
129.11	वर्तमान वर्ष		74.23	1.37	पिछले वर्ष के आयकर की वापसी		0.00
0.00	पिछले वर्ष - कम (अधिक)		8.94				
			0.00		**सामान्य रिज़र्व खाता द्वारा**		0.00
0.00	**निवेश उच्चावचन रिज़र्व (आईएफआर)**		51.12				
270.15	**सामान्य रिज़र्व खाता**		84.09				
399.26	**कुल**		**218.38**	**399.26**	**कुल**		**218.38**

इसी तारीख की हमारी रिपोर्ट के अनुसार

कृते मेसर्स सारडा एंड पारीक
सनदी लेखाकार
पंजीकरण सं. एफआरएन 109262डब्ल्यू

गिरिराज सोनी
भागीदार (सदस्य सं.109738)

मुंबई
17 जून 2014

डॉ. ऊर्जित आर.पटेल
अध्यक्ष

जी. शिवकुमार
निदेशक

जसबीर सिंह
कार्यपालक निदेशक

बी. एल. पटवर्धन
निदेशक

शशांक सक्सेना
निदेशक

संजोय सेठी
मुख्य वित्तीय अधिकारी

कमलेश एस. विकमसे
निदेशक

वी. के. मौर्य
उप महाप्रबंधक

निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम

I. निक्षेप बीमा निधि (डीआईएफ) तथा ऋण गारंटी निधि (सीजीएफ)

31 मार्च 2014 को समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह विवरण

(₹ मिलियन में)

पिछले वर्ष निक्षेप बीमा निधि (डीआईएफ)	पिछले वर्ष ऋण गारंटी निधि (सीजीएफ)			निक्षेप बीमा निधि (डीआईएफ)	ऋण गारंटी निधि (सीजीएफ)
राशि	राशि			राशि	राशि
		परिचालनात्मक कार्यकलापों से नकदी प्रवाह			
86,265.24	**370.61**	व्यय की तुलना में अधिक आय	**(ए)**	**91,523.37**	**121.91**
		परिचालनों से निवल नकदी में व्यय की तुलना में अधिक आय के मिलान के लिए समायोजन :			
(28,159.15)	(279.40)	निवेशों पर ब्याज		(33,606.85)	(294.65)
479.15	(0.65)	प्रतिभूतियों की बिक्री / मोचन से लाभ / (हानि)		(295.58)	0.39
4,972.00	0.00	निधि शेष में वृद्धि (कमी)		(1,966.20)	0.00
(8,435.64)	(88.64)	निवेश रिज़र्व को अंतरित		21,520.29	178.80
(31,143.64)	**(368.69)**		**(बी)**	**(14,348.34)**	**(115.46)**
		परिचालनात्मक आस्तियों और देयताओं में परिवर्तन :			
		आस्तियाँ :			
		कमी (वृद्धि)			
(29,627.57)	(143.30)	अग्रिम आयकर और टीडीएस		(31183.12)	(33.09)
54.91	(0.20)	फुटकर देनदार		(1,039.36)	(4.04)
0.00	0.00	सेवा कर से प्राप्त राशियाँ		(5239.40)	0.00
625.18	0.00	अन्य आस्तियाँ		(705.06)	0.00
(28,947.48)	(143.50)		**(सी)**	(38,166.94)	(37.13)
		देयताएं :			
		वृद्धि (कमी)			
2,205.66	0.00	सूचित परंतु स्वीकार न किए गए दावों के संबंध में अनुमानित देयताओं में वृद्धि		(1,964.88)	0.00
444.66	0.00	अदावी जमाराशियों में वृद्धि		2,29.68	0.00
(131.92)	0.00	फुटकर लेनदार		(1,65.75)	0.00
(0.01)	0.00	फुटकर जमाराशि खाते		83.05	0.00
2,518.39	0.00		**(डी)**	(1,817.90)	0.00
28,692.51	(141.58)	**परिचालनात्मक कार्यकलापों से निवल नकदी प्रवाह (ए+बी+सी+डी)**	**(क)**	37,190.19	(30.68)
		निवेशात्मक कार्यकलापों से नकदी प्रवाह			
26,854.34	278.94	निवेशों पर प्राप्त ब्याज		32,294.16	289.42
(479.15)	0.65	प्रतिभूतियों की बिक्री / मोचन से लाभ / (हानि)		295.58	(0.39)
		कमी (वृद्धि)			
(54,788.37)	(137.89)	केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों में निवेश में वृद्धि		(69,783.55)	(258.76)
(28,413.18)	141.70	**निवेशात्मक कार्यकलापों से निवल नकदी प्रवाह**	**(ख)**	(37,193.81)	30.27
0.00	0.00	**वित्तपोषण कार्यकलापों से नकदी प्रवाह**	**(ग)**	0.00	0.00
279.33	0.12	**नकदी में निवल वृद्धि / (कमी)**	**(क+ख+ग)**	(3.62)	(0.41)
6.08	0.36	अवधि के प्रारंभ में नकदी शेष		285.41	0.48
285.41	**0.48**	**अवधि के अंत में नकदी शेष**		**281.79**	**0.07**

कृते मेसर्स सारडा एंड पारीक
सनदी लेखाकार
पंजीकरण सं. एफआरएन 109262डब्ल्यू

गिरिराज सोनी
भागीदार (सदस्य सं.109738)

मुंबई
17 जून 2014

(जसबीर सिंह)
कार्यपालक निदेशक

(संजोय सेठी)
मुख्य वित्तीय अधिकारी

(वी.के. मौर्य)
उप महाप्रबंधक

निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम
II. सामान्य निधि
31 मार्च 2014 को समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह विवरण

(₹ मिलियन में)

पिछला वर्ष राशि			राशि
	परिचालनात्मक कार्यकलापों से नकदी प्रवाह		
397.89	व्यय की तुलना में अधिक आय	(ए)	218.38
1.97	मूल्य ह्रास		3.00
(429.74)	निवेशों पर ब्याज		(448.95)
50.72	प्रतिभूतियों की बिक्री/मोचन से लाभ / (हानि)		158.13
(164.72)	निवेश रिज़र्व को अंतिरत		(85.30)
0.00	प्रतिलेखित अधिक प्रावधान		0.00
(0.73)	स्टाफ को अग्रिम पर ब्याज		(0.69)
(0.15)	जड़वस्तु की बिक्री से लाभ / (हानि)		(0.03)
(0.52)	अन्य - विविध प्राप्तियाँ		4.59
(543.17)		**(बी)**	**(369.25)**
	परिचालनात्मक आस्तियों और देयताओं में परिवर्तन :		
	आस्तियाँ :		
	कमी (वृद्धि)		
(0.10)	लेखनसामग्री / अधिकारी लाउंज के कूपनों का स्टाक		(0.17)
0.00	पूर्वदत्त व्यय / प्राप्य सेवा कर		(0.77)
0.44	भारिबैं आदि से प्राप्य स्टाफ व्यय / भत्ते संबंधी अग्रिम		0.16
(155.35)	अग्रिम आयकर तथा टीडीएस		(10.99)
0.00	सीसीआईएल के पास मार्जिन जमा		0.00
(0.38)	स्टाफ अग्रिमों पर उपचित ब्याज		0.32
0.00	परियोजना लागत		0.00
(0.28)	फुटकर देनदार		(4.58)
(155.67)		**(सी)**	**(16.03)**
	देयताएं :		
	वृद्धि (कमी)		
0.00	कर्मचारी बकाया लागत		0.00
0.62	बकाया व्यय		3.19
(0.33)	फुटकर लेनदार		(0.11)
0.00	अन्य जमा		0.00
0.29		**(डी)**	**3.08**
(300.66)	**परिचालनात्मक कार्यकलापों से निवल नकदी प्रवाह: (ए+बी+सी+डी)**	**(क)**	**(163.82)**
	निवेशात्मक कार्यकलापों से नकदी प्रवाह		
399.36	निवेशों से प्राप्त ब्याज		432.81
(50.72)	प्रतिभूतियों की बिक्री / मोचन से लाभ / (हानि)		(158.13)
0.73	स्टाफ को अग्रिम पर ब्याज		0.69
0.00	निक्षेप बीमा निधि से प्राप्त निधियाँ		0.00
0.42	अन्य		(4.56)
	कमी (वृद्धि)		
(3.48)	अचल आस्तियाँ		(1.47)
	केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों में निवेश:		
0.00	खजाना बिल		0.00
(79.07)	दिनांकित प्रतिभूतियाँ		(98.70)
34.15	सीसीआईएल के पास जमा दिनांकित प्रतिभूतियाँ		(6.28)
301.39	**निवेशात्मक कार्यकलापों से निवल नकदी प्रवाह**	**(ख)**	**164.36**
0.00	**वित्तपोषण कार्यकलापों से नकदी प्रवाह**	**(ग)**	**0.00**
0.73	**नकदी में निवल वृद्धि**	**(क+ख+ग)**	0.54
	अवधि के प्रारंभ में नकद शेष		
0.01	हाथ में		0.01
2.32	भारिबैं के पास		3.05
3.06	**अवधि के अंत में नकदी शेष**		**3.60**

कृते मेसर्स सारडा एंड पारीक
सनदी लेखाकार
पंजीकरण सं. एफआरएन 109262डब्ल्यू

गिरिराज सोनी
भागीदार (सदस्य सं.109738)

मुंबई
17 जून 2014

(जसबीर सिंह)
कार्यपालक निदेशक

(संजोय सेठी)
मुख्य वित्तीय अधिकारी

(वी.के. मौर्य)
उप महाप्रबंधक

महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ

1. लेखांकन का आधार

निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम सामान्य विनियमावली, 1961 के विनियम 18 की अपेक्षाओं के अनुसार वित्तीय विवरण तैयार किए गए हैं। इन वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए प्रयोग की गई लेखांकन नीतियाँ, सभी महत्वपूर्ण पक्षों की दृष्टि से, भारत में सामान्यत: प्रचलित लेखाकंन पद्धति (भारतीय जीएएपी), भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी लेखांकन मानक (एएस) और भारत में प्रचलन के अनुसार हैं। जब तक अन्यथा रूप से न कहा जाए निगम में उपचय आधारित लेखांकन पद्धति और पारंपरिक ऐतिहासिक लागत का अनुपालन किया जाता है।

2. अनुमानों का उपयोग

वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए प्रबंधन के लिए आवश्यक है कि वे आस्तियों, देयताएं, व्यय, आय का अनुमान और पूर्वानुमान करें और विशेषत: उस तारीख के वित्तीय विवरण के निक्षेप बीमा दावों से संबंधित आकस्मिक देयताएं प्रकट करें। दावों से संबंधित देयताओं का अनुमान अनुमोदित बीमांकिक द्वारा किया जाता है। प्रबंधन मानता है कि यह अनुमान और पूर्वानुमान तर्कसंगत और यथोचित है। यद्यपि, वास्तविक परिणाम इन अनुमानों से भिन्न हो सकते है। वर्तमान और भविष्य के संदर्भ में लेखांकन अनुमानों को संशोधित किया जाता है।

3. राजस्व का निर्धारण

जब तक अन्यथा रूप से न कहा जाए आय और व्यय की मदें उपचय आधार पर हिसाब में ली जाती हैं।

(i) प्रीमियम:

(क) निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम सामान्य विनियमावली, 1961 के विनियम 19 के अनुसार निक्षेप बीमा प्रीमियम लिया जाता है।

(ख) यदि किसी बीमाकृत बैंक से लगातार दो प्रीमियम भुगतान में चूक होती है तो आय संकलन की अनिश्चितता को ध्यान में रखते हुए प्राप्त रसीदों के आधार पर प्रीमियम आय की गणना की जाती है। ऐसे बीमाकृत बैंकों के लिए यदि कोई अनुमान किया गया है तो जमा न किए गए प्रीमियम आय के लिए प्रावधान किया जाता है।

(ग) प्रीमियम भुगतान में देर के लिए दण्ड ब्याज की गणना वास्तविक रसीदों के आधार पर की जाती है।

(ii) निक्षेप बीमा दावे

(क) वर्ष के अंत में निधि शेषों के प्रति देयता के लिए पर्याप्त प्रावधान बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर किया जाता है।

(ख) बीमाकृत बैंकों के विपंजीकृत होने पर उनकी देयता संबंधी प्रावधान सर्वोत्तम अनुमान के आधार पर किए जाते हैं।

(ग) निबीप्रगानि अधिनियम, 1961 की धारा 16 के अधीन जिस परिसमापित बैंक का निगम द्वारा निपटान किया जाना है, उसके लिए निबीप्रगानि अधिनियम, 1961 की धारा 19 के अनुसार निगम द्वारा वास्तविक संपूर्णत: निपटान होने तक अथवा परिसमापन प्रक्रिया समाप्त हो जाने तक के लिए, इनमें से जो भी पहले हो, निक्षेप बीमा दावे संबंधी देयताओं हेतु प्रावधान किया जाता है।

(घ) पाए न गए जमाकर्ताओं या आसानी से न उपलब्ध जमाकर्ताओं के संबंध में निबीप्रगानि अधिनियम, 1961 की धारा 20 के अधीन, जब तक कि दावे का भुगतान नहीं हो जाता या परिसमापन प्रक्रिया का अंत नहीं हो जाता, इनमें से जो भी पहले हो, अलग से प्रावधान किया जाता है।

(iii) चुकौतियाँ

निपटाए गए अथवा अदा किए गए निक्षेप बीमा दावों के संबंध में प्रत्यासन (सबरोगेशन) अधिकारों के जरिए की गई वसूली को परिसमापक द्वारा इसकी पुष्टि करने संबंधी सूचना वाले वर्ष में ही हिसाब में लिया जाता है। निपटाए गए दावों और बाद में अपात्र पाए गए दावों से संबंधित वसूली को वसूली / समायोजन के समय ही हिसाब में लिया जाता है।

(iv) निवेश संबंधी ब्याज को उपचय आधार पर हिसाब में लिया जाता है ।

(v) निवेश की बिक्री से होने वाले लाभ / हानि को सौदे के निपटान की तारीख को ही हिसाब में लिया जाता है।

4. निवेश

(i) सभी निवेश चालू निवेश हैं। इनका मूल्यांकन भारित औसत लागत या बाज़ार मूल्य, इनमें से जो कम हो, पर स्क्रिपवार किया जाता है। मूल्यांकन के प्रयोजन से भारतीय नियत आय मुद्रा बाज़ार और व्युत्पन्नी संघ (फिम्डा) द्वारा निर्धारित दरों को बाज़ार दरों के रूप में माना जाता है। खजाना बिलों का मूल्यांकन वाहक लागत के आधार पर किया जाता है।

(ii) प्रतिभूतियों के मूल्यह्रास के लिए किए गए प्रावधान को तुलन-पत्र में निवेशों से नहीं घटाया जाता है, परंतु लेखा विवरण (स्टेटमेंट आफ एकाउंट्स) के निर्धारित प्रोफार्मा के अनुसार निवेश आरक्षित खाता (इन्वेस्टमेंट रिज़र्व एकाउंट) में संचयन के रूप में रखा जाता है।

(iii) भविष्य में पोर्टफोलियो के मूल्य में होने वाले ह्रास के कारण उत्पन्न बाजार जोखिम को पूरा करने हेतु निवेश उतार-चढ़ाव आरक्षित निधि (आईएफआर) रखी जाती है। तुलन-पत्र की तारीख के अनुसार निवेश पोर्टफोलियो के बाज़ार जोखिम के आधार पर निवेश उतार-चढ़ाव आरक्षित निधि (आईएफआर) की पर्याप्तता निर्धारित की जाती है। यदि बाज़ार जोखिम से अतिरिक्त निवेश उतार-चढ़ाव आरक्षित निधि (आईएफआर) है तो, उसे बनाए रखा जाता है तथा आगे ले जाया जाता है। जब भी निवेश उतार-चढ़ाव आरक्षित निधि (आईएफआर) अपेक्षित मात्रा से कम हो जाती है तो निधि अधिशेष / सामान्य आरक्षित निधि में अंतरित करने से पहले व्यय की तुलना में अधिक आय का विनियोग के रूप में निवेश उतार-चढ़ाव आरक्षित निधि (आईएफआर) में जमा किया जाता है।

(iv) प्रतिभूतियों का अंतर निधि अंतरण, अंतरण की तारीख को बही मूल्य पर किया जाता है।

(v) रिपो / रिवर्स रिपो संबंधी लेनदेनों को सहमत शर्तों पर पुन: खरीद के करार के अनुसार संपार्श्विकृत उधार / ऋण परिचालन माना जाता है। रिपो के अंतर्गत बेची गई प्रतिभूतियों को निवेश के अंतर्गत दर्शाना जारी रखा जाता है और रिवर्स रिपो के अंतर्गत खरीदी गई प्रतिभूतियों को निवेश के अंतर्गत दर्शाया नहीं जाता है। जैसा भी मामला हो, लागत और राजस्व को ब्याज व्यय / आय में हिसाब में लाया जाता है।

5. अचल आस्तियाँ

(i) अचल आस्तियों को लागत में से मूल्यह्रास को कम करके दिखाया जाता है। लागत में खरीद मूल्य तथा अपने भावी प्रयोग के लिए आस्ति को अपनी कार्यकारी स्थिति में लाने के लिए कोई भी स्रोतजन्य लागत शामिल है।

(ii) (क) कंप्यूटरों, माइक्रोप्रोसेसरों, सॉफटवेयर (₹0.1 मिलियन और उस से अधिक की लागत वाले), मोटर वाहनों, फर्नीचर आदि पर मूल्यह्रास निम्नलिखित दरों पर मूल्यह्रास की सीधी रेखा पद्धति पर उपलब्ध किया गया है।

आस्ति की श्रेणी	मूल्यह्रास की दर
कंप्यूटर, माइक्रोप्रोसेसर, सॉफटवेयर आदि	33.33 %
मोटर वाहन, फर्नीचर आदि	20 %

(ख) 180 दिनों तक की अवधि के दौरान किए गए परिवर्धनों पर मूल्यह्रास संपूर्ण वर्ष के लिए उपलब्ध है अन्यथा छमाही के लिए है। वर्ष के दौरान बेची गयी / निपटायी गयी आस्तियों पर कोई मूल्यह्रास उपलब्ध नहीं है।

(iii) ₹0.1 मिलियन से कम लागतवाली स्थायी आस्तियाँ (लैपटॉप, मोबाईल फोन आदि जैसी पोर्टेबल इलैक्टॉनिक आस्तियाँ जिनकी लागत ₹10,000 से अधिक है को छोड़कर) को आस्ति अधिग्रहण करने के वर्ष में लाभ और हानि खाते में प्रभारित किया जाएगा।

6. पट्टे

पट्टे के अधीन प्राप्त की गई ऐसी आस्तियाँ जहाँ जोखिमों और स्वामित्व के लाभों का एक महत्वपूर्ण अंश पट्टेदार (लैसर) के पास है, उन्हें आपरेटिंग पट्टों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है और पट्टा किरायों को वास्तविक आधार पर लाभ और हानि लेखा में प्रभारित किया जाता है।

7. कर्मचारियों को मिलने वाले लाभ / लागत

कर्मचारियों के संबंध में व्यय जैसे कि वेतन, भत्ते, प्रतिपूरक अनुपस्थिति, भविष्य निधि और ग्रेच्युटी निधि में अंशदान रिज़र्व बैंक के साथ की गई व्यवस्था के अनुसार किया जा रहा है क्योंकि निगम का सारा स्टाफ रिज़र्व बैंक से प्रतिनियुक्ति पर है।

8. आय पर कराधान

कराधान संबंधी देयता आय कर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों तथा उसके अंतर्गत निर्धारित नियमों के अनुसार निर्धारित की जाती है। यदि आवश्यक समझते हैं तो, आस्थगित कर आस्ति

और देयता का मूल्यांकन (अनुमान), ऐसी कर दरों और कर नियमों, जिनको अधिनियमित किया जा चुका है या तुलनपत्र की तारीख तक महत्वपूर्ण अधिनियम तथा जिन्हें उपयोगी समझा गया है, के अनुसार किया जाता है।

9. आस्तियों की दुर्बलता

जब कभी परिस्थिति की माँग होती है कि किसी आस्ति की रखाव राशि (कैरीइंग एमाउंट) की वसूली नहीं हो सकती है तो दुर्बलता के प्रयोजन से नियत आस्तियों की समीक्षा की जाती है। आस्ति की रखाव राशि की वर्तमान वसूली योग्य मूल्य से तुलना करके रखी हुई और प्रयोगरत आस्तियों की मूल्य वसूली संबंधी योग्यता की माप की जाती है। यदि ऐसी आस्तियाँ दुर्बल होती हैं तो इस दुर्बलता का अनुमान वर्तमान आस्ति के वसूली योग्य मूल्य तथा उस आस्ति की रखाव राशि की तुलना में अधिक राशि की माप करके किया जाता है।

10. प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक आस्तियाँ

i) लेखा मानक 29, आकस्मिक देयताओं और आकस्मिक आस्तियों के अनुपालन में पिछली घटना के परिणामस्वरूप वर्तमान दायित्व प्रकट होने पर ही निगम प्रावधान की व्यवस्था करता है। यह संभव है कि ऐसे दायित्वों के निपटान करने और इनसे संबंधित राशि के विश्वस्त अनुमान की गणना करते समय आर्थिक लाभ वाले संसाधनों का बहिर्प्रवाह अपेक्षित हो।

ii) प्रावधान उनके वर्तमान मूल्यानुसार नहीं निकाले जाते हैं और तुलनपत्र की तारीख को दायित्वों के निपटान के लिए अपेक्षित सर्वोत्तम अनुमान के आधार पर तय किए जाते हैं।

iii) प्रतिपूर्ति की राशि प्राप्त होना वास्तविक रूप से सुनिश्चित होने पर ही निपटान हेतु अपेक्षित व्यय के लिए प्रत्याशित प्रतिपूर्ति हेतु प्रावधान का अनुमान किया जाता है।

iv) आकस्मिक आस्तियों की पहचान नहीं की गई है।

खातों के बारे में टिप्पणियाँ

1. निम्नलिखित आकस्मिक देयताओं के लिए प्रावधान नहीं किया गया :

(क) केंद्रीय उत्पाद और सेवाकर आयुक्त, बड़े आयकरदाता इकाई (एलटीयू), मुंबई ने 10 जनवरी 2013 को एक आदेश पारित किया है कि निगम द्वारा निम्नलिखित भुगतान किया जाना अपेक्षित है :-

(i) 1 मई 2006 से 31 मार्च 2011 तक और 1 अप्रैल 2011 से 30 सितंबर 2011 तक की अवधि के लिए क्रमश: ₹20,756.47 मिलियन और ₹2,831.53 मिलियन की सेवाकर की राशि

(ii) ₹20,756.47 मिलियन और ₹2,831.53 मिलियन का अर्थदण्ड

(iii) 1 मई 2006 से 15 मई 2008 तक की अवधि के लिए देय तारीख के बाद से वास्तविक भुगतान करने की तारीख तक के सेवाकर पर 2% प्रतिमाह अथवा ₹200/- प्रतिदिन (इनमें से जो अधिक हो) की दर से अर्थदण्ड, जो ₹6,500.09 मिलियन से अधिक न हो।

(iv) पंजीकरण न कराने तथा रिटर्न न भरने के लिए ₹5,000/- का अर्थदण्ड

(v) वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 75 के अंतर्गत ब्याज

निगम ने 8 अप्रैल 2013 को सीमाशुल्क उत्पाद और सेवाकर अपीलीय न्यायाधिकरण (सीईएसटीएटी) में उक्त आदेश को चुनौती देते हुए अपील दायर की है। सीईएसटीएटी ने 14 अक्तूबर 2013 के आदेश सं.एस/1408/13/सीएसटीबी/सी-1 के द्वारा वसूली रोक दी है। प्रबंधन को विश्वास है कि मामले का निर्णय निगम के पक्ष में होगा।

(ख) बड़े आयकरदाता इकाई ने 31 जनवरी 2013 को कारण बताओ और माँग नोटिस भी जारी किया है, जिसमें निगम

को यह सूचित किया गया है वे कारण बताएं कि उनसे निम्नलिखित क्यों न लिया जाए :-

(i) 6 नवंबर 2011 से 30 मार्च 2012 तक की अवधि के लिए वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 75 के अंतर्गत सेवाकर के विलंबित भुगतान के लिए ₹19,17,54,309/- की ब्याज की राशि

(ii) वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 68 के अंतर्गत सेवाकर का समय से भुगतान न करने के कारण अर्थदण्ड

(iii) अधिनियम की धारा 69 की अपेक्षानुसार समय से पंजीकरण न करने के कारण अर्थदण्ड

सेवाकर आयुक्त, बड़े आयकरदाता इकाई, मुंबई ने 11 अप्रैल 2014 के आदेश द्वारा माँग नोटिस की पुष्टि की है। आयकर सलाहकार और भारतीय रिज़र्व बैंक के विधि विभाग के परामर्श से निगम ने आदेश के विरूद्ध अपील दायर करने का निर्णय लिया है। प्रबंधन को विश्वास है कि मामले का अंतिम निर्णय निगम के पक्ष में होगा।

ग) अपर आयुक्त, केन्द्रीय उत्पाद और सेवाकर, एलटीयू, मुंबई ने निगम को 25 जून 2013 को नोटिस जारी किया है, जिसमें निगम को यह सूचित किया गया कि वे कारण बताएं कि उनसे निम्नलिखित क्यों न लिया जाए :-

i) 6 मई 2012 से 23 अगस्त 2012 तक अर्थात 110 दिनों की अवधि के लिए वित्त अधिनियम 1994 की धारा 75 के अतंर्गत सेवाकर के विलंबित भुगतान के लिए ₹12,12,383/- की ब्याज की राशि का प्रभार न लगाया जाए और निगम से वसूल न किया जाए।

ii) सेवाकर का समय से भुगतान नहीं करने पर अर्थदंड।

iii) समय से सेवाकर रिटर्न न भरने के कारण अर्थदंड।

उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस निगम द्वारा ₹2,23,49,488/- का सेवाकर देयताओं का कम अनुमान करने के कारण जारी किया गया, जिसका भुगतान 5 मई 2013 की देय तारीख के बदले 23 अगस्त 2013 को किया गया। यह भी कहा गया है कि निगम ने सेवाकर रिटर्न (एसटी 3) विलंब से फाईल किया था। निगम ने 2 अगस्त 2013 को कारण बताओ तथा माँग नोटिस का उत्तर दिया था और उसके साथ एसटी 3 रिटर्न समय पर फाईल करने का साक्ष्य भी प्रस्तुत किया था। एलटीयू के आयुक्त ने कारण बताओ पर निर्णय लिया और 11 अप्रैल 2014 के आदेश के द्वारा माँग नोटिस की पुष्टि की है। आयकर सलाहकार और भारतीय रिज़र्व बैंक के विधि विभाग के परामर्श से निगम ने आदेश के विरूद्ध अपील फाईल करने का निर्णय लिया है। प्रबंधन को विश्वास है कि मामले का अंतिम निर्णय निगम के पक्ष में होगा।

2. 31 मार्च 2014 को निगम द्वारा धारित निवेशों का बाजार जोखिम मानकीकृत अवधि पद्धति के अंतर्गत ₹16.52 बिलियन के बदले वीएआर पद्धति के अंतर्गत ₹28.95 बिलियन ऑकी गई है। मानकीकृत अवधि पद्धति और विएआर पद्धति दोनों के अंतर्गत निगम द्वारा बाजार जोखिम की उच्चतर सीमा की गणना को निगम के जोखिम प्रबंध संरचना और निवेश प्रबंध के दिशानिर्देशों के अनुरूप निवेश उतार- चढ़ाव आरक्षित निधि (आईएफआर) बनाने के लिए बेंच मार्क के रूप में लिया गया है। 31 मार्च 2014 को धारित सभी तीन निधियों के लिए समेकित निवेश उतार-चढ़ाव आरक्षित निधि ₹28.95 बिलियन (₹15.12 बिलियन) थी।

प्रकटीकरण :

अंकित मूल्य के अनुसार **(मिलियन ₹ में)**

	वर्ष के दौरान न्यूनतम बकाया	वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया	वर्ष के दौरान दैनिक औसत बकाया	31 मार्च 2014 की स्थिति के अनुसार
रिपो के अंतर्गत बेची गई प्रतिभूतियाँ				
i. सरकारी प्रतिभूतियाँ	कुछ नहीं	57.85	0.16*	कुछ नहीं
ii. निगमित ऋण प्रतिभूतियाँ	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
रिवर्स रिपो के अंतर्गत क्रय की गई प्रतिभूतियाँ				
i. सरकारी प्रतिभूतियाँ	9.47	5000	903.81	49.99
ii. निगमित ऋण प्रतिभूतियाँ	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं

*वर्ष के दौरान केवल एक लेनदेन

3. ₹11,000 मिलियन की अंकित मूल्य की प्रतिभूतियों सहित तीनों निधियों के निवेश को भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निगम को तत्काल सकल भुगतान (आरटीजीएस) के अंतर्गत इंट्रा-डे लिक्विडिटी (आईडीएल) की सुविधा प्रदान की गई है।

4. रिपो लेनदेन (भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित प्रारूप के अनुसार)

5. संबंधित पक्ष का प्रकटीकरण :

(क) प्रमुख कार्मिक प्रबंध :

(i) श्री जसबीर सिंह, कार्यपालक निदेशक, भारतीय रिज़र्व बैंक 01 अप्रैल 2013 से 31 मार्च 2014 तक निगम के कारोबार के प्रभारी थे। इसके लिए उन्होंने अपना वेतन और पारिश्रमिक भारतीय रिज़र्व बैंक से आहरित किया।

खण्ड द्वारा रिपोर्ट

6. वर्तमान में निगम बैंको / ऋण संस्थाओं के भैगोलिक स्थान पर ध्यान दिए बिना प्रमुख रूप से उन्हें एकसमान दर पर निक्षेप बीमा उपलब्ध कराने का कार्य कर रहा है। इस प्रकार प्रबंधन की राय में व्यवसाय अथवा भौगोलिक रूप से कोई भिन्न-भिन्न खण्ड नहीं है।

7. वर्ष के दौरान निदेशक मंडल द्वारा निगम की महत्वपूर्ण लेखा नीतियों की समीक्षा की गई है और इसे संशोधित किया गया है। ऐसी समीक्षा का निगम के वित्तीय परिणामों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है।

8. वर्तमान वर्ष के आँकड़ों से तुलना करने योग्य बनाने के लिए पिछले वर्ष के आँकड़ों में आवश्यकतानुसार सुधार / पुनर्वर्गीकरण / पुनर्व्यवस्थित किया गया है।

मुद्रा यूनिट पर टिप्पणी

- प्रमुख विदेशी मुद्राओं के संबंध में भारतीय ₹ (आइएनआर / ₹) की संदर्भ दर / परिवर्तन दर www.rbi.org.in पर देखी जा सकती है ।
- ₹ 1 लाख = ₹ 100,000.00 अथवा ₹ 0.10 मिलियन
- ₹ 10 लाख = ₹ 1 मिलियन
- ₹ 1 करोड़ = ₹ 10 मिलियन
- ₹ 100 करोड़ = ₹ 1 बिलियन

बीमाकृत और पूर्णतः संरक्षित खातों की संख्या
(प्रत्येक वर्ष मार्च के अंतिम दिन के अनुसार)
NUMBER OF INSURED AND FULLY PROTECTED ACCOUNTS
(AS ON LAST DAY OF MARCH EACH YEAR)

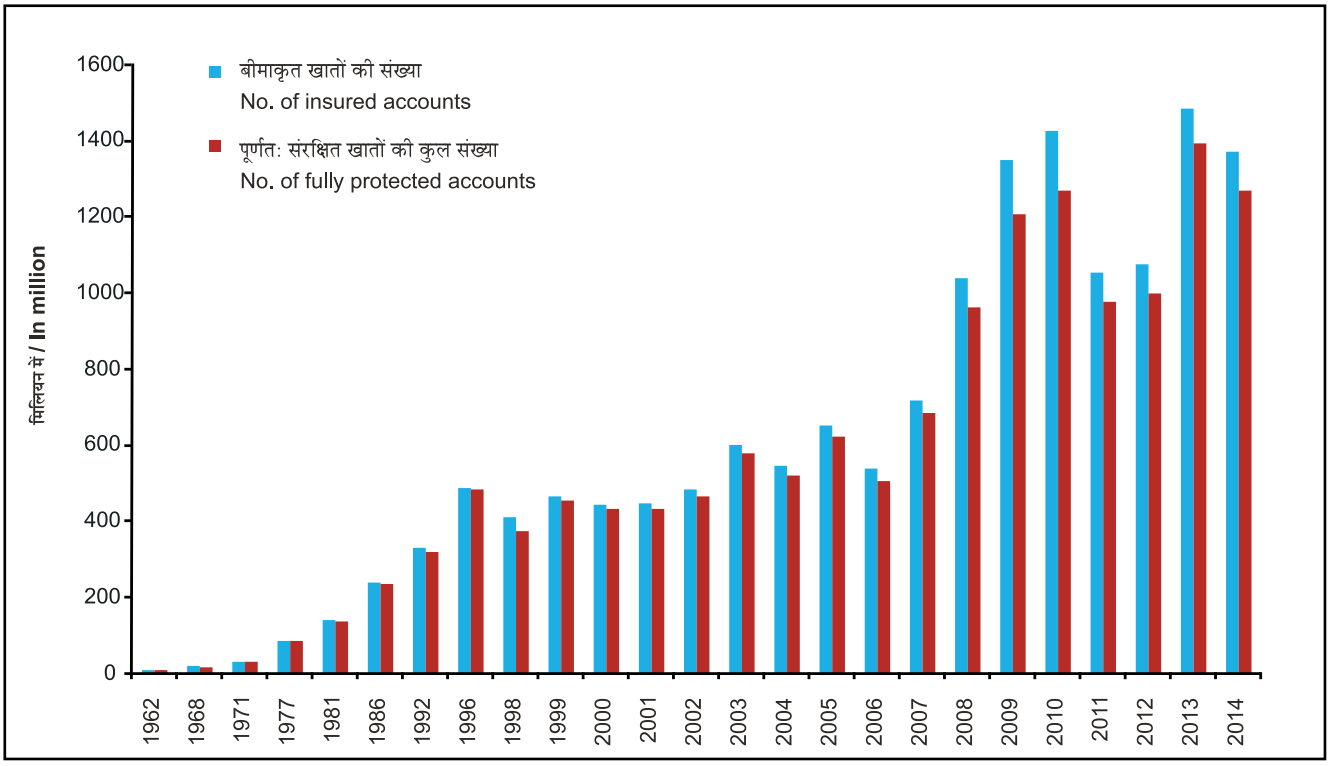

कुल निर्धारणीय और बीमाकृत जमाराशियाँ
(प्रत्येक वर्ष मार्च के अंतिम दिन के अनुसार)
AMOUNT OF ASSESSABLE AND INSURED DEPOSITS
(AS ON LAST DAY OF MARCH EACH YEAR)

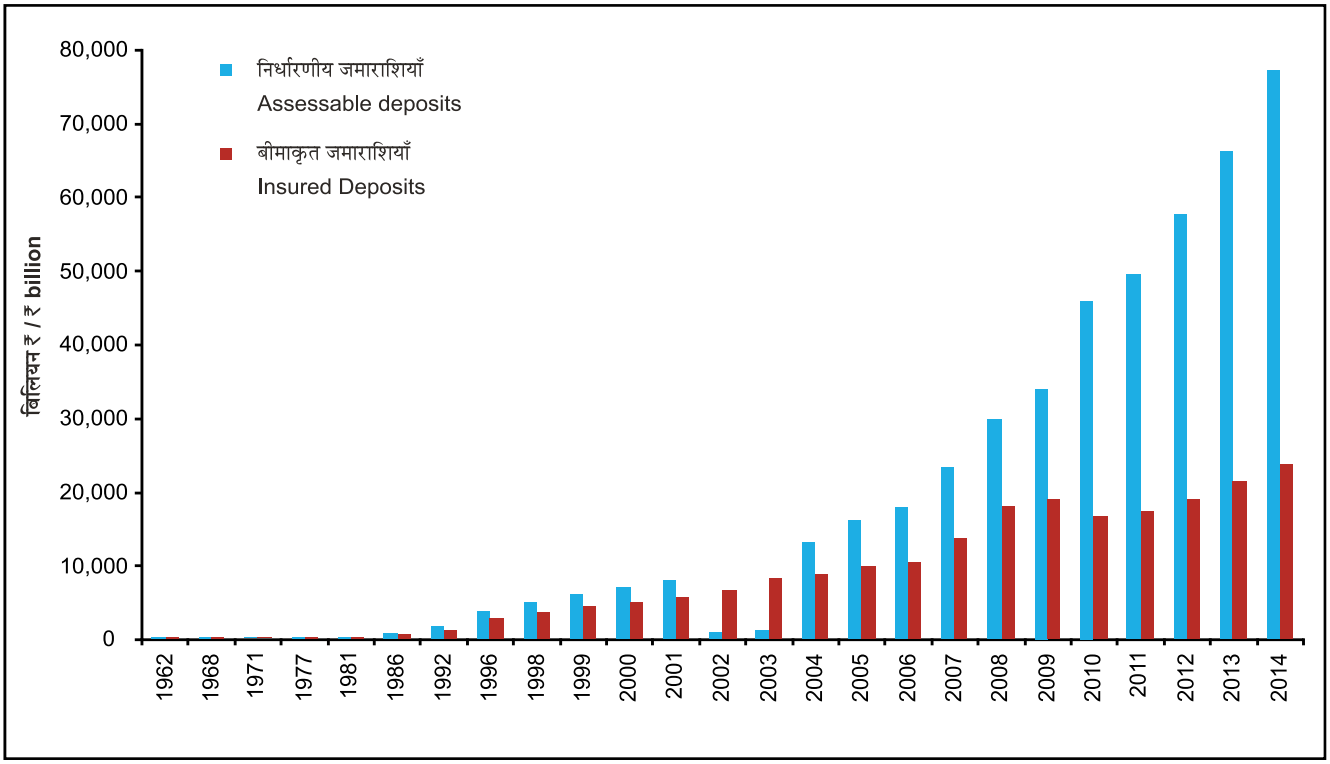

बीमाकृत बैंकों की तुलना में जमाराशि के लिए बीमा कवरेज का विस्तार

(मार्च 2014 के अंत में)

EXTENT OF INSURANCE COVERAGE TO DEPOSITS OF INSURED BANKS

(END MARCH 2014)

खातों की कुल संख्या - 1,370 मिलियन

TOTAL NUMBER OF ACCOUNTS
1,370 million

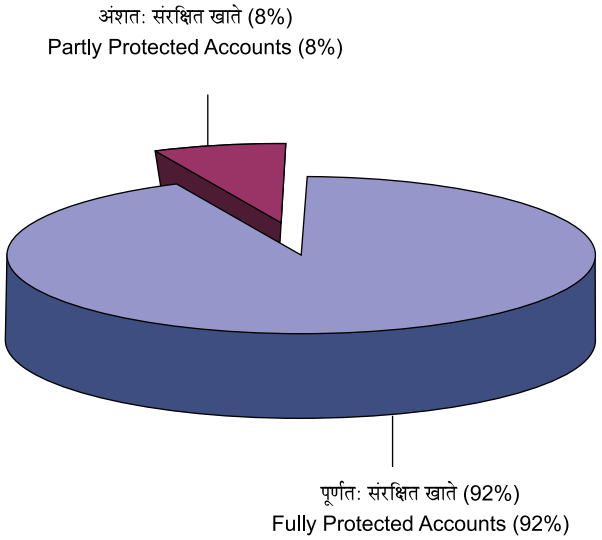

निर्धारणीय जमारशियों की कुल राशि - ₹ 76,166 बिलियन

TOTAL AMOUNT OF ASSESSABLE DEPOSITS -
₹ 76,166 billion

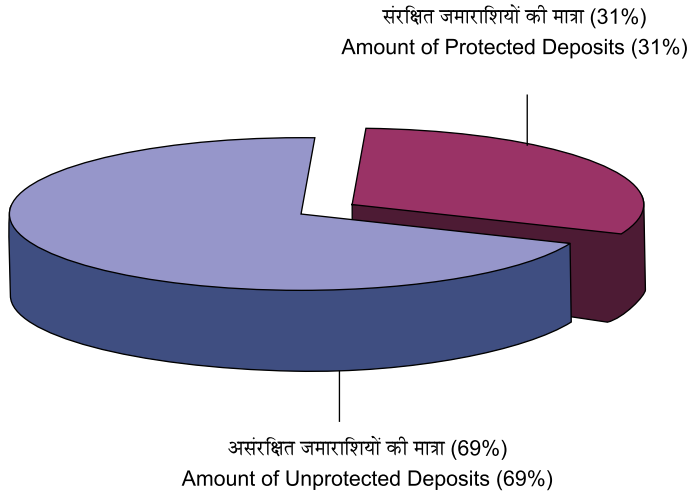

DEPOSIT INSURANCE AND CREDIT GUARANTEE CORPORATION

(Wholly owned subsidiary of the Reserve Bank of India)

52nd Annual Report of the Board of Directors

Balance Sheet and Accounts

for the year ended

31st March 2014

Mission

To contribute to financial stability by securing public confidence in the banking system through provision of deposit insurance, particularly for the benefit of the small depositors.

Vision

To be recognised as one of the most efficient and effective deposit insurance providers, responsive to the needs of its stakeholders.

Contents

		Page No.
1.	Letters of Transmittal	iv-v
2.	Board of Directors	vi
3.	Organisation Chart	vii
4.	Contact information of the Corporation	viii
5.	Principal officers of the Corporation	ix
6.	Abbreviations	x-xi
7.	Highlights	xii-xiv
8.	An Overview of DICGC	1-5
9.	Management Discussion and Analysis	6-12
10.	Directors' Report	13-23
11.	Annexes to Directors' Report	24-51
12.	Auditors' Report	53
13.	Balance Sheet and Accounts	54-67

निदेशक
Director

निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम
(भारतीय रिज़र्व बैंक की संपूर्ण स्वामित्ववाली सहयोगी)
DEPOSIT INSURANCE AND CREDIT GUARANTEE CORPORATION
(Wholly owned subsidiary of the Reserve Bank of India)

DICGC/SD/ 1526 / 01.01.016 / 2014-15 June 26, 2014

LETTER OF TRANSMITTAL
(To the Reserve Bank of India)

The Chief General Manager and Secretary
Secretary's Department
Reserve Bank of India
Central office
Central office Building
Shahid Bhagat Singh Road
Mumbai - 400 001

Dear Sir,

Balance Sheet, Accounts and Report on the Working of the Corporation for the year ended March 31, 2014

In pursuance of the provisions of Section 32(1) of the Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation Act, 1961, I am directed by the Board of Directors to forward herewith a signed copy each of :

(i) the Balance Sheet and Accounts of the Corporation for the year ended March 31, 2014 together with the Auditors' Report, and

(ii) the Report of the Board of Directors on the working of the Corporation for the year ended March 31, 2014.

2. The printed copies of the Annual Report of the Corporation will be sent to you shortly.

Yours faithfully,

Kumudini Hajra

(Kumudini Hajra)
Secretary

Encl: As above

निदेशक
Director

निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम
(भारतीय रिज़र्व बैंक की संपूर्ण स्वामित्ववाली सहयोगी)
DEPOSIT INSURANCE AND CREDIT GUARANTEE CORPORATION
(Wholly owned subsidiary of the Reserve Bank of India)

DICGC / SD / 1525 / 01.01.016 / 2014-15 June 26, 2014

LETTER OF TRANSMITTAL
(To the Government of India)

The Secretary to the Government of India
Ministry of Finance
Department of Economic Affairs
(Banking Division)
Jeevan Deep Building
Parliament Street
New Delhi - 110 001

Dear Sir,

Balance Sheet, Accounts and Report on the Working of the Corporation for the year ended March 31, 2014

In pursuance of the provisions of Section 32(1) of the Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation Act,1961, I am directed by the Board of Directors to forward herewith a signed copy each of :

(i) the Balance Sheet and Accounts of the Corporation for the year ended March 31, 2014 together with the Auditors' Report, and

(ii) the Report of the Board of Directors on the working of the Corporation for the year ended March 31, 2014.

2. Copies of the material mentioned as at (i) and (ii) above (i.e., Balance-sheets, Accounts and Report on the Working of the Corporation) have been furnished to the Reserve Bank of India. Three extra copies there of are also sent herewith.

3. We may kindly be advised of the date/s on which the above documents are placed before each House of Parliament (viz., the Lok Sabha and Rajya Sabha) under Section 32 (2) of the Act ibid. The printed copies of the Annual Report of the Corporation will be sent to you shortly.

Yours faithfully,

Kumudini Hajra
(Kumudini Hajra)
Secretary

Encl: as above

Board of Directors

CHAIRMAN

Dr. Urjit R. Patel **Deputy Governor, Reserve Bank of India**	Nominated by the Reserve Bank of India under Section 6 (1) (a) of the Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation Act, 1961. (from 18.01.2013)

DIRECTORS

Shri Jasbir Singh **Executive Director, Reserve Bank of India**	Nominated by Reserve Bank of India under Section 6 (1) (b) of the Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation Act, 1961. (from 21.09.2012)
Dr. Shashank Saksena **Director, Ministry of Finance** **Department of Financial Services** **Government of India**	Nominated by the Central Government under Section 6 (1) (c) of the Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation Act, 1961. (from 12.06.2008)
Shri B. L. Patwardhan **Adviser,** **Saraswat Co-operative Bank Ltd.**	Nominated by the Central Government under Section 6 (1) (d) of the Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation Act, 1961. (from 12.10.2011)
Shri Harsh Kumar Bhanwala **Chairman,** **National Bank for Agriculture and Rural Development**	Nominated by the Central Government under Section 6 (1) (d) of the Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation Act, 1961. (from 12.06.2014)
Shri Kamlesh Vikamsey **Chartered Accountant**	Nominated by the Central Government under Section 6 (1) (e) of the Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation Act, 1961. (from 05.09.2011)
Shri G. Sivakumar **Professor, IIT Bombay**	Nominated by the Central Government under Section 6 (1) (e) of the Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation Act, 1961. (from 20.09.2011)

ORGANISATION CHART

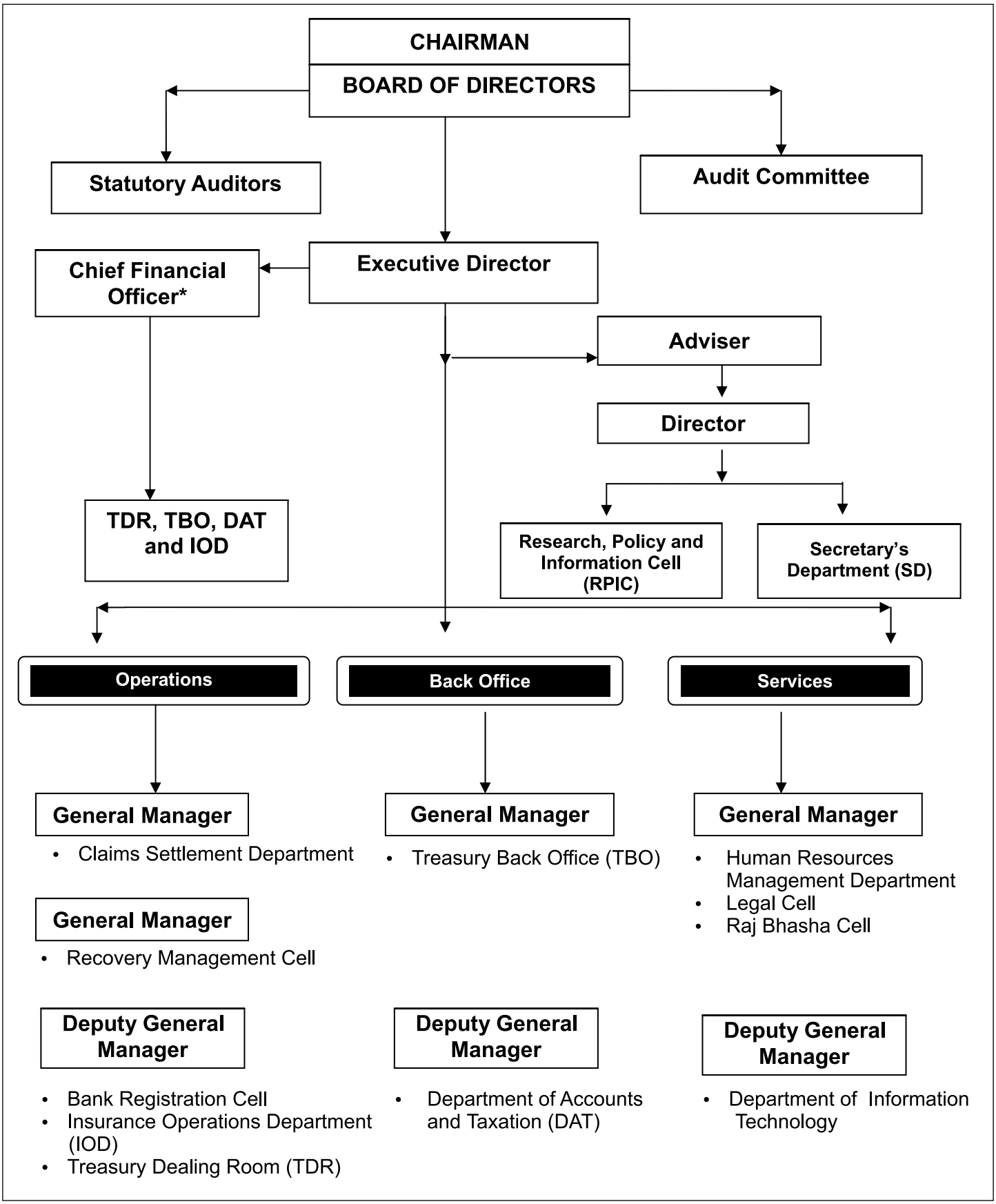

* With effect from May 30, 2014.

CONTACT INFORMATION OF THE CORPORATION

Fax No. **022 - 2301 5662**

022 - 2301 8165

Tel. Nos.

022-2308 4121	General
022-2306 2161	Premium
022-2306 2162	Claims
022-2301 9792	RTI
022-2301 9570	Customer Care Cell

HEAD OFFICE

Deposit Insurance and
Credit Guarantee Corporation

Reserve Bank of India,
2nd Floor, Opp. Mumbai Central Railway Station,
Byculla, Mumbai – 400 008.
INDIA

(i)	Executive Director	022-2301 9460
(ii)	Adviser	022-2302 1624
(iii)	Chief Financial Officer	022-2301 9603
(iv)	General Manager	022-2301 9645
(v)	Director	022-2301 9792
(vi)	General Manager	022-2301 9570
(vii)	General Manager	022-2302 1150
(viii)	Deputy General Manager	022-2302 1149
(ix)	Deputy General Manager	022-2302 1146
(x)	Deputy General Manager	022-2301 8840

Email : dicgc@rbi.org.in
Website : www.dicgc.org.in

PRINCIPAL OFFICERS OF THE CORPORATION

EXECUTIVE DIRECTOR

Shri Jasbir Singh

ADVISER

Smt. Jaya Mohanty

CHIEF FINANCIAL OFFICER

Shri Sonjoy Sethee*

GENERAL MANAGERS

Shri M. K. Samantaray
Smt. Molina Chowdhury
Shri Dwijaraj Sethi

SECRETARY & DIRECTOR

Smt. Kumudini Hajra (till June 30, 2014)
Shri M. Ramaiah (from July 1, 2014)

DEPUTY GENERAL MANAGERS

Shri M. Krupanandam
Shri V. K. Maurya
Shri D. Panmei

CENTRAL PUBLIC INFORMATION OFFICER

Smt. Kumudini Hajra (till June 30, 2014)
Shri M. Ramaiah (from July 1, 2014)

BANKERS

RESERVE BANK OF INDIA, MUMBAI

TAX CONSULTANTS

Sarda & Pareek[$]
Chartered Accountants
Mahavir Apartments
3rd Floor, 598, M. G. Road,
Near Suncity Cinema,
Vile Parle (East)
Mumbai - 400 057

AUDITORS

Sarda & Pareek
Chartered Accountants
Mahavir Apartments
3rd Floor, 598, M. G. Road,
Near Suncity Cinema,
Vile Parle (East)
Mumbai - 400 057

ACTUARIES

M/s. K. A. Pandit
Consultants & Actuaries
2nd Floor, Churchgate House,
Veer Nariman Road, Fort,
Mumbai - 400 001

* With effect from May 30, 2014
[$] With effect from April 1, 2014

ABBREVIATIONS

APRC	:	Asia Pacific Regional Committee
AS	:	Accounting Standards
BCBS	:	Basel Committee on Banking Supervision
BoE	:	Bank of England
BIP	:	Bank Insolvency Procedure
B. R. Act	:	Banking Regulation Act
BRDD	:	Bank Recovery and Resolution Directive
CA	:	Chartered Accountant
CMG	:	Crisis Management Group
CESTAT	:	Customs Excise and Service Tax Appellate Tribunal
CGCI	:	Credit Guarantee Corporation of India Ltd.
CGF	:	Credit Guarantee Fund
CGO	:	Credit Guarantee Organisation
CSAA	:	Control Self-Assessment Audit
DCCBs	:	District Central Co-operative Banks
DEAF	:	Depositor Education and Awareness Fund
DIC	:	Deposit Insurance Corporation
DICGC	:	Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation
DIF	:	Deposit Insurance Fund
D-SIBs	:	Domestic Systemically Important Banks
EFDI	:	European Forum of Deposit Insurers
EOI	:	Expression of Interest
EU	:	European Union
FDIC	:	Federal Deposit Insurance Corporation
FIMMDA	:	Fixed Income Money Market and Derivatives Association of India
FMIs	:	Financial Market Infrastructures
FRA	:	Financial Resolution Authority
FSB	:	Financial Stability Board
FSDC	:	Financial Stability and Development Council
FSLRC	:	Financial Sector Legislative Reforms Commission
GAAP	:	Generally Accepted Accounting Principles
GF	:	General Fund
GLAC	:	Gone Concern Loss Absorbing Capacity
GoI	:	Government of India
G-SIBs	:	Globally Systemically Important Banks

GSII	:	Globally Systemically Important Insurers
IADI	:	International Association of Deposit Insurers
ICAI	:	Institute of Chartered Accountants of India
IDL	:	Intra Day Liquidity
IFR	:	Investment Fluctuation Reserve
IR	:	Investment Reserve
IT	:	Information Technology
LABs	:	Local Area Banks
LTU	:	Large Taxpayer Unit
NEFT	:	National Electronic Fund Transfer
PCA	:	Prompt Corrective Action
RBI	:	Reserve Bank of India
RBIA	:	Risk Based Internal Audit
RCS	:	Registrar of Cooperative Societies
RFP	:	Request for Proposal
RR	:	Reserve Ratio
RRBs	:	Regional Rural Banks
RRP	:	Recovery and Resolution Planning
RTGS	:	Real Time Gross Settlement
SC	:	Scheduled Castes
SIFIs	:	Systemically Important Financial Institutions
SLGS	:	Small Loans Guarantee Scheme
SL-(SSI)-GS	:	Small Loans (Small Scale Industries) Guarantee Scheme
SPOE	:	Single Point of Entry
SRM	:	Single Resolution Mechanism
SRR	:	Special Resolution Regime
ST	:	Scheduled Tribes
StCBs	:	State Co-operative Banks
TAFCUB	:	Task Force on Cooperative Urban Banks
TBTF	:	Too-Big-To-Fail
UCBs	:	Urban Cooperative Banks
UK	:	United Kingdom
USA	:	United States of America
UTs	:	Union Territories

HIGHLIGHTS - I : DEPOSIT INSURANCE AT A GLANCE

(₹ in billion)

At year-end $	1962	1972	1982	1992-93	1996-97	1997-98	1998-99	1999-00	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
1 CAPITAL*	0.01	0.02	0.15	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50
2 DEPOSIT INSURANCE																						
(i) Deposit Insurance Fund**	0.01	0.25	1.54	3.12	2.99	20.22	31.07	33.10	37.06	42.50	55.14	59.08	78.18	91.03	109.79	133.62	161.55	201.52	247.04	300.93	361.20	406.18
(ii) Insured Banks (Nos.)	276	476	1683	1931	2296	2438	2583	2676	2728	2715	2629	2595	2547	2531	2392	2356	2307	2249	2217	2199	2167	2145
(iii) Assessable Deposits @	18.95	74.58	423.60	2443.75	4506.74	4923.80	6099.62	7040.68	8062.60	9687.52	12131.63	13182.68	16198.15	17909.19	23443.51	29847.99	33985.65	45879.67	49524.27	57674.00	66210.60	76166.40
(iv) Insured Deposits @	4.48	46.56	317.74	1645.27	3376.71	3705.31	4396.09	4985.58	5724.34	6740.51	8288.85	8709.40	9913.65	10529.88	13725.97	18050.81	19089.51	16823.97	17358.00	19043.00	21583.65	23791.52
(v) Total number of Accounts (in million)	7.7	34.1	159.8	354.3	435.1	410.9	464.2	441.7	446.2	481.7	600.2	544.0	649.5	537.3	716.9	1038.9	1348.9	1423.9	1051.6	1073.0	1481.75	1370.13
(vi) Number of Fully Protected Accounts (in million)	6.0	32.8	158.1	339.5	427.3	371.3	454.4	430.2	432.5	464.5	578.2	518.9	619.5	505.5	682.9	961.7	1204.0	1266.9	976.9	996.0	1393.08	1267.17
(vii) Claims paid since inception	–	0.01	0.03	1.78	1.94	1.96	2.09	2.25	2.62	6.77	8.63	10.44	14.85	20.50	25.94	27.55	29.84	36.38	40.17	43.05	45.05	46.08

* Under General Fund of the Corporation.

** Includes both actuarial fund and fund surplus.

@ Data since 2009-10 are as per new reporting format.
$ As at end March from 1992 - 93 onwards.

HIGHLIGHTS - II : CREDIT GUARANTEE AT A GLANCE

(₹ in billion)

At year-end $	1962	1972	1982	1992-93	1995-96	1996-97	1997-98	1998-99	1999-00	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
CREDIT GUARANTEE																							
(i) Credit Guarantee Fund*	–	–	0.89	9.07	17.75	29.26	6.79	7.58	11.88	11.33	12.62	13.93	15.11	2.50	3.45	3.49	3.67	3.85	2.98	3.10	3.00	3.25	3.53
(ii) Guaranteed Advances																							
a) Small Borrowers	–	2.08	48.40	263.48	172.61	39.39	32.41	2.78	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
b) Small Scale Industries	–	–	38.22	155.03	112.71	33.76	28.13	0.39	0.05	0.01	0.01	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
(iii) Claims Received (for the year)																							
a) Small Borrowers	–	–	0.25	8.83	18.41	18.42	1.84	2.18	2.19	0.22	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
b) Small Scale Industries	–	–	0.30	2.60	5.24	2.70	1.20	0.34	0.26	0.14	0.01	0.00	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(iv) Claims Disposed off (for the year)																							
a) Small Borrowers	–	–	0.15	5.66	10.31	4.03	4.01	11.88	11.95	1.71	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
b) Small Scale Industries	–	–	0.27	2.43	3.08	2.91	2.21	2.25	1.39	0.54	0.05	0.01	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

* Includes both actuarial and fund surplus.
$ As at end March from 1992 - 93 onwards..

NA : Not applicable since no credit institution is participating under the schemes.

OPERATIONAL HIGHLIGHTS - III : DEPOSIT INSURANCE

(₹ in billion)

PARTICULARS	2013-14	2012-13	2011-12	2010-11	2009-10	2008-09
REVENUE STATEMENTS						
Premium Income	73.12	57.18	56.40	48.44	41.55	34.53
Investment Income	33.90	27.68	23.53	18.01	15.13	12.89
Net Claims	(0.93)	4.20	3.57	1.71	4.07	9.09
Revenue Surplus Before Tax	91.52	86.27	60.01	61.45	37.53	39.73
Revenue Surplus After Tax	60.72	58.27	40.54	41.32	28.93	26.89
BALANCE SHEET						
Fund Balance (Actuarial)	50.68	52.65	47.68	37.74	32.75	18.17
Fund Surplus	355.49	308.55	253.25	209.30	168.77	143.39
Outstanding Liability for Claims	3.92	9.05	6.89	6.03	7.64	10.75
PERFORMANCE METRICS						
1. Average No. of days between receipt of a claim and claim settlement@	15	27	52	49	54	43
2. Average No. of days between de-registration of a bank and claim settlement (First claims)@	678	410	533	388	361	825
3. Operating Costs as percentage of total premium income	0.22	0.25	0.27	0.35	0.26	0.30
(of which: Employee cost as percentage of total premium income)	(0.12)	(0.13)	(0.14)	(0.15)	(0.14)	(0.16)

@ Actual number of average days has been arrived at by weighting the number of days with the corresponding sanctioned amount involved.

AN OVERVIEW OF DICGC

(1) INTRODUCTION

The functions of the DICGC are governed by the provisions of "The Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation Act, 1961" (DICGC Act) and "The Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation General Regulations, 1961" framed by the Reserve Bank in exercise of the powers conferred by sub-section (3) of Section 50 of the said Act. As no credit institution is participating in any of the credit guarantee schemes administered by the Corporation, presently it is not operating any of the schemes and deposit insurance remains the principal function of the Corporation.

(2) HISTORY

The concept of insuring deposits kept with banks received attention for the first time in the year 1948 after the banking crisis in Bengal. The issue came up for reconsideration in the year 1949, but was held in abeyance till the Reserve Bank set up adequate arrangements for inspection of banks. Subsequently, in the year 1950, the Rural Banking Enquiry Committee supported the concept. Serious thought to insuring deposits was, however, given by the Reserve Bank and the Central Government after the failure of the Palai Central Bank Ltd., and the Laxmi Bank Ltd., in 1960. The Deposit Insurance Corporation (DIC) Bill was introduced in Parliament on August 21, 1961. After it was passed by Parliament, the Bill got the assent of the President on December 7, 1961 and the Deposit Insurance Act, 1961 came into force on January 1, 1962.

Deposit Insurance Scheme was initially extended to all functioning commercial banks. This included the State Bank of India and its subsidiaries, other commercial banks and the branches of the foreign banks operating in India.

With the enactment of the Deposit Insurance Corporation (Amendment) Act, 1968, deposit insurance was extended to co-operative banks also and the Corporation was required to register "eligible co-operative banks" as insured banks under the provisions of Section 13 A of the DICGC Act.

The Government of India, in consultation with the Reserve Bank, introduced a credit guarantee scheme in July 1960. The Reserve Bank was entrusted with the administration of the scheme, as an agent of the Central Government, under Section 17 (11 A)(a) of the Reserve Bank of India Act, 1934 and was designated as the Credit Guarantee Organisation (CGO) for guaranteeing the advances granted by banks and other credit institutions to small scale industries. The Reserve Bank operated the scheme up to March 31, 1981.

The Reserve Bank also promoted a public limited company on January 14, 1971, named the Credit Guarantee Corporation of India Ltd. (CGCI). The credit guarantee schemes introduced by the Credit Guarantee Corporation of India Ltd., aimed at encouraging the commercial banks to cater to the credit needs of the hitherto neglected sectors, particularly the weaker sections of the society engaged in non-industrial activities, by providing guarantee cover to the loans and advances granted by the credit institutions to small and needy borrowers covered under the priority sector as defined by the RBI.

With a view to integrating the functions of deposit insurance and credit guarantee, the two organisations, viz., the DIC and the CGCI, were merged and the Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation (DICGC) came into existence on July 15, 1978. The Deposit Insurance Act, 1961 was thoroughly amended and it was renamed as 'The Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation Act, 1961'.

With effect from April 1, 1981, the Corporation extended its guarantee support to credit granted to small scale industries also, after the cancellation of

the Government of India's credit guarantee scheme. With effect from April 1, 1989, guarantee cover was extended to the entire priority sector advances.

(3) INSTITUTIONAL COVERAGE

(i) All **commercial banks** including the branches of foreign banks functioning in India, Local Area Banks (LABs) and Regional Rural Banks (RRBs) are covered under the Deposit Insurance Scheme.

(ii) All eligible **co-operative banks** as defined in Section 2(gg) of the DICGC Act are covered under the Deposit Insurance Scheme. All State, Central and Primary co-operative banks functioning in the States/Union Territories, which have amended their Co-operative Societies Act, as required under the DICGC Act, 1961, empowering Reserve Bank to order the Registrar of Co-operative Societies of the respective States/Union Territories (UTs) to wind up a co-operative bank or to supersede its committee of management and requiring the Registrar not to take any action for winding up, amalgamation or reconstruction of a co-operative bank without prior sanction in writing from the Reserve Bank, are treated as eligible co-operative banks. At present, all co-operative banks are covered under the Scheme. UTs of Lakshadweep and Dadra & Nagar Haveli do not have any co-operative Bank.

(4) REGISTRATION OF BANKS

(i) In terms of Section 11 of the DICGC Act, all new commercial banks are required to be registered by the Corporation soon after they are granted licence by the Reserve Bank under Section 22 of the Banking Regulation Act, 1949. All Regional Rural Banks are required to be registered with the Corporation within 30 days from the date of their establishment, in terms of Section 11A of the DICGC Act.

(ii) A new eligible co-operative bank is required to be registered with the Corporation soon after it is granted a licence by the Reserve Bank.

(iii) When the owned funds of a primary co-operative credit society reach the level of ₹1 lakh, it has to apply to the Reserve Bank for a licence to carry on banking business as a primary co-operative bank and is to be registered with the Corporation within 3 months from the date of its application for licence.

(iv) A co-operative bank which has come into existence after the commencement of the Deposit Insurance Corporation (Amendment) Act, 1968, as a result of the division of any other co-operative society carrying on business as a co-operative bank, or the amalgamation of two or more co-operative societies carrying on banking business at the commencement of the Banking Laws (Application to Co-operative Societies) Act, 1965 or at any time thereafter, is to be registered within three months of its making an application for licence. However, a co-operative bank will not be registered, if it has been informed by the Reserve Bank, in writing, that a licence cannot be granted to it.

In terms of Section 14 of the DICGC Act, after the Corporation registers a bank as an insured bank, it is required to send, within 30 days of such registration, intimation in writing to the bank to that effect. The letter of intimation, apart from the advice of registration and registration number, gives details of the requirements to be complied with by the bank, viz., the rate of premium payable to the Corporation, the manner in which the premium is to be paid, the returns to be furnished to the Corporation, etc.

(5) INSURANCE COVERAGE

Under the provisions of Section 16(1) of the DICGC Act, the insurance cover was originally limited to ₹1,500/- only per depositor for deposits held by him in "the same capacity and in the same right" at all the branches of a bank taken together. However, the Act also empowers the Corporation to raise this limit with the prior approval of the Central

Government. Accordingly, the insurance limit was enhanced from time to time as follows:

Effective from	Insurance Limit ₹
May 1, 1993	1,00,000
July 1, 1980	30,000
January 1, 1976	20,000
April 1, 1970	10,000
January 1, 1968	5,000

(6) TYPES OF DEPOSITS COVERED

The Corporation insures all bank deposits, such as savings, fixed, current, recurring, etc. except the (i) deposits of foreign governments; (ii) deposits of Central / State Governments; (iii) deposits of State Land Development Banks with the State co-operative banks; (iv) inter-bank deposits; (v) deposits received outside India, and (vi) deposits specifically exempted by the Corporation with the previous approval of the Reserve Bank.

(7) INSURANCE PREMIUM

The Corporation collects insurance premia from insured banks for administration of the deposit insurance system. The premia to be paid by the insured banks are computed on the basis of their assessable deposits. Insured banks pay advance insurance premia to the Corporation semi-annually within two months from the beginning of each financial half year, based on their deposits as at the end of previous half year. The premium paid by the insured banks to the Corporation is required to be borne by the banks themselves and is not passed on to the depositors. For delay in payment of premium, an insured bank is liable to pay interest at the rate of 8 per cent above the Bank Rate on the default amount from the beginning of the relevant half-year till the date of payment.

Premium Rates per deposit of ₹ 100

Date from	Premium (in ₹)
1-04-2005	0.10
1-04-2004	0.08
1-07-1993	0.05
1-10-1971	0.04
1-01-1962	0.05

(8) CANCELLATION OF REGISTRATION

Under Section 15A of the DICGC Act, the Corporation has the power to cancel the registration of an insured bank if it fails to pay the premium for three consecutive half-year periods. However, the Corporation may restore the registration if the deregistered bank makes a request, paying all the dues in default including interest, provided the bank is otherwise eligible to be registered as an insured bank.

Registration of an insured bank may be cancelled if the bank is prohibited from accepting fresh deposits; or its licence is cancelled or a licence is refused to it by the Reserve Bank; or it is wound up either voluntarily or compulsorily; or it ceases to be a banking company or a co-operative bank within the meaning of Section 36A(2) of the Banking Regulation Act, 1949; or it has transferred all its deposit liabilities to any other institution; or it is amalgamated with any other bank or a scheme of compromise or arrangement or of reconstruction has been sanctioned by a competent authority where the said scheme does not permit acceptance of fresh deposits. In the case of a co-operative bank, its registration also gets cancelled if it ceases to be an eligible co-operative bank.

In the event of the cancellation of registration of a bank, for reason other than default in payment of premium, deposits of the bank as on the date of cancellation remain covered by the insurance.

(9) SUPERVISION AND INSPECTION OF INSURED BANKS

The Corporation is empowered to have free access to the records of an insured bank and to call for copies of such records. On Corporation's request, the Reserve Bank is required to undertake/ cause the inspection/investigation of an insured bank.

(10) SETTLEMENT OF CLAIMS

(i) In the event of the winding up or liquidation of an insured bank, every depositor is entitled to

payment of an amount equal to the deposits held by him at all the branches of that bank put together in the same capacity and in the same right, standing as on the date of cancellation of registration (i.e., the date of cancellation of licence or order for winding up or liquidation) subject to set-off of his dues to the bank, if any [Section 16(1) read with 16(3) of the DICGC Act]. However, the payment to each depositor is subject to the limit of the insurance coverage fixed from time to time.

(ii) When a scheme of compromise or arrangement or re-construction or amalgamation is sanctioned for a bank by a competent authority, and the scheme does not entitle the depositors to get credit for the full amount of the deposits on the date on which the scheme comes into force, the Corporation pays the difference between the full amount of deposit and the amount actually received by the depositor under the scheme or the limit of insurance cover in force at the time, whichever is less. In these cases too, the amount payable to a depositor is determined in respect of all his deposits held in the same capacity and in the same right at all the branches of that bank put together, subject to the set-off of his dues to the bank, if any, [Section 16(2) and (3) of the DICGC Act].

(iii) Under the provisions of Section 17(1) of the DICGC Act, the liquidator of an insured bank which has been wound up or taken into liquidation, has to submit to the Corporation a list showing separately the amount of the deposit in respect of each depositor and the amount of set off, in such a manner as may be specified by the Corporation and certified to be correct by the liquidator, within three months of his assuming charge as liquidator (Typical claim settlement process in Chart I).

(iv) In the case of a bank/s under scheme of amalgamation / reconstruction, etc. sanctioned by competent authority, a similar list has to be submitted by the chief executive officer of the concerned transferee bank or insured bank, as the case may be, within three months from the date on which the scheme of amalgamation/reconstruction, etc. comes into effect [Section 18(1) of the DICGC Act].

(v) The Corporation is required to pay the amount due under the provisions of the DICGC Act in respect of the deposits of each depositor within two months from the date of receipt of such lists prepared in accordance with guidelines issued by the corporation and complete / correct in all respects. The Corporation gets the list certified by a firm of Chartered Accountants which conducts on-site verification.

(vi) The Corporation generally makes payment of the eligible claim amount to the liquidator/ chief executive officer of the transferee/ insured bank, for disbursement to the depositors. However, the amounts payable to the untraceable depositors are held back till such time as the Liquidator/Chief Executive Officer is in a position to furnish all the requisite particulars to the Corporation.

(11) RECOVERY OF SETTLED CLAIMS

In terms of Section 21(2) of the DICGC Act read with Regulation 22 of the DICGC General Regulations, the liquidator or the insured bank or the transferee bank, as the case may be, is required to repay to the Corporation out of the amounts realised from the assets of the failed bank and other amounts in hand after making provision for the expenses incurred.

(12) FUNDS, ACCOUNTS AND TAXATION

The Corporation maintains three distinct Funds, viz., (i) Deposit Insurance Fund (DIF); (ii) Credit Guarantee Fund (CGF), and (iii) General Fund (GF). The first two Funds are created by accumulating the insurance premia and guarantee fees respectively and are applied for settlement of the respective claims. The authorised capital of the Corporation is ₹500 million which is entirely subscribed to by the Reserve Bank. The General

Chart 1: Typical Process of Settlement of Claims for Co-operative Banks in India

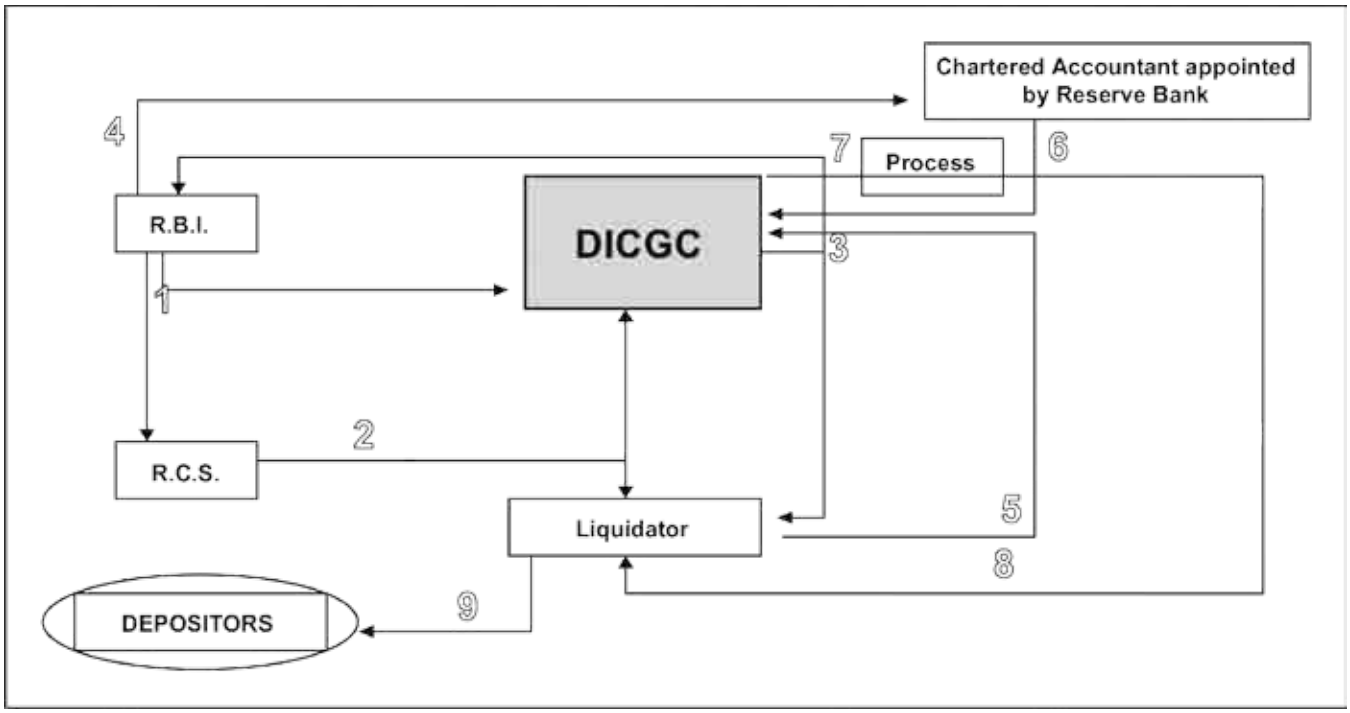

1. The Reserve Bank cancels the licence/rejects the application for licence of a bank and recommends its liquidation to the concerned Registrar of Co-operative Society (RCS) with endorsement to the DICGC.
2. The RCS appoints a Liquidator for the liquidated bank with endorsement to the DICGC.
3. The DICGC cancels the registration of the bank as an insured bank and issues guidelines for submission of the claim list by the liquidator within 3 months and requests Reserve Bank to appoint an external auditor [Chartered Accountant (C.A.)] for on-site verification of the list.
4. The Reserve Bank appoints C.A. and the DICGC conducts briefing and orientation session for C.A. to check the claim list.
5. The Liquidator submits the claim list for payment to the depositors (both hard and soft forms).
6. The external auditors (C.As.) submit their report on the aspects of the claim list.
7. The claim list is computer-processed and payment list is generated.
8. Consolidated payment is released to the Liquidator and further information sought on incomplete/doubtful claims. The release of claims is announced through the website of the Corporation.
9. The liquidator releases the payment to the depositors.

Fund is utilised for meeting the establishment and administrative expenses of the Corporation. The surplus balances in all the three Funds are invested in Central Government securities. Inter-Fund transfer is permissible under the Act.

The books of accounts of the Corporation are closed as on March 31 every year. The affairs of the Corporation are audited by an Auditor appointed by its Board of Directors with the previous approval of Reserve Bank. The audited accounts together with Auditor's report and a report on the working of the Corporation are required to be submitted to Reserve Bank within three months from the date on which its accounts are balanced and closed. Copies of these documents are also submitted to the Central Government, which are laid before each House of the Parliament. The Corporation follows mercantile system of accounting and it has been adopting the system of actuarial valuations of its liabilities from the year 1987 onwards.

The Corporation has been paying income tax since the financial year 1987-88. The Corporation is assessed to Income Tax as a 'company' as defined under the Income Tax Act, 1961. Moreover, the Corporation has obtained service tax registration and has started paying service tax on premium income accrued from October 1, 2011.

Towards Developing a Framework for Resolution for Financial Institutions

The global financial crisis, which began in 2007, revealed the weaknesses in the financial resolution process. The tools available to deal with the content of these problems were found inadequate. The regulatory authorities, even in comparatively developed financial systems, found themselves lacking in powers and tools for resolving banks and non-bank financial institutions, particularly large and complex ones having a cross-border presence. As the crisis unfolded, in order to contain the contagion effect, the authorities intervened and provided support with an unprecedented set of measures. These measures included: takeover, blanket guarantee, liquidity infusion and expanded deposit insurance. It was widely recognised that existing corporate insolvency procedures could lead to disorderly collapse of a financial institution with wider systemic implications.

Based on the lessons learnt from the financial crisis, many jurisdictions have strived to bring about improvements in their regulatory and supervisory frameworks. Towards this end, various reform initiatives, including far reaching legislative changes, have been undertaken at both national and international levels for enhancing the capabilities of authorities to address failures of systemically important financial institutions with a view to minimising spill-over impact on the real economy. The international standard setting bodies, viz., the Basel Committee on Bank Supervision (BCBS) and Financial Stability Board (FSB) have been at the forefront of such reforms by developing guidance and standards. Given the magnitude of the risks that they can pose, the focus has clearly been on developing frameworks for systemically important institutions, especially those having cross-border operations.

The "Key Attributes of Effective Resolution Regimes for Financial Institutions" released by the FSB in October 2011 have provided a point of reference for reform of national resolution regimes. The Key Attributes call for an effective "Resolution Regime" to be in place in all jurisdictions that provide the resolution authority with a broad range of powers, tools and options to resolve a variety of firms that are no longer viable. They set out the core elements that are necessary in national resolution regimes to enable and make it feasible for the authorities to resolve failing financial firms in an orderly manner without exposing taxpayers to the risk of loss. In consonance with this, protection of vital economic functions through mechanisms that make it possible for the shareholders and unsecured and uninsured creditors to absorb losses in a manner that respects the hierarchy of claims was considered equally important. The Key Attributes are being complemented by formulation of further supporting guidance for the resolution of non-bank financial institutions, including insurance companies and financial market infrastructures (FMIs).

The G20 countries and the FSB jurisdictions are expected to fully implement the Key Attributes in substance and scope, and for all segments of the financial sector that could cause systemic problems, by end-2015. The jurisdictions are also expected to adopt resolution regimes, crisis management groups (CMGs) and resolution planning, for financial market infrastructures (FMIs) that are systemically important in more than one jurisdiction by end-2015 consistent with the FSB Annexes to the Key Attributes.

FSB has been working towards developing a legal framework to bail-in shareholders and creditors of a failed financial institution. The purpose of bail-in is to enable regulatory authorities to resolve (or, in some cases, aid the recovery of) a failed financial institution without the use of government

funds. A fundamental prerequisite for bail-in is the existence of a sufficient amount of loss-absorbing debt, known as 'gone-concern loss absorbing capacity' (GLAC), which could be credibly written down or converted into common equity in order to recapitalise the institution. GLAC, when held in sufficient amounts and properly located within a financial group, could facilitate an orderly resolution by allowing the relevant resolution authority to effectively recapitalise the institution without relying on public funds. The write down or conversion of GLAC could also ensure adequate capital for the continuation of critical operations. The G-20 has tasked the Financial Stability Board and the Basel Committee on Banking Supervision with developing a global GLAC protocol by the Brisbane Summit in November 2014.

International Developments in Resolution Regimes[1]

At the international level, the work on development of credible resolution regime has focused not only on the issues of having effective national resolution frameworks, but also tackling the problems of complex group structures and cross-border crisis resolution mechanism. FSB is in various stages of development of guidance on several issues and the reform process is underway in jurisdictions. Substantial progress has been made by the FSB to address the 'too-big-to-fail' (TBTF) issue by reducing the probability of failing of systemically important financial institutions (SIFIs)[1]. It comprises requirements for assessing the systemic importance of institutions for: additional loss absorbency; increased supervisory intensity; more effective resolution mechanisms and stronger financial market infrastructure. Methodologies for assessing the global systemic importance of banks (G-SIBs) and insurers (G-SIIs) have been issued and 29 G-SIBs and nine G-SIIs have been designated. Higher loss-absorption capacity, more intensive supervision and resolution planning requirements will apply to all these institutions. A new strengthened capital regime requiring additional gone-concern loss absorption capacity for the G-SIBs has been finalised and in many cases the G-SIBs are building the extra capital ahead of schedule. Recommendations have been made for enhanced supervision and heightened supervisory expectations for risk management, risk aggregation and risk reporting and are being implemented. Guidance has been issued on resolution strategies for G-SIBs. The approaches to deal with the resolution of financial market infrastructure (FMI) and insurers, as well as the protection of client assets in resolution, are being finalised.

The standards for effective resolution of financial institutions are being implemented by several countries. Recent reforms in some jurisdictions such as Australia, Germany, Japan, Mexico, Netherlands, Spain, Switzerland, the United Kingdom and the United States indicate that substantive progress is being made in the implementation of the Key Attributes.

US enacted Dodd-Frank Act on July 21, 2010 for the resolution of SIFIs. A framework for resolution for banks and other financial institutions already existed in the US under respective regulators. While it worked well for relatively small and medium size institutions, there were problems in resolving institutions that were complex and global in nature. The resolution framework as envisaged under Dodd Frank framework makes a distinction between systemic and non-systemic institutions. The financial firms that are non-systemic are resolved as per their respective laws, while the provisions of Dodd Frank Act apply in case of systemically determined firms. The Dodd-Frank Act also provides for a framework for better coordination among authorities, domestically and internationally, in recognition of the complexity and global reach of many SIFIs. The Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) has the authority under Title II of the Dodd-Frank Act to effectively bail-in shareholders and creditors of

[1] SIFIs are institutions of such size, market importance and interconnectedness that their distress or failure would cause significant dislocation in the financial system and adverse economic consequences. The “too-big-to-fail” (TBTF) problem arises when the threatened failure of a SIFI leaves public authorities with no option but to bail it out using public funds to avoid financial instability and economic damage.

a failed financial company (for which the FDIC has been appointed receiver) through the write down of claims and the conversion of claims into equity in a newly established bridge financial company. The US regulators have promulgated rules implementing certain provisions of the Dodd-Frank Act and continue to develop rules to implement other provisions.

The FDIC has proposed "Single Point of Entry" (SPOE) strategy for resolving SIFIs in default or in danger of default under the orderly liquidation authority granted by Title II of the Dodd-Frank Act. The SPOE strategy entails the appointment of the FDIC as receiver for only the SIFI's top-level U.S. holding company, while permitting the operating subsidiaries of the failed holding company to continue their operations uninterrupted.

Significant reforms were initiated in the UK as well, with clarity in roles played by different agencies. The resolution of UK banks had relied on general corporate insolvency law in the pre-crisis period. The Bank of England (BoE) acts as the lead resolution authority for failing UK banks and building societies under the Special Resolution Regime (SRR) introduced by the Banking Act, 2009. The Banking Act establishes a permanent resolution framework built around the SRR for resolving banks. This framework includes a set of directed transfer powers (referred to as "stabilization powers" in the Banking Act) and a Bank Insolvency Procedure (BIP) for winding up insolvent banks while protecting insured depositors. The Banking Act, 2009, inter alia, sets out the trigger points for invoking the SRR, the objectives of the SRR, the various stabilisation (i.e., transfer) options under the SRR, and the tools for achieving the desired results. The Banking Act confers powers on the BoE and Her Majesty's Treasury (HMT) to effect specific stabilisation options under different scenarios and creates an obligation to consult with other authorities.

In the light of challenges faced in the European Union (EU) region owing to complex cross-borders operations of banks, the European Parliament has approved the European Commission's proposal for establishing a framework for the recovery and resolution of credit institutions and investment firms (commonly referred to as the Bank Recovery and Resolution Directive, or BRRD). In addition to the BRRD, the European Parliament also recently approved the Single Resolution Mechanism (SRM), which applies to all Euro area member states, along with those non-Euro area member states who choose to opt for it. The SRM would work in conjunction with the BRRD to provide a unified system for the resolution of banking institutions within the Euro zone.

BRRD is designed to provide adequate tools at European Union level to deal with unsound or failing credit institutions effectively. It aims to ensure a bank or an institution that can be resolved speedily with minimal risk to financial stability. The Directive preserves systemically important functions when a bank fails, and the shareholders and creditors, rather than taxpayers would bear the losses. Lack of a harmonised regime would tantamount to different insolvency procedures of banks to individual member states within the European Union. This could lead to a lack of co-operation between national supervisory authorities when dealing with a failing cross-border banking group. The Directive, therefore, proposes a minimum harmonisation regime for the resolution of banks in the EU. The rules would apply to both credit institutions (i.e., banks) and larger investment firms which are subject to Capital Requirements. The Directive establishes a regime relating to the recovery, resolution and orderly dissolution of failing institutions. It requires EU member states to appoint one or more public administrative authorities as resolution authorities. These could be central banks, financial supervisors, deposit insurance agency or special authorities. However, if a resolution authority is established within a supervisory institution, then the functional separation of two activities is suggested in order to minimise the risk of supervisory forbearance. The proposed implementation date for the draft Directive is January 1, 2015, except for the bail-in tool, which may not be applied by a resolution authority until January 1, 2018.

Developments in Resolution Framework in India[2]

At present, India does not have a special resolution regime or comprehensive policy or law on bankruptcy exclusively for the financial institutions as a whole. However, there are some provisions contained in various Acts which empower the respective regulator/supervisor and/or the central government to resolve different types of problems of financial institutions in India. These provisions are contained in –

- Banking Regulation Act, 1949 and Companies Law for banking companies (private sector banks, foreign banks and Local Area Banks);
- State Bank of India Act, 1955, Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970/1980, SBI (Subsidiary Banks) Act, 1959 and Banking Regulation (BR) Act, 1949 for public sector banks including State Bank of India and its subsidiaries;
- Banking Regulation Act (As Applicable to Co-operative Societies), 1966, the Multi-State Co-operative Societies Act, 2002 and respective State Co-operative Societies Acts for co-operative banks (State Co-operative Banks, District Central Co-operative Banks and Primary Co-operative Banks);
- Regional Rural Banks Act, 1976 and Banking Regulation Act, 1949 for Regional Rural Banks;
- Insurance Act, 1938 , Insurance Rules, 1939, Insurance Regulatory and Development Authority Act, 1999 and the regulations framed thereunder for insurance companies;
- The Securities Contracts (Regulation) Act, 1956, the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 and Stock Exchanges and Clearing Corporations Regulations, 2012 for Securities companies/brokers and stock exchanges;
- The Reserve Bank of India Act, 1934 and Companies Law for Non-Banking Financial Companies; and
- Pension Fund Regulatory and Development Authority Act, 2013 for pension companies.

Although there are some provisions contained in various Acts (as given above) which empower the respective regulator/supervisor and/or the central government to resolve different types of problems of financial institutions, India does not have a special resolution regime or comprehensive policy or law on bankruptcy exclusively for the financial institutions as a whole. The powers are inadequate for certain categories of institutions like FMIs. Further, as envisaged by the Key Attributes, there is no dedicated resolution authority responsible for overseeing and implementation of resolution for financial institutions as a whole.

In order to examine and assess the current gaps, *vis-à-vis* the FSB "key attributes", in the Indian resolution regime/framework for the entire financial sector as a whole and to recommend the nature and extent of the legislative changes needed to address such gaps as also the required steps with anticipated timelines to be taken going forward, the sub-Committee of the Financial Stability Development Council (FSDC), decided to set up a Working Group. Accordingly, Reserve Bank of India constituted a High Level Working Group in January 2013 (Shri Anand Sinha: Chairperson and Dr. Arvind Mayaram: Co-Chairperson). The working group submitted its report in January 2014 and the report was released for public consultation in May 2014.

The Group took into account the fact that there exists some provisions in the Acts governing the respective financial institutions, that enable the respective regulator/supervisor and/or the central government to resolve various types of financial institutions which may face viability problems. However, there does not exist a comprehensive resolution framework and there are considerable gaps towards achieving an effective resolution regime for all financial institutions in line with the Key

[2] This Section draws heavily from the "Report of the Working Group on Resolution Regime for Financial Institutions", Reserve Bank of India, January 2014.

Attributes. The Group has made comprehensive recommendations taking into account the international best practices and work in advanced jurisdictions besides the recommendations of the Financial Sector Legislative Reforms Commission (FSLRC).

The major recommendations of the Group are presented below.

Comprehensive legal framework

With a view to further strengthening the existing financial safety net framework and bridging the gaps in the resolution framework *vis-à-vis* the Key Attributes, there should be a policy framework supported by law to deal with the failure of financial institutions and financial market infrastructures (FMIs) that are nearing non-viability in a manner that avoids disruption to the supply of critical financial services. The resolution of financial institutions and FMIs should be supported by a separate comprehensive legal framework.

Objectives of resolution framework

The resolution framework in India should be guided by certain objectives viz., to initiate resolution action in a timely and speedy manner to avoid erosion of value and minimise the costs of resolution; protect and maintain stability of the financial system and public confidence in Indian financial system; protect depositors, insurance policyholders, and client funds/assets, through protection schemes and other arrangements, within reasonable limits; avoid use of taxpayers' money and ensure imposition of losses to shareholders and unsecured creditors in a manner that respects hierarchy of claims.

Scope of resolution framework

The scope of the financial resolution framework in India should cover all financial institutions – including commercial banks (public sector banks, private sector banks, and foreign banks having branches/subsidiaries in India), co-operative banks, regional rural banks; non-banking financial companies, firms/companies in insurance, pension, securities and commodities markets; and FMIs including payment systems, securities settlement systems, central counterparties, securities depositories, etc. other than those owned and operated by the Reserve Bank of India, viz. real time gross settlement system and securities settlement systems. The scope of the proposed financial resolution framework should also cover the parent undertaking or the holding company regulated by the financial sector regulator, of the financial groups.

Role and constitution of resolution authority

A single Financial Resolution Authority (FRA) should be established for resolving all financial institutions and FMIs, which should be institutionally independent of the regulators/ supervisors and the Government. The FRA should be the sole authority responsible for operation and implementation of the financial resolution framework. The mandate of FRA will be to resolve failed financial institutions along with providing deposit insurance and protection to insurance policy holders and investors/clients within limits. FRA can be set by either transforming the present DICGC into FRA or by setting up a new authority namely FRA that will subsume DICGC.

Triggers of early intervention and PCA framework

In order to ensure that regulators/supervisors can intervene at a sufficiently early stage with clear trigger levels to prevent the institution from reaching situation of non-viability, each financial sector regulator/supervisor may formulate a prompt corrective action (PCA) framework for the institutions under their regulatory jurisdiction. When an institution reaches the final stage and is not able to demonstrate or take corrective action within a given tight timeline, it should be passed on to the FRA.

Resolution tools

For carrying out orderly resolution of failing financial institutions and FMIs without taxpayers' support, the FRA should have a variety of resolution tools mandated by the proposed statute, which can

be used flexibly, either singly or in combination with others, to resolve a financial institution and preserve its critical functions. The bail-in mechanism may also be adopted as a resolution tool in case of global systemically important banks (G-SIBs)/ domestic systemically important banks (D-SIBs). Government of India (Ministry of Finance) may, on recommendation by FSDC, be empowered to place a financial institution under Temporary Public Ownership (TPO) and control on financial stability considerations and only if such action is necessary to protect public interest.

Resolution fund

A resolution fund may be set up that would be different from deposit insurance fund and other protection funds. The Fund would be built over time through *ex ante* premiums determined on risk-based assessments. To ensure adequate liquidity in stress situations, temporary funding support from the Government may be provided and the FRA may raise funds from the market through issue of bonds.

Reforms in deposit insurance framework

In view of the linkage between resolution of institutions and deposit insurance, alongside setting up of resolution authority the reforms in deposit insurance may be taken up to bring the system on the lines expected by international benchmarks, viz., Core Principles for Deposit Insurance Systems. Illustratively, the areas where reforms in deposit insurance in India are important to improve its effectiveness are - reduction in timeframe for reimbursing depositors, collection of depositor information in a 'single customer view' format, manner of sharing of recoveries, exemption of premium from taxation, review of instruments permissible for investment, back-up funding to support shortfalls in deposit insurance fund and technologically advanced data systems and payment methods.

Recovery and resolution planning (RRP)

RRPs, to start with, will initially apply to those financial institutions that could be systemically significant or critical if they fail and to all financial groups/conglomerates, whether they are systemically important or not. RRPs could be extended to other financial institutions in a phased manner. The recovery plan will be prepared on a regular basis by the institutions as per a pre-approved format and will be approved by the respective regulator. The resolution plan containing resolution strategy to be adopted for resolving the institution will be prepared by the institution and approved by the FRA in consultation with the concerned regulator.

Improving resolvability

With a view to reducing the impediments to resolution posed by complex financial institutions, the financial groups and the regulatory authorities should work together in reducing complexity in group structures, and ensure prudent, intra-group transactions and exposures. The regulatory/ supervisory authorities should be enabled to have powers for taking measures, such as restructuring the financial institution's business practices and structure, for improving the resolvability of SIFIs. To improve resolvability of financial conglomerates, the financial holding company structure may be introduced for Indian financial system.

Development and management of database

An integrated financial database management centre may be set up, which would function as a centralised database wherein all financial institutions and FMIs will submit regular financial information electronically. The supervisory agencies and FRA should have access to the integrated financial database in respect of the data that they are authorised to collect from the regulated financial institutions.

Rules for set-off and netting and temporary stay on contracts/claims

The proposed financial resolution framework or the existing statutes governing the financial institutions and FMIs should explicitly provide for rules, laws and practices governing enforceability of contractual set-off, close-out netting and collateral

arrangements, and segregation of client assets. In order to allow time to FRA to decide a resolution action, the FRA should have clearly defined legal powers to impose a brief stay on the exercise of early termination and netting rights only in situation of entry of a firm into resolution. In order to contain the adverse impact on market of such a stay, the stay should generally be limited to two days (48 hours), which however could be extendable by a maximum of another three days after specifying the reasons in writing by the FRA. The FRA should not be allowed to transfer those assets that have a claim of secured creditors. This would mean that the secured creditors' claims cannot be separated from the assets securing the liabilities in a partial property transfer.

Hierarchy of creditors and depositor preference

With a view to fair distribution of recoveries from the assets of a failed institution, hierarchy of claims established should be respected. The FRA may be provided flexibility to depart from the general principle of equal treatment of creditors of the same class, only in exceptional circumstances and by giving sufficient reasons.

As the ultimate objective of regulation and supervision in India is to protect the interests of depositors, insurance policy holders and investors, the proposed statute for financial resolution framework should explicitly provide for preference to be given to depositors, insurance policy holders and investors over other unsecured creditors in resolution of failed financial institutions. Equal treatment may be provided to uninsured depositors of banks and claims of DICGC on account of payments made to insured depositors. This would require that the claims of DICGC rank pari-passu with other uninsured depositors in sharing the distribution of proceeds of liquidated assets of a failed bank.

Cross-border co-operation and information sharing

In view of the growing global operations of Indian banks, the proposed legislation for resolution regime for financial institutions should enable the FRA to achieve cooperative solution with foreign resolution authorities. The resolution framework in India should enable the FRA to share non-public information of Indian financial institutions with foreign home/host resolution authorities on reciprocal basis and subject to confidentiality requirements and protection for sensitivity. The supervisory colleges could be used as an information sharing platform for crisis resolution also. However, this needs to be taken up with the relevant authorities and the parties to the supervisory colleges.

Summing up

The implementation of recommendations of the Working Group would entail comprehensive reforms in the legal framework governing resolution of all types of financial institutions. The FSLRC had also recommended setting up of a resolution corporation and drafted a law for the purpose. With the Working Group and FSLRC Report and the guidance developed by international standard setting bodies, there is sufficient work to guide the reform of resolution framework in India. While the guidance on resolution regime is generally more developed for banks, it is progressively less for insurers, securities or investment firms and FMIs. In addition, the cross-border issues are still evolving and being addressed. The legal framework that will evolve will therefore progressively need to take into account the developments in regulatory landscape for these institutions.

REPORT OF THE BOARD OF DIRECTORS ON THE WORKING OF THE DEPOSIT INSURANCE AND CREDIT GUARANTEE CORPORATION FOR THE YEAR ENDED 31st MARCH, 2014

(Submitted in terms of section 32(1) of the Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation Act, 1961)

PART I: OPERATIONS AND WORKING

1.1 REGISTRATION / DE-REGISTRATION OF INSURED BANKS

The number of registered insured banks as on March 31, 2014 stood at 2,145 comprising 89 commercial banks, 58 regional rural banks (RRBs), 4 local area banks (LABs) and 1,994 co-operative banks. Year-wise particulars showing the number of registered banks since inception of the deposit insurance scheme in 1962 are furnished in ***Annex I*** and category-wise and state-wise particulars of co-operative banks are given in ***Annex II***. During the year 2013-14, 6 RRBs and one commercial bank were registered as insured banks and 13 RRBs and 16 co-operative banks were deregistered, the details of which are furnished in ***Annex III***.

1.2 EXTENSION OF DEPOSIT INSURANCE SCHEME

At present, the deposit insurance provided by the Corporation covers all commercial banks, including LABs and RRBs and co-operative banks in all the States and Union Territories (UTs). However, UTs of Lakshadweep and Dadra Nagar Haveli do not have any co-operative bank.

1.3 INSURED DEPOSITS

The number of accounts and the amount of deposits insured by Corporation as also the extent of protection accorded to depositors at the end of 2012-13 and 2013-14 are furnished in Table 1.

The extent of protection accorded to depositors since the introduction of deposit insurance and bank group-wise break-up for last three years are furnished in ***Annex IV*** and ***V***, respectively. Extent of protection accorded to the depositors over the years is shown in Chart 1. The current level of insurance cover at ₹1,00,000 works out to 1.3 times per capita income during 2013-14.

1.4 DEPOSIT INURANCE PREMIUM

1.4.1 The Bank category wise break up of premium (including interest on overdue premium) collected from insured banks during 2012-13 and 2013-14 is

Table 1: Insured Deposits*

Particulars		As at the end of	
		2013-14	2012-13
1	Total No. of Accounts (in million)	1,370.13	1,481.75
2	Fully Protected Accounts (in million)	1,267.17	1,393.08
3	Percentage of 2 to 1	92.4	94.0
4	Assessable Deposits (₹ in billion)	76,166.40	66,210.60
5	Insured Deposits (₹ in billion)	23,791.52	21,583.65
6	Percentage of 5 to 4	31.2	32.6

*Based on returns as on last working day of September of the previous year.

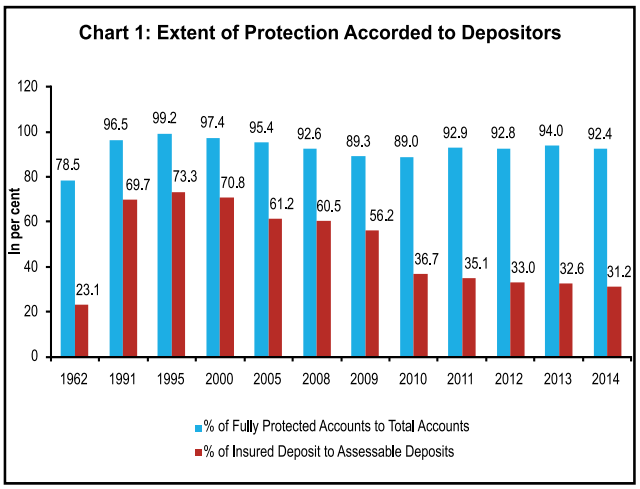

presented in Table 2. Premium received (excluding service tax) from banks increased by 27.9 per cent during the year.

Table 2: Premium Received

(₹ million)

Year	Commercial Banks including LABs & RRBs	Co-operative Banks	Total
2013-14	68,025	5,103	73,128
2012-13	53,019	4,163	57,182

1.4.2 PENAL INTEREST ON DELAYED PREMIUM

In terms of Section 15(3) of DICGC Act, 1961, if an insured bank makes any default in payment of any amount of premium, it shall for the period of such default, be liable to pay to the Corporation interest on such amount at such rate not exceeding eight per cent over and above the Bank Rate, as may be prescribed. Further, in terms of Section 20 of the DICGC General Regulations, 1961, the rate of interest on an amount of delayed premium is fixed at 8 per cent above the Bank Rate. During the year 2013-14, the Bank Rate was revised six times. Accordingly, the penal rate of interest was also revised six times during the year under review. The movement of Bank rate and penal rate of interest during the period under review is furnished in Table 3.

Table 3: Movement in the Bank Rate and Penal Rate of Interest

From	To	Bank Rate (%)	Penal Interest Rate (%)
01.04.2013	02.05.2013	8.50	16.50
03.05.2013	14.07.2013	8.25	16.25
15.07.2013	19.09.2013	10.25	18.25
20.09.2013	06.10.2013	9.50	17.50
07.10.2013	28.10.2013	9.00	17.00
29.10.2013	27.01.2014	8.75	16.75
28.01.2014	31.03.2014	9.00	17.00

1.5 DEPOSIT INSURANCE FUND

The Deposit Insurance Fund (DIF) is sourced out of the premium paid by the insured banks and the investment income received from (and reinvested in) the Central Government securities. There is also an inflow of small amounts into this fund out of the recoveries made by the liquidators/administrators/ transferee banks. Thus, the Corporation builds up its DIF through transfer of excess of income over expenditure each year after payment of income tax. This fund is used for settlement of claims of depositors of banks taken into liquidation/ reconstruction/amalgamation, etc. The size of DIF stood at ₹406,179 million including surplus of ₹50,683 million as on March 31, 2014 (up from ₹361,203 million as on March 31, 2013) implying a Reserve Ratio (ratio of Deposit Insurance Fund to Insured Deposits) of 1.7 per cent. Trend in reserve ratio since 2000-01 is furnished in Chart 2.

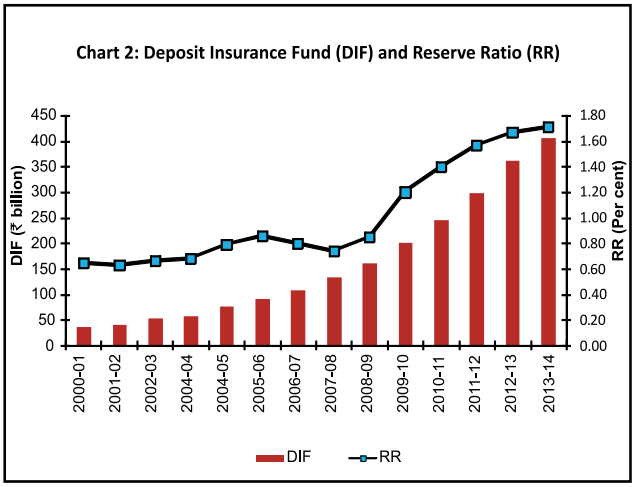

1.6 SETTLEMENT OF DEPOSIT INSURANCE CLAIMS

During the year 2013-14, the Corporation settled aggregate claims for ₹1,031 million in respect of 51 co-operative banks (7 main claims and 98 supplementary claims) as detailed in ***Annex VI***. There was no claim from commercial banks.

State-wise number of failed banks along with the amount of claims settled for the year 2013-14 is furnished in Chart 3. Majority of the claims were from banks in Gujarat and Maharashtra.

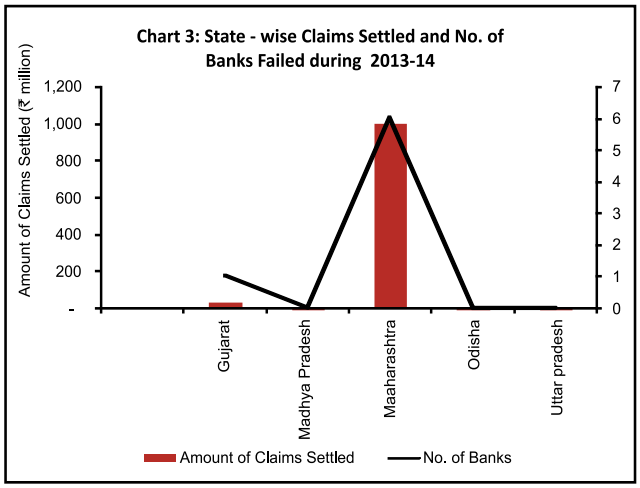

A provision of ₹ 8,076 million was held to wards estimated claim liability in respect of depositors of 202 banks which are under amalgamation/ liquidation and whose licence/application for licence to carry on banking business has been cancelled/ rejected by Reserve Bank of India.

During the year 2013-14, the Corporation continued to make efforts to settle claims that were pending for a long time, although the process was slow on account of legacy issues. The total number of pending claims as on March 31, 2014 (where the banks have been de-registered but the claim lists have not been submitted to the Corporation) stands at 25 as on March 31, 2014, although same as that as on March 31, 2013 there is a compositional shift in terms of period-wise break-up (Table-4). During the year, the Corporation reversed the provision in respect of Hyderabad Co-operative Urban Bank Ltd. (de-registered in March 2006), which has been converted into a credit society. The age-wise break-up of banks under liquidation where the liquidators are yet to submit the claim lists to the Corporation is given in Table 4.

The average period for settlement of claims decreased considerably from 27 days during 2012-13 to 15 days during 2013-14 (Table 5).

Table 5: Average Period for Settlement of Claims

Financial Year	Average Number of Days for Claim Settlement
2013-14	15
2012-13	27
2011-12	52
2010-11	49
2009-10	54

1.7 CLAIMS SETTLED / REPAYMENTS RECEIVED (CUMULATIVE POSITION)

Up to March 31, 2014, a cumulative amount of ₹2,959 million was paid and provided towards claims in respect of 27 commercial banks since the inception of deposit insurance (Chart 4). Cumulative repayment received in case of commercial banks from the liquidators/transferee banks aggregated ₹1,485 million (including ₹9 million received during 2013-14).

Table 4 : Position of Period-wise Break-up of Pending Claims

Pending Claims	Period-wise break-up				
	More than 10 years	5-10 years	1-5 years	Less than 1 year	Total number of Claims
As on March 2014	8	3	7	7	25
As on March 2013	7	5	9	4	25

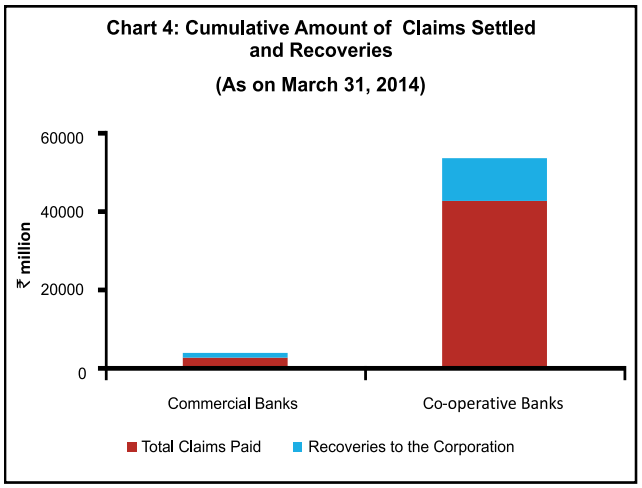

The cumulative amount of claims paid/ provided for in respect of 323 co-operative banks since inception amounted to ₹43,117 million (including ₹1,031 million paid during the year 2013-14). In the case of co-operative banks, cumulative repayments received from the liquidators/ transferee banks aggregated ₹10,633 million (including ₹ 2,230 million received during the year 2013-14). The particulars of banks in respect of which claims have been paid/provided for and repayments received/written off till March 31, 2014 are furnished in ***Annex VII***.

The details of banks for which provision for settlement of claims as on March 31, 2014 has been made are presented in ***Annex VIII***. Number of liquidated banks along with the amount of claims settled from 1999 onwards is shown in Chart 5.

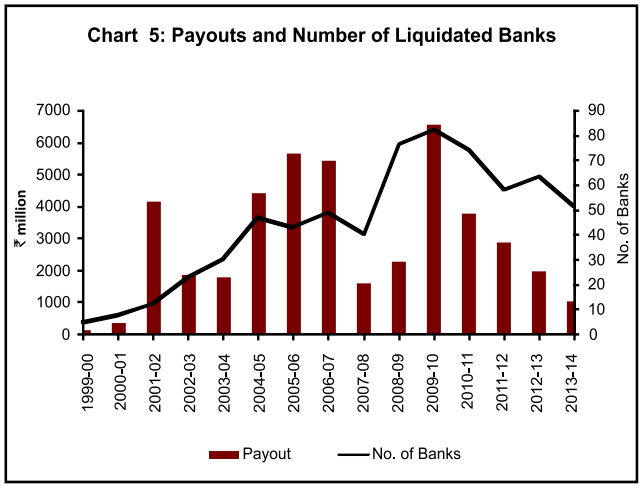

1.8 COURT CASES

As on March 31, 2014, the number of court cases relating to deposit insurance activity of the Corporation, pending in various courts stood at 196 as against 193 cases as on March 31, 2013. Out of 196 cases, 32 were filed by the Corporation and 164 were filed against the Corporation. Court-wise break-up of cases is given in Table 6 and depicted in Chart 6.

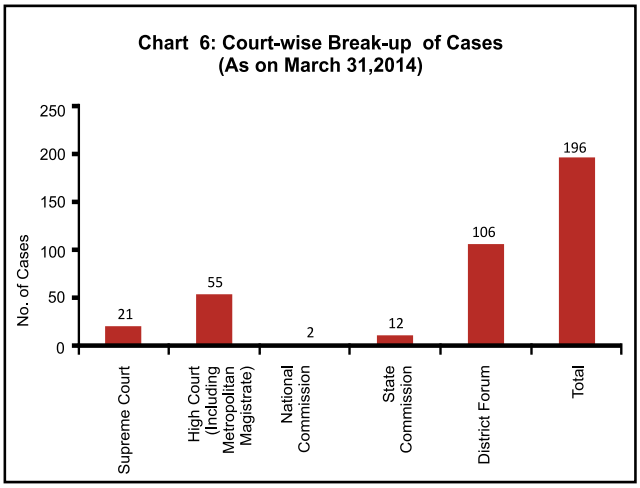

There has been substantial increase in the number of court cases since the year 2002-03. The number of such cases has gone up from 66 as on March 31, 2003 to 196 as on March 31, 2014 (Table 6). This has been on account of a large number of banks being placed under liquidation or directions under Section 35A of the Banking Regulation Act, 1949 by Reserve Bank of India, resulting in restrictions on withdrawal of deposits. Aggrieved by non-payment of deposits, depositors approach Consumer Courts and implead the Corporation as one of the respondents. Sometimes, such cases have been filed before liquidation of the banks or submission of claim list by the liquidators in which the Corporation is not liable to pay any amount to the depositors. The issues raised in the cases mainly relate to demand for payment of amounts in excess of maximum permissible limit or those inadmissible under DICGC Act, 1961, dispute over Corporation's preferential right of repayment in terms of Section 21 of DICGC Act, 1961 read with Regulation 22 of DICGC General Regulations, 1961, payment of claims when a bank is placed under directions, etc.

Table 6: Number of Court-Cases

As at end- March	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006	2005	2004	2003
No. of Cases	196	193	188	201	174	122	124	128	126	126	89	66

1.9 CREDIT GUARANTEE SCHEMES

As on March 31, 2014, no credit institution was participating in any of the Credit Guarantee Schemes of the Corporation and no claim was received during the year 2013-14. Subsequent to 2003-04, no guarantee fees on guarantee claims have been received and no claims have been paid ***(Annex IX)***.

By virtue of Corporation's subrogation rights, recoveries received under the Small Loans Guarantee Scheme, 1971 (SLGS 1971) during 2013-14 aggregated ₹0.6 million as against ₹0.9 million received during the previous year. The recoveries under the Small Loans (SSI) Guarantee Scheme, 1981 (SL (SSI) GS-1981) aggregated ₹1.5 million as against ₹0.8 million received during the previous year.

PART II: RECENT INITIATIVES/ DEVELOPMENTS

2.1 MEETINGS WITH THE REGISTRAR OF COOPERATIVE SOCIETIES OF STATE GOVERNMENT AND WORKSHOP FOR LIQUIDATORS

During the year under review, one high level meeting was arranged between the Executive Director of the Corporation and Registrar of Cooperative Societies, Government of Maharashtra which covers 92 liquidated urban co-operative banks where the Corporation had settled the claims of depositors. During this meeting, important issues such as non-refund of undisbursed amount, non-submission/delayed submission of statements/ returns to the Corporation, slow progress in liquidation process and non-repayment of Corporation's share in recoveries by the liquidated urban co-operative banks were discussed.

Workshops were organised for liquidators of failed banks in three centers, viz., Pune, Nagpur and Bhopal to sensitise them regarding the importance of timely submission of returns/statements to enable the Corporation to monitor the liquidation process. Liquidators were also impressed upon for refund of the undisbursed amount within stipulated time schedule and timely repayment of dues of the Corporation out of recoveries made by them during liquidation process. As a result of these initiatives, the Corporation recovered an amount of ₹1,402 million during the year 2013-14. The Corporation is planning to organize similar meetings and workshops in other centers viz., Ahmedabad, Hyderabad and Bengaluru to sustain the recovery efforts.

2.2 IT-INITIATIVE FOR INTEGRATED ACCOUNTING SOFTWARE SOLUTION PROJECT

The existing IT applications in use in the Corporation are not fully integrated. In order to upgrade the software and hardware based infrastructure, the Corporation's Board had directed to source Integrated Application Software System. Accordingly requisite steps were initiated during the year. The IT Committee of the Board decided to engage a consultant for BPR study, suggesting a optimal system for the Corporation, and selection of a system integrator and also supervise end-to-end complete roll out of the system. On completion of selection process of the consultant, the Corporation has signed the agreement with Ernst & Young LLP in accordance with the parameters/terms and conditions laid down in Expression of Interest (EOI) and Request for Proposal (RFP) issued for IASS. The Consultant has commenced work and also shared with the Heads of Department, amongst other things, the strategy for immediate and medium term milestones/deliverables. At the direction of Board Level IT Committee a co-ordination committee

has been constituted and a nodal Officer has been designated for the purpose of liaising and following up in all fronts of IASS. As per the time lines set out, it is expected that the IASS would be rolled out in a span of 15 to 18 months starting May 2014.

2.3 EXEMPTION OF DEPOSITS TRANSFERRED TO DEPOSITOR EDUCATION AND AWARENESS FUND

Pursuant to the enactment of the Banking Laws (Amendment) Act, 2012, Section 26A has been inserted in the Banking Regulation Act, 1949 which inter alia, empowers the Reserve Bank of India to establish Depositor Education and Awareness Fund (DEAF). Reserve Bank of India have accordingly finalised the "Depositor Education and Awareness Fund Scheme, 2014" which has been notified in the official Gazette of Ministry of Finance, Government of India on May 24, 2014. In terms of 2(g) of the DICGC Act, 1961, "deposit" means the aggregate of the unpaid balances due to a depositor except those which fall in the exempted categories. Reserve Bank of India desired that the deposits transferred to DEAF be exempted from the requirement of deposit insurance. With the approval of the Corporation's Board and the Reserve Bank of India, it was decided to exempt these deposits from the definition of the term "deposits" in the DICGC Act, 1961. The insured bank will not be liable to pay premium on such exempted deposits to the Corporation. By implication of the exemption, the deposits transferred to DEAF would be of "non-insured" status and therefore DICGC would have no liability to such deposits.

2.4 RESOLUTION REGIME FOR FINANCIAL INSTITUTIONS

In recognition of the need for having an effective and credible resolution framework for distressed financial institutions in India, the Reserve Bank of India constituted, under the aegis of the sub-Committee of the Financial Stability and Development Council (FSDC), a Working Group (Shri Anand Sinha: Chairperson and Dr. Arvind Mayaram: Co-Chairperson), to suggest steps for strengthening of the resolution regime, taking into consideration the structure of Indian financial institutions. The Working Group (WG) has submitted its report in January 2014. Some of the key recommendations of the WG are: (i) there should be a single Financial Resolution Authority (FRA) mandated, under the law for resolving all financial institutions and FMIs, in coordination/cooperation with the respective financial sector regulators, as deemed necessary by the FRA; (ii) the FRA as a separate entity can be set by either transforming the present Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation (DICGC) into FRA or by setting up a new authority namely FRA that will subsume DICGC; and (iii) The FRA should have a variety of resolution tools mandated by the proposed statute, such as, liquidation; purchase and assumption; bridge institution; good-bank and bad-bank; bail-in and temporary public ownership, which can be used flexibly, either singly or in combination with others, to resolve a financial institution and preserve its critical functions.

PART III: STATEMENT OF ACCOUNTS[1]

3.1. INSURANCE LIABILITIES

(a) During the year 2013-14, an amount of ₹1,030.92 million (₹1,997.67 million) was paid towards insurance claims indicating a decline of 48.4 per cent. The ascertained liabilities towards deposit insurance claims outstanding as on March 31, 2014, have been estimated at ₹3,921.26 million (₹9,053.29 million) indicating decline of 56.69 per cent.

(b) The **Balance of Fund** (**i.e., actuarial liability**) as at the end of the year under review stood at ₹50,683.40 million (₹52,649.60 million) as per assessment by approved actuaries M/s. K. A. Pandit & Co.

(c) There is no likely claim liability in respect of the Credit Guarantee Fund.

1. Figures in bracket pertain to previous year.

3.2. REVENUE DURING THE YEAR

(a) The pre-tax **revenue surplus in the DIF** during the year 2013-14 increased by ₹5,258.13 million from ₹86,265.24 million to ₹91,523.37 million, i.e., by 6.10 per cent. This was mainly on account of increase in premium income by ₹15,945.59 million, increase in income from investments by ₹6,222.44 million, increase in recovery by ₹108.05 million, increase in interest on IT refund by ₹862.50 million, decrease in net actuarial liability charged to revenue by ₹6,938.20 million and decrease in net claims by ₹5,137.28 million, which was offset by depreciation in value of investments of ₹21,520.29 million during the year (write-back of depreciation in value of investments of ₹8,435.69 million in the preceding year).

(b) The pre-tax **revenue surplus in the CGF** during 2013-14 decreased by ₹248.70 million, i.e., by 67.11 per cent over the previous year from ₹370.61 million to ₹121.91 million. This was mainly on account of provision for diminution in value of investment of ₹178.80 million during the year (write-back of depreciation in value of investments of ₹88.64 million in the preceding year).

(c) The pre-tax **revenue surplus in General Fund** for the year under review was significantly lower at ₹218.38 million as against revenue surplus of ₹397.89 million in the previous year. This was mainly on account of decrease in income from investments by ₹88.21 million, increase in staff cost by ₹10.94 million and lower write-back of depreciation on investments by ₹79.42 million as compared to the preceding year.

3.3. ACCUMULATED SURPLUS

As on March 31, 2014, the accumulated surpluses/reserves (post tax) in the DIF, CGF and GF stood at ₹355,495.85 million (₹308,553.81 million), ₹3,539.93 million (₹3,250.95 million) and ₹4,657.39 million (₹4,573.30 million) respectively.

3.4. INVESTMENTS

The book value (at cost) of investments of the three Funds, viz., DIF, CGF and GF stood at ₹444,775.61 million (₹374,992.06 million), ₹4,200.63 million (₹3,941.86 million) and ₹5,559.99 million (₹5,455.01 million), respectively, as at the end of year. The accumulated depreciation in the value of dated securities in the above three funds, viz., DIF, CGF and GF stood at ₹26,747.25 million (₹5,226.96 million); ₹585.36 million (₹406.56 million) and ₹381.48 million (₹466.78 million) respectively as on March 31, 2014. The investment reserve has increased on account of increase in depreciation on investment in DIF and CGF.

3.5. TAXATION

3.5.1 INCOME TAX

As on March 31, 2014, the accumulated balance in advance income tax account in respect of DIF, CGF and GF stood at ₹108,880.77 million (₹90,152.58 million), ₹375.38 million (₹447.0 million) and ₹365.90 million (₹364.19 million), respectively. The accumulated balance in provision for taxation account in the DIF, CGF and GF stood at ₹98,987.92 million (₹80,640.13 million), ₹279.92 million (₹551.68 million) and ₹258.46 million (₹184.57 million), respectively, as on that date.

3.5.2 SERVICE TAX

Government of India imposed service tax on the Corporation from September 2011 onwards in respect of the premium collected by it. The Corporation obtained service tax registration and started paying service tax for the premium due on October 1, 2011. The service tax refundable account represents the excess service tax paid to the Government. The total refundable amount stood at ₹982.43 million comprising ₹625.02 million for 2013-14, ₹139.03 million for 2012-13 and ₹218.38 million for 2011-12.

PART IV: TREASURY OPERATIONS

4.1 In terms of Section 25 of the DICGC Act, 1961, the Corporation invests its surplus in the Central Government Securities. The overall size of the investment portfolio of the Corporation stood at ₹454.54 billon as on March 31, 2014 representing a gross increase of ₹70.15 billon (18.25 per cent) over the previous year. The portfolio generated coupon yield of 7.92 per cent, on receipt basis, during the year. After adjusting the depreciation on investments, the time weighted average return of the portfolio stood at 2.13 per cent for the year 2013-14.

4.2 The Central Government securities are valued at model prices published by Fixed Income Money Market and Derivatives Association of India (FIMMDA). While the appreciation is ignored, the depreciation is being fully provided for and booked under the Investment Reserve (IR). As on March 31, 2014, the balance in IR was ₹27.71 billion. Further, the Corporation maintains the Investment Fluctuation Reserve (IFR) as a cushion against market risk. As on March 31, 2014, IFR of ₹28.95 billon was maintained, being the higher of quantum of market risk calculated both VaR and Standardised Duration method (₹16.52 billion).

PART V: ORGANISATIONAL MATTERS

5.1 BOARD OF DIRECTORS

The general superintendence, direction and the management of the affairs and business of the Corporation vest in a Board of Directors which exercises all powers and does all acts and things which may be exercised or done by the Corporation.

5.1.1 In terms of Regulation 6 of the DICGC General Regulations, 1961, the Board of Directors of the Corporation is required to meet ordinarily once in a quarter. During the year ended March 31, 2014, four meetings of the Board were held.

5.1.2 NOMINATION/RETIREMENT OF DIRECTORS

Consequent to the completion of his tenure as Chairman of NABARD on September 30, 2013, Dr. Prakash Bakshi retired as a Director from the Board.

5.2 AUDIT COMMITTEE OF THE BOARD

The Audit Committee of Board was reconstituted as follows:

1.	Shri Kamlesh Vikamsey	Chairman
2.	Dr. Shashank Saksena	GOI nominee Director
3.	Shri B. L. Patwardhan	Director
4.	Shri Jasbir Singh	Director

During the year ended March 31, 2014, four meetings of the Audit Committee of the Board were held.

5.2.1 IT COMMITTEE

A Board-level sub-committee to guide on the information technology (IT) related issues was constituted in December 2011. The composition of the same as on March 31, 2014 was as under:

1. Prof. G. Sivakumar	Chairman
2. Shri Kamlesh Vikamsey	Member
3. Shri G. Gopalakrishna	Member
4. Shri Jasbir Singh	Member
5. Dr. A. S. Ramasastri	Invitee

During the year ended March 31, 2014, four meetings of the IT Committee were held.

5.3 INTERNAL CONTROLS

5.3.1 BUDGETARY CONTROL

The Corporation has devised a system of exercising control over revenue and expenditure

under its three Funds viz., Deposit Insurance Fund (DIF), Credit Guarantee Fund (CGF) and General Fund (GF). The yearly budget for the expenditure under DIF and GF are prepared by the Corporation, based on various parameters, viz., cancellation of licence/liquidation of insured banks, staff and establishment related payments, etc. The budget is approved by the Board before commencement of each accounting year. Estimates of receipts under the three funds, viz., premium receipts, recoveries and investment income are also included in the budget. The budgeted expenditure and receipts vis-a-vis actual expenditure/receipt are reviewed at quarterly interval.

5.3.2 RISK BASED INTERNAL AUDIT (RBIA) BY RBI

Risk Based Internal Audit (RBIA) 2013 of the Corporation was conducted by Inspection Department of Reserve Bank of India from June 17, 2013 to July 03, 2013. The audit report contained observations on functional aspects as well as information system of the Corporation. Only those observations which were rated High (H), Medium (M), Low (L) and Affirmative Positive (AP) were incorporated in the audit report. The risk based audit categorised 54 paragraphs as Functional and 11 paragraphs as relating to Information System. All the audit paragraphs relating to Functional areas and Information System have been complied with.

5.3.3 CONCURRENT AUDIT

The Corporation has introduced the system of Concurrent Audit (on site) on ongoing basis of all its areas of operation by a firm of Chartered Accountants since the year 2004-05. The monthly audit findings are placed before the Audit Committee of the Board. M/s Borkar & Mazumdar has been appointed as Concurrent Auditors of the Corporation for the year 2014-15.

5.3.4 CONTROL SELF-ASSESSMENT AUDIT (CSAA)

The Corporation has additionally put in place the Control Self-Assessment Audit (CSAA) system (peer review) whereby officers of the Corporation are required to conduct audit of areas with which they are not functionally associated and submit report to General Manager. The CSAA for half year ended December 2013 is in progress.

5.4 TRAINING & SKILL DEVELOPMENT

In order to upgrade the skills of human resources, the Corporation deputes its staff to various training programmes, conferences, seminars and workshops. These programmes are mostly conducted by various training establishments of the Reserve Bank of India, reputed training institutes in India as well as abroad, International Association of Deposit Insurers (IADI) and other foreign deposit insurance institutions. During 2013-14, 53 employees comprising 39 officers, 9 Class III and 5 Class IV staff were deputed to Reserve Bank of India's training establishments and external training institutes in India. Apart from these, ten officers were deputed to participate in trainings/ conferences organised by IADI and other foreign deposit insurance institutions.

5.5 STAFF STRENGTH

The entire staff of the Corporation is on deputation from Reserve Bank of India. The Staff strength of the Corporation as on March 31, 2014 stands at 79 against 84 as on March 31, 2013. Category - wise position of staff is as under:

Of the total staff, 52 per cent were in Class I, 28 per cent in Class III and the remaining 20 per cent in Class IV. Of the total staff, 16.5 per cent belonged to Scheduled Castes and 5.1 per cent belonged to Scheduled Tribes as on March 31, 2014 (Table 7).

Table 7: Category–wise Position of Staff

Category	Number	of which		Percentage (%)	
		SC	ST	SC	ST
1	2	3	4	5	6
Class I	41	7	3	17.0	7.3
Class III	22	2	-	9.0	-
Class IV	16	4	1	25.0	6.3
Total	79	13	4	16.5	5.1

SC: Scheduled Castes ST: Scheduled Tribes

5.6 THE RIGHT TO INFORMATION ACT, 2005

Government of India enacted the Right to Information Act, 2005 in June 2005. The Act came into effect from October 12, 2005. The Corporation, as a public authority, as defined in the Act, is obliged to provide information to the members of public. During the year 2013-14, a total of 20 requests were resolved including 1 case under Appellate Authority.

5.7 PROGRESSIVE USE OF HINDI

During the year 2013-14, the Corporation continued with its efforts to promote the use of Hindi in its working. The Corporation ensures compliance of Section 3(3) of the Official Languages Implementation Act. The Head Office of the Corporation has been notified under Rule 10(4) of the Official Languages Rules, 1976. The Corporation prepares quarterly progress reports on use of Hindi. The Corporation also organizes 'Hindi Fortnight' every year. Many programmes including competitions were conducted at the time of Hindi fortnight observed in the first and second week of September 2013 and the main Hindi Day programme was conducted under the chairmanship of Executive Director. The Official Languages Implementation Committee meets regularly once a quarter to monitor and promote the use of Hindi in the day-to-day functioning of the Corporation.

5.8 CUSTOMER CARE CELL IN THE CORPORATION

The Corporation is a public institution and its main function is to settle the claims of depositors of failed insured banks. The Corporation operates a customer care cell for prompt redressal of complaints from the members of public against the Corporation.

5.9 ROLE IN IADI

5.9.1 Shri Jasbir Singh, Executive Director attended the 11th Asia Pacific Regional Committee (APRC) Annual Meeting and International Conference of IADI held in Seoul, Korea during May 2013, the 12th Annual General Meeting and Annual General Conference of IADI held at Buenos Aires, Argentina during November 2013 and meeting of Executive Council of IADI at Basel, Switzerland in February 2014.

5.9.2 DICGC has been providing support through participation in trainings/workshops being organized by IADI. During 2013-14, support was provided to the programmes held at Seoul, Korea; Makai City, Philippines; Warsaw, Poland and Buenos Aires, Argentina.

5.10 IADI Steering Committee Meeting on Revision of Core Principles

The Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation (DICGC) hosted the Sixth Meeting of International Association of Deposit Insurers (IADI) Steering Committee on the Revision of Core Principles. The meeting was held in Mumbai, India during December 10-12, 2013. The meeting was attended by 25 Chief Executive Officers and other senior officials from 18 countries. Dr. Urjit Patel, Chairman, DICGC graced the occasion. Shri Jasbir Singh, Executive Director, DICGC made a presentation on 'Towards Consolidating Resolution Infrastructure'. Smt. Kumudini Hajra, Director, DICGC is member of the Steering Committee.

The Core Principles for Effective Deposit Insurance Systems were issued by IADI and the Basel Committee on Banking Supervision (BCBS) in June 2009. Since their introduction, experience gained from using the Core Principles and international regulatory developments revealed areas where the Core Principles needed to be updated and enhanced. In February 2013, IADI established an internal Steering Committee to review and update the Core Principles and develop a proposed set of revisions. In the meeting held in Mumbai, the Steering Committee gave final shape to the revisions which will be presented to a joint BCBS-IADI working group which includes representatives from the European Forum of Deposit Insurers (EFDI), the European Commission (EC), the FSB, the IMF and World Bank. The final revised set of Core Principles are expected to be released by end-2014.

5.11 AUDITORS

In terms of Section 29(1) of the DICGC Act, 1961, M/s. Sarda & Pareek, Chartered Accountants, Mumbai were re-appointed as Auditors of the Corporation for the financial year 2013-14 with approval of the Reserve Bank.

The Board appreciates the efforts put in by the staff of the Corporation for maintaining its operational efficiency.

For and on behalf of Board of Directors

DEPOSIT INSURANCE AND CREDIT GUARANTEE CORPORATION, MUMBAI

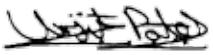

(Urjit Patel)
Chairman

Dated: **June 17, 2014**

ANNEX - I

BANKS COVERED UNDER THE DEPOSIT INSURANCE SCHEME: NUMBER

Year/Period	At the beginning of the year/ period	Registered during the year/ period	De- registered during the year/period where Corporation's Liability			At the end of the year/ period (2+3-6)
			was attracted	was not attracted	Total (4+5)	
1	2	3	4	5	6	7
2013-14	2,167	7	16	13	29	2,145
2012-13	2,199	12	12	32	44	2,167
2011-12	2,217	7	11	14	25	2,199
2010-11	2,249	3	22	13	35	2,217
2009-10	2,307	10	26	42	68	2,249
2008-09	2,356	13	33	29	62	2,307
2007-08	2,392	10	18	28	46	2,356
2006-07	2,531	46	24	161	185	2,392
2005-06	2,547	3	17	2	19	2,531
2004-05	2,595	3	47	4	51	2,547
2003-04	2,629	9	39	4	43	2,595
2002-03	2,715	10	29	7	36	2,629*
2001-02	2,728	15	18	10	28	2,715
2000-01	2,676	62	9	1	10	2,728
1999-2000	2,583	103	8	2	10	2,676
1998-99	2,438	149	4	0	4	2,583
1997-98	2,296	145	1	2	3	2,438
1996-97	2,122	176	1	1	2	2,296
1995-96	2,025	99	1	1	2	2,122
1994-95	1,990	36	0	1	1	2,025
1993-94	1,931	63	1	3	4	1,990
1992-93	1,931	3	2	1	3	1,931
1991-92	1,922	14	2	3	5	1,931
1990-91	1,921	8	5	2	7	1,922
1986 to 1990	1,837	102	8	10	18	1,921
1981 to 1985	1,582	280	8	17	25	1,837
1976 to 1980	611	995	9	15	24	1,582
1971 to 1975	83	544	0	16	16	611
1966 to 1970	109	1	5	22	27	83
1963 to 1965	276	1	7	161	168	109
1962	287	0	2	9	11	276

* Net of 60 banks deregistered in past years, but not reckoned in the respective years.

ANNEX - II

A. INSURED BANKS: CATEGORY-WISE

Year (as at end March)	No. of Insured Banks				
	Commercial Banks	RRBs	LABs	Co-operative Banks	Total
2013-14	89	58	4	1,994	2,145
2012-13	89	67	4	2,007	2,167
2011-12	87	82	4	2,026	2,199

RRBs: Regional Rural Banks LABs: Local Area Banks

B. INSURED CO-OPERATIVE BANKS: STATE WISE (AS AT END MARCH 2014)

Sr. No.	State / Union Territory	Apex	Central	Primary	Total
1	Andhra Pradesh	1	22	102	125
2	Assam	1	0	8	9
3	Arunachal Pradesh	1	0	0	1
4	Bihar	1	22	4	27
5	Chhattisgarh	1	6	12	19
6	Goa	1	0	6	7
7	Gujarat	1	18	229	248
8	Haryana	1	19	7	27
9	Himachal Pradesh	1	2	5	8
10	Jammu & Kashmir	1	3	4	8
11	Jharkhand	0	8	2	10
12	Karnataka	1	21	266	288
13	Kerala	1	14	60	75
14	Madhya Pradesh	1	38	51	90
15	Maharashtra	1	31	512	544
16	Manipur	1	0	3	4
17	Meghalaya	1	0	3	4
18	Mizoram	1	0	1	2
19	Nagaland	1	0	0	1
20	Orissa	1	17	10	28
21	Punjab	1	20	4	25
22	Rajasthan	1	29	38	68
23	Sikkim	1	0	1	2
24	Tamil Nadu	1	24	129	154
25	Tripura	1	0	1	2
26	Uttar Pradesh	1	50	69	120
27	Uttarakhand	1	10	5	16
28	West Bengal	1	17	44	62
Union Territory					
1	NCT Delhi	1	0	15	16
2	Andaman & Nicobar Islands	1	0	0	1
3	Daman & Diu	0	0	0	0
4	Puducherry	1	0	1	2
5	Chandigarh	1	0	0	1
TOTAL		**31**	**371**	**1,592**	**1,994**

ANNEX - III

BANKS REGISTERED/ DE-REGISTERED DURING THE YEAR 2013-14

Bank Type / State	Sr. No.	Name of the Bank
A. REGISTERED (07)		
Commercial Banks (01)	1	BHARATIYA MAHILA BANK, NEW DELHI
Co-operative Banks (0)	Nil	
Regional Rural Banks (06)	1	PURVANCHAL BANK, UTTAR PRADESH
	2	GRAMIN BANK OF ARYAVARTA, UTTAR PRADESH
	3	KERALA GRAMIN BANK, MALLAPURAM, KERALA
	4	PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK, KARNATAKA
	5	CHHATTISGARH RAJYA GRAMIN BANK, RAIPUR, CHATTISGARH
	6	SARVA HARYANA GRAMIN BANK, HARYANA
B. DE-REGISTERED (29)		
Commercial Banks (0)	Nil	
Co-operative Banks (16)		
Andhra Pradesh (01)	1	THE SRIKAKULAM CO-OP URBAN BANK LTD. SRIKAKULAM
Gujarat (05)	1	BAYAD NAGARIK SAHAKARI BANK LTD., GUJARAT
	2	PARSWANATH CO OPERATIVE BANK LTD, AHMEDABAD, GUJARAT
	3	CITY CO-OP BANK LTD. SURAT, GUJARAT
	4	UDHANA CITIZEN CO-OP. BANK LTD. SURAT, GUJARAT
	5	MUNICIPAL CO-OP. BANK LTD., AHMEDABAD, GUJARAT
Karnataka(01)	1	KARNATAKA RAJYA KAIGARIKA SAHAKARA BANK NIYAMITA, KARNATAKA
Maharashtra (05)	1	ARJUN URBAN CO-OP. BANK LTD., SOLAPUR, MAHARASHTRA
	2	MAHATMAPHULE URBAN CO-OP. BANK LTD. BEED, MAHARASHTRA
	3	SHREE SIDDHIVINAYAKA NAGARI SAH. BK LTD, RAIGAD, MAHARASHTRA
	4	KONKAN PRANT SAHAKARI BANK LTD., GIRGAON, MUMBAI, MAHARASHTRA
	5	VISHWAKARMA NAGARI SAHAKARI BANK MYDT. AURANAGABAD, MAHARASHTRA

ANNEX - III *(Concld.)*

Bank Type / State	Sr. No.	Name of the Bank
Orissa (01)	1	URBAN CO-OPERATIVE BANK LTD., BHUBANESWAR, ORISSA
Rajasthan (01)	1	VAISHALI URBAN CO-OP. BANK LTD., JAIPUR, RAJASTHAN
West Bengal (02)	1	KASUNDIA CO-OPERATIVE BANK LTD., HOWRAH, WEST BENGAL
	2	AVB EMPLOYEES CO-OP. CREDIT SOC. & BK. LTD, DURGAPUR, WEST BENGAL
Regional Rural Banks (13)	1	SHREYAS GRAMIN BANK, ALIGARH, UTTAR PRADESH
	2	PURVANCHAL GRAMIN BANK, GORAKHPUR, UTTAR PRADESH
	3	ARYAVRAT KSHETRIYA GRAMIN BANK, LUCKNOW, UTTAR PRADESH
	4	BALLIA-ETAWAH GRAMIN BANK, UTTAR PRADESH
	5	SURGUJA KSHETRIYA GRAMIN BANK, CHHATTISGARH
	6	DURG RAJNANDGAON GRAMIN BANK,MADHYA PRADESH
	7	CHHATTISGARH GRAMIN BANK, CHHATTISGARH
	8	NORTH MALABAR GRAMIN BANK, KERALA
	9	SOUTH MALABAR GRAMIN BANK, KERALA
	10	PRAGATHI GRAMIN BANK, BELLARY, KARNATKA
	11	KRISHNA GRAMEENA BANK, GULBARGA, KARNATAKA
	12	GURGAON GRAMIN BANK, HARYANA
	13	HARYANA GRAMIN BANK, HARYANA

ANNEX - IV

DEPOSIT PROTECTION COVERAGE

Year	Fully Protected Accounts (number in million)*	Total Accounts (number in million)	Percentage of Fully Protected Accounts to Total Accounts	Insured Deposits* (₹ billion)	Assesable Deposits (₹ billion)	Percentage of Insured Deposits to Total Deposits
1	2	3	4	5	6	7
2013-14	1,267	1,370	92.4	23,792	76,166	31.2
2012-13	1,393	1,482	94.0	21,584	66,211	32.6
2011-12	996	1,073	92.8	19,043	57,674	33.0
2010-11	977	1,052	92.9	17,358	49,524	35.1
2009-10	1,267	1,424	89.0	16,824	45,880	36.7
2008-09	1,204	1,349	89.3	19,090	33,986	56.2
2007-08	962	1039	92.6	18,051	29,848	60.5
2006-07	683	717	95.3	13,726	23,444	58.5
2005-06	506	537	94.1	10,530	17,909	58.8
2004-05	620	650	95.4	9,914	16,198	61.2
2003-04	519	544	95.4	8,709	13,183	66.1
2002-03	578	600	96.3	8,289	12,132	68.3
2001-02	464	482	96.4	6,741	9,688	69.6
2000-01	432	446	96.9	5,724	8,063	71.0
1999-00	430	442	97.4	4,986	7,041	70.8
1998-99	454	464	97.9	4,396	6,100	72.1
1997-98	371	411	90.4	3,705	4,923	75.3
1996-97	427	435	98.2	3,377	4,507	74.9
1995-96	482	487	99.0	2,956	3,921	75.4
1994-95	496	499	99.2	2,667	3,641	73.3
1993-94	350	353	99.1	1,684	2,490	67.6
1992-93	340	354	95.8	1,645	2,444	67.3
1991-92	317	329	96.4	1,279	1,863	68.7
1990-91	298	309	96.5	1,093	1,569	69.7
1962	6	7	78.5	4	17	23.1

* Number of accounts with balance not exceeding ₹1,500 from January 1, 1962 onwards, ₹5,000 from January 1, 1968 onwards, ₹10,000 from April 1, 1970 onwards, ₹20,000 from January 1, 1976 onwards, ₹30,000 from July 1, 1980 onwards and ₹1,00,000 from May 1, 1993 onwards.
Note: Data from 2009-10 are as per new reporting format.

ANNEX - V

DEPOSIT PROTECTION COVERAGE : BANK - CATEGORYWISE

Year	Category of Banks	Insured Banks (in nos.)	Insured Deposits (₹ billion)	Assessable Deposits (₹ billion)	Percentage of Insured Deposits to Assessable Deposits
1	2	3	4	5	6
2013-14	I. Commercial Banks (i to v)	93	18,783	67,810	27.7
	i) SBI Group	6	5,325	15,436	34.5
	ii) Public Sector	20	10,183	35,855	28.4
	iii) Foreign Banks	43	217	3,179	6.8
	iv) Private Banks	20	3,052	13,326	22.9
	v) Local Area Banks	4	6	14	42.9
	II. RRBs	58	1,888	2,998	63.0
	III. Co-operative banks	1,994	3,120	5,358	58.2
	TOTAL (I+II+III)	**2,145**	**23,791**	**76,166**	**31.2**
2012-13	I. Commercial Banks (i to v)	89	17,635	59,707	29.5
	i) SBI Group	6	5,365	13,513	40.0
	ii) Public Sector	20	9,286	31,521	29.5
	iii) Foreign Banks	43	235	2,851	8.0
	iv) Private Banks	20	2,749	11,822	23.0
	v) Local Area Banks	4	5	12	41.0
	II. RRBs	67	1,324	1,889	70.0
	III. Co-operative banks	2,007	2,619	4,602	57.0
	TOTAL (I+II+III)	**2,167**	**21,584**	**66,211**	**33.0**
2011-12	I. Commercial Banks (i to v)	87	15,405	52,119	29.6
	i) SBI Group	6	4,046	11,546	35.0
	ii) Public Sector	20	8,797	27,956	31.5
	iii) Foreign Banks	41	221	2,650	8.4
	iv) Private Banks	20	2,336	9,958	23.5
	v) Local Area Banks	4	5	10	51.9
	II. RRBs	82	1,120	1,522	73.6
	III. Co-operative banks	2,026	2,518	4,033	62.4
	TOTAL (I+II+III)	**2,199**	**19,043**	**57,674**	**33.0**

ANNEX - VI

DEPOSIT INSURANCE CLAIMS SETTLED DURING 2013-14

Sr. No.	Name of the Bank	Main Claim/ Supplementary Claim	No. of Depositors	Amount of Claims (₹ thousand)
1	2	3	4	5
	Co-operative Banks			
	Gujarat (26)			
1	The Janata Commercial Co-operative Bank Ltd.	Supplementary (2)	4	155.64
2	The Madhavpura Mercantile Co-operative Bank Ltd.	Main	3,160	5,785.54
3	The Nadiad Mercantile Co-operative Bank Ltd.	Supplementary (2)	28	568.86
4	The Natpur Co-operative Bank Ltd.	Supplementary (6)	168	1,922.58
5	The Navsari Co-operative Bank Ltd.	Supplementary (1)	1	4.40
6	Nutan Sahakari Bank Ltd.	Supplementary (1)	1	13.57
7	The Petlad Nagarik Sahakari Bank Ltd.	Supplementary (2)	15	258.55
8	The Petlad Commercial Co-operative Bank Ltd.	Supplementary (1)	6	294.61
9	The Relief Mercantile Co-operative Bank Ltd.	Supplementary (1)	10	217.05
10	Shree Laxmi Co-operative Bank Ltd.	Supplementary (1)	5	89.01
11	The Sidhpur Nagarik Sahakari Bank Ltd.	Supplementary (1)	6	51.75
12	The Ahmedabad Peoples' Co-operative Bank Ltd.	Supplementary (1)	1	13.75
13	The Visanagar Nagarik Sahakari Bank Ltd.	Supplementary (7)	264	4,644.28
14	The Bharuch Nagarik Sahakari Bank Ltd.	Supplementary (1)	1	4.95
15	Shri Vithal Co-operative Bank Ltd.	Supplementary (1)	32	464.61
16	The Century Co-operative Bank Ltd.	Supplementary (2)	19	456.32
17	The Sahyog Co-operative Bank Ltd.	Supplementary (1)	2	60.88
18	Anyonya Co-operative Bank Ltd.	Supplementary (7)	405	12,060.16
19	Metro Co-operative Bank Ltd.	Supplementary (1)	3	8.26
20	The Baroda Peoples' Co-operative Bank Ltd.	Supplementary (1)	1	31.55
21	Shree Bhadran Mercantile Co-operative Bank Ltd.	Supplementary (1)	17	943.17
22	Bhavnagar Mercantile Co-operative Bank Ltd.	Supplementary (3)	57	294.21
23	The Boriavi Peoples' Co-operative Bank Ltd.	Supplementary (3)	12	72.02
24	Charottar Nagarik Sahakari Bank Ltd.	Supplementary (3)	37	1,281.69
25	The General Co-operative Bank Ltd.	Supplementary (3)	92	1,981.14
26	Janata Co-operative Bank Ltd.	Supplementary (2)	3	52.81
	Total (Gujarat)	**Main-1, Supplementary -55**	**4,350**	**31,731.34**
	Maharashtra (21)			
27	The Miraj Urban Co-operative Bank Ltd.	Supplementary (2)	7	127.66
28	The Rajwade Mandal Peoples' Co-operative Bank Ltd.	Supplementary (1)	8	241.66
29	Solapur Nagarik Audyogik Sahakari Bank Ltd.	Supplementary (2)	45	1,893.21

ANNEX - VI *(Concld.)*

Sr. No.	Name of the Bank	Main Claim/ Supplementary Claim	No. of Depositors	Amount of Claims (₹ thousand)
1	2	3	4	5
30	The Ravikiran Urban Co-operative Bank Ltd.	Supplementary (1)	3	136.53
31	The Veerashaiva Co-operative Bank Ltd.	Main	40,373	727,615.26
32	Parmatma Ek Sewak Nagarik Sahakari Bank Ltd.	Supplementary (2)	7	327.41
33	The Bhusawal Peoples' Co-operative Bank Ltd.	Supplementary (5)	48	1,131.30
34	Indira Shramik Mahila Nagarik Sahakari Bank Ltd.	Supplementary (5)	61	625.06
35	The Samata Sahakari Bank Ltd.	Supplementary (2)	26	694.86
36	Swami Samarth Sahakari Bank Ltd.	Main	11,295	86,423.37
37	Kupwad Urban Co-operative Bank Ltd.	Supplementary (1)	2	106.36
38	Arjun Urban Co-operative Bank Ltd.	Main	3,529	61,558.99
39	Siddhartha Sahakari Bank Ltd.	Supplementary (3)	44	2,045.21
40	Agrasen Co-operative Bank Ltd.	Main	19,631	52,967.42
41	Shri Laxmi Sahakari Bank Ltd.	Supplementary (3)	27	503.16
42	Champavati Urban Co-operative Bank Ltd.	Supplementary (1)	2	62.16
43	The Vidarbha Urban Co-operative Bank Ltd.	Supplementary (1)	18	486.66
44	Vishwakarma Sahakari Bank Maryadit	Main	6,118	40,460.94
45	Abhinav Sahakari Bank Ltd.	Main	10,805	17,951.86
46	The Ichalkaranji Urban Co-operative Bank Ltd.	Supplementary (7)	28	1,165.06
47	Shri P. K. Anna Patil Janata Sahakari Bank Ltd.	Supplementary (2)	38	850.97
	Total (Maharashtra)	**Main-6, Supplementary -38**	**92,115**	**997,375.10**
	Madhya Pradesh (2)			
48	Maharashtra Brahman Sahakari Bank Ltd.	Supplementary (1)	3	1,007.62
49	Citizen Co-operative Bank Ltd., Burhanpur	Supplementary (2)	4	186.27
	Total (Madhya Pradesh)	**Main-0, Supplementary -3**	**7**	**1,193.89**
	Odisha (1)			
50	Dhenkanal Urban Co-operative Bank Ltd.	Supplementary (1)	26	46.56
	Total (Odisha)	**Main-0, Supplementary -1**	**26**	**46.56**
	Uttar Pradesh (1)			
51	The Oudh Sahakari Bank Ltd.	Supplementary (1)	91	579.91
	Total (Uttar Pradesh)	**Main-0, Supplementary -1**	**91**	**579.91**
	Total (All States)	**Main-7, Supplementary -98**	**96,590**	**1,030,926.80**

Note: Figures in bracket indicate the number of claims.

ANNEX - VII

INSURANCE CLAIMS SETTLED AND REPAYMENT RECEIVED - ALL BANKS LIQUIDATED / AMALGMATED / RECONSTRUCTED UPTO MARCH 31, 2014

(Amount in ₹ thousand)

Sr No.	Name of the Bank	No. of Depositors	Claims Settled	Repayments Received (Written off)	Balance (Col 4 - Col 5)
1	2	3	4	5	6
I	**COMMERCIAL BANKS**				
	i) Full repayment received (A)				
	1) Bank of China, Kolkata (1963)		925.00	925.00	-
	2) Shree Jadeya Shankarling Bank Ltd., Bijapur (1965)*		11.51	11.51	-
	3) Bank of Behar Ltd., Patna (1970)*		4,631.66	4,631.66	-
	4) Cochin Nayar Bank Ltd., Trichur (1964)*		704.06	704.06	-
	5) Latin Christian Bank Ltd., Ernakulam (1964)*		208.50	208.50	-
	6) Bank of Karad Ltd., Mumbai (1992)		370,000.00	370,000.00	-
	7) Miraj State Bank Ltd., Miraj (1987)*		14,659.08	14,659.08	-
	TOTAL 'A'		**391,139.79**	**391,139.79**	**-**
	ii) Repayment received in part and balance due written off (B)				
	8) Unity Bank Ltd., Chennai (1963)*		253.35	137.77	-
				(115.58)	
	9) Unnao Commercial Bank Ltd., Unnao (1964)*		108.08	31.32	-
				(76.76)	
	10) Chawla Bank Ltd., Dehradun (1969)*		18.28	14.55	-
				(3.74)	
	11) Metropolitan Co-op. Bank Ltd., Kolkata (1964)*		880.08	441.55	-
				(438.53)	
	12) Southern Bank Ltd., Kolkata (1964)*		734.28	372.93	-
				(361.35)	
	13) Bank of Algapuri Ltd., Algapuri (1963)*		27.60	18.07	-
				(9.53)	
	14) Habib Bank Ltd., Mumbai (1966)*		1,725.41	1,678.00	-
				(47.40)	
	15) National Bank of Pakistan, Kolkata (1966)*		99.26	88.12	-
				(11.13)	
	16) Parur Central Bank Ltd., North Parur, Maharashtra (1990)*		26,021.36	23,191.65	-
				(2,829.71)	
	17) United Industrial Bank Ltd., Kolkata (1990)*		350,150.63	32,631.51	-
				(317,519.13)	
	TOTAL 'B'		**380,018.32**	**58,605.47**	**-**
				(321,412.86)	

ANNEX - VII *(Contd.)*

(Amount in ₹ thousand)

Sr No.	Name of the Bank	No. of Depositors	Claims Settled	Repayments Received (Written off)	Balance (Col 4 - Col 5)
1	2	3	4	5	6
	iii) Part repayment received (C)				
	18) National Bank of Lahore Ltd., Delhi (1970)*		968.92	968.92	-
	19) Bank of Cochin Ltd., Cochin (1986)*		116,278.09	116,278.46	(0.38)
	20) Lakshmi Commercial Bank Ltd., Banglore*		334,062.25	91,358.30	2,42,703.95
	21) Hindustan Commercial Bank Ltd., Delhi (1988)*		219,167.10	105,374.96	1,13,792.14
	22) Traders Bank Ltd., Delhi (1990)*		30,633.77	13,482.20	17,151.57
	23) Bank of Thanjavur Ltd., Thanjavur, T.N (1990)*		107,836.01	103,755.98	4,080.03
	24) Bank of Tamilnad Ltd., Tirunelveli, T.N (1990)*		76,449.75	75,897.32	552.43
	25) Purbanchal Bank Ltd., Guwahati (1990)*		72,577.39	9,760.37	62,817.02
	26) Sikkim Bank Ltd., Gangtok (2000)*		172,956.25	-	172,956.25
	27) Benares State Bank Ltd., U.P (2002)*		1,056,442.08	518,649.11	537,792.97
	TOTAL 'C'		**2,187,371.62**	**1,035,525.63**	**1,151,845.99**
	TOTAL (A+B+C)		**2,958,529.74**	**1,485,270.89**	**1,151,845.99**
				(321,412.86)	
II	**CO-OPERATIVE BANKS**				
	i) Full repayment received (D)				
	1) Malvan Co-op. Bank Ltd., Malvan (1977)		184.00	184.00	-
	2) Bombay Peoples Co-op. Bank Ltd., Mumbai (1978)		1,072.00	1,072.00	-
	3) Dadhich Sahakari Bank Ltd., Mumbai (1984)		1,837.46	1,837.46	-
	4) Ramdurg Urban Co-op. Credit Bank Ltd., Ramdurg (1981)		218.99	218.99	-
	5) Bombay Commercial Co-op. Bank Ltd., Mumbai (1976)		573.33	573.33	-
	6) Metropolitan Co-op. Bank Ltd., Mumbai (1992)		12,500.00	12,500.00	-
	7) Hindupur Co-operative Town Bank Ltd., A.P. (1996)		121.97	121.97	-
	8) Vasundhara Co-op. Urban Bank Ltd., A.P. (2005)		629.80	629.80	-
	TOTAL 'D'		**17,137.55**	**17,137.55**	**-**

ANNEX - VII *(Contd.)*

(Amount in ₹ thousand)

Sr No.	Name of the Bank	No. of Depositors	Claims Settled	Repayments Received (Written off)	Balance (Col 4 - Col 5)
1	2	3	4	5	6
	ii) Repayment received in part and balance due written off (E)				
	9) Ghatkopar Janata Co-op. Bank Ltd., Mumbai (1977)		276.50	-	-
			-	(276.50)	-
	10) Bhadravati Town Co-operative Bank Ltd., Bhadravati (1994)		26.10	-	-
			-	(26.10)	-
	11) Aarey Milk Colony Co-op. Bank Ltd, Mumbai (1978)		60.31	-	-
			-	(60.31)	-
	12) Armoor Co-op. Bank Ltd., A.P. (2003)		708.44	527.64	-
			-	(180.80)	
	13) Ratnagiri Urban Co-op. Bank Ltd., Ratnagiri, Maharashtra (1978)*		4,642.36	1,256.95	-
			-	(3,385.41)	
	14) The Neelagiri Co-op. Urban Bank Ltd., A.P. (2005)		2,114.71	549.18	-
			-	(1,565.53)	
	TOTAL 'E'		**7,828.42**	**2,333.77**	**-**
				(5,494.65)	
	iii) Part repayment received (F)				
	15) Vishwakarma Co-operative Bank Ltd., Mumbai, Maharashtra (1979)*		1,156.70	604.14	552.56
	16) Prabhadevi Janata Sahakari Bank Ltd., Mumbai, Maharashtra (1979)*		701.51	412.14	289.37
	17) Kalavihar Co-operative Bank Ltd., Mumbai, Maharashtra (1979)*		1,317.25	335.53	981.72
	18) Vysya Co-operative Bank Ltd., Bangalore, Karnataka (1982)*		9,130.83	1,294.66	7,836.17
	19) Kollur Parvati Co-op. Bank Ltd., Kollur, A.P. (1985)		1,395.93	707.86	688.08
	20) Adarsh Co-operative Bank Ltd., Mysore, Karnataka (1985)		274.30	65.50	208.80
	21) Kurduwadi Merchants Urban Co-op. Bank Ltd., Maharashtra (1986)*		484.89	400.91	83.99
	22) Gadag Urban Co-op. Bank Ltd., Karnataka (1986)		2,285.04	1,316.05	968.99
	23) Manihal Urban Co-operative Bank Ltd., Karnataka (1987)		961.85	227.60	734.25
	24) Hind Urban Co-operative Bank Ltd.,Lucknow, U.P (1988)		1,095.23	-	1,095.23

ANNEX - VII *(Contd.)*

(Amount in ₹ thousand)

Sr No.	Name of the Bank	No. of Depositors	Claims Settled	Repayments Received (Written off)	Balance (Col 4 - Col 5)
1	2	3	4	5	6
	25) Yellamanchilli Co-operative Urban Bank Ltd., A.P (1990)		436.10	51.62	384.48
	26) Vasavi Co-operative Urban Bank Ltd., Gurzala, A.P. (1991)		388.82	48.56	340.26
	27) Kundara Co-operative Bank Ltd., Kerala (1991)		1,736.62	963.02	773.60
	28) Manoli Shri Panchligeshwar Co-operative Urban Bank Ltd., Karnataka (1991)		1,744.13	1,139.44	604.69
	29) Sardar Nagarik Sahakari Bank Ltd.,Baroda, Gujarat (1991)		7,485.62	1,944.01	5,541.60
	30) Belgaum Muslim Co-op. Bank Ltd., Karnataka (1992)*		3,710.54	273.78	3,436.76
	31) Bhiloda Nagarik Sahakari Bank Ltd., Gujarat (1994)		1,983.68	102.37	1,881.31
	32) Citizens Urban Co-operative Bank Ltd., Indore, M.P (1994)		22,020.57	1,727.77	20,292.80
	33) Chetana Co-operative Bank Ltd., Mumbai, Maharashtra (1995)		87,548.52	758.00	86,790.52
	34) Bijapur Dist. Industrial Co-op Bank Ltd., Hubli, Karnataka (1996)		2,413.42	1,474.44	938.99
	35) Peoples Co-operative Bank Ltd.Ichalkaranji, Maharashtra (1996)		36,545.52	-	36,545.52
	36) Swastik Janata Co-op. Bank Ltd., Mumbai, Maharashtra (1998)		22,662.97	-	22,662.97
	37) Kolhapur Zilha Janata Sahakari Bank Ltd., Mumbai, Maharashtra (1998)		80,117.45	-	80,117.45
	38) Dharwad Industrial Co-op. Bank Ltd., Hubli, Karnataka (1998)		915.79	915.79	-
	39) Dadar Janata Sahakari Bank Ltd., Mumbai, Maharashtra (1999)		51,803.37	49,313.08	2,490.29
	40) Vinkar Sahakari Bank Ltd., Mumbai, Maharashtra (1999)		18,067.90	-	18,067.90
	41) Trimoorti Sahakari Bank Ltd.,Pune, Maharashtra (1999)		28,556.47	23,970.53	4,585.94
	42) Awami Mercantile Co-operative Bank Ltd., Mumbai, Maharashtra (2000)		46,239.88	5,500.00	40,739.88
	43) Ravikiran Urban Co-op. Bank Ltd., Mumbai, Maharashtra (2000)		62,293.89	260.58	62,033.31
	44) Gudur Co-op. Urban Bank Ltd., A.P. (2000)		6,736.99	964.46	5,772.53
	45) Anakapalle Co-operative Urban Bank Ltd., A.P (2000)		2,447.07	137.15	2,309.92
	46) Indira Sahakari Bank Ltd., Mumbai, Maharashtra (2000)		157,012.94	8,783.98	148,228.95

ANNEX - VII *(Contd.)*

(Amount in ₹ thousand)

Sr No.	Name of the Bank	No. of Depositors	Claims Settled	Repayments Received (Written off)	Balance (Col 4 - Col 5)
1	2	3	4	5	6
	47) Nandgaon Merchants Co-operative Bank Ltd., Maharashtra (2000)		2,242.01	-	2,242.01
	48) Siddharth Sahakari Bank Ltd., Jalgaon, Maharashtra (2000)		5,398.65	1,100.00	4,298.65
	49) Sholapur Zilla Mahila Sahakari Bank Ltd, Maharashtra (2000)		27,494.76	10,100.00	17,394.76
	50) The Sami Taluka Nagrik Sah Bank Ltd., Gujarat (2000)		2,017.30	-	2,017.30
	51) Ahilyadevi Mahila Nagrik Sahakari, Kalamnuri, Maharashtra (2001)		1,696.09	-	1,696.09
	52) Nagrik Sahakari Bank Ltd. Sagar., M.P (2001)		7,013.59	1,000.00	6,013.59
	53) Indira Sahakari Bank Ltd., Aurangabad, Maharashtra (2001)		21,862.77	465.72	21,397.05
	54) Nagrik Co-op. Commercial Bank Maryadit,Bilaspur, M.P (2001)		26,135.83	15,000.00	11,135.83
	55) Ichalkaranji Kamgar Nagarik Sahakari Bank Ltd., Maharashtra (2001)		5,068.09	3,358.92	1,709.18
	56) Parishad Co-op. Bank Ltd., New Delhi (2001)		3,946.61	3,781.44	165.18
	57) Sahyog Co-operative Bank Ltd., Ahmedabad, Gujarat (2002)		30,168.26	1,765.43	28,402.83
	58) Madhavpura Mercantile Co-op. Bank Ltd., Ahmedabad, Gujarat (2001,2013@#)	3,160	4,015,185.54	5,785.54	4,009,400.00
	59) Krushi Co-operative Urban Bank Ltd., Secunderabad, A.P (2001)		232,429.22	40,858.33	191,570.89
	60) Jabalpur Nagrik Sahakari Bank Ltd., (Dergd), M.P (2002)		19,486.49	15,071.90	4,414.59
	61) Shree Laxmi Co-op. Bank Ltd., Ahmedabad, Gujarat (2002)		140,667.57	24,339.29	116,328.28
	62) Maratha Market Peoples Co-op Bank Ltd., Mumbai, Maharashtra (2002)		37,959.73	-	37,959.73
	63) Latur Peoples Co-operative Bank Ltd., (Dergd), Maharashtra (2002)		3,048.95	-	3,048.95
	64) Sri Lakshmi Mahila Co-op Urban Bank, (Dergd), A.P (2002)		7,821.24	-	7,821.24
	65) Friends Co-operative Bank Ltd., Mumbai, Maharashtra (2002)		48,456.66	120.02	48,336.64
	66) Bhagyanagar Co-operative Urban Bank Ltd. (Dergd), A.P (2002)		9,697.12	9,363.62	333.50
	67) Aska Co-operative Urban Bank Ltd., (Dergd), Orissa (2002)		7,032.61	-	7,032.61

ANNEX - VII *(Contd.)*

(Amount in ₹ thousand)

Sr No.	Name of the Bank	No. of Depositors	Claims Settled	Repayments Received (Written off)	Balance (Col 4 - Col 5)
1	2	3	4	5	6
	68) The Veraval Ratnakar Co-op. Bank Ltd., (Degrd), Gujarat (2002)		26,553.64	32.91	26,520.73
	69) Shree Veraval Vibhagiya Nagrik Sah Bank(Dergd), Gujarat (2002)		25,866.18	-	25,866.18
	70) Sravya Co op. Bank Ltd., A.P (2002)		74,376.82	2,421.29	71,955.53
	71) Majoor Sahakari Bank Ltd., Ahmedabad, Gujarat (2002)		14,779.44	427.30	14,352.14
	72) Meera Bhainder Co-op. Bank Ltd, (Dergd), Maharashtra (2003)		22,448.41	-	22,448.41
	73) Shree Labh Co-op Bank Ltd., Mumbai, Maharashtra (2003)		47,507.25	341.41	47,165.84
	74) Khed Urban Co-operative Bank Ltd., Maharashtra (2003)		46,368.34	1,000.00	45,368.34
	75) Janta Sahakari Bank Maryadit., Dewas, M.P (2003)		71,741.71	66,141.14	5,600.57
	76) Nizamabad Co-operative Town Bank Ltd., A.P (2003)		11,289.66	10,038.32	1,251.34
	77) The Megacity Co-op. Urban Bank Ltd., A.P (2003)		16,197.58	14,678.15	1,519.43
	78) Kurnool Urban Co-operative Credit Bank Ltd., A.P (2003)		47,432.57	46,556.10	876.46
	79) Yamuna Nagar Urban Co-op. Bank Ltd., Haryana (2003)		30,046.64	2,800.00	27,246.64
	80) Praja Co-op. Urban Bank Ltd., A.P (2003)		9,254.48	8,614.31	640.17
	81) Charminar Co-op. Urban Bank Ltd., A.P (2003)#		1,432,344.30	852,344.30	580,000.00
	82) Rajampet Co-operative Town Bank Ltd., A.P (2003)		16,345.12	7,325.00	9,020.12
	83) Shri Bhagyalaxmi Co-operative Bank Ltd., Gujarat (2003)		34,033.48	3,600.00	30,433.48
	84) Aryan Co-op Urban Bank Ltd., A.P (2003)		46,781.03	43,631.77	3,149.27
	85) The First City Co-op. Urban Bank Ltd., A.P (2003)		12,873.23	11,243.66	1,629.57
	86) Kalwa Belapur Sahakari Bank Ltd., Maharashtra (2003)		48,880.14	25.00	48,855.14
	87) Ahmedabad Mahila Nagrik Sah. Bank Ltd., Gujarat (2003)		33,329.35	955.83	32,373.53
	88) Theni Co-operative Urban Bank Ltd., Tamil Nadu (2003)		33,177.94	6.98	33,170.96

ANNEX - VII *(Contd.)*

(Amount in ₹ thousand)

Sr No.	Name of the Bank	No. of Depositors	Claims Settled	Repayments Received (Written off)	Balance (Col 4 - Col 5)
1	2	3	4	5	6
	89) The Mandsaur Commercial Co-op. Bank Ltd., M.P (2003)		141,139.81	140,798.15	341.66
	90) Mother Theresa Hyderabad Co-op. Urban Bank., A.P (2003)		57,245.59	1,400.00	55,845.59
	91) Dhana Co-op. Urban Bank Ltd., A.P (2003)		23,855.34	-	23,855.34
	92) Ahmedabad Urban Co-op. Bank Ltd., Gujarat (2003)		37,343.88	2,203.57	35,140.31
	93) The Star Co-op. Urban Bank Ltd., A.P (2003)		2,626.79	-	2,626.79
	94) The Janata Commercial Co-op. Bank Ltd., Ahmedabad, Gujarat (2003)		41,281.62	6,922.64	34,358.98
	95) Manikanta Co-op. Urban Bank Ltd., A.P (2003)		21,677.67	17,300.00	4,377.67
	96) Bhavnagar Welfare Co-operative Bank Ltd., Gujarat (2003)		35,508.21	-	35,508.21
	97) Navodaya Sahakari Bank Ltd., Karnataka (2003)		3,038.47	2,521.79	516.67
	98) Pithapuram Co-operative Urban Bank Ltd., A.P (2003)		7,697.97	7,691.33	6.64
	99) Shree Adinath Sahakari Bank Ltd., Maharashtra (2003)		42,971.17	30,815.27	12,155.90
	100) Santram Co-operative Bank Ltd., Gujarat (2003)		115,872.42	2,818.21	113,054.22
	101) Palana Sahakari Bank Ltd., Gujarat (2003)		22,952.19	21,790.57	1,161.61
	102) Nayaka Mercantile Co-op Bank Ltd., Gujarat (2004)		25,531.20	-	25,531.20
	103) General Co-operative Bank Ltd., Gujarat (2004)		715,200.69	23,359.41	691,841.28
	104) Western Co-operative Bank Ltd., Mumbai, Maharashtra (2004)		44,086.21	57.31	44,028.90
	105) Charotar Nagarik Sahakari Bank Ltd., Gujarat (2004)		2,064,831.53	215,563.73	1,849,267.80
	106) Pratibha Mahila Sahakari Bank Ltd., Jalgaon, Maharashtra (2004)		34,192.33	13,729.00	20,463.33
	107) Visnagar Nagarik Sahakari Bank Ltd.,Gujarat (2004)		3,846,162.46	38,704.21	3,807,458.25
	108) Narasaraopet Co-op. Urban Bank Ltd., A.P (2004)		1,794.45	130.00	1,664.45
	109) Bhanjanagar Co-operative Urban Bank Ltd., Orissa (2004)		9,799.51	-	9,799.51
	110) The Sai Co-op. Urban Bank Ltd., A.P (2004)		10,170.18	6,170.18	4,000.00
	111) The Kalyan Co-op Bank Ltd., A.P (2005)		13,509.83	900.00	12,609.83
	112) Trinity Co-op. Urban Bank Ltd., A.P (2005)		19,306.12	6,198.81	13,107.31

ANNEX - VII *(Contd.)*

(Amount in ₹ thousand)

Sr No.	Name of the Bank	No. of Depositors	Claims Settled	Repayments Received (Written off)	Balance (Col 4 - Col 5)
1	2	3	4	5	6
	113) Gulbarga Urban Co-operative Bank Ltd., Karnataka (2005)		25,441.21	793.11	24,648.10
	114) Vijaya Co-op Urban Bank Ltd., A.P (2005)		12,224.74	9,500.00	2,724.74
	115) Shri Satya Sai Co-op. Bank Ltd., A.P (2005)		7,387.17	2,000.00	5,387.17
	116) Sri Ganganagar Urban Co-op. Bank Ltd., Rajasthan (2005)		4,787.55	4,787.55	-
	117) Sitara Co-op Urban Bank Ltd., Hyderabad, A.P (2005)		3,741.01	-	3,741.01
	118) Mahalaxmi Co-op Urban Bank Ltd., Hyderabad, A.P (2005)		41,999.65	394.50	41,605.15
	119) Maa Sharda Mahila Nagri Sahakari Bank Ltd., Akola, Maharashtra (2005)		13,351.57	450.00	12,901.57
	120) Partur People's Co-operative Bank Ltd., Maharashtra (2005)		15,836.61	-	15,836.61
	121) Sholapur District Industrial Co-op. Bank, Maharashtra (2005)		107,561.91	4,447.83	103,114.08
	122) Baroda People's Co-operative Bank Ltd., Gujarat (2005)		584,048.60	22,063.73	561,984.87
	123) The Co-operative Bank of Umreth Ltd., Gujarat (2005)		49,437.88	2,924.37	46,513.51
	124) Shree Patni Co-operative Bank Ltd., Gujarat (2005)		86,530.52	2,604.19	83,926.34
	125) Classic Co-operative Bank Ltd., Gujarat (2005)		5,725.86	500.00	5,225.86
	126) Sabarmati Co-operative Bank Ltd., Gujarat (2005)		318,925.24	32,730.58	286,194.65
	127) Matar Nagrik Sahakari Bank Ltd., Gujarat (2005)		30,892.41	4,388.28	26,504.13
	128) Diamond Jubilee Co-op. Bank Ltd., Surat, Gujarat (2005)		606,403.31	606,403.31	-
	129) Petlad Commercial Co-op. Bank Ltd., Gujarat (2005)		74,035.72	8,296.04	65,739.68
	130) Nadiad Mercantile Co-operative Bank Ltd., Gujarat (2005)		299,340.86	12,578.31	286,762.55
	131) Shree Vikas Co-operative Bank Ltd., Gujarat (2005)		223,150.28	10,256.27	212,894.01
	132) Textile Processors Co-op. Bank Ltd., Gujarat (2005)		53,755.25	2,554.76	51,200.49
	133) Pragati Co-operative Bank Ltd., Gujarat (2005)		130,437.03	16,314.57	114,122.46
	134) Ujvar Co-op Bank Ltd., Gujarat (2005)		15,706.37	-	15,706.37

ANNEX - VII *(Contd.)*

(Amount in ₹ thousand)

Sr No.	Name of the Bank	No. of Depositors	Claims Settled	Repayments Received (Written off)	Balance (Col 4 - Col 5)
1	2	3	4	5	6
	135) Sunav Nagrik Sahakari Bank Ltd., Gujarat (2005)		17,573.42	719.22	16,854.20
	136) Sanskardhani Mahila Nagrik Sahakari Bank Ltd., Jabalpur, M.P (2005)		3,031.51	-	3,031.51
	137) Citizen Co-operative Bank Ltd., Damoh, M.P (2005)		8,501.09	-	8,501.09
	138) Darbhanga Central Co-operative Bank Ltd., Bihar (2005)		18,999.84	-	18,999.84
	139) Bellampalli Co-op. Urban Bank Ltd., A.P (2005)		7,503.14	-	7,503.14
	140) Shri Vitthal Co-operative Bank Ltd., Gujarat (2005)		80,194.70	5,739.61	74,455.09
	141) Suryapur Co-op. Bank Ltd., Gujarat (2005)		579,896.95	32,783.03	547,113.93
	142) Shri Sarvodaya Co-operative Bank Ltd., Gujarat (2005)		10,898.73	162.00	10,736.73
	143) Petlad Nagrik Sahakari Bank Ltd., Gujarat (2005)		24,741.48	4,088.97	20,652.51
	144) Raghuvanshi Co-operative Bank Ltd., Mumbai, Maharashtra (2005)		120,659.85	100.00	120,559.85
	145) Sholapur Merchants Co-op. Bank Ltd., Maharashtra (2005)		30,697.47	-	30,697.47
	146) Aurangabad Peoples Co-op. Bank Ltd., Maharashtra (2005)		29,932.80	10,432.80	19,500.00
	147) Urban Co-operative Bank Ltd. Tehri., Uttaranchal (2005)		16,479.04	1,913.89	14,565.15
	148) Shreenathji Co-operative Bank Ltd., Gujarat (2005)		40,828.18	727.69	40,100.49
	149) The Century Co-op. Bank Ltd., Surat, Gujarat (2006)		67,739.63	7,399.13	60,340.50
	150) Jilla Sahakari Kendriya Bank Ltd., Raigarh, Chhattisgarh (2006)		181,637.44	-	181,637.44
	151) Madhepura Supaul Central Co-op. Bank Ltd., Bihar (2006)		65,053.51	-	65,053.51
	152) Navsari Peoples Co-op. Bank Ltd., Gujarat (2006)		301,592.15	28,220.69	273,371.46
	153) Sheth Bhagwandas B. Shroff Bulsar Peoples Co-op. Bank Ltd., Valsad, Gujarat (2006)		266,452.45	52,636.90	213,815.55
	154) Maharashtra Brahman Sahakari Bank Ltd., M.P (2006)		304,703.46	20,527.51	284,175.95
	155) Mitra Mandal Sahakari Bank Ltd., Indore, M.P (2006)		145,661.51	37,931.51	107,730.00
	156) Chhapra District Central Co-op. Bank Ltd., Bihar (2006)		82,529.98	-	82,529.98

ANNEX - VII *(Contd.)*

(Amount in ₹ thousand)

Sr No.	Name of the Bank	No. of Depositors	Claims Settled	Repayments Received (Written off)	Balance (Col 4 - Col 5)
1	2	3	4	5	6
	157) Shri Vitrag Co-op. Bank Ltd., Surat, Gujarat (2006)		92,989.37	1,746.86	91,242.50
	158) Shri Swaminarayan Co-op. Bank Ltd., Vadodara, Gujarat (2006)		434,217.98	21,637.39	412,580.59
	159) Janta Co-operative Bank Ltd., Nadiad, Gujarat (2006)		323,292.67	37,629.70	285,662.97
	160) Natpur Co-operative Bank Ltd., Nadiad, Gujarat (2006)		552,716.70	23,166.76	529,549.94
	161) Metro Co-operative Bank Ltd, Surat, Gujarat (2006)		120,686.51	212.98	120,473.53
	162) The Royale Co-op. Bank Ltd., Surat,Gujarat (2006)		91,577.38	1,100.44	90,476.94
	163) Jai Hind Co-operative Bank Ltd., Mumbai, Maharashtra (2006)		118,895.88	95,619.17	23,276.71
	164) Madurai Urban Co-operative Bank Ltd., Tamil Nadu (2006)		257,956.99	34,962.29	222,994.70
	165) Karnataka Contractors Sah. Bank Niyamith, Bangalore, Karnataka (2006)		29,757.64	614.27	29,143.37
	166) Anand Peoples Co-operative Bank Ltd., Gujarat (2006)		371,586.77	37,835.43	333,751.34
	167) Kotagiri Co-operative Urban Bank Ltd.,Tamil Nadu (2006)		25,021.00	3,480.19	21,540.82
	168) The Relief Mercantile Co-operative Bank Ltd., Ahmedabad, Gujarat (2006)		11,614.90	217.05	11,397.85
	169) Cauvery Urban Co-operative Bank., Bangalore, Karnataka (2006)		4,846.70	-	4,846.70
	170) Baroda Mercantile Co-operative Bank Ltd., Gujarat (2006)		12,825.48	612.28	12,213.20
	171) Dabhoi Nagrik Sahakari Bank Ltd., Gujarat (2006)		165,896.38	4,603.90	161,292.48
	172) Dhansura Peoples Co-operative Bank Ltd., Gujarat (2006)		58,798.44	4,498.44	54,300.00
	173) Samasta Nagar Co-operative Bank Ltd., Maharashtra (2006)		116,051.52	15,236.66	100,814.86
	174) Prudential Co-operative Bank Ltd., Secunderabad, A.P (2007)		755,959.06	490,959.06	265,000.00
	175) Lok Vikas Urban Co-operative Bank Ltd., Jaipur, Rajasthan (2007)		6,606.11	-	6,606.11
	176) Nagrik Sahakari Bank Maryadit., Ratlam, M.P (2007)		20,393.50	-	20,393.50
	177) Sind Mercantile Co-operative Bank Ltd., Ahmedabad, Gujarat (2007)		103,903.73	18,700.00	85,203.73

ANNEX - VII *(Contd.)*

(Amount in ₹ thousand)

Sr No.	Name of the Bank	No. of Depositors	Claims Settled	Repayments Received (Written off)	Balance (Col 4 - Col 5)
1	2	3	4	5	6
	178) Shriram Sahakari Bank Ltd., Nashik, Maharashtra (2007)		323,215.02	295,856.18	27,358.84
	179) Parbhani Peoples Co-operative Bank Ltd., Maharashtra (2007)		367,807.52	12,520.48	355,287.04
	180) Purna Nagri Sahakari Bank Maryadit., Maharashtra (2007)		47,576.03	17,825.70	29,750.33
	181) Yeshwant Sahakari Bank Ltd., Mumbai, Maharashtra (2007)		5,938.96	5,587.81	351.15
	182) The Kanyaka Parameswari Mutually Aided CUBL, Kukatpally, A.P. (2007)		29,749.48	765.66	28,983.82
	183) Mahila Nagrik Sahakari Bank Ltd., Khargone, M.P. (2007)		4,305.77	442.19	3,863.58
	184) Karamsad Urban Co-operative Bank Ltd., Anand, Gujarat (2007)		124,758.68	1,875.54	122,883.14
	185) Bharat Mercantile Co-operative Urban Bank Ltd., Hyderabad, A.P. (2007)		31,232.28	276.97	30,955.32
	186) Lord Balaji Co-op. Bank Ltd., Sangli, Maharashtra (2007)		27,287.76	305.00	26,982.76
	187) Vasundharam Mahila Co-op. Bank Ltd., Warangal, A.P (2007)		2,304.21	-	2,304.21
	188) Begusaray Urban Development Co-op Bank Ltd., Bihar (2007)		5,937.89	-	5,937.89
	189) Datia Nagrik Sahakari Bank., M.P (2007)		1,486.00	-	1,486.00
	190) Adarsh Mahila Co-operative Bank Ltd., Mehsana, Gujarat (2007)		12,974.81	76.52	12,898.29
	191) Umreth Peoples Co-operative Urban Bank Ltd., Gujarat (2007)		22,078.93	141.64	21,937.28
	192) Sarvodaya Nagrik Sah. Bank Ltd., Visnagar, Gujarat (2007)		160,286.13	697.69	159,588.44
	193) Shree Co-op. Bank Ltd., Indore, M.P (2007)		2,476.52	-	2,476.52
	194) Onake Obavva Mahila Co-op. Bank Ltd., Chitradurga, Karnataka (2007)		54,847.11	58.36	54,788.76
	195) The Vikas Co-operative Bank Ltd., Ahmedabad, Gujarat (2007)		10,262.36	344.00	9,918.36
	196) Shree Jamnagar Nagrik Sahakari Bank Ltd., Gujarat (2007)		11,238.00	5,465.00	5,773.00
	197) Anand Urban Co-operative Bank Ltd., Gujarat (2008)	3,793	184,558.65	203.86	184,354.80
	198) Rajkot Mahila Nagrik Sahakari Bank Ltd., Gujarat (2008)	12,600	68,218.16	4,009.30	64,208.85
	199) Sevalal Urban Co-op. Bank Ltd.,Mandrup, Maharashtra (2008)	678	666.32	-	666.32

ANNEX - VII *(Contd.)*

(Amount in ₹ thousand)

Sr No.	Name of the Bank	No. of Depositors	Claims Settled	Repayments Received (Written off)	Balance (Col 4 - Col 5)
1	2	3	4	5	6
	200) Nagaon Urban Co-op. Bank Ltd., Assam (2008)	12,804	6,130.96	-	6,130.96
	201) Sarvodaya Mahila Co-op. Bank Ltd.,Burhanpur, M.P (2008)	4,117	8,391.32	-	8,391.32
	202) Chetak Urban Co-op Bank Ltd., Parbhani, Maharashtra (2008)	7,240	7,442.90	7,388.00	54.90
	203) Basavakalyan Pattana Sahakari Bank Ltd., Basaganj, Karnataka (2008)	1,787	2,673.13	177.00	2,496.13
	204) Indian Co-op. Development Bank Ltd., Meerut, U.P (2008)	10,418	38,553.70	330.02	38,223.67
	205) Talod Janata Sahakari Bank Ltd., Gujarat (2008)	5,718	24,522.91	1,037.00	23,485.91
	206) Challakere Urban Co-op Bank Ltd., Karnataka (2008)	5,718	32,641.34	123.44	32,517.90
	207) Dakor Mahila Nagarik Sahakari Bank Ltd., Gujarat (2008)	1,865	6,375.13	1,587.85	4,787.28
	208) Zila Sahakari Bank Ltd., Gonda, U.P (2008)	67,098	454,367.84	255.92	454,111.91
	209) Maratha Co-operative Bank Ltd., Hubli, Karnataka (2008)	30,483	185,521.69	66,713.74	118,807.95
	210) Shree Janta Sahakari Bank Ltd, Radhanpur, Gujarat (2008)	8,841	47,517.84	1,094.67	46,423.18
	211) Parivartan Co-op. Bank Ltd., Mumbai, Maharashtra (2008)	11,350	184,735.21	25,152.98	159,582.23
	212) Indira Priyadarshini Mahila Nagarik Bank Ltd, Raipur, Chhattisgarh (2008)	20,793	164,573.59	32,868.99	131,704.61
	213) Ichalkaranji Jivheshwar Sah. Bank Ltd., Maharashtra (2008)	2,602	24,167.12	23,449.87	717.25
	214) Kittur Rani Channamma Mahila Pattana Sah. Bank Ltd., Hubli, Karnataka (2008)	6,499	22,849.90	721.82	22,128.08
	215) Bharuch Nagrik Sahakari Bank Ltd., Gujarat (2008)	12,779	99,668.73	28,151.46	71,517.27
	216) Harugeri Urban Co-op. Bank Ltd., Karnataka (2009)	5,605	36,446.49	4,436.43	32,010.07
	217) Varada Co-op. Bank Ltd., Haveri, Karjagi, Karnataka (2009)	2,613	25,242.02	1,277.72	23,964.30
	218) Ravi Co-operative Bank Ltd., Kolhapur, Maharashtra (2008)	25,627	169,225.78	1,726.52	167,499.26
	219) Shri Balasaheb Satbhai Merchants Co-op Bank Ltd., Kopergaon, Maharashtra (2008)	16,723	268,254.02	149,090.00	119,164.02
	220) Jai Lakshmi Co-operative Bank Ltd., Delhi (2008)	16,467	1,242.00	1,242.00	-

ANNEX - VII *(Contd.)*

(Amount in ₹ thousand)

Sr No.	Name of the Bank	No. of Depositors	Claims Settled	Repayments Received (Written off)	Balance (Col 4 - Col 5)
1	2	3	4	5	6
	221) Urban Co-operative Bank Ltd., Siddapur, Karnataka (2009)	19,141	112,933.28	40,213.28	72,720.00
	222) Shri B. J. Khatal Janata Shahakari Bank Ltd., Maharashtra (2009)	11,542	79,008.26	56,758.22	22,250.04
	223) Shree Kalmeshwar Urban Co-op. Bank Ltd., Hole- Alur, Karnataka (2009)	3,256	25,288.48	-	25,288.48
	224) The Laxmeshwar Urban Co-op Credit Bank Ltd., Karnataka (2009)	8,512	67,660.45	-	67,660.45
	225) Priyadarshini Mahila Nagrik Sahakari Bank Ltd., Latur,Maharashtra (2009)	11,129	65,792.83	24,201.77	41,591.06
	226) Sree Swamy Gnanananda Yogeeswara Mahila Co-op. Bank Ltd., Puttur, A.P (2009)	679	3,625.81	-	3,625.81
	227) Urban Co-operative Bank Ltd., Allahabad, U.P (2009)	3,225	10,030.16	2,700.73	7,329.43
	228) Firozabad Urban Co-op. Bank Ltd., U.P (2009)	514	4,015.07	-	4,015.07
	229) Siddapur Commercial Co-op. Bank Ltd., Gujarat (2009)	8,512	37,184.46	2,591.76	34,592.69
	230) Nutan Sahakari Bank Ltd., Baroda, Gujarat (2009)	21,603	128,916.02	29,462.21	99,453.81
	231) Bhavnagar Mercantile Co-op. Bank Ltd., Gujarat (2009)	35,466	374,582.84	169,295.62	205,287.22
	232) Sant Janabai Nagri Sahakari Bank Ltd., Gangakhed, Maharashtra (2009)	16,092	101,964.31	22,963.81	79,000.50
	233) Shri S. K. Patil Co-op Bank Ltd., Kurundwad, Maharashtra (2009)	9,658	133,059.30	6,896.56	126,162.75
	234) Shree Vardhman Co-op. Bank Ltd., Bhavnagar, Gujarat (2009)	13,521	51,821.99	29,985.78	21,836.21
	235) Dnyanopasak Urban Co-op Bank Ltd., Parbhani, Maharashtra (2009)	4,746	16,670.80	751.16	15,919.64
	236) Achelpur Urban Co-op Bank Ltd., Maharashtra (2009)	4,641	53,127.98	20,127.76	33,000.22
	237) Rohe Ashtami Sahakari Urban Bank Ltd., Rohe, Maharashtra (2009)	38,913	370,674.45	32,619.05	338,055.40
	238) South Indian Co-operative Bank Ltd.,Mumbai, Maharashtra (2009)*	56,816	359,773.78	23,312.43	336,461.35
	239) Ankleshwar Nagric Sahakari Bank Ltd., Gujarat (2009)	26,364	238,314.86	164,908.02	73,406.85
	240) Ajit Co-operative Bank Ltd., Pune, Maharashtra (2009)	26,286	292,978.03	97,748.12	195,229.91

ANNEX - VII *(Contd.)*

(Amount in ₹ thousand)

Sr No.	Name of the Bank	No. of Depositors	Claims Settled	Repayments Received (Written off)	Balance (Col 4 - Col 5)
1	2	3	4	5	6
	241) Shree Siddhi Venkatesh Sahkari Bank Ltd., Maharashtra (2009)	1,892	20,818.79	20,818.79	-
	242) Hirekerur Urban Co-operative Bank Ltd., Karnataka (2009)	16,539	137,345.44	-	137,345.44
	243) Shri P. K. Anna Patil Janata Sah. Bank Ltd., Nandurbar, Maharashtra (2009)	67,776	565,667.10	10,021.55	555,645.55
	244) Chalisgaon People Co-operative Bank Ltd., Jalgaon, Maharashtra (2009)	21,503	300,915.66	221,118.10	79,797.56
	245) Deendayal Nagrik Sahakari Bank Ltd., Kandwa, M.P (2009)	15,453	97,541.55	32,096.16	65,445.39
	246) Suvarna Nagrik Sahakari Bank Ltd., Parbhani, Maharashtra (2009)	3,923	19,584.61	12,095.04	7,489.57
	247) Vasantdada Shetkari Saha. Bank Ltd., Sangli, Maharashtra (2009)	141,317	1,672,059.89	912,059.89	760,000.00
	248) The Haliyal Urban Co-op Bank Ltd., Karnataka (2009)	8,684	43,375.25	25,897.17	17,478.08
	249) Miraj Urban Co-operative Bank Ltd., Maharashtra (2009)	32,763	420,266.21	149,657.60	270,608.61
	250) Faizpur Janata Sahakari Bank Ltd., Maharashtra (2009)	2,803	33,463.64	23,561.40	9,902.24
	251) Daltonganj Central Co-op. Bank Ltd., Jharkhand (2010)	23,933	93,927.24	53.33	93,873.91
	252) Indira Sahakari Bank Ltd., Dhule, Maharashtra (2010)	14,598	125,438.26	10,885.55	114,552.71
	253) The Akot Urban Co-operative Bank Ltd., Maharashtra (2010)	18,349	143,907.42	18,385.28	125,522.14
	254) Goregaon Co-operative Urban Bank Ltd.,Mumbai, Maharashtra (2010)	43,933	436,091.27	69,063.15	367,028.12
	255) Anubhav Co-op Bank Ltd., Basavakalyan, Karnataka (2010)	10,590	8,748.57	-	8,748.57
	256) Yashwant Urban Co-op. Bank Ltd., Parbhani, Maharashtra (2010)	9,082	116,808.19	35,543.83	81,264.36
	257) Prantij Nagrik Sahakari Bank Ltd., Gujarat, (2010)	11,446	70,159.19	32,798.40	37,360.79
	258) Surendranagar Peoples Co-op. Bank Ltd., Gujarat, (2010)	56,767	487,007.46	179,654.08	307,353.38
	259) Bellatti Urban Co-op. Credit Bank Ltd., Karnataka, (2010)	56	58.72	-	58.72

ANNEX - VII *(Contd.)*

(Amount in ₹ thousand)

Sr No.	Name of the Bank	No. of Depositors	Claims Settled	Repayments Received (Written off)	Balance (Col 4 - Col 5)
1	2	3	4	5	6
	260) Shri Parola Urban Co-operative Bank Ltd., Maharashtra, (2010)	5,289	51,243.07	7,686.88	43,556.19
	261) Sadhana Co-op. Bank Ltd., Maharashtra, (2010)	3,386	15,629.02	3,578.19	12,050.83
	262) Primary Teachers Co-op Credit Bank Ltd., Karnataka, (2010)	3,710	64,921.83	7,338.10	57,583.73
	263) Shri Kamdar Sahakari Bank Ltd., Bhavnagar, Gujarat, (2010)	14,263	54,165.54	-	54,165.54
	264) Citizen Co-operative Bank Ltd., Burhanpur, M.P, (2010)	27,123	232,261.93	232,261.93	-
	265) Yeshwant Sahakari Bank Ltd., Miraj, Maharashtra, (2010)	21,235	115,186.90	101,530.06	13,656.84
	266) Urban Industrial Co-operative Bank Ltd., Assam, (2010)	2,400	4,314.54	-	4,314.54
	267) Ahmedabad Peoples Co-op. Bank Ltd., Gujarat, (2010)	36,652	448,060.21	202,736.63	245,323.58
	268) Surat Mahila Nagrik Sahakari Bank Ltd., Gujarat, (2010)	44,393	260,370.86	102,014.25	158,356.61
	269) Katkol Co-operative Bank Ltd., Karnataka, (2010)	39,912	146,202.60	34,905.85	111,296.76
	270) Shri Sinnar Vyapari Sahakari Bank Ltd., Maharashtra, (2010)	35,219	403,741.10	138,741.10	265,000.00
	271) Nagpur Mahila Nagari Sahakari Bank Ltd., Maharashtra, (2010)	54,031	476,560.44	283,536.26	193,024.18
	272) Rajlaxmi Nagari Sahakari Bank Ltd., Maharashtra, (2010)	3,415	25,671.83	3,985.31	21,686.52
	273) Bahadarpur Urban Co-operative Bank Ltd., Gujarat, (2010)	4,866	49,312.44	6,951.39	42,361.05
	274) Sri Sampige Siddeswara Urban Co-op Bank, Karnataka, (2010)	3,479	49,352.46	655.71	48,696.75
	275) Vizianagaram Co-operative Urban Bank Ltd, A.P, (2010)	6,948	71,141.10	26,062.14	45,078.96
	276) Oudh Sahakari Bank Ltd., U.P, (2010)	5,289	23,839.86	1,376.98	22,462.88
	277) Annasaheb Patil Urban Co-op. Bank Ltd., Maharashtra, (2010)	6,296	27,996.78	5,175.28	22,821.50
	278) Kupwad Urban Cooperative Bank Ltd., Maharashtra, (2010)	12,948	114,105.44	48,729.74	65,375.70
	279) Rahuri Peoples Co-operative Bank Ltd., Maharashtra, (2010)	13,833	167,648.97	128,290.66	39,358.31

ANNEX - VII *(Contd.)*

(Amount in ₹ thousand)

Sr No.	Name of the Bank	No. of Depositors	Claims Settled	Repayments Received (Written off)	Balance (Col 4 - Col 5)
1	2	3	4	5	6
	280) Raibag Urban Co-operative Bank Ltd., Karnataka, (2010)	4,501	14,769.68	-	14,769.68
	281) Champavati Urban Co-op Bank Ltd., Maharashtra, (2011)	14,811	145,596.66	133,805.66	11,791.00
	282) Shri Mahesh Sahakari Bank Mydt., Maharashtra, (2011)	9,208	84,041.98	53,062.91	30,979.07
	283) Rajwade Mandal People's Co-op Bank Ltd., Maharashtra, (2011)	26,422	133,960.02	4,241.66	129,718.36
	284) Sri Chamaraja Co-operative Bank Ltd., Karnataka, (2011)	174	179.27	-	179.27
	285) Anyonya Co-op Bank Ltd., Gujarat,2011	71,255	591,381.71	261,333.15	330,048.56
	286) Cambay Hindu Mercantile Co-op Bank Ltd., Gujarat, (2011)	9,336	86,764.47	5,593.14	81,171.34
	287) Rabkavi Urban Co-op. Bank Ltd., Karnataka (2011)	10,462	67,393.38	33,135.21	34,258.17
	288) Sri Mouneshwara Co-op. Bank Ltd., Karnataka (2011)	1,640	2,569.75	-	2,569.75
	289) The Chadchan Shree Sangameshwar Urban Co-op. Bank Ltd., Karnataka (2011)	6,075	38,149.77	12,751.77	25,398.00
	290) The Parmatma Ek Sewak Nagarik Sahakari Bank Ltd., Maharashtra (2011)	54,925	403,178.78	129,344.32	273,834.46
	291) Samata Sahakari Bank Ltd., Maharashtra (2011)	33,500	422,834.49	39,144.98	383,689.51
	292) Hina Shahin Nagrik Sahakari Bank Ltd., Maharashtra (2011)	9,798	112,964.84	181.29	112,783.55
	293) Shri Laxmi Sahakari Bank Ltd., Maharashtra (2011)	2,319	35,474.07	1,426.58	34,047.49
	294) Dadasaheb Dr. N M Kabre Nagarik Sahakari Bank Ltd., Maharashtra (2011)	16,324	199,311.58	41,090.58	158,221.00
	295) Vidarbha Urban Co-op. Bank Ltd., Maharashtra (2011)	11,322	160,023.77	18,818.84	141,204.93
	296) Ichalkaranji Urban Co-op. Bank Ltd., Maharashtra (2011)	43,813	557,331.50	219,925.81	337,405.69
	297) Suvidha Mahila Nagrik Sahakari Bank Ltd., Madhya Pradesh (2011)	2,729	12,248.09	11,735.35	512.74
	298) Asansol Peoples Co-op. Bank Ltd., West Bengal (2011)	1,012	4,158.75	1,136.33	3,022.41
	299) Shri Jyotiba Sahakari Bank Ltd., Maharashtra (2012)	7,596	22,002.44	-	22,002.44

ANNEX - VII *(Contd.)*

(Amount in ₹ thousand)

Sr No.	Name of the Bank	No. of Depositors	Claims Settled	Repayments Received (Written off)	Balance (Col 4 - Col 5)
1	2	3	4	5	6
	300) Raichur Zilla Mahila Pattan Sahakari Bank Ltd., Karnataka (2012)	6,021	11,159.42	6,572.92	4,586.50
	301) Chopda Urban Co-op. Bank Ltd., Maharashtra (2012)	10,264	71,269.83	64,212.12	7,057.71
	302) The Sidhpur Nagrik Sahakari Bank Ltd., Gujarat (2012)	6,712	33,560.01	5,431.20	28,128.81
	303) Shri Balaji Co-op. Bank Ltd.,Maharashtra (2012)	927	9,476.72	9,476.72	-
	304) Siddhartha Sahakari Bank Ltd.,Maharashtra (2012)	18,509	242,002.87	2,045.21	239,957.66
	305) Boriavi Peoples Co-op. Bank Ltd., Gujarat (2012)	5,408	45,494.11	30,077.57	15,416.54
	306) Memon Co-op. Bank Ltd.,Maharashtra (2012)*	85,990	237,520.12	64,323.00	173,197.12
	307) National Co-op. Bank Ltd., Andhra Pradesh (2012)	3,042	4,317.79	-	4,317.79
	308) Bhandari Co-op. Bank Ltd., Maharashtra (2012)	42,553	548,927.62	286,187.54	262,740.08
	309) Bharat Urban Co-op. Bank Ltd.,Maharashtra (2012)	5,696	20,904.79	6,879.40	14,025.39
	310) Indira Shramik Mahila Sahakari Bank Ltd., Maharashtra (2012)	6,950	32,011.61	16,302.46	15,709.15
	311) Shree Bhadran Mercantile Bank Ltd.,Gujarat (2012)	6,596	45,655.95	25,133.92	20,522.03
	312) Dhenkanal Urban Co-op. Bank Ltd.,Odisha (2012)	14,925	77,806.72	23,359.16	54,447.56
	313) Bhimashankar Nagari Sahakari Bank Ltd., Maharashtra (2012)	3,437	4,102.06	-	4,102.06
	314) Bhusawal Peoples Co-op. Bank Ltd.,Maharashtra (2012)	12,200	101,644.77	50,622.33	51,022.44
	315) Solapur Nagari Audyogik Sahakari Bank Ltd., Maharashtra (2012)	64,674	459,541.77	134,752.21	324,789.56
	316) Vaso Co-op. Bank Ltd.,Gujarat (2012)*	34,672	72,219.38	10,468.00	61,751.38
	317) Krishna Valley Co-op. Bank Ltd., Maharashtra (2013)	809	13,527.80	13,527.80	-
	318) Abhinav Sahakari Bank Ltd., Maharashtra (2013)	10,805	17,951.86	-	17,951.86

ANNEX - VII *(Concld.)*

(Amount in ₹ thousand)

Sr No.	Name of the Bank	No. of Depositors	Claims Settled	Repayments Received (Written off)	Balance (Col 4 - Col 5)
1	2	3	4	5	6
	319) Agrasen Co-op. Bank Ltd., Maharashtra (2013)*	19,631	52,967.42	-	52,967.42
	320) Swami Samarth Sahakari Bank Ltd., Maharashtra (2014)	11,295	86,423.37	60,782.93	25,640.44
	321) Arjun Urban Co-op.Bank Ltd., Maharashtra (2014)	3,529	61,558.99	8,601.30	52,957.69
	322) Vishwakarma Nagari Sahakari Bank Ltd., Maharashtra (2014)	6,118	40,460.94	5,820.89	34,640.05
	323) Veershaiva Co-op. Bank Ltd., Maharashtra (2014)	40,373	727,615.26	727,615.26	-
	TOTAL 'F'	**2,219,286**	**43,092,088.63**	**10,613,262.92**	**32,478,825.72**
	TOTAL (D+E+F)		**43,117,054.59**	**10,632,734.23**	**32,484,320.36**
				(5,494.65)	
	TOTAL (A+B+C+D+E+F)		**46,075,584.33**	**12,118,005.12**	**33,630,671.70**
				(326,907.51)	

* Scheme of Amalgmation/Merger.
\# Scheme of Reconstruction.
@ claim settled on liquidation of the bank.

Notes:

1. The year in which original claims were settled are given in brackets.
2. Figures in brackets under repayment column indicate amount written off up to March 31,2014.
3. Repayments received are inclusive of Liquid Fund Adjusted at the time of sanction and approval of claims
4. Number of depositors is given for claims settled 2008 onwards.
5. Accuracy of number of depositors ensured up to hundredth place.

ANNEX - VIII

PROVISION FOR DEPOSIT INSURANCE CLAIMS - AGE-WISE ANALYSIS (AS ON MARCH 31, 2014)

Sr. No.	Date of de-registration/ liquidation of the Bank	Name of the Bank	Amount (₹ million)	Banks which have slipped to higher time bucket (w.r.t. March 31, 2013)
A	**More than 10 years old**			
1	August 3, 1999	Jhargram People's Co-op. Society Ltd.	29.23	
2	May 27, 2002	Madhepura Urban Development Co-op. Bank Ltd.	0.54	
3	July 22, 2002	Nalanda Urban Co-op. Bank Ltd.	6.86	
4	August 6, 2002	Pranabananda Co-op. Bank Ltd.	225.71	
5	September 23, 2002	Manipur Industrial Co-op. Bank Ltd.	18.13	
6	September 28, 2002	Federal Co-op. Bank Ltd.	13.69	
7	June 3, 2003	Lamka Urban Co-op. Bank Ltd.	0.27	√
8	June 19, 2003	Sibsagar District Central Co-op. Bank	188.67	√
	Total (A)	**(8 Banks)**	**483.10**	**2**
B	**Between 5 and 10 years old**			
1	December 29, 2006	Guwahati Co-op. Town Bank Ltd.	82.43	
2	April 10, 2007	Rohuta Urban Co-op. Bank Ltd.	145.68	
3	September 25, 2008	Bhadrak Urban Co-op. Bank Ltd.	27.24	√
	Total (B)	**(3 Banks)**	**255.35**	**1**
C	**Between 1 and 5 years old**			
1	March 31, 2010	Dhanashri Mahila Sahakari Bank Ltd.	26.60	
2	April 9, 2010	Rajeshwar Yuvak Vikas Sahakari Bank Ltd.	26.29	
3	June 17, 2010	Ramkrishnapur Co-op. Bank Ltd.	750.24	
4	December 16, 2010	Golghat Urban Co-op. Bank Ltd.	5.22	
5	January 4, 2011	Dadasaheb Rawal Co-op. Bank Ltd.	436.61	
6	July 23, 2012	Premier Automobiles Employees' Co-op. Bank	39.25	√
7	August 30, 2012	Rajiv Gandhi Sahakari Bank Ltd.	16.96	√
	Total (C)	**(7 Banks)**	**1,301.17**	**2**
D	**Less than 1 year old**			
1	June 7, 2013	Vaishali Urban Co-op. Bank Ltd.	164.13	
2	August 24, 2013	Mahatma Phule Urban Co-op. Bank Ltd.	127.68	
3	August 27, 2013	The Srikakulam Co-op. Bank Ltd.	15.61	
4	September 6, 2013	Kasundia Co-op. Bank Ltd.	432.76	
5	September 25, 2013	Shree Siddhivinayak Nagari Sahakari Bank Ltd.	301.63	
6	October 1, 2013	Konkan Prant Sahakari Bank Ltd.	559.64	
7	February 3, 2014	Muncipal Co-op. Bank Ltd.	280.18	
	Total (D)	**(7 Banks)**	**1,881.63**	**0**
	Grand Total (A+B+C+D)	**(25 Banks)**	**3,921.26**	**5**

ANNEX - IX

CREDIT GUARANTEE FEES / CLAIMS PAID

(₹ million)

Year	Credit Guarantee Fees	Credit Guarantee Claims	Credit Guarantee Claims Paid	Gap (2)-(3)	Gap (2)-(4)
1	2	3	4	5	6
1991-92	5,659	6,272	4,623	(-) 614	(+) 1,036
1992-93	7,028	11,433	6,436	(-) 4,405	(+) 692
1993-94	8,461	14,908	8,900	(-) 6,447	(-) 439
1994-95	8,291	17,268	11,790	(-) 8,977	(-) 3,499
1995-96	7,046	23,652	10,423	(-) 16,606	(-) 3,376
1996-97	5,640	21,124	3,786	(-) 15,484	(+) 1,854
1997-98	1,649	4,973	3,714	(-) 3,324	(-) 2,065
1998-99	1,232	2,522	6,019	(-) 1,290	(-) 4,787
1999-00	220	2,455	4,031	(-) 2,235	(-) 3,811
2000-01	0.7	361	473	(-) 360	(-) 473
2001-02	0.2	12.4	13.3	(-) 12.2	(-) 13.1
2002-03	2.1	2.6	1.4	(-) 0. 5	(-)0.7
2003-04	0.2*	-	-	-	-
2004-05 to 2013-14	-	-	-	-	-

*Note: Presently no credit institution is participating in the various credit guarantee schemes operated and administered by the Corporation. Subsequent to 2003-04, no guarantee fees on guarantee claims have been received and no claims have been paid. Guarantee fees received after stipulated period were refunded to bank during 2003-04.

Mahavir Apartments, Third Floor, 598, M.G. Road,
Near Suncity Cinema, Vile Parle (East), Mumbai 400 057.
91 22 2610 1124-26
91-22-26134015 spca@sardapareek.com
Branches at Madgaon, Indore, Bharuch

SARDA & PAREEK
CHARTERED ACCOUNTANTS

Independent Auditor's Report

To,
The Board of Directors,
Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation,

Report on the Financial Statements

We have audited the attached Balance Sheets of Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation (hereinafter referred to as "Corporation") for the Deposit Insurance Fund, Credit Guarantee Fund and General Fund as at March 31, 2014 and annexed Revenue Accounts and also Cash Flow Statements of the said three funds (hereafter referred to as " Financial Statements") for the year ended that date.

Management's Responsibility for the Financial Statements

Management is responsible for the preparation of these financial statements that give true and fair view of the financial position and financial performance in accordance with the requirements of the Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation Act, 1961 and applicable Accounting Standards issued by the Institute of Chartered Accountants of India. This responsibility includes the design, implementation and maintenance of internal control relevant to the preparation of the financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Auditor's Responsibility

Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with the Standards on Auditing issued by the Institute of Chartered Accountants of India. Those Standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free from material misstatement.

An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the financial statements. The procedures selected depend on the auditor's judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditor considers internal control relevant to the Corporation's preparation and fair presentation of the financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the entity's internal control. An audit also includes valuating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of the accounting estimates made by management, as well as evaluating the over all presentation of the financial statements.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.

Opinion

In our opinion and to the best of the information and according to the explanations given to us, the said accounts, read with the significant accounting policies and other notes thereon, contain all necessary particulars and are properly drawn up so as to exhibit true and fair view in conformity with the accounting principles generally accepted in India;

a. In case of the Balance Sheets, which are full and fair, of the state of affairs of the business as at March 31, 2014.

b. In the case of the Revenue Accounts, of the surplus of the Corporation in case of Deposit Insurance fund, Credit Guarantee Fund and General Fund for the year ended that date; and

c. In case of the Cash Flow Statements of the Cash flows for the year ended on that date

We report as follows:

a) We have obtained all the information and explanations, which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purposes of our audit and have found them to be satisfactory.

b) In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the Corporation has maintained proper books of account so far as it appears from our examination of those books.

c) The Balance Sheet, Revenue Account and Cash flow of the three funds of the Corporation referred to in the report are in agreement with the books of account and returns.

d) The Financial Statements have been prepared in accordance with the requirements of the Act to the extent applicable and in the manner so required.

e) The Accounting policies adopted by the corporation are appropriate and are in compliance with the applicable Accounting Standards issued by the institute of Chartered Accountants of India and the Act whereby applicable.

For SARDA & PAREEK
Chartered Accountants
F.R. No. 109262W

Giriraj Soni
Partner
Membership No.: 109738

June 17, 2014
Mumbai

DEPOSIT INSURANCE AND
(Established under the Deposit Insurance
(Regulation 18 -
Balance Sheet as at the close
I. DEPOSIT INSURANCE FUND (DIF)

Previous Year		LIABILITIES	Deposit Insurance Fund		Credit Guarantee Fund	
Deposit Insurance Fund	Credit Guarantee Fund					
Amount	Amount		Amount	Amount	Amount	Amount
52,649.60	-	**1. Fund** (Balance at the end of the year as per Actuarial Valuation)		50,683.40		
		2. Surplus as per Revenue Account:				
253,252.71	3,000.61	Balance at the begining of year	308,553.81		3,250.95	
0.00	0.00	Add:Transferred (to) / from other Fund/s	0.00		0.00	
55,301.10	250.34	Add: Transferred from Revenue Account	46,942.04		288.97	
308,553.81	3,250.95	Balance at the end of year		355,495.85		3,539.92
		3. (a) Investment Reserve				
13,662.60	495.20	Balance at the begining of year	5,226.96		406.56	
(8,435.64)	(88.64)	Add:Transferred from Revenue Account	21,520.29		178.80	
5,226.96	406.56	Balance at the end of the year		26,747.25		585.36
		(b) Investment Fluctuation Reserve				
11,572.32	278.99	Balance at the begining of year	14,543.39		278.99	
2,971.07	0.00	Transferred from Revenue Account	13,778.61		0.00	
14,543.39	278.99	Balance at the end of the year		28,322.00		278.99
987.35		**4. Claims Intimated and Admitted But Not paid**		4,154.50		
7,912.22		**5. Estimated liability in respect of claims intimated but not admitted**		2,780.19		
1,141.07		**6. Insured Deposits in respect of Banks De-registered**		1,141.07		
1,440.59		**7. Insured Deposits remaining unclaimed**		1,670.28		
		8. Other Liabilities				
541.51	0.00	(i) Sundry Creditors	375.76			
80,640.13	551.68	(ii) Provision for Income Tax	98,987.92		279.92	
81.92	0.00	(iii) Sundry Deposits	124.97			
9.99	0.00	(iv) Securities Deliverable	49.99			
81,273.55	551.68			99,538.64		279.92
473,728.54	**4,488.18**	**Total**		**570,533.18**		**4,684.19**

As per our report of date

For M/s Sarda and Pareek
Chartered Accountants
Regn. No. FRN. 109262W

Giriraj Soni
Partner (M No. 109738)

Mumbai
17th June 2014

Dr. Urjit Patel
Chairman

G. Sivakumar
Director

Jasbir Singh
Executive Director

B. L. Patwardhan
Director

CREDIT GUARANTEE CORPORATION
and Credit Guarantee Corporation Act, 1961)
Form 'A')
of business on 31st March 2014
AND CREDIT GUARANTEE FUND (CGF)

(₹ in million)

Previous Year		ASSETS	Deposit Insurance Fund		Credit Guarantee Fund	
Deposit Insurance Fund	Credit Guarantee Fund					
Amount	Amount		Amount	Amount	Amount	Amount
285.41	0.48	**1. Balance with the Reserve Bank of India**		281.79		0.07
		2. Cash in Transit				
		3. Investments in Central Government Securities (at cost)				
3,373.71	0.00	Treasury Bills	607.46		0.00	
371,618.35	3,941.86	Dated Securities	444,168.15		4,200.63	
374,992.06	3,941.86			444,775.61		4,200.63
375,076.49	3,761.55	Face Value	442,491.55		3,995.34	
373,959.21	3,535.29	Market Value	418,269.67		3,615.26	
7,675.14	98.64	**4. Interest accrued on investments**		8,987.83		103.87
		5. Other Assets				
245.96	0.20	(i) Sundry Debtors	1,285.32		4.24	
90,152.58	447.00	(ii) Advance Income Tax / TDS	108,880.77		375.38	
9.99		(iii) Reverse Repo/Reverse Repo interest receivable	50.04			
9.99		(iv) Securities purchased under Reverse Repo	49.99			
357.41		(v) Service Tax refundable A/c	982.43			
		(vi) Service Tax receivable	5,239.40			
90,775.93	447.20			116,487.95		379.62
473,728.54	**4,488.18**	**Total**		**570,533.18**		**4,684.19**

Shashank Saksena
Director

Kamlesh S. Vikamsey
Director

Sonjoy Sethee
Chief Financial Officer

V. K. Maurya
Deputy General Manager

DEPOSIT INSURANCE AND
(Form
Revenue Account for the
I. DEPOSIT INSURANCE FUND (DIF)

Previous Year		EXPENDITURE	Deposit Insurance Fund		Credit Guarantee Fund
Deposit Insurance Fund	Credit Guarantee Fund				
Amount	Amount		Amount	Amount	Amount
		1. To Claims:			
1,997.67	-	(a) Paid during the year		1,030.92	
37.83	-	(b) Admitted but Not paid		3,167.16	
		(c) Estimated liability in respect of claims intimated but not admitted			
7,912.22		At the end of the year	2,780.19		
(5,744.39)		Less: at the end of the previous year	(7,912.22)		
2,167.83				(5,132.03)	
		(d) Insured Deposits in respect of Banks De-registered			
1,141.07	-	At the end of the year	1,141.07		
(1,141.07)	-	Less: at the end of the previous year	(1,141.07)		
0.00				0.00	
4,203.33		**Net Claims**		(933.95)	
52,649.60		**2. To Balance of Fund at the end of the year (as per Actuarial Valuation)**		50,683.40	
		3. To Provision for diminution in the value of investments credited to Investment Reserves		21,520.29	178.80
		4. To Service Tax			
86,265.24	370.61	**To Net Surplus Carried Down**		91,523.37	121.91
143,118.17	**370.61**	**TOTAL**		**162,793.11**	**300.71**
		To Provision for Taxation			
27,993.07	120.27	Current Year		31,108.79	41.44
	0.00	Earlier Years - Short (Excess)			0.00
2,971.07	0.00	To Investment Fluctuation Reserve (IFR)		13,778.61	0.00
55,301.10	250.34	To Balance Carried to Surplus Account		46,942.04	288.97
86,265.24	**370.61**			**91,829.44**	**330.41**

As per our report of date

For M/s Sarda and Pareek
Chartered Accountants
Regn. No. FRN. 109262W

Giriraj Soni
Partner (M No. 109738)

Dr. Urjit Patel
Chairman

G. Sivakumar
Director

Jasbir Singh
Executive Director

B. L. Patwardhan
Director

Mumbai
17th June 2014

CREDIT GUARANTEE CORPORATION
'B')
year ended 31st March 2014
AND CREDIT GUARANTEE FUND (CGF)

(₹ in million)

Previous Year				
Deposit Insurance Fund	Credit Guarantee Fund	INCOME	Deposit Insurance Fund	Credit Guarantee Fund
Amount	Amount		Amount	Amount
47,677.60	-	**1. By Balance of Fund at the beginning of the year**	52,649.60	
57,182.42	-	**2. By Deposit Insurance Premium (including interest on overdue premium)**	73,128.01	
-	-	**3. By Guarantee Fees (including interest on overdue guarantee fees)**	-	-
2,131.24	1.72	**4. By recoveries in respect of claims paid / settled (including interest on overdue repayment)**	2,239.29	2.21
		5. By income from Investments		
28,095.59	279.40	(a) Interest on Investments	33,497.77	294.65
(479.15)	0.65	(b) Profit (Loss) on sale / redemption of securities (Net)	295.58	(0.39)
63.56		(c) By Reverse Repo interest income A/c	109.09	0.00
27,680.00	280.05		33,902.44	294.26
		6. Other Incomes		
11.27	0.20	Interest on Refund of Income Tax	873.77	4.24
8,435.64	88.64	Depreciation in value of Investments written back		
143,118.17	**370.61**	**TOTAL**	**162,793.11**	**300.71**
86,265.24	370.61	By Net Surplus Brought Down	91,523.37	121.91
		By Income tax refund for earlier years	306.07	208.50
	0.00	By balance transferred from Surplus A/c	0.00	0.00
86,265.24	**370.61**		**91,829.44**	**330.41**

Shashank Saksena
Director

Kamlesh S. Vikamsey
Director

Sonjoy Sethee
Chief Financial Officer

V. K. Maurya
Deputy General Manager

DEPOSIT INSURANCE AND
(Established under the Deposit Insurance
(Regulation 18 -
Balance Sheet as at the close
II. GENERAL

Previous Year Amount		LIABILITIES	Amount	Amount
500.00	1.	**Capital : Provided by Reserve Bank of India (RBI) as per Section 4 of the DICGC Act, 1961 (A wholly owned subsidiary of RBI)**		500.00
	2.	**Reserves**		
		A) General Reserve		
4,303.15		Balance at the beginning of the year	4,573.30	
0.00		Transferred from Credit Guarantee Fund	0.00	
270.15		Surplus /(Deficit) transferred from Revenue Acount	84.09	
4,573.30				4,657.39
		B) Investment Reserve		
631.50		Balance at the beginning of the year	466.78	
(164.72)		Transferred from Revenue account	(85.30)	
466.78				
		(C) Investment Fluctuation Reserve		381.48
304.90		Balance at the beginning of the year	304.90	
0.00		Transferred from Revenue Surplus	51.12	
304.90				356.02
	3.	**Current Liabilities and Provisions**		
0.00		Outstanding Employees' Cost		
8.69		Outstanding Expenses	11.88	
0.55		Sundry Creditors	0.44	
184.57		Provision for Income Tax	258.46	
193.81				**270.78**
6,038.79		**Total**		**6,165.67**

As per our report of date

For M/s Sarda and Pareek
Chartered Accountants
Regn. No. FRN. 109262W

Giriraj Soni
Partner (M No. 109738)

Mumbai
17th June 2014

Dr. Urjit Patel
Chairman

G. Sivakumar
Director

Jasbir Singh
Executive Director

B. L. Patwardhan
Director

CREDIT GUARANTEE CORPORATION
and Credit Guarantee Corporation Act, 1961)
Form 'A')
of business on 31st March 2014
FUND (GF)

(₹ in million)

Previous Year Amount		ASSETS	Amount	Amount
	1.	**CASH**		
0.01		(i) In hand	0.01	
3.05		(ii) With Reserve Bank of India	3.59	
3.06				3.60
	2.	**Investments in Central Government Securities (At Cost)**		
0.00		Treasury Bills		
5,007.01		Dated Securities	5,105.71	
448.00		Dated Securities deposited with CCIL (Face Value 4500.00)	454.28	
5,455.01				5,559.99
4,979.16		*Face Value :*	5,385.84	
5,032.35		*Market Value :*	5,178.51	
141.63	**3.**	**Interest accrued on Investments**		157.77
	4.	**Other Assets**		
5.70		Furniture, Fixtures & Equipment (less depreciation)	4.17	
0.78		Stock of Stationery / Lounge Coupons	0.95	
14.22		Staff Advances	14.06	
3.33		Interest Accrued on Staff Advances	3.01	
0.87		Sundry Debtors	5.45	
50.00		Margin Deposit with CCIL	50.00	
364.19		Advance Income Tax / TDS	365.90	
		Service Tax Receivable	0.77	
439.09				**444.31**
6,038.79		**Total**		**6,165.67**

Shashank Saksena
Director

Kamlesh S. Vikamsey
Director

Sonjoy Sethee
Chief Financial Officer

V. K. Maurya
Deputy General Manager

DEPOSIT INSURANCE AND CREDIT GUARANTEE CORPORATION
(Form 'B')
Revenue Account for the year ended 31st March 2014
II. GENERAL FUND (GF)

(₹ in million)

Previous Year Amount	EXPENDITURE		Amount	Previous Year Amount	INCOME	Amount	Amount
76.00	**To Payment / Reimbursement of staff cost**		86.94		**By Income from Investments**		
0.06	**To Directors' and Committee Members' Fees**		0.15	429.74	(a) Interest on Investments	448.95	
0.11	**To Directors' / Committee Members' Travelling & other allowances / expenses**		0.11	(50.71)	(b) Profit (Loss) on sale / redemption of investments	(158.13)	
9.80	**To Rents,Taxes, Insurance , Lightings etc.**		9.82	379.03			290.82
37.70	**To Establishment, Travelling and Halting Allowances**		37.01	164.72	By depreciation on Investment written back		85.30
0.63	**To Printing, Stationery and Computer Consumables**		1.76				
2.07	**To Postage, telegrams and Telephones**		2.27		By Miscellaneous Receipt		
0.31	**To Auditors' Fees**		0.31	0.73	Interest on advances to staff	0.69	
0.66	**To Legal Charges**		4.95	0.15	Profit / Loss on sale of dead stocks (Net)	0.03	
0.56	**To Advertisements**		0.87	0.22	Interest on refund of income tax	4.59	
	To Provision for diminution in the value of investments credited to Investment Reserve		0.00	0.20	Other Misc. Receipts	0.00	
				1.30			5.31
	To Miscellaneous Expenses						
2.41	Professional Charges	0.62					
3.96	Service Contract / Maintenance	3.73					
0.34	Books, News Papers, Periodicals	0.37					
0.27	Book Grants	0.31					
0.05	Repair of Office Property-Dead Stock	0.26					
2.77	Transaction Charges-CCIL	2.85					
7.49	Others	7.72					
17.29			**15.86**				
1.97	To Depreciation		3.00				
397.89	To Balance being excess of income over expenditure for the year carried down		218.38	0.00	By Balance being excess of Expenditure over Income for the year carried down		0.00
545.05	**Total**		**381.43**	**545.05**	**Total**		**381.43**
0.00	To balance being excess of Expenditure over Income - Carried Down		0.00	397.89	By balance being excess of income over expenditure for the year - Carried Down		218.38
	To Provision for Income Tax						
129.11	Current Year		74.23	1.37	By Refund of Income Tax for earlier years		0.00
0.00	Earlier Years - Short (Excess)		8.94				
0.00	**To Investment Fluctuation Reserve (IFR)**		51.12		**By General Reserve**		0.00
270.15	**To General Reserve Account**		84.09				
399.26	**Total**		**218.38**	**399.26**	**Total**		**218.38**

As per our report of date

For M/s Sarda and Pareek
Chartered Accountants

Regn. No. FRN. 109262W

Giriraj Soni
Partner (M No. 109738)

Mumbai
17th June 2014

Dr. Urjit Patel
Chairman

G. Sivakumar
Director

Jasbir Singh
Executive Director

B. L. Patwardhan
Director

Shashank Saksena
Director

Sonjoy Sethee
Chief Financial Officer

Kamlesh S. Vikamsey
Director

V. K. Maurya
Deputy General Manager

DEPOSIT INSURANCE AND CREDIT GUARANTEE CORPORATION
I. Deposit Insurance Fund (DIF) & Credit Guarantee Fund (CGF)
Cash Flow Statement for the year ended 31st March, 2014

(₹ in million)

Previous Year DIF Amount	Previous Year CGF Amount			DIF Amount	CGF Amount
		Cash Flow from Operating Activities			
86,265.24	**370.61**	Excess of Income over Expenditure	**(a)**	**91,523.37**	**121.91**
		Adjustments to reconcile excess of income over expenditure to net cash from operations :			
(28,159.15)	(279.40)	Interest on Investments		(33,606.85)	(294.65)
479.15	(0.65)	Profit/(Loss) on Sale/Redemption of Securities		(295.58)	0.39
4,972.00	0.00	Increase (Decrease) in Fund balance		(1,966.20)	0.00
(8,435.64)	(88.64)	Transfer to Investment Reserve		21,520.29	178.80
(31,143.64)	**(368.69)**		**(b)**	**(14,348.34)**	**(115.46)**
		Changes in Operating Assets and Liabilities :			
		ASSETS :			
		Decrease (Increase) in			
(29,627.57)	(143.30)	Advance Income Tax & TDS		(31,183.12)	(33.09)
54.91	(0.20)	Sundry Debtors		(1,039.36)	(4.04)
0.00	0.00	Service Tax Receivable		(5,239.40)	0.00
625.18	0.00	Other Assets		(705.06)	0.00
(28,947.48)	(143.50)		**(c)**	(38,166.94)	(37.13)
		LIABILITIES :			
		Increase (Decrease) in			
2,205.66	0.00	Increase in Estimated Liability for claims intimated not admitted		(1,964.88)	0.00
444.66	0.00	Increase in Unclaimed Deposits		229.68	0.00
(131.92)	0.00	Sundry Creditors		(165.75)	0.00
(0.01)	0.00	Sundry Deposit Accounts		83.05	0.00
2,518.39	0.00		**(d)**	(1,817.90)	0.00
28,692.51	(141.58)	**Net Cash Flow from Operating Activities: (a+b+c+d)**	**(A)**	37,190.19	(30.68)
		Cash Flow from Investment Activities			
26,854.34	278.94	Interest Received on Investments		32,294.16	289.42
(479.15)	0.65	Profit/(Loss) on Sale/Redemption of Securities		295.58	(0.39)
		Decrease (Increase) in			
(54,788.37)	(137.89)	Increase in Investments in Central Government Securities		(69,783.55)	(258.76)
(28,413.18)	141.70	**Net Cash Flow from Investing Activities**	**(B)**	(37,193.81)	30.27
0.00	0.00	**Cash Flow from Financing Activities**	**(C)**	0.00	0.00
279.33	0.12	**Net Increase/(Decrease) in Cash**	**(A+B+C)**	(3.62)	(0.41)
6.08	0.36	Cash Balance at Beginning of period		285.41	0.48
285.41	**0.48**	**Cash Balance at End of period**		**281.79**	**0.07**

For M/s Sarda and Pareek
Chartered Accountants
Regn. No. FRN. 109262W

Giriraj Soni
Partner (M No. 109738)

Jasbir Singh
Executive Director

Sonjoy Sethee
Chief Financial Officer

V.K. Maurya
Deputy General Manager

Mumbai
17th June 2014

DEPOSIT INSURANCE AND CREDIT GUARANTEE CORPORATION
II. General Fund
Cash Flow Statement for the year ended 31st March, 2014

(₹ in million)

Previous Year Amount			Amount
	Cash Flow from Operating Activities		
397.89	Excess of Income over Expenditure	**(a)**	218.38
1.97	Depreciation		3.00
(429.74)	Interest on Investments		(448.95)
50.72	Profit/(Loss) on Sale/Redemption of Securities		158.13
(164.72)	Transfer to Investment Reserve		(85.30)
0.00	Excess Provision written back		0.00
(0.73)	Interest on Advances to Staff		(0.69)
(0.15)	Profit/(Loss) on Sale of Dead Stock		(0.03)
(0.52)	Others –Misc Receipts		4.59
(543.17)		**(b)**	**(369.25)**
	Changes in Operating Assets and Liabilities :		
	ASSETS :		
	Decrease (Increase) in		
(0.10)	Stock of Stationery/Officers Lounge Coupons		(0.17)
0.00	Prepaid Expenses /Service Tax Receivable		(0.77)
0.44	Advances for Staff Expenses/allowances receivable from RBI etc.		0.16
(155.35)	Advance Income Tax & TDS		(10.99)
0.00	Margin Deposit with CCIL		0.00
(0.38)	Interest accrued on Staff Advances		0.32
0.00	Project Cost		0.00
(0.28)	Sundry Debtors		(4.58)
(155.67)		**(c)**	**(16.03)**
	LIABILITIES :		
	Increase (Decrease) in		
0.00	Outstanding Employees' Cost		0.00
0.62	Outstanding Expenses		3.19
(0.33)	Sundry Creditors		(0.11)
0.00	Other Deposits		0.00
0.29		**(d)**	**3.08**
(300.66)	**Net Cash Flow from Operating Activities: (a+b+c+d)**	**(A)**	**(163.82)**
	Cash Flow from Investment Activities		
399.36	Interest Received on Investments		432.81
(50.72)	Profit/(Loss) on Sale/Redemption of Securities		(158.13)
0.73	Interest on Advances to Staff		0.69
0.00	Funds received from DIF		0.00
0.42	Others		(4.56)
	Decrease (Increase) in		
(3.48)	Fixed assets		(1.47)
	Investments in Central Government Securities :		
0.00	Treasury Bills		0.00
(79.07)	Dated Securities		(98.70)
34.15	Dated Securities deposited with CCIL		(6.28)
301.39	**Net Cash Flow from Investing Activities**	**(B)**	**164.36**
0.00	**Cash Flow from Financing Activities**	**(C)**	**0.00**
0.73	**Net Increase in Cash**	**(A+B+C)**	0.54
	Cash Balance at Beginning of period		
0.01	In Hand		0.01
2.32	With RBI		3.05
3.06	**Cash Balance at End of period**		**3.60**

For M/s Sarda and Pareek
Chartered Accountants
Regn. No. FRN. 109262W

Giriraj Soni
Partner (M No. 109738)

Jasbir Singh
Executive Director

Sonjoy Sethee
Chief Financial Officer

V.K. Maurya
Deputy General Manager

Mumbai
17th June 2014

Significant Accounting Policies

Basis of Accounting

The financial statements have been prepared in accordance with requirements prescribed under the Regulation 18 of the Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation General Regulations, 1961. The accounting policies used in the preparation of these financial statements, in all material aspects, conform to Generally Accepted Accounting Principles in India (Indian GAAP), the Accounting Standards (AS) issued by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) to the extent applicable and practices generally prevalent in the country. The Corporation follows the accrual method of accounting, except where otherwise stated, and the historical cost convention.

2. Use of Estimates

The preparation of financial statements requires the management to make estimates and assumptions that affect the reported amount of assets, liabilities, expenses, income and disclosure of contingent liabilities as at the date of the financial statements particularly in respect of claims under Deposit Insurance. Claim liabilities are estimated by an approved Actuary. Management believes that these estimates and assumptions are reasonable and prudent. However, actual results could differ from estimates. Any revision to accounting estimates is recognised prospectively in current and future periods.

3. Revenue Recognition

Items of income and expenditure are accounted for on accrual basis, unless otherwise stated.

(i) Premium:

(a) Deposit insurance premia are recognised as per Regulation 19 of the Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation General Regulations, 1961.

(b) In case premia payment by an insured bank is in default for two consecutive periods, in view of uncertainty of collection of income, premia income are recognised on receipt basis. Provision is made for uncollected premia income, if any, already recognised for such insured banks.

(c) Penal interest for delay in payment of premia is recognised only on actual receipt.

(ii) Deposit Insurance Claims

(a) Provision for the liability towards fund balances as at the end of the year is made on the basis of Actuarial Valuation.

(b) Provision for claims liability is made on deregistration of insured bank based on best estimate.

(c) In respect of liquidated banks where the Corporation is liable for claim settlement in terms of Section 16 of the DICGC Act, 1961, the provisions for deposit insurance claim liabilities are made and held till the actual claim is fully discharged by the Corporation in terms of Section 19 of the DICGC Act, 1961 or the end of liquidation process, whichever is earlier.

(d) Separate provisions held in terms of Section 20 of the DICGC Act, 1961 towards depositors not found or not readily traceable, are held till the claim is paid or end of the liquidation process, whichever is earlier.

(iii) Repayments

The recovery by way of subrogation rights in respect of deposit insurance claims settled & paid is accounted in the year in which it is confirmed by the liquidators. Recoveries in respect of claims settled and subsequently found not eligible are accounted for when realised/ adjusted.

(iv) Interest on investments is accounted for on accrual basis.

(v) Profit/Loss on sale of investment is accounted on settlement date of transaction.

4. Investments

(i) All investments are current investments. Government Securities are valued scrip-wise at weighted average cost or market value whichever is lower. For the purpose of valuation, rates provided by the Fixed Income Money Market and Derivatives Association of India (FIMMDA) are taken as market rates. Treasury Bills are valued at carrying cost.

(ii) Provision for diminution in the value of securities is not deducted from investments in the balance sheet, but such provision is retained by way of accumulation to Investment Reserve Account in conformity with the prescribed format for statement of accounts.

(iii) The Investment Fluctuation Reserve (IFR) is maintained to meet the market risk arising on account of the diminution in the value of portfolio in future. The adequacy of IFR is assessed on the basis of market risk of the investment portfolio, as on the balance sheet date. The IFR in excess of the market risk, if any, is retained and carried forward. Whenever the IFR amount falls below the required size, credits to IFR are made as an appropriation of excess of income over expenditure before transfer to Fund Surplus/General Reserve.

(iv) Inter fund transfer of securities is made at book value as on the date of the transfer.

(v) Repo and Reverse Repo Transactions are treated as Collaterised Borrowing/Lending Operations with an agreement to Repurchase on the agreed terms. Securities sold under Repo are continued to be shown under investments and Securities purchased under Reverse Repo are not included in investments. Costs and revenues are accounted for as interest expenditure/income, as the case may be.

5. Fixed Assets

(i) Fixed assets are stated at cost less depreciation. Cost comprises the purchase price and any attributable cost of bringing the asset to its working condition for its intended use.

(ii) (a) Depreciation on computers, micro-processors, software (costing ₹ 0.1 million and above), motor vehicles, furniture, etc. is provided on straight-line basis at the following rates.

Asset Category	Rate of depreciation
Computers, microprocessors, software, etc.	33.33%
Motor vehicles, furniture, etc.	20%

(b) Deprecation on additions during the period up to 180 days is provided for full year otherwise half year. No depreciation is provided on assets sold/disposed off during the year.

(iii) Fixed Assets, costing less than ₹0.1 million, (except easily portable electronic assets such as laptops, mobile phones, etc., costing more than ₹10,000) are charged to the Profit and Loss Account in the year of acquisition.

6. Leases

Assets acquired under leases where the significant portion of the risks and rewards of ownership are retained by the lessor are classified as operating leases and lease rentals are charged to the profit and loss account on accrual basis.

7. Employees' Benefits/Cost

Employees' cost such as salaries, allowances, compensated absences, contribution to Provident Fund and Gratuity Fund is being incurred as per the arrangement with Reserve Bank of India, as the employees of the Corporation are on deputation from the Reserve Bank of India.

8. Taxation on Income

Liability in respect of taxation is provided for in accordance with the provisions of the Income Tax Act, 1961 and rules framed there under. Deferred Tax Asset and Liability are measured using the tax rates and tax laws that have been enacted or substantively enacted as on the Balance Sheet date and recognised, if material.

9. Impairment of Assets

Fixed Assets are reviewed for impairment whenever events or changes in circumstances warrant that the carrying amount of an asset may not be recoverable. Recoverability of assets to be held and used is measured by a comparison of the carrying amount of an asset to the estimated current realisable value. If such assets are considered to be impaired, the impairment to be recognised is measured by the amount by which the carrying amount of the asset exceeds estimated current realisable value of the asset.

10. Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets

(i) In conformity with AS 29, Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets, the Corporation recognises provisions only when it has a present obligation as a result of a past event, it is probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation, and when a reliable estimate of the amount of the obligation can be made.

(ii) Provisions are not discounted to its present value and are determined based on best estimate required to settle the obligation at the balance sheet date.

(iii) Reimbursement expected in respect of expenditure required to settle a provision is recognised only when it is virtually certain that the reimbursement will be received.

(iv) Contingent Assets are not recognised.

NOTES TO ACCOUNTS

1. Contingent Liabilities not provided for:

(a) The Commissioner of Central Excise and Service Tax, Large Taxpayer Unit (LTU), Mumbai has passed an order on January 10, 2013 requiring the Corporation to pay

(i) the service tax amounting ₹20,756.47 million and ₹2,831.53 million for the period from May 01, 2006 to March 31, 2011 and April 01, 2011 to September 30, 2011 respectively;

(ii) penalty of ₹20,756.47 million and ₹2,831.53 million,

(iii) Penalty @2% p.m. or ₹200 per day (whichever is higher) on the service tax starting after the due date till the date of actual payment for the period from May 1, 2006 to May 15, 2008 not exceeding ₹6,500.09 million;

(iv) penalty of ₹5,000/- for not taking registration and filing return;

(v) Interest under Section 75 of the Finance Act, 1994.

The Corporation has filed an appeal challenging the above order with the Customs, Excise and Service Tax Appellate Tribunal (CESTAT) on April 8, 2013. The CESTAT has, vide order No.S/1408/13/CSTB/C-1 dated October 14, 2013 has stayed the recovery. The Management is confident of the favourable outcome of the case.

(b) The Large Taxpayer Unit has also served a show cause cum demand notice dated January 31, 2013 advising the Corporation to show cause as to why

(i) Interest amounting to ₹19,17,54,309/- on the delayed payment of service tax should not be charged under Section 75 of the Finance Act, 1994 for the

period from November 6, 2011 to March 30, 2012.

(ii) Penalty for non-payment of service tax in time under Section 68 of the Finance Act, 1994.

(iii) Penalty for failure to take registration in time, as required under Section 69 of the Act.

The Commissioner, Large Taxpayer Unit, Mumbai has confirmed the demand vide order dated April 11, 2014. In consultation with the Tax consultant and the Legal Department of Reserve Bank of India, the Corporation has decided to file an appeal against the order. The management is confident that the final outcome will be in favour of the Corporation.

(c) The Additional Commissioner, Central Excise and Service tax, LTU, Mumbai has served on the Corporation a Notice dated June 25, 2013 advising the Corporation to show cause as to why

(i) Interest amounting to ₹12,12,383/- on the delayed payment of service tax should not be charged and recovered from the Corporation under Section 75 of the Finance Act, 1994 for the period from May 6, 2012 to August 23, 2012 i. e for 110 days

(ii) Penalty for non-payment of service tax in time

(iii) Penalty for failure to file service tax return in time.

The above show cause has been issued on account of under estimation of service tax liability by the Corporation by ₹2,23,49,488/- which was paid on August 23, 2013 against the due date of May 5, 2013. It has also been alleged that the Corporation had late filed the service tax return (ST3). The show cause cum demand notice has been replied by the Corporation on August 2, 2013 enclosing the evidence of timely filing of the ST3 Return. The show cause has been adjudicated by the Commissioner LTU and demand has been confirmed vide order dated April 11, 2014. In consultation with the Tax Consultant and the Legal Department of Reserve Bank of India, the Corporation has decided to file an appeal against the order. The management is confident that the final outcome will be in favour of the Corporation.

2. The Market Risk to Investments held by the Corporation as on March 31, 2014 worked out to ₹28.95 billion under VaR method as against ₹16.52 billion under Standardised Duration Method. The higher of the market risk calculated by the Corporation under both Standardised Duration method and VaR method has been taken as bench mark for creating Investment Fluctuation Reserve (IFR) in consonance with Risk Management Framework and Investment Management Guidelines of the Corporation. The combined Investment Fluctuation Reserve (IFR) for all three funds, held on March 31, 2014 was ₹28.95 billion (₹15.12 billion).

3. The investments in respect of the three Funds include securities with Face Value of ₹11,000 million earmarked by RBI towards Intra Day Liquidity (IDL) facility under RTGS extended to the Corporation.

4. Repo transactions (As per RBI prescribed format)

Disclosure:

In Face Value Terms (₹ in million)

	Minimum outstanding during the Year	Maximum outstanding during the Year	Daily Average outstanding during the year	As on March 31, 2014
Securities Sold under Repo				
i.Government Securities	Nil	57.85	0.16*	Nil
ii.Corporate Debt Securities	Nil	Nil	Nil	Nil
Securities Purchased under Reverse Repo				
i. Government Securities	9.47	5000	903.81	49.99
ii. Corporate Debt Securities	Nil	Nil	Nil	Nil

* Only one transaction during the year

5. Related Party Disclosure :

(a) Key Management Personnel:

(i) Shri Jasbir Singh, Executive Director, Reserve Bank of India was in-charge of the affairs of the Corporation from April 1, 2013 to March 31, 2014 and he drew his salary and perquisites from Reserve Bank of India.

Segment Reporting

6. The Corporation is at present primarily engaged in providing deposit insurance to Banks/Credit Institutions at a uniform rate of premium irrespective of location of the Bank/Institution. Thus, in the opinion of the management, there is no distinct reportable segment, either Business or Geographical.

7. The Significant Accounting Policies of the Corporation have been reviewed and modified by the Board of Directors during the year. There is no effect of such review on the financial results of the Corporation.

8. The figures of previous year have been recast/ regrouped/rearranged, wherever necessary, to make them comparable with those of current year.

Note on Currency Unit

- The reference / conversion rate for Indian Rupee (₹) with respect to major foreign currencies can be observed from www.rbi.org.in.
- ₹ 1 lakh = ₹ 100,000.00 or ₹ 0.10 million
- ₹ 10 lakh = ₹ 1 million
- ₹ 1 crore = ₹ 10 million
- ₹ 100 crore = ₹ 1 billion

Printed at : Onlooker Press ☎ 2218 3544 / 2218 2939